

57^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट th Annual Report

2019-20



(An ISO 9001 & 14001
Certified Company)
CIN-U74899DL1963GOI003913

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

निदेशक मण्डल
Board of Directors



श्री विनोद कुमार गौड़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Vinod Kumar Gaur
Chairman-cum-Managing Director



सुश्री शुभा ठाकूर
निदेशक(सरकारी नामांकित)
Ms. Shubha Thakur
Director(Govt. Nominee)



सुश्री गुरप्रीत गढोक
निदेशक(सरकारी नामांकित)
Ms. Gurpreet Gadhok
Director(Govt. Nominee)



श्री वि. मोहन
निदेशक (वित्त)
Shri V. Mohan
Director (Finance)



श्री एम.एल अरोड़ा
निदेशक(वाणिज्यिक)
Shri M.L. Arora
Director(Commercial)



डॉ. बी. बी. मोहन्ती
स्वतंत्र निदेशक
Dr. B.B. Mohanty
Independent Director



श्री श्याम वीर सैनी
स्वतंत्र निदेशक
Shri Shyam Vir Saini
Independent Director



CIN No.

: U74899DL1963GOI003913

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री विनोद कुमार गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Sh. Vinod Kumar Gaur, Chairman-cum-Managing Director
सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल व तिलहन)
Ms. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds)
सुश्री गुरप्रीत गढोक, उप सचिव (बीज)
Ms. Gurpreet Gadhok, Dy. Secretary (Seeds)
श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)
Sh. V. Mohan, Director (Finance)
श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक)
Sh. Mohan Lal Arora, Director (Commercial)
श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक)
Sh. Mohan Lal Arora, Director (Commercial)
डॉ. बी. बी. मोहन्ती, स्वतंत्र निदेशक
Dr. B.B. Mohanty, Independent Director
श्री श्याम वीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक
Sh. Shyam Vir Saini, Independent Director

कंपनी सचिव व महा प्रबंधक (कं.मा.)
COMPANY SECRETARY &
GENERAL MANAGER
(CORPORATE AFFAIRS)

श्री मो. राक़िम
Sh. Md. Raquim

कार्यापालक
EXECUTIVES

श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ महा प्रबंधक (उत्पादन/गुणवत्ता)
Sh. Kuldeep Singh, Sr. General Manager (Prodn./QC)
श्री बी. बी. साव, वरिष्ठ महा प्रबंधक (मानव संसाधन एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी)
Sh. B. B. Saw, Sr. General Manager (Human Resources & CVO)
श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
Sh. Kaushik Rakshit, Sr. General Manager (Finance &Accounts)
श्री दीपक रस्तोगी, महा प्रबंधक (विपणन)
Sh. Deepak Rastogi, General Manager (Marketing)
श्री शीलेन्द्र कुमार, अपर महा प्रबंधक (मानव संसाधन)
Sh. Sheelendra Kumar, Addl. General Manager (HR)
श्री संजय कुमार मेहता, अपर महा प्रबंधक (कल्याण)
Sh. Sanjay Kumar Mehta, Addl. General Manager (Welfare)
श्री आर.के. कासवान, उप महा प्रबंधक (यांत्रिकी)
Sh. R.K. Kaswan, DGM (Engg.)
श्री प्रीयम भारद्वाज, प्रबंधक (सामग्री प्रबंधक)
Sh. Priyam Bhardwaj, Manager (MM)
श्री चन्द्र शेखर, प्रबंधक (अभियंत्रिकी)
Sh. Chandra Shekhar, Manager (Engg.)

बैंकर्स
BANKERS

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

सांविधिक लेखा परीक्षक
STATUTORY AUDITORS

मैसर्स अरोड़ा एण्ड चौधरी एसोसिएट्स, नई दिल्ली
M/s Arora & Chaudhary Associates, New Delhi

शाखा लेखा परीक्षक
BRANCH AUDITORS

1. मैसर्स रंजीत जैन एंड कंपनी, कोलकाता (प.ब.)
M/s Ranjit Jain & Co., Kolkata (W.B.)
2. मैसर्स मुरथी एंड कांथ, हैदराबाद (तेलंगाना)
M/s Murthy & Kanth, Hyderabad (Telengana)
3. मैसर्स वी पी आर एंड एसोसिएट्स, पुणे (महाराष्ट्र)
M/s V P R and Associates, Pune (Maharashtra)
4. मैसर्स एस.सी.बिहलवत एंड कंपनी, चैन्नई (तमिलनाडु)
M/s S.C. Bichhawat & Co, Chennai (Tamilnadu)
5. मैसर्स वीरेन्द्र राजीव एंड एसोसिएट, हनुमानगढ़ (राज.)
M/s Virendra Rajiv & Associate, Hanumangarh (Raj.)
6. मैसर्स एस.पी. गोयल एंड कंपनी, हिसार (हरियाणा)
M/s S.P. Goyal & Co., Hissar (Haryana)
7. मैसर्स जी.कृष्णा एंड कंपनी, पटना (बिहार)
M/s G. Krishna & Co., Patna (Bihar)
8. मैसर्स शेखर पटेल एंड कंपनी, रायचूर (कर्नाटक)
M/s Shekhar Patel & Co., Raichur (Karnataka)
9. मैसर्स प्रकाश भट्ट एंड एसोसिएट्स, बैंगलुरु (कर्नाटक)
M/s Prakash Bhatt & Associates, Bangalore (Karnataka)
10. मैसर्स जयदेव परमार एंड कंपनी, गांधीनगर (गुजरात)
M/s Jaydev Parmar & Co, Gandhinagar (Gujarat)
11. मैसर्स संजय राजीव एंड कंपनी, लखनऊ (उ.प्र.)
M/s Sanjay Rajiv & Co, Lucknow (U.P.)
12. मैसर्स श्रीनिवास अग्रवाल एंड एसोसिएट, भोपाल (म.प्र.)
M/s Shrinivas Agerwal & Associate, Bhopal (M.P.)

पंजीकृत कार्यालय
REGISTERED OFFICE

बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के पतों की सूची

ADDRESSES OF REGIONAL MANAGERS

1. श्री अहमद रज़ा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर
हैबबल, बैंगलुरु-560024 (कर्नाटक)
Sh. Ahmed Raza
University of Agril. Sciences Campus,
Hebbal, BENGALURU-560024 (KARNATAKA).
Phone-080-23410159, 23415816, 23416824
2. श्री गुलवीर सिंह पवार
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
48-49, सैक्टर-बी, इंडस्ट्रियल एरिया
गोविन्द पुरा, भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश)
Sh. Gulbir Singh Pawar
National Seeds Corporation Ltd.
48-49, Sector-B, Industrial Area, Govind Pura
BHOPAL-462023 (MADHYAPRADESH)
Ph. : 0755-2787122, 2580271
3. श्री नानु राम यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
प्लॉट नं. 24, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-IX
एस.ए.एस. नगर, मोहाली (पंजाब)-160062
Sh. Nanu Ram Yadav
National Seeds Corporation Ltd.
Plot No. 24, Industrial Area Phase-IX
SAS Nagar, MOHALI (PUNJAB)-160062
Ph. : 0172-2214388, 2215388
4. श्रीमती पी. पी. आयशा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
22-सी, सीडको (उत्तर), औद्योगिक क्षेत्र
नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, अम्बाला
चेन्नई-600098 (तमिलनाडू)
Smt. P.P. Ayesha
National Seeds Corporation Ltd.
22-C, SIDCO (N), Industrial Estate
Near Telephone Exchange Ambattur
CHENNAI-600098 (TAMILNADU)
Ph. : 044-26242363, 26256192
5. श्री अवधेश कृष्णा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
चौमु हाउस (तबेला), सी-स्कीम
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान)
Sh. Awadhesh Krishna
National Seeds Corporation Ltd.
Chomu House (Tabela)
Sardar Patel Marg, C-Scheme
JAIPUR - 302001 (RAJASTHAN)
Ph. : 0141-2376760, 2365947
6. श्री पी. के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
सेक्टर 4 व 5, ब्लॉक-ए क्यू, प्लॉट नं. 12
साल्ट सिटी, कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
7. श्री मुकेश कुमार जाट
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
लक्ष प्लाजा, चौथी मंजिल, आईएनएस-19, सेक्टर-7सी
वृन्दावन योजना, अमर शहीद पथ
लखनऊ-226029 (उत्तर प्रदेश)
Sh. Mukesh Kumar Jat
National Seeds Corporation Ltd.
Laksh Plaza, 4th Floor, INS-19, Sector-7C
Vrindavan Yojana, Amar Shaheed Path
LUCKNOW - 226029 (UP)
Ph. : 0522-2424825, 2424826 Fax-2421832
8. डॉ. विजय कराहणे
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
शेखपुरा, राजा बाजार, पटना-800014 (बिहार)
Dr. Vijay Karahne
National Seeds Corporation Ltd.
Sheikhpura, Raja Bazar
PATNA - 800014 (BIHAR)
Ph. : 0612-2287744, 2280200, 2280202
9. श्री जय प्रकाश
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
681-690, मार्केट यार्ड, गुलटेकड़ी
पुणे-411037 (महाराष्ट्र)
Sh. Jai Prakash
National Seeds Corporation Ltd.
681-690, Market Yard, Gultekdi
PUNE - 411037 (MAHARASHTRA)
Ph. : 020-24267059, 24264587, 24266584
10. श्री ए. ब्रिटो
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
17-11, तुकाराम गेट, नार्थ लालागुडा
सिकन्दराबाद-500017 (तेलंगाणा)
Shri A. Britto
National Seeds Corporation Ltd.
17-11, Tukaram Gate, North Lalguda
SECUNDERABAD-500017 (TELANGANA)
Ph. : 040-27731152, 27730635
11. श्री प्रशांत शर्मा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
बी-116-118, स्वागत रेनफोरेस्ट-2
स्वामी नारायण धाम के सामने, कोबा हाईवे
कुडासन, गांधीनगर-382421 (गुजरात)
Shri Prashant Sharma,
National Seeds Corporation Ltd.
B-116-118, Swagat Rainforest-2,
Infront of Swami Narain Dham, Koba Highway
Kudasan, GANDHINAGAR-382 421 (GUJARAT)
Phone-079-23600302

फार्मों के प्रभारी निदेशकों के पतों की सूची
ADDRESSES OF DIRECTORS INCHARGE OF FARMS

1. श्री प्रवेश कुमार
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि. मी. सिरसा रोड
हिसार-125001 (हरियाणा)
Sh. Prabesh Kumar
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm
10 K.M., Sirsa Road, HISAR-125001 (HARYANA)
Ph. : 01662-275581, 275797
2. डॉ. पंकज कुमार त्यागी
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला - श्रीगंगानगर (राजस्थान)
Dr. Pankaj Kumar Tyagi
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Suratgarh
Distt. Sri Ganganagar (RAJASTHAN)
Ph. : 01509-220084, 220006, 220309
3. डॉ. आर. के. दधीच
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़
जिला - श्रीगंगानगर-335785 (राजस्थान)
Dr. R.K. Dadhich
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Sardargarh
Distt. Sri Ganganagar-335785 (RAJASTHAN)
Ph. : 01509-238296
4. श्री आर.एस. चन्देल
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला - श्रीगंगानगर-335709 (राजस्थान)
Sh. R.S. Chandel
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Jetsar
Distt.:Sri Ganganagar-335709 (RAJASTHAN)
Ph. : 01498-261202, 261227
5. श्री रामनिवास यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, ज्वालागेरा
रायचूर -584143 (कर्नाटक)
Sh. Ramniwas Yadav
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, JAWALAGERA
RAICHUR -584143(KARNATAKA)
Ph. : 08583-201246
6. श्री पी.के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जेडएआरसी, नालहाटी
जिला : बीरभूम - 731220 (पश्चिम बंगाल)
Sh. P.K. Patnayak
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, ZARC,Nalhati
Distt.: Beerbhum-731220 (WEST BENGAL)
Mob. : 08348206642
7. श्री आर. एन. एस. यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, बलियापुर
पोस्ट-बलियापुर-828201
जिला - धनबाद (झारखण्ड)
Sh. R. N. S. Yadav
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, BALIYAPUR
P.O. Baliyapur-828201
Dist. DHANBAD(JHARKHAND)
Mob. : 09534123907
8. श्री गुलाब सिंह ओला
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सुकिन्दा
पोस्ट-दामोदरपुर वाया सुकिन्दा-755018
जिला - जाजपुर (उड़ीसा)
Sh. Gulab Singh Ola
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, SUKINDA
P.O. Damodarpur Via Sukinda -755018
Dist. Jajpur (ORISSA)
Mob. : 09070106981

विषय सूची
CONTENTS

सूचना Notice	06
अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Speech	26
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	38
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of the Comptroller & Auditor General of India	114
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report	132
निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी Addendum to the Directors' Report	158
तुलन पत्र Balance Sheet	166
लाभ एवं हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	168
नकदी प्रवाह का विवरण Statement of Cash Flow	170
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण Statement of changes in equity.....	172
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements.....	174
खण्ड रिपोर्टिंग Segment Reporting	282



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम मिनिरत्ना कम्पनी)

(सी आई एन : U74899DL1963GOI003913)

“आई एस ओ 9001 & 14001 प्रमाणित कंपनी ”

पंजीकृत कार्यालय :- बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012(भारत)

फोन संख्या :011- 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

ई-मेल-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

वेबसाइट : www.indiaseeds.com

संख्या: एनएससी/57 वीं -एजीएम/2020-कंस.

दिनांक: 07 सितम्बर, 2020

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 57 वीं वार्षिक साधारण सभा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 02.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 20/2020, 14/2020 एवं 17/2020 दिनांक क्रमशः 05 मई, 2020, 08 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साथ साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन :

“संकल्प किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा इसी तारीख का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।”

2. लाभांश की घोषणा :

“संकल्प किया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निगम के कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30% की दर से लाभांश घोषित किया जाता है।”

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :

“संकल्प किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 जिसमें किसी प्रकार का वैधानिक संशोधन/परिवर्तन भी शामिल है, के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10)/ 479 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा इनके पारिश्रमिक निम्न प्रकार से अनुमोदित किए जाते हैं”:-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An ISO 9001 & 14001 Certified Company "

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/57th AGM/2020-CS

Dated: the 7th Sept., 2020

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 57th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited will be held through Video Conferencing on **Wednesday, the 30th September, 2020 at 2.00 PM** at Registered Office of National Seeds Corporation Limited,(NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular no. 20/2020, 14/2020 and 17/2020 dated 05th May, 2020, 08th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

"RESOLVED THAT Audited Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year ended 31st March, 2020 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby approved and adopted."

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

"RESOLVED THAT dividend @ 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2019-20 be and the same is hereby declared."

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modifications/amendment thereof, and with the consent of the Auditors concerned for appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2019-20 as per their letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (10)/479 dated 07.08.2019 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved":-



i)	सांविधिक लेखा परीक्षक - निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय - चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा के लिए जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा भी शामिल हैं।	रु. 5,28,000.00
ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 34,000.00
iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु के लिए	रु. 34,000.00
iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 34,000.00
v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 34,000.00
vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए	रु. 34,000.00
vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 34,000.00
viii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रु. 34,000.00
ix)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 90,000.00 (रु. 30,000.00 प्रत्येक फार्म)
x)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 30,000.00
xi)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 30,000.00

निदेशक मंडल के आदेश से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह/—

(मो० राक़िम)

कम्पनी सचिव एवं म० प्र०(कं० मा०)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 07 सितम्बर, 2020

टिप्पणी:

- कोविड - 19 महामारी के मद्देनजर, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 मई, 2020 के परिपत्र के साथ 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 का परिपत्र (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) जिनमें कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जैसे कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम/मीटिंग) बुलाने और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मीटिंग और अन्य पत्राचार से संबंधित अन्य सूचना भेजने के लिए कहा गया है। एमसीए के उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं (सामूहिक रूप से सूचना के रूप में संदर्भित) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा दिया गया है। सूचना को निगम की वेबसाइट यानी www.indiaseeds.com पर भी अपलोड किया गया है।
- उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी "GOOGLE MEET सॉफ्टवेयर" के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वीसी तंत्र के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:



i.	Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 5,28,000.00
ii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
iii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Bengaluru	Rs. 34,000.00
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
v.	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 34,000.00
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
viii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
ix.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00 (Rs. 30,000.00 for each Farm)
x.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
xi.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(Mohd.Raquim)
Company Secretary & GM(Corporate Affairs)

Place: New Delhi

Date: 7th September, 2020.

NOTES:-

1. In view of the COVID 19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its Circular dated 5th May, 2020 read with Circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), has introduced certain measures enabling companies to convene their Annual General Meetings (AGM/ Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and also send notice of the Meeting and other correspondences related thereto, through electronic mode. In compliance with the said requirements of the MCA Circulars, electronic copy of the Notice along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2020 consisting of financial statements including Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached therewith(Collectively referred to as Notice) have been sent to members on their e- mail ids registered with the Company through electronic means. The Notice has also been hosted on the website of the Company i.e. www.indiaseeds.com.
2. In accordance with the aforementioned MCA Circulars, the Company is providing the VC facility to the members and other participants for attending the Meeting through **"GOOGLE MEET Software"**. The members and other participants are requested to follow the following instructions in order to participate in the Meeting through VC mechanism:



- क) बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन-आईडी और पासवर्ड भी इस सूचना के साथ उपलब्ध कराया गया है :
 - ख) बैठक में प्रभावी भागीदारी के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वेब कैमरा, जी-मेल खाता एवं उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम होना आवश्यक है ।
 - ग) यह सुविधा बैठक शुरू होने से 30 मिनट पूर्व ही खोल दिया जाएगा यानी अपराह्न 1.30 बजे से और उक्त निर्धारित समय की समाप्ति के 15 मिनट बाद तक खुला रखा जाएगा तथा
 - घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी के माध्यम से बैठक में लॉग इन/असेसमेंट/वोटिंग के समय किसी भी तकनीकी सहायता के लिए cs@indiaseeds.com पर ई-मेल करें या 011-25843673 पर संपर्क करें ।
3. एमसीए परिपत्रों के मद्देनजर, सदस्यों द्वारा किसी प्रॉक्सी को नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
 4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके शेरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंध एवं व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं । निगम के पंजीकृत कार्यालय और वीसी के माध्यम से बैठक की निरंतरता के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) के तहत निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध कराए जाएंगे ।
 5. इस बैठक के लिए 2019-20 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ आवश्यक दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.indiaseeds.com पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
 6. वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को अग्रेषित किए गए हैं । यदि सीएजी की कोई टिप्पणी हुई तो उसे वार्षिक साधारण बैठक में शेर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
 7. रा.बी.नि. की पांच सहयोगी कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए थे और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एएस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन के लिए राबीनि को अब तक नहीं भेजे गए ।
आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी ने केवल अपने ही वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं । इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है ।

सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य ।
 - i) श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
 - ii) अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति ।
 - iii) श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
 - iv) सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली और सरकारी निदेशक, एनएससी ।
 - v) सुश्री छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
 - vi) श्री राजबीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
 - vii) श्री राजेश जायसवाल, उप सचिव (वित्त), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
 - viii) श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि

2. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
3. श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
4. श्रीमती गुरप्रीत गढोक, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड एवं उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।
5. डॉ बी.बी.मोहंती, स्वतंत्र निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
6. श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
7. मैसर्स अरोडा एंड चौधरी, 8/28, डब्ल्यू.ई.ए, अब्दुल अजीज रोड, शास्त्री पार्क के सामने, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005
8. सुश्री आयुषी कनोडिया, सहायक कंपनी सचिव, एनएससी, नई दिल्ली ।
9. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।



- a. The login-id and password for joining the meeting has been separately provided along with this Notice;
 - b. The primary requirements for effective participation in the meeting are Laptop or Desktop system with webcam, G-mail account and proper internet connectivity;
 - c. The facility for joining the Meeting shall be kept open 30 minutes before the time scheduled to start the meeting i.e. [1.30 P.M.] and 15 minutes after the expiry of the said scheduled time ; and
 - d. Members are requested to e-mail at cs@indiaseeds.com/it@indiaseeds.com or call at 011-25843673 in case of any technical assistance required at the time of log in/ assessing/ voting at the Meeting through VC.
3. In view of the MCA Circulars, no proxy shall be appointed by the members.
 4. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 shall be made available at the Registered office of the Corporation and also in electronic form for inspection pursuant to Section 171(1)(b) of the Companies Act, 2013 during the continuance of Meeting through VC.
 5. The Notice for this Meeting along with requisite documents and the Annual Report for the financial year ended 2019-20 shall also be available on the Company's website i.e. www.indiaseeds.com.
 6. The Financial Statements for the year 2019-20 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments, if any, of the CAG will be placed at the Annual General Meeting and sent to the registered email ids of the Shareholders.
 7. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not finalized their Financial Statements in Ind-AS and sent the same till date to NSC for complying with the above legal requirements. In order to avoid needless delay, Standalone Financial Statement of NSC is placed. Matter has already been brought to the Notice of MOA&FW which is the Administrative Ministry of NSC.

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-
 - i. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
 - ii. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - iii. Shri Ashwani Kumar, JS (Seeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - iv. Ms. Shubha Thakur, JS (Crops), MOA & FW, Krishi Bhawan, New Delhi and Government Director, NSC Ltd.
 - v. Ms. Chhavi Jha, Joint Secretary (RKVY), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - vi. Shri Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - vii. Shri Rajesh Jaiswal, Deputy Secretary (Finance), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - viii. Shri S.S. Vagulaparnam, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

Copy to:-

2. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
3. Shri Mohan Lal Arora, Director (Commercial), NSC Limited, New Delhi.
4. Smt. Gurpreet Gadhok, Government Director, NSC Ltd. & Deputy Secretary (Seeds), MOA&FW.
5. Dr. B.B. Mohanty, Independent Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. Shri Shyamvir Saini, Independent Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
7. M/s Arora & Chaudhary, 8/28, W.E.A. Abdul Aziz Road, Opposite Shastri Park, Karol Bagh, New Delhi-110 005.
8. Ms. Aayushi Kanodia, Asstt. Company Secretary, NSC, New Delhi.
9. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम मिनिरत्ना कम्पनी)

(सी आई एन : U74899DL1963GOI003913)

“आई एस ओ 9001 & 14001 प्रमाणित कम्पनी ”

पंजीकृत कार्यालय :- बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012(भारत)

फोन संख्या :011- 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

ई-मेल-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

वेबसाईट : www.indiaseeds.com

संख्या: एनएससी/57 वीं -एजीएम/2020-कं.स.

दिनांक: 01 दिसम्बर, 2020

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 57 वीं वार्षिक साधारण सभा जो बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 02.00 बजे आयोजित की गई थी जिसे कोरम पूर्ण न होने के कारण सुनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था तथा पुनः इस बैठक को 08 दिसम्बर, 2020 के लिए निर्धारित किया गया था परंतु भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण फिर से स्थगित कर दी गई। अब यह स्थगित बैठक बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020 अपराह्न 02.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निर्धारित की गई है जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, साथ ही कारपोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 20/2020, 14/2020 एवं 17/2020 दिनांक क्रमशः 05 मई, 2020, 08 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन :

“संकल्प किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा इसी तारीख का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।”

2. लाभांश की घोषणा :

“संकल्प किया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निगम के कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30% की दर से लाभांश घोषित किया जाता है।”

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :

“संकल्प किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 जिसमें किसी प्रकार का वैधानिक संशोधन/परिवर्तन भी शामिल है, के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10)/ 479 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा इनके पारिश्रमिक निम्न प्रकार से अनुमोदित किए जाते हैं”:-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An ISO 9001 & 14001 Certified Company "

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraqum@rediffmail.com

Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/57th AGM/2020-CS

Dated: the 1st December, 2020

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 57th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited which was held on Wednesday, the 30th September, 2020 at 02:00 P.M. and adjourned sine die for want of quorum, was again scheduled for 08th December, 2020 and now due to delay in receipt of CAG comments the meeting therefore stands postponed and the same shall now be held **on Wednesday, the 23rd December, 2020 at 2.00 PM** at the same venue i.e. Registered Office at National Seeds Corporation Limited, Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular no. 20/2020, 14/2020 and 17/2020 dated 05th May, 2020, 08th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

"RESOLVED THAT Audited Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year ended 31st March, 2020 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby approved and adopted."

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

"RESOLVED THAT dividend @ 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2019-20 be and the same is hereby declared."

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modifications/amendment thereof, and with the consent of the Auditors concerned for appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2019-20 as per their letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (10)/479 dated 07.08.2019 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved":-



1.	सांविधिक लेखा परीक्षक - निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय - जयपुर, चंडीगढ़, एवं मुख्यालय की अंतरिम वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा के लिए	रु. 4,44,000.00
2.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रु. 42,000.00
3.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रु. 42,000.00
4.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 34,000.00
5.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु के लिए	रु. 34,000.00
6.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 34,000.00
7.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 34,000.00
8.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रु. 34,000.00
9.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पूणे के लिए	रु. 34,000.00
10.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रु. 34,000.00
11.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 90,000.00 (रु. 30,000.00 प्रत्येक फार्म)
12.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 30,000.00
13.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 30,000.00

निदेशक मंडल के आदेश से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह/—

(मो० राक़िम)

कम्पनी सचिव एवं म० प्र०(क० मा०)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 01 दिसम्बर, 2020

टिप्पणी:

- कोविड - 19 महामारी के मद्देनजर, कारपोरेट मामलें मंत्रालय ने 5 मई, 2020 के परिपत्र के साथ 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 का परिपत्र (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) जिनमें कुछ अपने उपायों के बारे में बताया गया है जैसे कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम/मीटिंग) बुलाने और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मीटिंग और अन्य पत्राचार से संबंधित अन्य सूचना भेजने के लिए कहा गया है। एमसीए उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं (सामूहिक रूप से सूचना के रूप में संदर्भित) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले ही 07.09.2020 की सूचना के साथ सदस्यों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा दिया गया है। इन कागजों को पुनः भेज रहे हैं। इन सूचनाओं को निगम की वेबसाइट यानी www.indiaseeds.com पर भी अपलोड किया गया है।
- उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी "GOOGLE MEET सॉफ्टवेयर" के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वीसी तंत्र के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:



1.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole and Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh and Head Office including Audit relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,44,000.00
2.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
3.	Branch Auditor Regional Office (RO, Bhopal	Rs. 42,000.00
4.	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
5.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bengaluru	Rs. 34,000.00
6.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
7.	Branch Auditor Regional Office (RO, Kolkata	Rs. 34,000.00
8.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
9.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
10.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
11.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00 (Rs. 30,000.00 for each Farm)
12.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
13.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-

(Mohd. Raquim)

Company Secretary & GM (Corporate Affairs)

Place: New Delhi

Date: 1st December, 2020.

NOTES:-

1. In view of COVID 19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its Circular dated 5th May, 2020 read with Circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), has introduced certain measures enabling companies to convene their Annual General Meetings (AGM/ Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and also send Notice of the Meeting and other correspondences related thereto, through electronic mode. In compliance with the said requirements of the MCA Circulars, copies of the Notice along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2020 consisting of financial statements including Board's Report, Auditors' Report and other documents (Collectively referred to as Notice) have already been sent to members on their e- mail ids registered with the Company electronically along with AGM Notice dated 07.09.2020 are again attached therewith The Notices have also been hosted on the Website of the Company i.e. www.indiaseeds.com.
2. In accordance with the aforementioned MCA Circulars, the Company is providing the VC facility to the Members and other participants for attending the Meeting through "GOOGLE MEET Software". The members and other participants are requested to follow the following instructions in order to participate in the Meeting through VC mechanism:



- क) बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन-आईडी और पासवर्ड भी इस सूचना के साथ उपलब्ध है :
- ख) बैठक में प्रभावी भागीदारी के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वेब कैमरा, जी-मेल खाता एवं उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम हो :
- ग) उक्त सुविधा बैठक शुरू होने से 30 मिनट पूर्व ही खोल दिया जाएगा यानी अपराह्न 1.30 बजे से और उक्त निर्धारित समय की समाप्ति के 15 मिनट बाद तक खुला रखा जाएगा तथा
- घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी के माध्यम से बैठक में लॉग इन/असेसमेंट/वोटिंग के समय किसी भी तकनीकी सहायता के लिए cs@indiaseeds.com/it@indiaseeds.com पर ई-मेल करें या 011-25843673 पर संपर्क करें।
- एमसीए परिपत्रों के मद्देनजर, सदस्यों द्वारा किसी प्रॉक्सी को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके शेरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंध एवं व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं। निगम के पंजीकृत कार्यालय और वीसी के माध्यम से बैठक की निरंतरता के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) के तहत निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - इस बैठक के लिए 2019-20 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ आवश्यक दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.indiaseeds.com पर भी उपलब्ध हैं।
 - जैसा कि पहले ही कहा गया है, वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को भेज दिए गए हैं। सीएजी की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी इसलिए इन्हें पिछली 23.12.2020 को निर्धारित एजीएम में नहीं रखा जा सका, जैसा कि वित्त प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां आगामी बैठक से पूर्व प्राप्त हो जाएगी इसलिए इन्हें 30.12.2020 को निर्धारित स्थगित वार्षिक आम बैठक में रखा जाएगा।
 - राबीनि की पांच सहयोगी कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित किए जाने चाहिए थे और इसके साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई अनुस्मारक पत्र भेजने एवं बैठक करने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन के लिए राबीनि को अब तक नहीं भेजे गए। आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी द्वारा पहले से ही परिचालित किए गए अपने ही वित्तीय विवरणों को स्थगित एजीएम में रखा जाएगा जैसेकि 07/09/2020 को सूचना में बताया जा चुका है। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।
 - लेखा परीक्षा कार्य के द्विभाजन को देखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपने पत्र संख्या सीएवी/सीओवाय/के.सं.एनसीडूस(13)/1890 दिनांक 10 जनवरी, 2020 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, एनएससी, लखनऊ एवं भोपाल के वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के लिए अलग शाखा लेखा परीक्षक को नियुक्त किए। इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु, संकल्प संख्या 03 की तालिका को तदनुसार क्र.सं. 02 एवं 03 पर संशोधित किया गया है।

सेवा में,

- राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
 - श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
 - प्रतिनिधि श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
 - श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली और सरकारी निदेशक, एनएससी।
 - सुश्री छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - श्री राजबीर सिंह पवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - श्री राजेश जायसवाल, उप सचिव (वित्त), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि

- श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड एवं उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- मैसर्स अरोड़ा एंड चौधरी, 8/28, डब्ल्यू.ई.ए. अबुल अजीज रोड, ओपोजिट शास्त्री पार्क, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005
- श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- सुश्री आयुषी कनोडिया, सहायक कंपनी सचिव, एनएससी, नई दिल्ली।

- a. The login-id and password for joining the meeting is being separately provided along with this Notice;
 - b. The primary requirements for effective participation in the meeting are Laptop or Desktop system with webcam, G-mail account and proper internet connectivity;
 - c. The facility for joining the Meeting shall be kept open 30 minutes before the time scheduled to start the meeting i.e. 1:30 P. M. and 15 minutes after the expiry of the said scheduled time; and
 - d. Members are requested to e-mail at cs@indiaseeds.com/ it@indiaseeds.com or call at 011-25843673 in case of any technical assistance required at the time of log in/ assessing/ voting at the Meeting through VC.
3. In view of the MCA Circulars, no proxy shall be appointed by the members.
 4. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 shall be made available at the Registered office of the Corporation and also in electronic form for inspection pursuant to Section 171(1)(b) of the Companies Act, 2013 during the continuance of Meeting through VC.
 5. The Notice for this Meeting along with requisite documents and the Annual Report for the Financial Year ended 2019-20 shall also be remain available on the Company's website i.e. www.indiaseeds.com
 6. As already stated, the Financial Statements for the year 2019-20 were forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments of the CAG which could not be released earlier and therefore these could not be placed at the AGM scheduled for 30.09.2020, are likely to be received from the CAG before the date of Meeting as informed by the Finance Division and therefore the same will be placed before the Shareholders at the adjourned Annual General Meeting scheduled on 08.12.2020 and sent at the registered email ids of the Shareholders.
 7. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters, reminders and meetings, these Associate Companies have not finalized their Financial Statements in Ind-AS and sent the same till date to NSC for complying with the above legal requirements.
In order to avoid needless delay, Standalone Financial Statement of NSC as already circulated, will be placed at the Adjourned AGM. As informed earlier in the AGM Notice dated 07.09.2020, matter has already been brought to the Notice of MOA&FW which is the Administrative Ministry of NSC.
 8. In view of bifurcation of audit work being done by the same Auditor, CAG vide their letter No. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS(13)/1890 dated 10th January, 2020 have appointed separate Branch Auditors for Audit of Annual Accounts of F.Y. 2019-20 of Regional Offices, Lucknow and Bhopal. Hence the table in Resolution No. 3 i.e. for appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2019-20 has accordingly been modified at serial No. 2 & 3.

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-
 - i. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
 - ii. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - iii. Shri Ashwani Kumar, JS (Seeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - iv. Ms. Shubha Thakur, JS (Crops), MOA & FW, Krishi Bhawan, New Delhi and Government Director, NSC Ltd.
 - v. Ms. Chhavi Jha, Joint Secretary (RKVY), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - vi. Shri Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - vii. Shri Rajesh Jaiswal, Deputy Secretary (Finance), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - viii. Shri S.S. Vagulaparnam, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

Copy to:-

2. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
3. Shri Mohan Lal Arora, Director (Commercial), NSC Limited, New Delhi.
4. Ms. Gurpreet Gadhok, Government Director, NSC Ltd. & Deputy Secretary (Seeds), MOA&FW.
5. Shri Shyamvir Saini, Independent Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. M/s Arora & Chaudhary, 8/28, W.E.A. Abdul Aziz Road, Opposite Shastri Park, Karol Bagh, New Delhi-110 005.
7. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
8. Ms. Aayushi Kanodia, Asst. CS, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम मिनिरत्ना कम्पनी)

(सी आई एन : U74899DL1963GOI003913)

“आई एस ओ 9001 & 14001 प्रमाणित कंपनी ”

पंजीकृत कार्यालय : बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012(भारत)

फोन संख्या :011- 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

ई-मेल-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

वेबसाइट : www.indiaseeds.com

संख्या: एनएससी/57 वीं -स्थ.एजीएम/2020-कं.स.

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2020

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 57 वीं वार्षिक साधारण बैठक जो मूलतः 30 सितम्बर, 2020 को अपराहन 02.00 बजे के लिए निर्धारित की गई थी जिसे 08 दिसम्बर, 2020 एवं 23 दिसम्बर, 2020 को अपराहन 02.00 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब यह बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 दिसम्बर, 2020 को पूर्वाहन 11.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साथ साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन :

“संकल्प किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा इसी तारीख का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।”

2. लामांश की घोषणा :

“संकल्प किया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निगम के कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30% की दर से लामांश घोषित किया जाता है।”

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :

“संकल्प किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 जिसमें किसी प्रकार का वैधानिक संशोधन/परिवर्तन भी शामिल है, के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10)/ 479 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रा.बी.नि. के सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा इनके पारिश्रमिक निम्न प्रकार से अनुमोदित किए जाते हैं”:-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An ISO 9001 & 14001 Certified Company "

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/57thAdj.AGM/2020-CS

Dated: the 23rd December, 2020.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 57th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited, which was originally scheduled for 30th September, 2020 at 2.00 PM was adjourned for 8th December 2020 and postponed to be held on 23rd December, 2020 at 2.00 PM and again adjourned will now be held virtually on Wednesday, the 30th December, 2020 at 11.00 AM at the Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

"RESOLVED THAT Audited Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year ended 31st March, 2020 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby approved and adopted."

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

"RESOLVED THAT dividend @ 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2019-20 be and the same is hereby declared."

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modifications/amendment thereof, and with the consent of the Auditors concerned for appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2019-20 as per their letter No. C.A.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (10)/479 dated 07.08.2019 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved":-



1.	सांविधिक लेखा परीक्षक - निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय - जयपुर, चंडीगढ़, एवं मुख्यालय की अंतरिम वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा के लिए	रु. 4,44,000.00
2.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के लिए	रु. 42,000.00
3.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के लिए	रु. 42,000.00
4.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 34,000.00
5.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु के लिए	रु. 34,000.00
6.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 34,000.00
7.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 34,000.00
8.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रु. 34,000.00
9.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पूणे के लिए	रु. 34,000.00
10.	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के लिए	रु. 34,000.00
11.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 90,000.00 (रु. 30,000.00 प्रत्येक फार्म)
12.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 30,000.00
13.	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 30,000.00

निदेशक मंडल के आदेश से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

हं/-

(मो० राक़िम)

कम्पनी सचिव एवं म० प्र०(कं० मा०)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2020

टिप्पणी:

- कोविड - 19 महामारी के मद्देनजर, कारपोरेट मामलों मंत्रालय ने 5 मई, 2020 के परिपत्र के साथ 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 का परिपत्र (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) जिनमें कुछ अपने उपायों के बारे में बताया गया है जैसे कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम / मीटिंग) बुलाने और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मीटिंग और अन्य पत्राचार से संबंधित अन्य सूचना भेजने के लिए कहा गया है। एमसीए उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। (सामूहिक रूप से सूचना के रूप में संदर्भित) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले ही 07.09.2020 की सूचना के साथ सदस्यों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा दिया गया है। इन कागजों को पुनः भेज रहे हैं। इन सूचनाओं को निगम की वेबसाइट यानी www.indiaseeds.com पर भी अपलोड किया गया है।



1.	Statutory Auditors consolidation of Accounts of the Corporation as a whole and Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh and Head Office including Audit relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,44,000.00
2.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Lucknow	Rs. 42,000.00
3.	Branch Auditor Regional Office (RO, Bhopal	Rs. 42,000.00
4.	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 34,000.00
5.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Bengaluru	Rs. 34,000.00
6.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 34,000.00
7.	Branch Auditor Regional Office (RO, Kolkata	Rs. 34,000.00
8.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 34,000.00
9.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 34,000.00
10.	Branch Auditor Regional Office, (RO), Gandhinagar	Rs. 34,000.00
11.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 90,000.00 (Rs. 30,000.00 for each Farm)
12.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 30,000.00
13.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 30,000.00

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-

(**Mohd. Raquim**)

Company Secretary & GM(CA)

Place: New Delhi

Date: 23rd December, 2020.

NOTES:-

1. In view of COVID 19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its Circular dated 5th May, 2020 read with Circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), has introduced certain measures enabling companies to convene their Annual General Meetings (AGM/ Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and also send Notice of the Meeting and other correspondences related thereto, through electronic mode. In compliance with the said requirements of the MCA Circulars, copies of the Notice along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2020 consisting of financial statements including Board's Report, Auditors' Report and other documents (Collectively referred to as Notice) were earlier sent to members on their e- mail ids registered with the Company electronically along with AGM Notice dated 07.09.2020. The Notices have also been hosted on the Website of the Company i.e. www.indiaseeds.com.



2. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी "GOOGLE MEET सॉफ्टवेयर" के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वीसी तंत्र के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

- क) बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन-आईडी और पासवर्ड भी इस सूचना के साथ उपलब्ध किया गया है :
- ख) बैठक में प्रभावी भागीदारी के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वेब कैमरा, जी-मेल खाता एवं उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम हैं:
- ग) उक्त सुविधा बैठक शुरू होने से 30 मिनट पूर्व ही खोल दिया जाएगा यानी अपराह्न 1.30 बजे से और उक्त निर्धारित समय की समाप्ति के 15 मिनट बाद तक खुला रखा जाएगा तथा
- घ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी के माध्यम से बैठक में लॉग इन/असेसमेंट/वोटिंग के समय किसी भी तकनीकी सहायता के लिए cs@indiaseeds.com/it@indiaseeds.com पर ई-मेल करें या 011-25843673 पर संपर्क करें।

3. एमसीए परिपत्रों के मद्देनजर, सदस्यों द्वारा किसी प्रॉक्सी को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके शेरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंध एवं व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं। निगम के पंजीकृत कार्यालय और वीसी के माध्यम से बैठक की निरंतरता के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) के तहत निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. इस बैठक के लिए 2019-20 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ आवश्यक दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.indiaseeds.com पर भी उपलब्ध होंगे।

6. जैसा कि पहले ही कहा गया है, वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को भेज दिए गए हैं। सीएजी की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हो सके इसलिए इन्हें पिछली 23.12.2020 को निर्धारित एजीएम में नहीं रखा जा सका, जैसा कि वित्त प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां आगामी बैठक से पूर्व प्राप्त हो जाएगी जिन्हें 30.12.2020 को निर्धारित द्वितीय स्थगित वार्षिक आम बैठक में रखा जाएगा।

7. राबीनि की पांच सहयोगी कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित किए जाने चाहिए थे और इसके साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई अनुस्मारक पत्र भेजने एवं बैठक करने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन के लिए राबीनि को अब तक नहीं भेजे गए।

इसलिए आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी द्वारा पहले से ही परिचालित किए गए अपने ही वित्तीय विवरणों को स्थगित एजीएम में रखा जाएगा जैसेकि 07/09/2020 को सूचना में बताया जा चुका है। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

2. In accordance with the aforementioned MCA Circulars, the Company is providing the VC facility to the Members and other participants for attending the Meeting through “GOOGLE MEET Software”. The members and other participants are requested to follow the undermentioned instructions in order to participate in the Meeting through VC mechanism:-
 - a. The login-id and password for joining the meeting is being separately provided along with this Notice;
 - b. The primary requirements for effective participation in the meeting are Laptop or Desktop system with webcam, G-mail account and proper internet connectivity;
 - c. The facility for joining the Meeting shall be kept open 30 minutes before the scheduled time; and
 - d. Members are requested to e-mail at cs@indiaseeds.com/ it@indiaseeds.com or call at 011-25843673 in case of any technical assistance required at the time of log in/ assessing/ voting at the Meeting through VC.
3. In view of the MCA Circulars, no proxy may be appointed by the members.
4. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 shall be made available at the Registered office of the Corporation and also in electronic form for inspection pursuant to Section 171(1)(b) of the Companies Act, 2013 during the continuance of Meeting through VC.
5. The Notice for this Meeting along with requisite documents and the Annual Report for the Financial Year ended 2019-20 shall also be remain available on the Company's website i.e. www.indiaseeds.com.
6. As already stated, the Financial Statements for the year 2019-20 were forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments of the CAG which could not be released so far and therefore these were not placed at the last Adjourned AGM held on 23.12.2020, are likely to be received from the CAG before the date of Meeting now fixed as informed by the Finance Division and therefore the same will be placed before the Shareholders at the 2nd adjourned Annual General Meeting scheduled for 30.12.2020.
7. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters, reminders and meetings, these Associate Companies have not finalized their Financial Statements in Ind-AS and sent the same till date to NSC for complying with the above legal requirements.

Therefore, in order to avoid needless delay, Standalone Financial Statement of NSC as already circulated, will be placed at the Adjourned AGM. As informed earlier in the AGM Notice dated 07.09.2020, matter has already been brought to the Notice of MOA&FW which is the Administrative Ministry of NSC.



8. लेखा परीक्षा कार्य के द्विभाजन को देखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपने पत्र संख्या सीएवी/सीओवाय/के.सं.एनसीडस(13)/1890 दिनांक 10 जनवरी, 2020 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, एनएससी, लखनऊ एवं भोपाल के वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के लिए अलग शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है। इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा को नियुक्ति हेतु, संकल्प संख्या 03 की तालिका को तदनुसार क्र.सं. 02 एवं 03 पर संशोधित किया गया है।

सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य।

- i) श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- ii) प्रतिनिधि श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
- iii) श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- iv) सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली और सरकारी निदेशक, एनएससी।
- v) सुश्री छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- vi) श्री राजबीर सिंह पवार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- vii) श्री राजेश जायसवाल, उप सचिव (वित्त), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- viii) श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि

2. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड एवं उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5. श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. मैसर्स अरोडा एंड चौधरी, 8/28, डब्ल्यू.ई.ए, अबुल अजीज रोड, ओपोजिट शास्त्री पार्क, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005
7. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. सुश्री आयुषी कनोडिया, सहायक कंपनी सचिव, एनएससी, नई दिल्ली।

8. In view of bifurcation of audit work being done by the same Auditor, CAG vide their letter No. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS(13)/1890 dated 10th January, 2020 have appointed separate Branch Auditors for Audit of Annual Accounts of F.Y. 2019-20 of Regional Offices, Lucknow and Bhopal. Hence the table in Resolution No. 3 i.e. for appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2019-20 has accordingly been modified at serial No. 2 & 3.

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-
 - i. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
 - ii. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri S.S. Vagulaparnam, US (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - iii. Shri Ashwani Kumar, JS (Seeds), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - iv. Ms. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds), MOA & FW, Krishi Bhawan, New Delhi and Government Director, NSC Ltd.
 - v. Ms. Chhavi Jha, Joint Secretary (RKVY), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - vi. Shri Rajbir Singh Panwar, JS (MIDH), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - vii. Shri Rajesh Jaiswal, Deputy Secretary (Finance), MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - viii. Shri S.S. Vagulaparnam, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

Copy to:-

2. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
3. Shri Mohan Lal Arora, Director (Commercial), NSC Limited, New Delhi.
4. Ms. Gurpreet Gadhok, Government Director, NSC Ltd. & Deputy Secretary (Seeds), MOA&FW.
5. Shri Shyamvir Saini, Independent Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. M/s Arora & Chaudhary, 8/28, W.E.A. Abdul Aziz Road, Opposite Shastri Park, Karol Bagh, New Delhi-110 005.
7. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
8. Ms. Aayushi Kanodia, Asst. CS, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न” कंपनी)

***निगम की स्थगित 57वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण**

प्रिय शेरधारकों,

मैं, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से आयोजित निगम की स्थगित 57वीं वार्षिक साधारण बैठक में हमारे आदरणीय शेरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं आपके समक्ष, वार्षिक रिपोर्ट 2019–20, इंड एस के प्रावधानों के साथ विधिवत समेकित 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों सहित व इस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ। आपकी अनुमति से, मैं इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। मोटे तौर पर, विस्तृत कार्य निष्पादन विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं:—

1. कार्य निष्पादन विशिष्टताएं :—

आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2019–20 को बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष के रूप में देखा है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान जब भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2 प्रतिशत बढ़ी, 'कृषि और संबद्ध' क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि 2.8 प्रतिशत कम रही है तथा कोविड-19 महामारी मानव स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में उभरी है, महत्वपूर्ण और बढ़ती मानव लागत भी आर्थिक उथल-पुथल का कारण बन रही है, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा है जिसमें कटाई के समय कुछ राज्यों में भारी बारिश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखा, राजस्थान में टिड्डी हमले आदि शामिल हैं, जिससे निगम का राजस्व प्रभावित हुआ है।

- हालांकि, उपर्युक्त परिदृश्य के बावजूद; आपका निगम अपने लाभप्रदता स्तर को बढ़ाने में सक्षम रहा तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान परिचालनों से कुल राजस्व को बनाए रखा। वर्ष के दौरान, मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) विगत वर्ष में रु. 72.03 करोड़ की तुलना में बढ़कर इस वर्ष में रु.86.99 करोड़ हो गया है। इसके अतिरिक्त, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) भी विगत वर्ष रु. 47.80 करोड़ की तुलना में बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु. 60.88 करोड़ हो गया है। ऐसा प्रदर्शन, वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पादन और विपणन पहलों, निजी बिक्री को बढ़ावा देने, अन्य खर्चों में कटौती करने आदि का परिणाम है।
- वर्ष के दौरान, फार्मों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए मशीनीकरण और सिंचाई तथा अन्य ढांचागत विकास की सतत प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं, जिसके तहत कमशः रु 7.66 करोड़ और रु 12.96 करोड़ का पूंजीकरण वर्ष 2019–20 व 2018–19 के दौरान किया गया था। हालांकि, परिपक्वता स्तर पर बारिश के कारण, राजस्थान के तीन फार्मों तथा हिसार फार्म पर उत्पादन कम हुआ है, जिससे उत्पादकता के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। रबी मौसम में भी राजस्थान के तीनों फार्मों पर फसलों के उत्पादक और कटाई चरणों के दौरान अत्यधिक और लगातार बारिश के कारण उत्पादन में कमी देखी गई है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking- "Mini Ratna" Company)

*** FROM THE DESK OF CMD, NSC**
ADJOURNED 57th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Shareholders,

On behalf of Board of Directors of National Seeds Corporation Limited, I warmly welcome all the esteemed Shareholders at this adjourned 57th Annual General Meeting of your Corporation scheduled through Video Conferencing facility.

I am placing herewith the Annual Report 2019-20, containing the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 duly complied with the provisions of Ind-AS along with Reports of Directors and Auditors thereon and comments of Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the Financial Statements and Statutory Auditors Report. With your permission I assume the same as read. Nonetheless I submit herewith the highlights of the Financial Statement as under:-

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS:-

Your Corporation has witnessed the Financial Year 2019-20 as a very challenging year. During the Financial Year 2019-20 apart from the fact that the Indian economy grew at 4.2 per cent, the real growth in 'Agriculture & Allied' Sector was lower at 2.8 per cent and COVID-19 pandemic has emerged as a key risk to human health and is causing significant and rising human costs and economic turmoil which resulted in contraction of International as well as domestic economy, adverse agro-climatic conditions have also been faced which includes heavy rains in some States at the time of harvesting, drought in Karnataka and Maharashtra, locust attack in Rajasthan etc., have impacted the Revenue of the Corporation.

- However, despite abovementioned scenario; your Corporation was able to increase its profitability levels and maintained total Revenue from Operations during the Financial Year 2019-20. During the year, Profit before Depreciation Interest and Tax (PBDIT) increased from Rs.72.03 Crores in the last year to Rs.86.99 Crores in this year. Further Profit before Tax (PBT) has also increased from Rs. 47.80 Crores in previous year to Rs. 60.88 Crores during the F.Y.2019-20. Various Production & Marketing initiatives during the year, promotion of private sales, reduction in other expenses etc., have resulted in such performance.
- During the year in order to improve the performance of the Farms, continuous process of mechanization and irrigational and other infrastructural developments have been carried out under which capitalization worth Rs. 7.66 Crores and Rs. 12.96 Crores was done during 2019-20 & 2018-19 respectively. However due to rains at maturity stage, less production has been observed at three Rajasthan farms and Hisar farm during Kharif season which adversely affected the productivity as well as quality of seed. Further less production has also been seen at three Rajasthan Farms during Rabi season due to excessive and frequent rains during productive and harvesting stage of the crops.



- इक्विटी शेयरों के संबंध में, प्रति शेयर रु 1000/- के 573199 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित हैं। इस प्रकार आपके निगम का कुल इक्विटी आधार पिछले वर्ष की भांति रु 57.32 करोड़ रहा। हालांकि, वर्ष के दौरान, अन्य इक्विटी रु. 600.48 करोड़ से बढ़ कर रु. 614.51 करोड़ हो गई है।
- एनएससी के इक्विटी शेयरों के हिस्सों को आईपीओ मार्ग के माध्यम से शेयर बाजार में उतारने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 28.02.2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और निगम के शेयरधारकों के अनुमोदन के साथ एनएससी ने अपनी छवि को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया है और मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को भी स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने 04.04.2020 को निगमन का एक नया प्रमाणपत्र जारी किया है। हालांकि, कुछ औपचारिकताओं का अनुपालन और सरकारी दिशानिर्देशानुसार एनएससी के स्वीकृत मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (एमओए एंड एओए) का हिंदी अनुवाद प्रक्रियाधीन है।
- आपके निगम को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बीजी और एलसी सीमा सहित रु.75.00 करोड़ की नकद क्रेडिट (सीसी) सीमा स्वीकृत की गई है। वर्ष के दौरान, निगम ने पिछले वर्ष में रु. 5.81 करोड़ की तुलना में रु 7.81 करोड़ की राशि के ब्याज और अन्य उधार लागत का भुगतान किया है। इस वृद्धि का कारण, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से भुगतान जारी करने में हो रही देरी की वजह से लंबे समय तक, कैश क्रेडिट और अल्पकालिक ऋण का उपयोग करना है। हालांकि, कम ब्याज दरों पर अल्पावधि ऋण लेने पर फोकस करके ब्याज को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण, सेवानिवृत्ति लाभों पर आउट-प्लो भी तुलनात्मक रूप से अधिक है, इससे भी उधार राशि बढ़ रही है।
- आपको ज्ञात है कि आपके निगम ने एनएसपी के तहत विभिन्न राज्य बीज निगमों के इक्विटी और वरीयता शेयरों में निवेश किया है और 31.03.2020 तक बुक्स के अनुसार, यह राशि रु. 38.45 करोड़ थी। यद्यपि, निवेशित वास्तविक राशि रु. 9.02 करोड़ थी। यह वृद्धि, इंड एस प्रावधानों के अनुसार फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट के तहत पांच गैर-सहयोगी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के कारण हुई है। इसमें से रु. 1.06 करोड़ का प्रावधान बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमत में कमी के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान कर लिया गया था। ऐसी कुछ कंपनियों से वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 0.57 करोड़ का कुल लाभांश प्राप्त किया गया। हालांकि, एनएससी वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित कुल 8.98 करोड़ रु के लाभांश में से इन शेयरों पर भारत सरकार को लाभांश के रूप में रु. 1.41 करोड़ का भुगतान कर रही है।

2. कंपनी के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं :-

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने रु 72.03 करोड़ के स्थान पर रु 86.99 करोड़ की बढ़ोत्तरी के साथ ब्याज, मूल्यहास और कर पूर्व सकल मार्जिन में 20.77% की वृद्धि हासिल की है। कर पूर्व लाभ में भी 27.36% की वृद्धि हुई है, जोकि पिछले वर्ष में रु. 47.80 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 60.88 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, आपके निगम का निवल मूल्य 31.03.2019 पर रु 633.62 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 तक रु 646.37 करोड़ हो गया है। हालांकि, आस्थगित कर खर्चों तथा पूर्ववर्ती एसएफसीआई के वर्ष 2009 तथा उससे पहले के आंकलन के लिए प्रावधानों के कारण कर पश्चात लाभ (पीएटी) 27.59% है। आपके निगम ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 961 की धारा 115 बीएए के अनुसार संशोधित आयकर दर को अपनाया है। संशोधित आयकर दर को अपनाने से वर्तमान आयकर दर में कमी आई है, लेकिन आस्थगित कर में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों के परिणामस्वरूप रु 11.59 करोड़ का नकरात्मक प्रभाव पड़ा जबकि पिछले वर्ष के दौरान रु. 15.47 करोड़ का सकारात्मक प्रभाव था।
- 2019-20 के दौरान कोविड की वजह से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन केवल सात दिनों की अवधि के लिए प्रभावी था जिसका उल्लेख 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए टिप्पणियों में किया गया है।
- निगम ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिक्री में तिलहन में 7.30%, रेशा में 13.78% और आलू सहित अन्य सब्जियों में 27.64% की वृद्धि हासिल की है। टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में बिना सब्सिडी के बेचे गए बीजों में वृद्धि दर्ज की गई है जोकि पिछले वर्ष में 75.37% से बढ़कर 2019-20 में 85.44% हो गई यानी 13.36% की वृद्धि हुई है। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान प्रमाणित / गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर कुल कारोबार वर्ष 2018-19 में 1008.24 करोड़ रुपये से घटकर 2019-20 में 940.70 करोड़ रु. किया गया है। इस तरह की कमी का कारण, सब्सिडी, मिनीकिटों के आबंटन में कमी तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का गैर कार्यान्वयन और एनएससी के बजाय अपने राज्य के बीज निगम को वरीयता देना है। बीज की उपलब्धता और सब्सिडी व मिनीकिटों की आपूर्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाली सरकारी सहायता कम होने के बावजूद, कंपनी ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बदलकर अपने टर्नओवर तथा लाभप्रदता को बनाए रखा है।

- Regarding Equity Shares, 573199 Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up remained held by the President of India. Thus the total Equity base of your Corporation continued to be at Rs. 57.32 crores as in previous year. However during the year, other Equity has increased to Rs. 614.51 crores from Rs. 600.48 crores.
- Further as per the decision taken by the Government of India for offloading part of equity shares of NSC through IPO route in the open market, NSC with the approval of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Shareholders of the Corporation in the Extra ordinary General Meeting held on 28.02.2020, has converted its status from Private Limited Company to a Public Limited Company and also adopted the new set of Memorandum of Association and Articles of Association. Accordingly, the Registrar of Companies (ROC) has issued a fresh Certificate of Incorporation on 04.04.2020. However, compliance of a few formalities w.r.t. translation of the adopted Memorandum of Association and Articles of Association (MOA&AOA) of NSC in Hindi as per Government Guidelines is in process.
- Your Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.00 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 7.81 Crores in comparison to Rs. 5.81 crores in the previous year. The increase is due to utilization of cash credit and short term loans for longer duration as payments realisation from GOI and State Governments are delaying. However, all efforts were made to minimize the interest by focusing on short term loan with less interest rate. Since lot of employees are superannuating, the out-flow on retirement benefit also are comparatively high, it is also adding the borrowing amount.
- You are aware that your Corporation has also made investments in Equity and Preference shares in various State Seeds Corporations under NSP and as on 31.03.2020, it was Rs. 38.45 crores as per books. However the actual amount invested was Rs. 9.02 crores. The increase is due to valuation of five non-Associate Companies Shares under Fair Value Concept as per Ind-AS provisions. Out of which provision for diminution in value of shares of Rs. 1.06 crores of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been made during the year 2013-14. A total dividend of Rs. 0.57 crore was received during the year 2019-20 from few of such Companies, however NSC is paying Rs. 1.41 Crores as dividend to GOI against these Shares out of total Rs. 8.98 Crores dividend proposed for the year 2019-20.

2. THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY IN BRIEF ARE AS FOLLOWS:

- During the year, your Corporation has achieved an increase of 20.77% in gross margin before interest, depreciation and tax from Rs.72.03 Crores to Rs.86.99 Crores. Further Profit before Tax (PBT) has also increased by 27.36% i.e. from Rs. 47.80 Crores in previous year to Rs. 60.88 Crores during the F.Y.2019-20. Further Net worth of your Corporation has been increased to Rs 646.37 Crores as on 31.03.2020 as compared to Rs. 633.62 Crores as on 31.03.2019. However the Profit after Tax (PAT) is hit by 27.59% due to the impact on the deferred tax expenses and provision towards assessment of erstwhile SFCI pertaining to the year 2009-10 & prior. During the year your Corporation adopted revised Income Tax rate as per Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961. The adoption of the revised Income Tax rate has resulted in decrease in current income tax expenses but increase in deferred tax. The Deferred Tax Assets recognised in the Financial Year 2019-20 resulted in a negative impact of Rs. 11.59 Crores whereas during the previous year, there was a positive impact of Rs.15.47 Crores.
- There was no impact on the financials due to Covid during 2019-20 since lockdown was effective only for a period of seven days. The same has been mentioned in the Notes to Accounts for the year ended 31.03.2020.
- During the year your Corporation has achieved increase in sales (value wise) in Oilseeds by 7.30%, Fibres by 13.78% and vegetables including potato and others by 27.64% as compared to the previous Financial Year. Further increase has also seen in the Seed sold without subsidy as a percentage of Turnover i.e. from 75.37% in 2018-19 to 85.44% in 2019-20 i.e. increase by 13.36%. However the total turnover on account of sale of certified / quality seed during the year 2019-20 has been decreased from Rs. 1008.24 crores in 2018-19 to Rs. 940.70 crores in 2019-20. The reason for such reduction is decrease in allocation of subsidies, Minikits & Non implementation of various schemes of State Government and preference to their own Seed Corporation instead of NSC. In spite of excess seed availability in the market and reduced Government support through subsidies and minikits supplies, Company is maintaining its turnover and profitability by changing product portfolio.



- आपके निगम ने भारत सरकार की ओर से वर्ष 2019–20 के दौरान 15 नई निजी बीज कंपनियों / डीलरों को दूसरे देशों से बीज के आयात / निर्यात के लिए आयात पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं तथा 42 मौजूदा निजी बीज कंपनियों / व्यापारियों के ऐसे प्रमाणपत्रों का नवीकरण किया है। इसके अलावा, देश के दूरस्थ क्षेत्र में एनएससी के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपके निगम ने डीलर्स नेटवर्क को मजबूत बनाने पर कार्य किया है और नेटवर्क में 31 मार्च, 2019 तक शामिल 2270 डीलरों की संख्या को बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 तक 2640 कर लिया गया है।
- अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके निगम ने नए प्रयास किए हैं, जिसमें गतिविधियों का विविधीकरण शामिल है। वर्ष के दौरान आपके निगम ने 8107 क्विंटल गुणवत्ता समृद्ध ब्लॉक बेचे थे, जिनकी कीमत रु. 0.96 करोड़ थी।
- आपके निगम ने, एनएससी के ब्रांड फार्म सोना बीज को लोकप्रिय बनाने तथा किसानों को भी सीधे व उचित मूल्य पर गुणवत्ता एवं विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध करवाने हेतु उन्नत व नवीन विपणन गतिविधियां शुरू की हैं। किसानों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जीप अभियान, नए उत्पादों का प्रदर्शन, क्षेत्र दिवस, किसानों / डीलरों की बैठकें, कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और तालुका स्तर पर डीलरों की नियुक्ति के साथ-साथ किसानों को एनएससी उत्पादों के बारे में पत्रक, पर्चों का वितरण किया गया।

3. लाभांश:

वर्ष 2019–20 के लिए, निदेशक मंडल ने लाभांश के रूप में कर पश्चात लाभ के 30% के भुगतान की सिफारिश की है। इस संबंध में, हमने प्रशासनिक मंत्रालय से कर पश्चात लाभ का 30% या निवल मूल्य का 5% जो भी अधिक हो, के भुगतान के लिए 2015 के दौरान जारी दिशानिर्देशों पर डीआईपीएएम से आपकी कंपनी हेतु छूट की मांग के लिए अनुरोध किया है।

4. श्रम शक्ति ढांचा मजबूत बनाने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने तथा तकनीकी कौशल विकास संबंधी उपाय:

- समीक्षा वर्ष के दौरान आपके निगम ने अपने भर्ती नियमों को संशोधित करके और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से भर्ती गतिविधियों का संचालन करके पेशेवर तथा तकनीकी रूप से योग्य जनशक्ति की भर्ती की है और इस प्रकार वर्ष के दौरान 229 प्रशिक्षुओं / वरिष्ठ प्रशिक्षुओं / प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सेवानिवृत्त कर्मियों / नई रिक्रियों पर भर्ती किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में विभिन्न श्रेणियों के बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। संगठन के विकास के लिए गुणवत्ता जनशक्ति की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मौजूदा जनशक्ति के मनोबल को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- **प्रशिक्षण:**—निगम की रचनात्मकता तथा उत्पादकता को बढ़ाने हेतु संस्था के अधिकारियों / कर्मचारियों के व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण हेतु एक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके अंतर्गत इस वर्ष के दौरान बाहरी व आंतरिक दोनों स्रोतों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विवरण निदेशकों की रिपोर्ट से देखे जा सकते हैं।
- **राजभाषा कार्यान्वयन:**—
आपका निगम निर्धारित समयानुसार प्रशिक्षण, कार्यक्रम, कार्यशालाएं, बैठकें आदि आयोजित करके राजभाषा हिन्दी को भी यथोचित बढ़ावा दे रहा है। निगम में 14.9.2019 से 28.09.2019 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इसके अलावा, निगम में हिंदी से संबंधित जानकारियों, निगम की गतिविधियों की कार्यशैली के प्रसार तथा आम व्यक्तियों और निगम के कर्मचारियों के लिए उपयोगी लेख प्रकाशित करने हेतु आपका निगम अर्धवार्षिक पत्रिका 'बीज पत्रिका' प्रकाशित कर रहा है।

5. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां:

कृषि क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास का मुख्य जनादेश राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के साथ है, हालांकि, किसानों के लाभ के लिए उपयुक्त फसलों और किस्मों के बीजों का चयन और वृद्धि करने के लिए नियमित रूप से प्रमुखता दी जा रही है। बीज श्रृंखला में जैविक और अजैविक तनाव सहिष्णु किस्मों को शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पोषक तत्वों की विभिन्न किस्मों को शामिल करने के अलावा पोषण सुरक्षा के लिए जैव गढ़वाली किस्मों को भी बीज श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है।

- Your Corporation has issued import registration certificates on behalf of Government of India during the year 2019-20 to 15 new private seed companies/ dealers for import/ export of seeds from other countries and renewed the same for 42 existing Private Seed Companies/Dealers. Further to ensure availability of quality seeds of NSC in the remotest area of the Country. Your Corporation has worked on strengthening of Dealers Network and taken the same to 2640 as on 31st March, 2020 from 2270 as on 31st March, 2019.
- In order to achieve its targets your Corporation has taken new endeavours which comprises the diversification of activities. During the year your Corporation had sold 8107 qtls. of quality enriched fodder blocks amounting to Rs. 0.96 crores.
- Your Corporation has taken up the aggressive & innovative marketing activities for popularizing the NSC Brand Farm Sona seeds and also for availability of quality and variety of seeds directly to the farmers at reasonable price. All efforts are being made to reduce cost of production of farmers. In this regard jeep campaigning, demonstration of new products, field days, farmers/ dealers meetings, Krishi Mela & exhibitions were organised and the appointment of dealers at Taluka level were arranged alongwith distribution of leaflets, pamphlets about NSC products to the farmers.

3. DIVIDEND:

For the year 2019-20, the Board recommended payment of 30% of PAT as Dividend. For this purpose request has been made before administrative Ministry to seek exemption for your Corporation from the DIPAM on the guidelines issued during 2015 for payment of Dividend @ 30% of PAT or 5% of Networth whichever is higher.

4. STEPS FOR STRENGTHENING THE MANPOWER SET-UP AND EMPLOYEES RELATED MEASURES FOR BOOSTING THEIR MORALE AND UPGRADING THEIR TECHNICAL SKILL STATUS:

- During the year under review your Corporation has recruited professionally and technically qualified manpower by revising its Recruitment Rules and conducting recruitment activities in a fair and transparent manner and thus inducted 229 Trainees/Senior Trainees/Management Trainees against superannuation/vacancy of employees during the year 2019-20. Further equal employment opportunities have been given to the persons of Schedule Caste/ Scheduled Tribes and Persons with Benchmark Disability in various Categories in compliance of the provisions of the Reservation to Persons with Disabilities Act, 2016. All out efforts are being made to ensure quality manpower recruitment for the growth of the organization. Efforts are also being made to keep the morale of existing manpower to get higher productivity.
- **Training:-** A focused approach was adopted to train the Officers/ Employees/ Trainees of the Organization for improving their professional skills to enhance creativity and productivity of the organization. Under this several training programmes both in house and from external sources were organized during the year. Details may be seen from Directors' Report.
- **Impetus to Hindi:-** Your Corporation is continuously giving due recognitions for Rajbhasha Hindi by imparting all the prescribed periodical trainings and conducting programmes, Workshops, Meetings etc. The 'Hindi Pakhwara' organized from 14.09.2019 to 28.09.2019 in your Corporation. Further every year, your Corporation is publishing a half yearly Hindi Magazine "Beej Patrika" to disseminate the Hindi related information about the working on the activities of the Corporation and Articles of usefulness to a common person and employees of the Corporation.

5. R&D ACTIVITIES:-

As main mandate of R&D for agriculture sector is with National Agriculture Research System, however, regular emphasis is being given to select and multiply the seed of suitable crops & varieties for the benefit of farmers. Emphasis is also being given to include biotic & abiotic stress tolerant varieties in the seed chain. To ensure nutritional security bio fortified varieties are also being included in seed chain in addition to inclusion of various varieties of nutri cereals.



6. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां:-

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन हेतु आपके निगम ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को शुरू किया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट में देखी जा सकती हैं। सरकार की कोविड-19 महामारी नियंत्रण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, आपके निगम ने प्रधानमंत्री केयर फंड में रु 75.00 लाख का योगदान दिया है।

7. समझौता ज्ञापन मूल्यांकन :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्यांकन अभी तक प्रतिक्षित है, यद्यपि वर्ष 2018-19 के लिए आपके निगम का प्रदर्शन लोक उद्यम विभाग द्वारा " बहुत अच्छा" घोषित किया गया है।

8. फार्म की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक गतिविधियां:-

- निगम के फार्मों पर बीजों में बहुलीकरण हेतु बीज की अनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधारीय बीजों का सतत उत्पादन किया जाता है।
- किसानों को आपूर्ति हेतु, फार्मों पर नर्सरियों में फल फसलों की पौधों-सिटरस, अमरूद, अनार, आम आंवला आदि के फूलों और वानिकी का उत्पादन किया जा रहा है।
- चार फार्मों यानि सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर व हिसार पर 225 हैक्टेयर क्षेत्र में फल फसलों के बाग स्थापित किए गए।
- निगम अपने आउटलेट्स पर अंडरसाईजड, अनबिके बीजों आदि से तैयार गेहूँ का आटा, बासमती चावल, सरसों तेल आदि मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री कर रहा है।
- व्यावसायिक विविधता की ओर एक कदम के रूप में आपके निगम ने संवर्धित चारा ब्लॉक तथा मछली के बीजों का विपणन किया है।
- कृषि कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए, आपका निगम, मशीनों, उपकरणों के बड़े बेड़े, स्वयं की कार्यशालाओं पर सभी मरम्मत और रखरखाव, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं और बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का संरक्षण कर रहा है।
- प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई पर मोबाईल/प्री-क्लीनर्स की सहायता से उपज को सुखाया जाता है और प्रारंभिक सफाई की जाती है।
- उपलब्ध पानी से सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि के लिए नहरों का पलस्तर और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। नहर के पानी के पूरक के रूप में, सूरतगढ, सरदारगढ और जैतसर फार्मों पर नहरों के किनारे 14 गहरे नलकूप स्थापित किए गए हैं और 31.3.2019 तक 151 नलकूपों की कुल संख्या को 31.3.2020 तक 165 कर दिया गया है।
- सिंचाई के पानी की सीमा को ध्यान में रखते हुए सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए जल भंडारण टैंकों का निर्माण किया गया और कुल 1980 हैक्टेयर (स्थापित) और 314 हैक्टेयर (स्थापना के तहत) क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है।
- निगम ने अपनी मशीनों का उपयोग करके अकृष्य भूमि को कृष्य बनाने हेतु एक गहन कार्यक्रम शुरू किया है और इसके अंतर्गत वर्ष के दौरान 430 हैक्टेयर क्षेत्र को साफ और विकसित किया है।

9. क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रक्षेत्र कार्यालयों एवं फार्मों की कार्यप्रणाली:-

वर्तमान में आपके निगम के पास उपयुक्त स्थानों पर लगभग 200 उत्पादन और विपणन केंद्रों के अलावा 08 फार्म, 11 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 48 प्रक्षेत्र कार्यालय हैं। क्षेत्रीय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय, उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन, बीजों की खरीद और अंत में इसे प्रमाणित या टी/एल बीजों के रूप में पैक करने का कार्य कर रहे हैं। उच्च उत्पादकता और फसलों की अन्य वांछनीय विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए नई किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गुणवत्ता के साथ-साथ समय पर प्रसंस्करण और प्रमाणन सुनिश्चित करके बीजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

आपके निगम ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न फसलों की 31 नई किस्मों को भी बढ़ाया है। वर्तमान में, बाजार की आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार, नई किस्मों का लगभग 58.15% (10 वर्ष की आयु के भीतर) बीज उत्पादन किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फसलों की जैव गढवाली (बायो-फरटिफाइड) किस्मों का बीज उत्पादन भी किया गया है। एनएससी में प्रतिवर्ष लगभग 25000 नमूनों की जांच करने की क्षमता युक्त 04 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं और क्षेत्र स्तर पर बीजों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए उचित तंत्र है।

6. CSR ACTIVITIES:-

To comply with mandatory provisions of Companies Act, 2013, your Corporation has taken up various CSR activities as may be seen from addendum to the Directors' Report. In order to support the Covid-19 Pandemic Control activities of the Government, your Corporation has contributed Rs.75 lakhs to the PM CARES Fund.

7. MOU RATING:

The MOU rating for Financial Year 2019-20 is still awaited, however the MOU performance of your Corporation for 2018-19 has been adjudged as "Very Good" by DPE.

8. SUPPORTING ACTIVITIES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE FARMS.

- At the Farms of the Corporation sustainable production of Foundation seed is undertaken to ensure genetic purity of seed for further multiplication.
- Saplings of Fruit crops – Citrus, Guava, Pomegranate, Mango, Aonla etc., Flowers and Forestry trees are being produced in Nurseries at the farms, for supply to the farmers.
- Established Fruit Crops Orchards in an area of 225 ha. at four Farms i.e. Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Hisar.
- Value added products namely Wheat Flour, Basmati Rice, Mustard Oil etc., produced from undersized, unsold seeds etc. are being sold from outlets of your Corporation.
- As a step toward business diversity, your Corporation has marketed enriched fodder block and fish seeds.
- In order to facilitate agriculture operations more effectively, your Corporation has been maintaining large fleet of Machinery, Implements, its repairs & maintenance facility by its own workshops, modern Irrigation Systems, Post-Harvest facilities and Seed Processing Plants.
- Drying & Preliminary cleaning of produce is being done with the help of mobile/ pre- cleaners at each Processing Unit.
- The Lining of Canal & Micro Irrigation Systems are being used for increasing more area under irrigation with the available water. To supplement with canal water, 14 deep tube wells have been installed along the banks of canals at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar Farms and now the total Nos. of tube-wells have been increased upto 165 as on 31.03.2020 from 151 as on 31.03.2019.
- Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks were constructed and Micro Irrigation Systems have been installed in total area of 1980 Ha (installed) & 314 Ha. (is under installation) to increase the irrigation potential.
- Corporation has taken an intensive programme to bring the uncultivable land into use at Farms with own machineries and in this way an area of 430 Ha was developed by own machineries during the year.

9. WORKING OF THE REGIONAL OFFICES, AREA OFFICES & FARMS:-

Presently your Corporation is having 8 Farms, 11 Regional Offices and 48 Area Offices in addition to about 200 nos. Production and Marketing Centres at various places. Regional and Area Offices are performing the functions of production of seeds through growers, procuring of seeds and finally packing it as certified or T/L seeds. The focus is to produce high quality seed of new varieties for ensuring higher productivity and other desirable crops attributes. Alongwith quality, timely availability of seed is also being ensured by ensuring timely processing & certification.

Your Corporation has also added 31 new varieties of different crops during the year 2019-20. Presently, seed production of around 58.15 % of newer varieties (within 10 years age old) being carried out as per the assessment of market requirements. The seed production of Bio-fortified varieties of various crops has also been done to ensure nutritional security along with food security. NSC has 4 Quality Control Laboratories with the capacity to test around 25000 samples per year and has proper mechanism to redress the quality related complaints of seeds at field level.



10. भावी दृष्टिकोण

- भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मद्देनजर तथा देश के किसानों की उपजीविका के लिए एनएससी के पास अपने व्यसाय हेतु राष्ट्रीय संदर्भ में विकास की संभावनाएं होगी। इसलिए मैं आने वाले भावी वर्षों में एनएससी के संदर्भ में निरंतर वृद्धि दर की उम्मीद करता हूँ।
- किसानों की आय को दोगुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, आपका निगम उच्च उत्पादकता वाली नई किस्मों के उच्च गुणवत्ता बीजों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि कम इनपुट और विभिन्न जैविक-अजैविक तनाव प्रतिरोधिता पर लागत सुनिश्चित की जा सके जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो।
- आपका निगम उत्पाद मिश्रण में बदलाव कर रहा है और किसानों को उचित मूल्य पर सब्जी बीजों की आपूर्ति के लिए सब्जी बीज व्यवसाय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस क्रम में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में सब्जी बीजों की बिक्री में 36.87% की वृद्धि की गई है। सब्जी बीजों का मूल्य तुलनात्मक रूप से कम होने से किसानों को बीज मूल्य में कमी करने में सहायता मिली है।
- आपके निगम की वरीयता, उच्च गुणवत्ता बीजों और संकर बीजों की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन और विपणन करना है ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
- सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आपका निगम कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि विकास के लिए भी तैयारी कर रहा है।
- आपका निगम कम लागत पर उच्च पैदावार प्राप्त करने हेतु मौसम पूर्वानुमान और फसल संरक्षण के क्षेत्र में उच्च तकनीकी युक्त होने के लिए योजना बना रहा है।
- पानी की कमी को देखते हुए आपका निगम बड़े क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में सुधार व विस्तार तथा फार्मों पर जल संचयन संरचना के लिए प्रयासरत है ताकि उपलब्ध पानी का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके।
- आपका निगम, वित्तीय तथा बजट संबंधी प्रभावों सहित उत्पादन, विपणन, इन्वेंटरी, गुणवत्ता, परियोजना व अभियांत्रिकी, मानव संसाधन, कंपनी सचिवालय व विधि विभाग की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए नियंत्रक अधिकारियों के डेसबोर्ड पर रियल टाईम डाटा से संबंधित सभी विवरणों को उपलब्ध करवाने हेतु ईआरपी प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, आपका निगम स्रोत से ग्राहक तक बीज ट्रेसेबिलिटी के लिए प्रत्येक बैग पर क्यूआर कोड लागू करने जा रहा है।
- आपका निगम ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेंट (खरीद) प्रणाली कार्यान्वित कर रहा है तथा जेम पोर्टल पर उपलब्ध मदों के लिए इस पोर्टल के माध्यम से खरीदी कर रहा है।

11. अनुपालन पहलू:

- वर्ष 2019-20 के दौरान आपके निगम में लोक उद्यम विभाग के कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन अनुसार बोर्ड में दो महिला निदेशकों सहित पेशेवर रूप से योग्य और प्रख्यात कार्यकारी/गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त समिश्रण द्वारा प्रबंधित किया गया है। नैगमिक शासन पर अन्य दिशानिर्देशों का भी विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। आपके निगम को नैगमिक शासन के मामलों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई है।
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुसंधान व विकास के लिए निगम, बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों प्राप्त करने हेतु अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यद्यपि, कोविड-19 के प्रकोप के कारण कुछ गतिविधियों में देरी हुई है। सीएसआर की शेष राशि को अगले वर्ष खर्च किया जाएगा। सीएसआर बजट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जनता के लाभ हेतु विभिन्न अनुमोदित उद्देश्यों के लिए भी किया गया है। एनएससी, एमएसएमई अधिनियम और अन्य लागू कानूनों का भी अनुपालन करता है। इसके अतिरिक्त निगम में अन्य समितियाँ जैसे संचालन समिति, शिकायत समिति आदि हैं। बोर्ड द्वारा गठित जोखिम प्रबंधन समिति में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जोखिम के क्षेत्रों की समीक्षा की जाती है। निष्कर्षतः निगम अपने ऊपर लागू सभी दिशानिर्देशों, लागू कानूनों आदि का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

10. FUTURE OUTLOOK

- In view of the vision of the Hon'ble Prime Minister of India to make India self reliant (Atmanirbhar) and to support the Farmers of the Country, NSC would have future growth prospects in the National context for its business. Therefore I expect a continued growth rate in the context of NSC in the years to come.
- Further in line of the targets set by Hon'ble Prime Minister to double the income of the Farmers, your Corporation is focusing on Production of high quality seed of new varieties having higher productivity and having resistance to various biotic and abiotic stresses, to ensure lower input costs thereby increasing farmers income.
- Your Corporation is also changing product mix and is concentrating to increase vegetable seed business to supply different vegetable seeds to the Farmers at reasonable price. In this line, sale of vegetable seeds as percentage of turnover has been increased by 36.87% in F.Y. 2019-20 as compared to F.Y. 2018-19. This has helped the farmers in reducing seed cost as our vegetable seed price is comparatively very less.
- The priority of your Corporation is to produce and market high quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids so as to increase the agricultural productivity.
- In order to fulfil the Government's objective, your Corporation is also preparing for skill development in agriculture and related areas.
- Your Corporation is also planning to become high-tech towards weather forecast and crop protection to have high yield at low cost.
- While looking to the shortage of water your Corporation is making endeavors to improve and extend Micro Irrigation System in large area and construction of Water Harvesting Structures at Farms, to use available water efficiently.
- Your Corporation is in the process of implementing ERP to capture all the field details in real time data (including crop monitoring) to the dashboard of the Controlling Officers to monitor each and every activities of Production, Marketing, Inventory, Quality, Projects & Engineering, HR, CS & legal along with financial implication and budgeting. In addition, your Corporation is going to implement QR code on each and every bag for seed traceability from source to the consumer.
- Your Corporation is also implementing online e-procurement system and also following procurements through GeM portal for the items which are available on the said Portal.

11. COMPLIANCE ASPECTS:

- During the year 2019-20 your Corporation was managed by appropriate mix of professionally qualified and eminent Executive and non- executive/ Independent Directors, including two Woman Directors on the Board in compliance with the Corporate Governance Guidelines, 2010 of DPE. Other Guidelines on Corporate Governance are also being duly complied with. Your Corporation is graded as "Excellent" by the Government in the matter of compliance of Corporate Governance during Financial Year 2019-20.
- Regarding Corporate Social Responsibilities (CSR), Corporation is performing well by attending the achievement of targets as fixed by the Board. However, due to outbreak of COVID-19, few activities got delayed. The unspent amount of CSR will be spent in next year. CSR Budget was utilized for various permissive purposes for the cause of benefit of the public at large. NSC is also complying with MSME Act and other applicable laws. In addition there are other Committees like Steering Committee, Grievance Committee etc. in the Corporation. The Risk Management Committee constituted by the Board is reviewing the risk areas for taking remedial actions. To conclude, the Corporation is fully complying with all the applicable Laws, DPE Guidelines including Corporate Governance Guidelines which were applicable to it.



12. सामाजिक छवि विकास – अवार्डों व सम्मानों की प्राप्ति :

यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि वर्ष 2019 में उत्कृष्ट प्रदर्शन और की गई गतिविधियों के लिए, आपके निगम को स्कोच-ऑर्डर आफ मैरिट अवार्ड-2019 सिल्वर कृषि बीज उत्पादन और विपणन गतिविधियों के लिए विजेता घोषित किया गया, राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड 2018, सीएसआर व सतत विकास के लिए पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड 2018 तथा इकनामिक टाईम्स चैम्पियन ऑफ रूरल मार्केट अवार्ड से नवाजा गया है।

13. आभार :

मैं इस अवसर पर आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव तथा अन्य अधिकारियों और उनके मातहत कार्यालयों/निदेशालयों का, उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं, सचिव, डीएआरई/डीजी, आईसीएआर तथा आईसीएआर के अंतर्गत सभी संस्थानों और सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी पैतृक सामग्री उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करने हेतु कृतज्ञ हूँ। मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक एवं शाखा परीक्षकों के समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ।

मैं शेयरधारकों तथा प्रबंधन की ओर से बैंकरों, उपभोक्ताओं, हितधारकों को भी निगम के प्रति उनके निरंतर समर्थन, विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे परम प्रिय देश के कृषक समुदाय, का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो एन.एस.सी. के बीजों पर निरन्तर भरोसा जता रहा है। मैं निदेशक मंडल के माननीय सदस्यों और निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर संभव मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किया है, के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ एवं दिल से प्रशंसा करना चाहता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समर्पित और मेहनती कार्मिकों के साथ किसानों व अन्य माननीय हितधारकों के बहुमूल्य समर्थन से निगम आने वाले वर्षों में और अधिक ऊचाईयों पर पहुंचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

(विनोद कुमार गौड़)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 दिसम्बर 2020

* यह आस्थगित 57 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।



12. SOCIAL IMAGES DEVELOPMENTS – RECEIPT OF AWARDS AND ACCOLADES :

It is the matter of great pleasure that for its outstanding performance and activities undertaken, during the year 2019, your Corporation was adjudged as the winner for SKOCH –order of Merit Award 2019- Silver Agri Seeds Production and Marketing activities, PSE Excellence Award 2018 for outstanding contribution to the Nation, PSE Excellence Award 2018 for CSR & Sustainability and Economic Times champion of Rural markets Awards.

13. ACKNOWLEDGEMENT:

I would like to take this opportunity to place my sincere thanks to the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Minister of State for Agriculture, the Secretary, the Addl. Secretary, the Joint Secretaries and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and its subordinate Offices/ Directorates. I am also thankful to the Secretary, DARE/DG, ICAR and all Institutes under ICAR and all State Agricultural Universities for their support in providing the parental material. I am also grateful to the Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and the Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance.

On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Bankers, Customers and other Stakeholders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporation. I sincerely thank the farming community of our beloved country who are continuously posing faith in NSC's seeds. I would also like to extend my gratitude and high appreciation towards my esteemed colleagues on the Board and to all the Officers and staff of the Corporation who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. I have a strong belief that with such dedicated and hardworking workforce coupled with valuable support of our Farmers and other esteemed stakeholders in & enlarged, Corporation will establish further high ups and milestones in the years to come.

(Vinod Kumar Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Dated:30.12.2020

* This does not purport to be a part of the proceedings of Adjourned 57th Annual General Meeting.



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपके निगम के व्यवसाय तथा कार्यकलापों पर निगम के इंड एस के तहत तैयार किए गए लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों सहित अपनी 57वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. कारपोरेट अवलोकन

एनएससी को वर्ष 1963 में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) द्वारा विकसित की जा रही नई किस्मों के बीजों को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। दिनांक 01.04.2014 को एनएससी में एसएफसीआई के विलय के बाद, एनएससी ने स्वयं को एक मात्र बीज उत्पादक कंपनी से, अपने फार्मों के साथ-साथ बीज उत्पादकों के फार्मों पर बुवाई से लेकर फसल कटाई तक तथा फसल कटाई के बाद की तकनीक में नई तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की सभी गतिविधियों का निष्पादन करने वाली कंपनी में परिवर्तित किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अपने क्षितिज को और अधिक विस्तारित करने के लिए, एनएससी ने स्वयं को निजी लिमिटेड कंपनी से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर लिया है। इस प्रकार एनएससी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एवं मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाया है।

2. वित्तीय मुख्य आकर्षण एवं सार

निगम का वित्तीय वर्ष 2019-20 का कार्यशील परिणाम पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ नीचे दिया गया है:-

क. कार्यशील परिणाम

(रूपये लाख में)

विवरण	2019 -20	2018 -19
आय:		
प्रचालन से राजस्व	105996.66	115851.57
अन्य आय	2547.15	2220.08
कुल	108543.81	118071.65
खर्च :		
उपभोग की सामग्रियों की लागत	2619.33	3073.80
व्यापारगत माल की खरीद	74420.41	70255.96
तैयार माल, प्रक्रियाधीन माल तथा व्यापारगत माल की अनुसूची में परिवर्तन	(1263.22)	8862.91
कार्मिकों के लाभ के लिए किए गए खर्च	13344.82	13461.38
वित्तीय लागत	780.93	581.44
अन्य खर्च	11146.64	15530.04
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1830.34	1841.90
कुल	102879.25	113607.43
असाधारण मर्दे एवं कर पूर्व लाभ	5664.56	4464.22
असाधारण मर्दे	423.31	315.68
कर पूर्व लाभ,	6087.87	4779.90
कर संबंधी व्यय:		
वर्ष के लिए लाभ	1050.00	2050.00
पिछले वर्ष के लिए चालू कर (निवल)	886.43	145.48
आस्थगित कर	1159.49	(1547.51)
कुल कर संबंधी खर्च	3095.92	647.97
वर्ष के लिए लाभ	2991.95	4131.93
अन्य व्यापक आय	(158.97)	213.81
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय)	2832.98	4345.74

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors have the pleasure in presenting the 57th Annual Report on the performance and business operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements of the Corporation for the Financial Year ended March 31st, 2020.

1. CORPORATE OVERVIEW:

National Seeds Corporation Limited (NSC) was incorporated in the year 1963 with a mandate to multiply the seeds of the new varieties being bred by National Agriculture Research System (NARS). After merger of SFCI with NSC w.e.f. 01.04.2014, it has converted itself from barely being Seed Producing Company to a Company showcasing all the activities of quality seed production in its Farms as well as on the Growers fields by demonstrating new technology from sowing to harvesting and post harvest technology. Now, during the year under review, in order to further expand its horizon, NSC has converted itself as a Public Limited Company from the so far Private Limited Status Company. Consequently NSC has adopted new set of Memorandum of Association and Articles of Association.

2. FINANCIAL HIGHLIGHTS AND SUMMARY:

The working results of your Corporation for the Financial Year 2019-20 are given as below along with the figures for the previous year:

(A) Working results

(Rs. in Lakhs)

Particulars	2019 -20	2018 -19
INCOME:		
Revenue from Operations	105996.66	115851.57
Other Income	2547.15	2220.08
Total	108543.81	118071.65
EXPENSES :		
Cost of materials consumed	2619.33	3073.80
Purchases of Stock-in-Trade	74420.41	70255.96
Changes in biological assets and inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work in progress	(1263.22)	8862.91
Employees Benefits Expense	13344.82	13461.38
Finance Costs	780.93	581.44
Other Expenses	11146.64	15530.04
Depreciation and amortization expenses	1830.34	1841.90
Total	102879.25	113607.43
Profit Before exceptional items and tax	5664.56	4464.22
Exceptional items	423.31	315.68
Profit Before Tax	6087.87	4779.90
Tax expense:		
Current Tax For the year	1050.00	2050.00
Current Tax for earlier years (net)	886.43	145.48
Deferred Tax	1159.49	(1547.51)
Total Tax Expense	3095.92	647.97
Profit for the year	2991.95	4131.93
Other Comprehensive Income	(158.97)	213.81
Total comprehensive Income for the period (Comprehensive Profit and other comprehensive income for the period)	2832.98	4345.74



आपके निगम के परिचालनों से वर्ष 2018–19 में रु. 115851.57 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान रु. 105996.66 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व में कमी मुख्य रूप से रु. 6689 लाख के मिनीकिट की कमी तथा रु. 3735 लाख की उत्पादन सब्सिडी के कारण रही। हालांकि वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ में 27.36% की वृद्धि हुई अर्थात् रु. 4779.90 लाख से बढ़कर रु. 6087.87 लाख तक वृद्धि हुई।

(ख) वर्ष 2018–19 में निगम की आय रु. 118071.65 लाख की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कुल रु. 108543.81 लाख की आय अर्जित की है। वर्ष 2018–19 में रु. 7203.24 लाख की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान ब्याज, मूल्यहास एवं कर से पूर्व सकल मार्जिन 02.77 % की वृद्धि के साथ रु. 8699.14 लाख रहा।

(ग) पूंजीगत संरचना:

निगम की 31 मार्च, 2020 को चुकता पूंजी रु. 5731.99 लाख थी, जिसमें प्रत्येक रु. 1000/- के 573199 इक्विटी शेयर शामिल हैं और निगम के 100 प्रतिशत शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं।

अन्य इक्विटी रु. 60047.89 लाख से बढ़कर रु. 61451.17 लाख हो गई हैं। वर्ष के दौरान, संयंत्र एवं मशीनरी खरीदने के लिए तथा बीज भंडार गृह एवं भवन निर्माण के लिए पूंजीगत अनुदान रु. 709.03 लाख पूंजीकृत किया गया तथा पूंजीगत अनुदान से अर्जित की गई परिसंपत्तियों पर रु. 868.56 लाख का मूल्यहास समायोजित किया गया। उल्लिखित समायोजन के पश्चात 31.03.2020 को पूंजीगत अनुदान आरक्षित निधि में शेष रु.8036.61 लाख बचा, जबकि 31.03.2019 को यह रु. 8196.70 लाख था। 31.03.2020 को खर्च न किया गया पूंजीगत अनुदान, प्रक्रियाधीन कार्यों के कारण रु. 2823.47 लाख शेष रहा जबकि 31.03.2019 को रु. 1389.33 लाख था।

(घ) कंपनी की स्थिति में परिवर्तन:

एनएससी को वर्ष 1963 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के दर्जे के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान, भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई), जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन ही भारत सरकार का एक अन्य उपक्रम था, को दिनांक 01.04.2014 से एनएससी में विलय कर दिया गया। इस प्रकार एनएससी बड़े संसाधनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी बन गई है।

एनएससी की इस अवस्था के मद्देनजर, हाल ही में, भारत सरकार द्वारा आईपीओ के माध्यम से एनएससी के इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया गया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करता रहा है क्योंकि इस कार्य में बहुत सारे अनुपालन तथा औपचारिकताएं शामिल हैं।

एनएससी को निजी लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 28.02.2020 को आयोजित अतिरिक्त साधारण आम बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और निगम के शेयरधारकों के अनुमोदन से एनएससी ने अपनी स्थिति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दी है और मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को भी अपनाया है। तदनुसार, पंजीयक ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने 04.04.2020 को निगमन का एक नया प्रमाणपत्र जारी किया है। हालांकि, कुछ औपचारिकताओं का अनुपालन करने के लिए सदस्यों / शेयरधारकों की संख्या दो से सात तक बढ़ाई जा रही है।

(ङ) शेयरों की वापसी :

वर्ष के दौरान निगम द्वारा शेयरों की वापसी नहीं की गई। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 68 के अनुसार सूचना शून्य मानी जाए।

(च) प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन

(रु. 1000/- प्रत्येक का अंकित मूल्य):

	<u>2019–20</u>	<u>2018–19</u>
असाधारण मदों से पूर्व मूल एवं अवमिश्रित	521.97	720.85
असाधारण मदों के पश्चात मूल एवं अवमिश्रित	521.97	720.85

(छ) लामांश:

इंड-एएस के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लामांश की घोषणा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निर्धारित आगामी वार्षिक आम बैठक में की जाएगी।

During the Financial Year 2019-20 Revenue from Operations of your Corporation stood at Rs. 105996.66 Lakhs as compared to Rs. 115851.57 Lakhs in 2018-19. The reduction in revenue during the year compared with the previous year was mainly due to the reduction in Minikits of Rs. 6689 Lakhs and Production Subsidy of Rs. 3735 Lakhs. However during the year Profit Before Tax has been increased by 27.36 % i.e. from Rs. 4779.90 Lakhs to Rs. 6087.87 Lakhs.

(b) During the year 2019-20, the Corporation has achieved total Income of Rs. 108543.81 Lakhs as against Rs. 118071.65 Lakhs. The gross margin before interest, depreciation and tax during 2019-20 is Rs. 8699.14 Lakhs as compared to Rs. 7203.24 Lakhs of 2018-19 showing an increase by 20.77%.

(c) **Capital Structure:**

As on March 31, 2020, the paid-up share capital of the Corporation was Rs. 5731.99 Lakhs consisting of 573199 equity shares of Rs. 1000 each and the 100% shares of the Corporation are held by President of India.

Other Equity increased to Rs. 61451.17 Lakhs from Rs. 60047.89 Lakhs. During the year capital grant for purchase of Plant & Machinery and construction of Seed Stores & Buildings was capitalized for Rs. 709.03 Lakhs and depreciation charged on assets acquired against capital grant amount to Rs. 868.56 Lakhs was adjusted. After carrying out above adjustments, balance in utilized Capital Grant as on 31.03.2020 remained at Rs. 8036.61 Lakhs as against Rs. 8196.14 Lakhs as on 31.03.2019. The unspent Capital grant, due to work in progress, remained at Rs. 2823.47 Lakhs as on 31.03.2020 as against Rs. 1389.33 Lakhs as on 31.03.2019.

(d) **Change in status of the Company:**

NSC was incorporated during 1963 as a Wholly Owned Government of India Undertaking with its Status of a Private Limited Company under the Companies Act, 1956. During 2013-14, State Farms Corporation of India Limited (SFCL) which was another Government of India Undertaking under the same Ministry of Agriculture and Farmers Welfare was merged with NSC with effect from 01.04.2014. Thus NSC has become a Sole Public Sector Wholly Owned Government Company with large resources.

Looking to this status of NSC, recently, a decision has been taken by the Government of India for offloading part of equity shares of NSC through IPO route. The Department of Investment and Public Assets Management (DIPAM) has been reviewing the progress from time to time as the exercise involves lot of compliances and formalities.

Keeping in view the need to change the status of NSC from a Private Limited to a Public Limited Company, NSC with the approval of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Shareholders of the Corporation in the Extra ordinary General Meeting held on 28.02.2020, has converted its status from Private Limited Company to a Public Limited Company and also adopted the new set of Memorandum of Association and Articles of Association. Accordingly, the Registrar of Companies (ROC) has issued a fresh Certificate of Incorporation on 04.04.2020. However, compliance of a few formalities are being made to increase the number of subscribers / shareholders from two to seven.

(e) **Buy Back of Shares:**

There was no buy-back of Shares by the Corporation during the year. Therefore, the information pursuant to Section 68 of the Companies Act, 2013 be treated as NIL.

(f) **Earnings per equity share (Face value of Rs.1000/- each.)**

	<u>2019-20</u>	<u>2018-19</u>
Basic & Diluted before extraordinary items	521.97	720.85
Basic & Diluted after extraordinary items	521.97	720.85

(g) **Dividend:**

As per the provisions of Ind-AS, Dividend for the Financial Year 2019-20 will be declared at the forthcoming Annual General Meeting to be held during the Financial Year 2020-21.



(ज) ऋण : निगम ने भारतीय स्टेट बैंक से रु. 75.00 करोड़ की सीमा तक नकदी ऋण (सीसी) लेने की सुविधा प्राप्त की हुई है जिसमें बीजी एवं एलसी लिमिट भी शामिल है। वर्ष के दौरान, निगम ने रु. 780.93 लाख का ब्याज एवं अन्य उधार लागत का भुगतान किया, जबकि पिछले वर्ष रु. 581.44 लाख का ब्याज चुकाया गया था। यह वृद्धि लंबी अवधि के लिए नकदी ऋण एवं अल्पकालीन ऋण के लिए उपयोग के कारण है क्योंकि भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा देय भुगतान विलंब से प्राप्त हुए। बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्त लाभ पर आउटप्लो भी तुलनात्मक रूप से अधिक है, इसमें उधार राशि भी जोड़ी जाती है।

(झ) निवेश : निगम का 31 मार्च, 2020 तक विभिन्न राज्य बीज निगमों के इक्विटी एवं अधिमान्य शेयरों में रु. 3844.97 लाख का निवेश था जिसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान बिहार राज्य बीज निगम के रु.106.38 लाख के शेयरों की लागत में कमी का प्रावधान किया गया है। गैर एसोसिएट्स कंपनियों के शेयर उचित मूल्य पर निर्धारित किए गए हैं।

(ञ) फार्मों के कार्य : फार्मों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए वर्ष के दौरान मशीनीकरण, सिंचाई एवं अन्य बुनियादी, सुविधाओं में निरंतर विकास किए गए। वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2018-19 के तहत क्रमशः रु. 7.66 करोड़ एवं रु. 12.96 करोड़ का पूंजीकरण किया गया। हालांकि वर्ष के दौरान सभी फार्मों के कर पूर्व लाभ में रु. 31.29% की कमी हुई है जो पिछले वर्ष 40.23 करोड़ था जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 27.64 करोड़ है। कमी के प्रमुख कारण खरीफ मौसम के दौरान परिपक्वता स्तर पर वर्षा के कारण राजस्थान के तीनों फार्मों तथा हिसार फार्म पर कम उत्पादन हुआ जिससे उत्पादकता के साथ-साथ बीज की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रबी मौसम के दौरान फसल उत्पाद एवं कटाई के समय निरंतर बारिश के कारण इन फार्मों पर उत्पादन कम हुआ। वर्ष के दौरान, कुल कच्चे बीज का उत्पादन 239756 क्विंटल हुआ जबकि पिछले वर्ष 282579 क्विंटल था।

3. बीज उत्पादन क्रियाकलाप :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के आबंटन के अनुसार, एनएससी अपने फार्मों पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई किस्मों का परीक्षण स्टॉक एवं प्रजनक बीजों का उत्पादन कर रहा है ताकि समय पर प्रजनक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और विभिन्न प्रकार की फील्ड परिस्थितियों के तहत किस्मों की निष्पादन की जांच हो सके। इसके अलावा, संबंधित फसल अनुसंधान संस्थान/आईसीएआर के निदेशालय द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार कुछ किस्मों का प्रजनक बीज भी फार्मों पर उत्पादित किया जा रहा है। आधारीय बीज का अधिकांश उत्पादन फार्मों पर किया जाता है ताकि बीज बढ़ोत्तरी के लिए अनुवांशिकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से 627 से अधिक किस्मों/संकर से युक्त 80 फसलों जैसे अनाज, तिलहन, दलहन, बाजरा, चारा, रेशा, हरी खाद के गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें सब्जी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है, इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। टेस्ट स्टॉक, प्रजनक बीज एवं आधारीय बीज उत्पादन के आवंटन बाद शेष बचे खेतों में प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जाता है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए इनपुट लागत सुनिश्चित करने हेतु, उच्च उत्पादकता और विभिन्न जैविक और अजैविक तनाव प्रतिरोधी नई किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुसार वर्ष 2019-20 में विभिन्न फसलों की 31 नई किस्मों को जोड़ा गया है। इस प्रकार वैराइटल प्रतिस्थापन दर में मदद मिल रही है, जोकि विभिन्न शासकीय योजनाओं में बीज घटक का महत्वपूर्ण मिशन है। वर्तमान में, बाजार की आवश्यकता के आंकलन के अनुसार नई किस्मों की लगभग 58.15 प्रतिशत नई किस्मों का बीज उत्पादन (10 वर्ष की आयु के भीतर) किया जा रहा है। विभिन्न फसलों की अजैविक दवाब सहिष्णु किस्म तथा जैव पोषक तत्व युक्त किस्मों का भी उत्पादन किया जा रहा है।

निगम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीजों की आपूर्ति के लिए बीज उत्पादन हेतु लागू योजनाओं तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की निम्नलिखित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है :-

1. एनएफएसएम-तिलहन के अंतर्गत तिलहनों की नई किस्मों का बीज उत्पादन।
2. एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत दलहनों की नई किस्मों का बीज उत्पादन।
3. एनएफएसएम-वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत पटसन बीज की नई किस्मों का उत्पादन।
4. एनएफएसएम-पोषक-अनाजों के अंतर्गत पोषक अनाजों की नई किस्मों का बीज उत्पादन।

(h) Loans:

The Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.00 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 780.93 Lakhs in comparison to Rs. 581.44 Lakhs in the previous year. The increase is due to utilization of cash credit and short term loan for longer duration as payments realisation from GOI and State Governments were delayed. Since lot of employees are superannuating, the out-flow on retirement benefit also are comparatively high, it is also adding the borrowing amount.

(i) Investment:

Investment of the Corporation in various State Seeds Corporations (SSCs) in equity and preference shares as on 31st March, 2020 was Rs. 3844.97 Lakhs. Out of which provision for diminution in value of shares of Rs. 106.38 Lakhs of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been made during the year 2013-14. Non-Associate Companies Shares valued at Fair value.

(j) Working of the Farms:

During the year in order to improve the performance of the Farms, continuous process of mechanization and irrigational and other infrastructural developments have been carried out under which capitalization worth Rs. 7.66 Crores and Rs. 12.96 Crores were done during 2019-20 & 2018-19 respectively. However Profit before tax for the Farms combined during the year has decreased by 31.29% from Rs. 40.23 Crores during the previous year to Rs. 27.64 Crores during the year 2019-20. The major reasons for shortfall is due to less production at three Rajasthan farms and Hisar farm during Kharif season due to rains at maturity stage which adversely affected the productivity as well as quality of seed; less production at three Rajasthan farms during Rabi season due to excessive and frequent rains during productive and harvesting stage of the crops. During the year the total raw seed production remained 239756 qtls against the last year production of 282579 qtls.

3. SEED PRODUCTION ACTIVITIES:

The Corporation is producing Test Stock seed of newly identified varieties developed by Scientists & Researchers under the National Agricultural Research System (NARS) at the Farms of NSC as per mandate given by ICAR, to ensure timely availability of Breeder Seed and also to check the performance of varieties under field conditions. Besides, the Breeder Seed of some of varieties is also being produced at the Farms as per the allocation made by concerned Crop Research Institute/Directorate of ICAR. Most of the Foundation Seed production is undertaken at the Farms to ensure genetic purity of seed for further multiplication.

Quality certified seed production of 80 crops consisting of 627 varieties/hybrids comprising of Cereals, Oilseeds, Pulses, Millets, Fodder, Fibres, Green Manure and a wide range of Vegetable crops is taken through registered seed grower farmers, thus creating Public Private Partnership (PPP) opportunities in the Agriculture Sector. Certified Seed production is implemented at NSC Farms in the land left after allotment to test stock, breeder seed and foundation seed production.

The focus on Production is to produce high quality seed of new varieties having higher productivity and having resistance to various biotic and abiotic stresses, to ensure lower input costs thereby increasing farmers income. Accordingly, 31 new varieties of different crops were added in Financial Year 2019-20. Thus enhancing the Varietal Replacement Rate (VRR) which is important mission of the seed component in various Government schemes. Presently, seed production of around 58.15 % of newer varieties (within 10 years age old) being carried out as per the assessment of market requirements. The seed production of Bio-fortified varieties of various crops has also been done to ensure nutritional security along with food security.

The Corporation is also actively implementing the Annual Action Plan (AAP) for seed production for supply of seed to important programmes/Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare as detailed below :-

1. Seed Production of new varieties of Oilseeds under NFSM-Oilseeds.
2. Seed Production of new varieties of Pulses under NFSM-Pulse.
3. Seed production of new varieties of Jute Seed under NFSM-Commercial crops.
4. Seed production of new varieties of Nutri-Cereals crops under NFSM -Nutri-Cereals.



निगम ने वर्ष के दौरान एनएफएसएम – तिलहन के अंतर्गत लगभग रु. 30.42 करोड़, एनएफएसएम-दलहन के तहत रु. 54.30 करोड़, एनएफएसएम-पटसन के तहत रु. 02.09 करोड़, एनएफएसएम- पोषक अनाजों के तहत रु. 05.64 करोड़ के लिए एएपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है।

एनएससी के पास 08 फार्मों यानी केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर (राजस्थान), हिसार(हरियाण), रायचूर (कर्नाटक), नालहाडी (पश्चिम बंगाल), बलियापुर (झारखंड) एवं सुकिंदा (उड़ीसा) के तहत कुल 22,182 हैक्टेयर अधिकारिक क्षेत्रफल है। वर्ष 2019-20 के दौरान 22,049 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई एवं रबी व खरीफ मौसम में 2.40 लाख क्यू. कच्चे बीज का उत्पादन किया गया। अधिकांश फार्म नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं इसलिए उत्पादन में पानी की अधिकतर समस्या बनी रहती है।

फलीय फसलों की पौध :- फार्मों की नर्सरी में किसानों को आपूर्ति करने के लिए अमरूद, अनार, किन्नु, आम, आंवला इत्यादि, फूल एवं वानिकी पौधों का उत्पादन भी किया जा रहा है। सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर एवं हिसार फार्म के 225 हे. क्षेत्र में फलीय फसलों के बगीचे भी स्थापित किए गए हैं।

4. गुण नियंत्रण

क. एनएससी की प्राथमिकता कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए फसल किस्मों एवं संकर किस्मों की व्यापक श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना है। भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार खेत स्तर के साथ-साथ बीज स्तर पर कठोर गुण नियंत्रण के उपायों का पालन किया जा रहा है तथा किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करने हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुरूप ही बीज लॉट का प्रापण किया जा रहा है।

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार एनएससी के पास 04 प्रयोगशालाएं हैं जैसे नई दिल्ली, भोपाल, सूरतगढ एवं सिकन्दराबाद, जिनकी प्रतिवर्ष लगभग 25000 नमूनों का परीक्षण करने की क्षमता है। इसके अलावा, संकर बीजों की अनुवांशिकी शुद्धता के परीक्षण के लिए नई दिल्ली में एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। आधारीय एवं संकर बीजों की अनुवांशिकी शुद्धता का पता लगाने के लिए विभिन्न स्थानों यानी केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ, सरदारगढ, जैतसर (राजस्थान), हिसार (हरियाण), रायचूर (कर्नाटक) और सुकिंदा (उड़ीसा) में 6 जी ओ टी फार्मस (ग्रीन आउट टेस्ट) भी स्थापित किए गए हैं।

प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एनएससी, अंतराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) का सदस्य है एवं अंतराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

फील्ड स्तर पर बीजों की गुणवत्ता की शिकायतों के निवारण के लिए एनएससी के पास उचित तंत्र है। जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका तत्काल निवारण किया जाता है। बीज स्टॉक की पहचान के लिए एक नियमित प्रणाली है, जो स्टॉक प्राकृतिक प्रक्रिया में अमानक बन जाते हैं उस स्टॉक को गुणवत्ता नियंत्रण उपायों से गैर बीज के रूप में निपटान हेतु कार्रवाई की जाती है। खेत स्तर पर एवं प्रयोगशाला में गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए नए जनशक्ति सेटअप के तहत गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों का एक विशिष्ट कैडर बनाया गया है।

ख. प्रस्वीकरण-आईएसओ 9001 एवं ईएमएस 14001

एनएससी, गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम और पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम के लिए क्रमशः 19.03.2007 और 21.03.2009 से प्रमाणित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैनुअलों में निहित प्रावधानों और विशिष्ट प्रक्रियाओं का एनएससी पालन कर रही है, आंतरिक तथा बाहरी लेखा परीक्षकों से वार्षिक लेखा परीक्षा करवाई जाती है। इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, एनएससी को क्यूएमएस, आईएसओ 9001 एवं क्यूएमएस, आईएसओ 14001 के लिए पुनः प्रमाणित किया गया है।

5. विपणन क्रियाकलाप :

विशेषताएं :

क. वर्ष 2019-20 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों का कुल कारोबार निम्न प्रकार से हैं :-

(मूल्य रु. लाख में)	
2019-20	2018-19
94070.00	100823.66

उपर्युक्त लागत में डीलरों का कमीशन शामिल है। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान कमी का कारण, विशेष रूप से रु. 6689 लाख के मिनीकिट में कमी है।

ख. बिना सब्सिडी की बीज बिक्री

(कारोबार का %)		
2019-20	2018-19	प्रतिशत वृद्धि
85.44	75.37	13.36



The Corporation ensured implementation of AAP for about Rs. 30.42 Crores under NFSM-OS, Rs. 54.30 Crores under NFSM-Pulse, Rs. 2.09 Crores under NFSM-Jute and Rs. 5.64 Crores under NFSM-Nutri-Cereals.

NSC is having 8 Nos. Farms i.e. Central State Farm Suratgarh, Sardargarh, Jetsar (Rajasthan), Hisar (Haryana), Raichur (Karnataka), Nalhati (W.B.), Baliyapur (Jharkhand) and Sukinda (Orissa) with total area under possession is 22182 ha. During the year 2019-20, 22049 ha area was sown and 2.40 Lakh Qtls. raw seed was produced in both Kharif & Rabi season. Most of the Farms are situated on the tail end of Canal, therefore the water availability is major constraint in the production. Due to various constraints, a letter to surrender the Baliyapur farm has been issued to the State authorities and no activities carried out in the farm.

Saplings of Fruit crops – Citrus, Guava, Pomegranate, Mango, Aonla etc., Flowers and Forestry trees are being produced in Nurseries at the farms, for supply to the farmers. Fruit Crops Orchards are also established in an area of 225 ha. at four Farms i.e. Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Hisar.

4. QUALITY CONTROL:

A. NSC's priority is to produce and market high quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids so as to increase the agricultural productivity. Strict quality control measures are followed as per Indian Minimum Seed Certification standards (IMSCS-2013) at field level as well as at seed storage places and the seed lots confirming to standard of IMSCS-2013 are only procured to ensure quality seeds to the farmers.

NSC has 4 Quality Control Laboratories for ascertaining the quality parameters as per IMSCS- 2013. Laboratories are established at New Delhi, Secunderabad, Bhopal and Suratgarh which have capacity to test around 25000 samples per annum. In addition, a DNA finger printing lab is also established at New Delhi for testing of Genetic purity of Hybrid seeds. 6 Grow Out Test (GOT) Farms are also established at different locations i.e. CSF- Jetsar, Sardargarh, Suratgarh (Rajasthan), CSF-Hisar (Haryana), CSF-Raichur (Karnataka) and CSF-Sukinda (Odisha) for Grow Out Test for ascertaining the Genetic Purity of Hybrids & Foundations Seeds.

NSC is a Member of ISTA for participating in proficiency test and accreditation from ISTA is under process.

NSC has proper mechanism to redress the quality complaints in respect of seed at field level. The complaints are immediately redressed as and when received. There is also a regular system of identifying the seed stocks which have become sub-standard in the natural process and action is taken for its disposal as non seed as one of the quality control measures. To further monitor the quality parameters at field and lab a specific cadre of quality control personnel has been created under new manpower setup.

B. RECOGNITIONS: ISO 9001 and EMS 14001:

NSC is certified for Quality Management System and Environment Management System since 19.03.2007 and 21.03.2009 respectively. In order to ensure that NSC is following the provisions contained in the manuals and following the specified process, internal and external audit is conducted annually. As a result of this audit, NSC has been recertified for QMS ISO 9001 and EMS ISO 14001.

5. MARKETING ACTIVITIES:-

HIGHLIGHTS:-

a. The turnover on account of sale of certified / quality seed during the year 2019-20 is as under.

(Value Rs. in Lakhs)

2019-20	2018-19
94070.00	100823.66

The above value is inclusive of dealers' commission. The reduction during 2019-20 compared with 2018-19 is mainly due to reduction in Minikits of Rs. 6689 Lakhs.

b. Seed sold without subsidy

(%age of turnover)

2019-20	2018-19	% Increase
85.44	75.37	13.36



ग. चैनलवार बीज बिक्री

(कारोबार का %)

2019-20		2018-19	
सरकारी एजेंसी	गैर सरकारी एजेंसी	सरकारी एजेंसी	गैर सरकारी एजेंसी
59.77	40.23	54.17	45.83

घ. सब्जी बीजों की बिक्री

(कारोबार का %)

2019-20	2018-19	प्रतिशत वृद्धि
6.83	4.99	36.87

ङ. नई किस्मों/योजनाओं के अंतर्गत बिक्री :-

निगम ने एनएमओओपी एवं एनएफएसएम के अंतर्गत क्रमशः तिलहन एवं दलहन के मिनिक्विटों की आपूर्ति की है।

इस प्रकार किसानों को किस्म प्रतिस्थापन दर में सुधार के लिए मिशन के रूप में नई किस्मों को अपनाने की सुविधा प्राप्त हुई।

(मूल्य रु.करोड़ में)

योजना	2019-20	2018-19
एनएफएसएम (ओएस एवं ओपी)	1275	5233
एनएफएसएम	2866	5597

च. निगम ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को बीज की आपूर्ति की है जिनमें शामिल हैं :-

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं तेल पॉम) – तिलहन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) – चावल, गेहूँ, दलहन, पोषक अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें (जूट)

छ. निगम ने कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए बीज एवं रोपण सामग्री के उप- मिशन में भाग लिया :-

- राष्ट्रीय बीज आरक्षित** : कृषि जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजों को बिक्री/आपूर्ति के लिए बीजों को आरक्षित में रखा जाता है।

(मूल्य रु. लाख में)

2019-20	2018-19
299.41	493.37

- परिवहन सब्सिडी** : दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु।

(मूल्य रु. लाख में)

2019-20	2018-19
254.05	287.73

ज. अन्य गतिविधियां

(i) आयात लाईसेंस जारी करना

एनएससी ने भारत सरकार की ओर से निजी बीज कंपनियों/डीलरों को आयात लाईसेंस जारी किए :

वर्ष	नया	नवीकरण	कुल
2019-20	15	42	57
2018-19	36	55	91

(ii) डीलर नेटवर्क का सुदृढीकरण :

दूरदराज के क्षेत्रों में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(नये डीलरों की नियुक्ति की संख्या)

2019 -20	2018 -19	31 मार्च, 2020 तक कुल वितरक
411	436	2640

c. **Channel wise Seed Sale** (Percentage of turnover)

2019-20		2018-19	
Govt. Agencies	Non. Govt Agencies	Govt. Agencies	Non. Govt Agencies
59.77	40.23	54.17	45.83

d. **Sale of Vegetable Seeds** (Percentage of turnover)

2019-20	2018-19	% Increase
6.83	4.99	36.87

e. **Sales under New Varieties / Schemes :-**

The Corporation has supplied minikits of Oilseeds under NMOOP and Pulses under NFSM. Thus facilitating adoption of new varieties by farmers as a mission for improving Varietal Replacement Rate (VRR).

(Value in Rs. Lakhs)

Scheme	2019-20	2018-19
NFSM (OS&OP)	1275	5233
NFSM	2866	5597

f. The Corporation has supplied seeds to various State Govts. under important Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, includes: -

- National Food Security Mission (Oil Seeds & Oil Palm)- Oilseeds.
- National Food Security Mission (NFSM)- Rice, Wheat, Pulses, Nutri cereals and Commercial Crops (Jute).

g. The Corporation has participated in the Sub Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) for the components of: -

- National Seed Reserve:** The Seeds are kept in reserve for strengthening contingency measures to supply seeds in situation of agro climatic aberrations.

(Value in Rs. Lakhs)

2019-20	2018-19
299.41	493.37

ii. **Transport subsidy:** For ensuring seed supplies to the farmers of difficult hilly areas and North Eastern States of India

(Value in Rs. Lakhs)

2019-20	2018-19
254.05	287.73

h. **Other activities:**

i) **Issue of Import License:**

NSC has issued Import licenses on behalf of Government of India to the Private Seed Companies/Dealers as under:

Year	New	Renewal	Total
2019-20	15	42	57
2018-19	36	55	91

ii) **Strengthening of Dealers Network**

To ensure seed availability in the remotest area

(No. of new dealers appointed)

2019 -20	2018 -19	Total Dealers as on 31 st March, 2020
411	436	2640



- (iii) निगम ने वर्ष के दौरान, बीज भवन, कृषि भवन, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा फार्मों के बीज बिक्री केंद्रों में शेष बचे बीजों से अर्थात् गेहूं का आटा, बासमती चावल, काबुली चना एवं सरसों के तेल इत्यादि के 442.10 कुं. मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री की है।
- (iv) वर्ष के दौरान, निगम ने 8107 कुं. गुणवत्ता युक्त समृद्ध चारा ब्लॉकों की रु.96.18 लाख में बिक्री की है।
- (v) निगम ने कम मात्रा, उच्च मूल्य वाले सब्जी बीज खंड पर ध्यान केंद्रित करके विपणन में जोखिम प्रबंधन को रणनीतिक रूप दिया है।
- (vi) निगम ने मत्स्य बीजों की बिक्री शुरू कर दी है।


झ. प्रचार एवं प्रसार कार्य:

विपणन विभाग ने एनएससी ब्रांड "फार्म सोना बीज" को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा किसानों और डीलरों को सीधे बीज बिक्री के लिए तार्किक एवं नवीन विपणन गतिविधियों को अपनाया है। इस संबंध में, जीप अभियान, नए उत्पादों का प्रदर्शन, क्षेत्र दिवस, किसानों / डीलरों की बैठक, कृषि मेला और प्रदर्शनियों और तालुका स्तर पर डीलरों की नियुक्ति के साथ-साथ किसानों एवं डीलरों को एनएससी उत्पादों से संबंधित पत्रकों, पर्चों का वितरण किया गया। 2019-20 के लिए गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	2019 -20
क्षेत्र दिवस (संख्या)	82
प्रदर्शनी (संख्या.)	42
जीप अभियान (संख्या.)	313
डीलरों की बैठक (संख्या.)	62
किसानों की बैठक (संख्या.)	118
कृषि मेला प्रदर्शनी (संख्या.)	18
कुल	635

6. अभियांत्रिकी एक नजर में :-

1.



- iii) During the year, the Corporation has sold approximately 442.10 qtls. of value added products namely Wheat Flour, Basmati Rice, Mustard Oil etc., produced from undersized, unsold seeds etc. from NSC's outlets at Beej Bhawan, Krishi Bhawan, Regional Offices and Farms.
- iv) During the year, the Corporation has sold 8107 qtls. of quality enriched fodder blocks amounting to Rs. 96.18 Lakhs.
- v) The Corporation has strategized Risk Management in Marketing by focusing on low volume, high value vegetable seed segment.
- vi) The Corporation has started sale of fish seeds.


i. Promotion and Publicity work:

Marketing Division has taken up the aggressive & innovative marketing activities for popularizing the NSC Brand Farm Sona seeds and also for sale of seeds directly to the farmers and dealers. In this regard, jeep campaigning, demonstration of new products, field days, farmers/ dealers meetings, Krishi Mela & exhibitions and the appointment of dealers at Taluka level were arranged alongwith distribution of leaflets, pamphlets about NSC products to the farmers and dealers. The details of activities for 2019-20 are as under:-

Particulars	2019-20
Field day (Nos.)	82
Demonstration (Nos.)	42
Jeep Campaign (Nos.)	313
Dealers Meeting (Nos.)	62
Farmers Meeting (Nos.)	118
Krishi Mela Exhibition (Nos.)	18
Total	635

6. ENGINEERING AT A GLANCE:-

1.





उपर्युक्त गतिविधियों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निगम अपने स्वयं की स्थापित कार्यशालाओं, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं तथा बीज प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा मशीनों एवं उपकरणों के एक बड़े बेड़े का रख-रखाव कर रहा है। कृषि कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निगम ने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मशीनों को अद्यतन/प्रतिस्थापित किया व बदला है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

		(रु. लाख में)
बैक हो लोडर	01 नग	26.90
प्रसंस्करण संयंत्र मशीनरी	06 नग.	256.38
सूक्ष्म सिंचाई	334 हैक्टेयर	386.69

2. **बीज प्रसंस्करण संयंत्र** : फसल कटाई के पश्चात कच्चे बीज को गहाई केन्द्रों तक लाया जाता है। प्रत्येक फार्म पर मोबाईल /प्री-क्लीनर्स की सहायता से उत्पाद को सुखाया जाता है व प्रारंभिक सफाई की जाती है। प्रारंभिक सफाई के पश्चात बीजों को बीज विधायन संयंत्रों में प्रसंस्करण एवं ग्रेडिंग के लिए स्थानांतरित किया जाता है। पिछले 05 वर्षों में बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का प्रतिस्थापन :-

वित्तीय वर्ष	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20
क्षमता (टीपीएच में)	-	4	8	8	16

3. **भूमि विकास** : निगम के विभिन्न कृषि फार्मों पर भूमि सुधार, ठोस भूमि का समतलीकरण, भूमि को आकार देने, सिंचाई चैनल से गाद निकालने, बाढ़ सुरक्षा बांधों को सुदृढ़ करने के लिए निगम के पास अर्थमूवर्स मशीन, उपकरण इत्यादि उपलब्ध हैं।

पिछले 05 वर्षों में स्वयं की मशीनरी द्वारा भूमि विकास :-

वित्तीय वर्ष	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20
क्षेत्र (हैक्टेयर में)	378	197	205	200	430

4. **सिंचाई एवं जल निकासी** : सभी फार्मों पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित सूरतगढ़ व सरदारगढ़ फार्म तथा हरियाणा में हिसार फार्म की सिंचाई भाखड़ा नहर के पानी से की जाती है व राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित जैतसर फार्म इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पानी प्राप्त करता है। रायचूर फार्म तुंगभद्रा के पश्चिमी किनारे की नहर से पानी प्राप्त करता है। सभी फार्म नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं तथा अधिकृत जल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फार्म पर जमीन का पानी खारा है और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। नहर के पानी को ध्यान में रखते हुए सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर फार्मों के नहर किनारे 14 उथले / गहरे नलकूप स्थापित किए गए हैं।

सिंचाई के पानी की सीमित मात्रा को देखते हुए जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया गया है। 1980 है० क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है तथा 314 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रक्रियाधीन है। सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :-

		(रु. लाख में)
1. जल संग्रहण टैंक	02 नग.	175.18
2. नालियों का पलस्तर	8.85 कि.मी	181.54
3. गहरे नलकूप	14 नग	28.96
कुल		385.68



To complete the above activities successfully in time, Corporation is maintaining large fleet of Machinery, Implements, its repairs & maintenance facility by own established workshops, modern Irrigation Systems, Post-Harvest facilities and Seed Processing Plants.

In order to facilitate agriculture operations more effectively, **the Corporation has installed/ upgraded & replaced various machineries at different locations, descriptions of which are as follows:-**

		(Rs. in Lakhs)
Back Hoe Loader	01 nos.	26.90
Processing Plant machinery	06 nos.	256.38
Micro Irrigation	334 Ha.	386.69

2. **Seed Processing Plant:** After harvesting of the crop, raw seed is brought to the threshing floors. Drying & preliminary cleaning of produce is being done with the help of **Mobile /Pre-cleaners** at each Processing Unit. After pre-cleaning, the produce is shifted to Seed Processing Plants for processing/ grading.

REPLACEMENT OF PROCESSING PLANTS IN LAST 5 YEARS:

F.Y.	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20
Capacity (in TPH)	-	4	8	8	16

3. **Land Development:** Corporation is having earth moving machine and levelling equipments etc., to carry out the land reclamation, rough & fine land levelling, land shaping, desilting of irrigation channel, strengthening of flood protection bunds etc., at various farms of the Corporation.

LAND DEVELOPED BY OWN MACHINERIES IN LAST FIVE YEARS:

F.Y.	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20
Area (in Ha)	378	197	205	200	430

4. **Irrigation and Drainage:** All the farms are irrigated through canal. Suratgarh and Sardargarh Farms located in Sriganganagar Distt. of Rajasthan and Hisar in Haryana receive water through Bhakra canal system and Jetsar Farm located in Sriganganagar Distt. of Rajasthan receive water through Indira Gandhi Nahar Pariyojna. Raichur Farm receives water through Tungabhadra Left Bank Canal. Farms are located at the tail end of the canal system and not getting authorized discharge. The ground water is brackish and unfit for irrigation at Farms. To supplement with canal water, 14 Nos. Deep tube wells have been installed alongside the bank of canals at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar Farms.

Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks were constructed and Micro Irrigation Systems have been installed in total area of 1980 Ha (installed) & 314 Ha. (is under installation) to increase the irrigation potential, following works were taken up during the year:

		(Rs.in Lakhs)
1. Water Storage tank	02 nos.	175.18
2. Lining of water courses	8.85 Kms	181.54
3. Deep tube wells	14 nos.	28.96
Total		385.68



5. फार्म संरचना :

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं की निधि से निम्नलिखित कार्य किए गए : -

विवरण	संख्या/क्षमता	(रु. लाख में)	टिप्पणी
बीज भंडारण गोदाम	04 नग/5200 एमटी	325.33	बीजों के सुरक्षित भंडारण के लिए।
अकृष्य भूमि का विकास	430 हैक्टेयर	237.98	खेती योग्य क्षेत्र में वृद्धि एवं स्वयं की मशीनों से किया गया।

6. नवीन परियोजनाएं :-

- पानी की कमी को देखते हुए, विकसित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विस्तार अधिक क्षेत्र में किया जाएगा।
- एनटीपीसी के सहयोग से केराफा, जैतसर में 160 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
- एनएससी फार्मों पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।

7 आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण:

क) बीज भंडार गृहों एवं संयंत्र भवनों का निर्माण:

एनएससी ने वर्ष 2019-20 के दौरान आधुनिक तकनीक से 52,000 क्विंटल बीज भंडारण क्षमता को बढ़ाया। उचित हवादार बनाए रखने लिए तथा पक्षियों के घासलों से बचने के लिए भंडारण गोदामों की छत का निर्माण टर्बो वेटिलेटरों के साथ गैल्वैल्यूम शीट से किया गया है।

एनएससी के पास 31 मार्च, 2020 तक 14.59 लाख क्विंटल की बीज भंडारण क्षमता एवं 13,500 क्विंटल के लिए अतिरिक्त वातानुकूलित बीज भंडार क्षमता है।

ख) बीज प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण:

पुराने बीज प्रसंस्करण संयंत्र, जिनका उपयोगी जीवन पूर्ण हो चुका था उन्हें अनुपयोगी किया गया तथा उनके स्थान पर, धूल मुक्त रखने तथा बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीक के नए प्रसंस्करण संयंत्र प्रतिस्थापित किए गए। प्रसंस्करण संयंत्रों को पीएलसी आधारित नियंत्रण कक्ष के साथ निर्मित किया गया। एनएससी के पास 31.03.2020 तक वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 22.96 लाख क्विंटल हो गई है।

ग) सिंचाई सुविधाओं का निर्माण

यद्यपि फार्मों का भूमिगत जल खारा है जो सिंचाई के लिए सीधे उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है, किन्तु नहर के पानी की कमी को देखते हुए, एनएससी, जल बहाव (डिस्चार्ज) तथा अधिक उत्पादन के लिए जल स्रोतों में पानी की पूर्ति हेतु नहर के किनारे नलकूप स्थापित कर रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान निगम ने फार्मों में 14 नलकूपों का निर्माण किया गया। इस प्रकार एनएससी के पास 31.03.2020 तक कुल 165 नलकूप हो गए हैं।

घ) बंजर भूमि का कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण

निगम ने अपनी स्वयं की मशीनरी से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में एक गहन कार्यक्रम शुरू किया है तथा इसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान 430 हैक्टेयर क्षेत्र को समतल एवं विकसित किया गया।

ङ) निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता :

एनएससी भारत सरकार के निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ाने हेतु, केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडेल एजेंसी है। इस योजना के तहत पूरे देश में 651 लाभार्थियों ने एनएससी के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त की है। इस योजना के माध्यम से दिनांक 31.03.2020 तक निजी क्षेत्रों द्वारा लगभग 160.52 लाख कु. प्रसंस्करण क्षमता तथा 60.05 लाख कु. बीज भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। वर्ष के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों के लिए पहली किस्त की धनराशि जारी नहीं की गई तथा मंत्रालय के सलाहनुसार पहली किस्त के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए विगत वर्ष से कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं बढ़ाई गई।

च) परामर्शी सेवा :

एनएससी अपने कार्यों के अलावा, परामर्शी सेवाएं, बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए तकनीकी सेवाएं, बीज भंडारण तथा डीह्यूमिडीफायर की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। बीज प्रसंस्करण संयंत्र एवं डीह्यूमिडीफायर की स्थापना के लिए बिहार राज्य बीज निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5. Farm Structures:

The following works were carried out during the reporting period with the grant received from DAC & FW and with own funds:

Description	No./Capacity	(Rs. in lakhs)	Remarks
Seed Storage Godowns	04Nos/5200 MT	325.33	For safe storage of seeds.
Development of un-cultivable land	430 ha	237.98	Increase cultivable area & done by own Machine.

6. INNOVATIVE PROJECTS :-

- Looking to the shortage of water, improved Micro Irrigation System will be extended in large area.
- Solar Power plant of capacity 160 MW shall be established at CSF Jetsar in association with NTPC.
- Construction of Water Harvesting Structures at NSC Farms.

7. STRENGTHENING OF INFRASTRUCTURE

a. Construction of Seed Storage Godowns and Seed Processing Plant buildings:

NSC added Seed storage capacity of 52,000 Qtls. during the year 2019-20 by constructing with modern technique. To maintain the proper ventilation and to avoid the sheltering of birds, the roof of the Storage Godowns were constructed with support less galvalume sheet with turbo ventilators.

The total storage capacity as on 31.03.2020 is 14.59 lakh Qtls. and additional Air conditioned seed storage capacity of 13,500 Qtls.

b. Creation of seed processing capacity :

The processing plants which were outdated and completed their economical useful life were condemned and replaced by new processing plants of the latest technology to maintain dust free environment and improving the quality of seeds. The processing plants were erected on the raised platform with PLC based control panel. As on 31.03.2020 annual processing capacity is 22.96 Lakh Qtls.

c. Creation of irrigation facilities :

Although the underground water of the farms is brackish which is not suitable for irrigation as a direct use but due to acute shortage of canal water, NSC is installing tube-wells alongside the banks of the canal to supplement the water in watercourses for increasing the discharge and further output. During the year 2019-20, Corporation has added 14 Nos of tube-wells in the Farms and the total Nos of tube-wells are 165 as on 31.03.2020.

d. Conversion of Waste Land into cultivable Land:

Corporation has taken an intensive programme to bring the uncultivable land into use at Farms with own machineries and in this way an area of 430 hectares was cleared and developed for the cultivation, during 2019-20.

e. Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector :

NSC is the Nodal Agency for implementing the Central Sector Scheme on Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector of the Government of India. Throughout the country, 651 beneficiaries have taken the subsidy through NSC under this scheme. About 160.52 Lakh Qtls of Processing capacity and 60.05 Lakh Qtls of Seed storage capacity were generated by the Private Sector through this scheme upto 31.03.2020. During the year, DAC & FW has not released any funds towards first installment to the beneficiaries and no first installment proposals were processed, as advised by the DAC & FW. Hence no additional capacity added from last year.

f. Consultancy Services :

Apart from own works, NSC is rendering Consultancy services, technical support for Establishment of Seed Processing Plants, Seed storage facilities & dehumidifier's facility for Storage of Seed. MoU for Installation of Seed processing plant and Installation of De-humidifier's has been signed with BRBN, Patna.



(छ) सूचना प्रौद्योगिकी :

एनएससी ने वर्ष 2017-18 से बीज प्रबंधन एप्लीकेशन का रख-रखाव कर रहा है जिसके द्वारा क्षेत्रीय/प्रक्षेत्र कार्यालयों के उत्पादन/विपणन/स्टॉक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन सभी गतिविधियों के साथ वित्त गतिविधियों को भी आपस में जोड़ा गया है।

विभिन्न विभागों द्वारा नियंत्रित प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ फार्मों पर पारदर्शिता बनाए रखने तथा परस्पर जोड़ने के लिए वित्तीय निहितार्थ और बजट सहित उत्पादन, विपणन इन्वेंटरी, गुणवत्ता, परियोजना और अभियांत्रिकी, मानव संसाधन, कंपनी सचिवालय एवं विधि संबंधी प्रत्येक गतिविधि की निगरानी के लिए नियंत्रक अधिकारियों के डैशबोर्ड के लिए वास्तविक समय डाटा (फसल निगरानी सहित) में सभी क्षेत्र गतिविधियों को शामिल करने हेतु मोबाईल एप सहित ईआरपी सॉफ्टवेयर विकसित करने की पहल की गई है। इसके अलावा, एनएससी उपभोक्ता के लिए बीज ट्रेसेबिलिटी हेतु प्रत्येक बैग पर क्यूआर कोड लागू करने जा रहा है।

एनएससी ऑनलाईन ई-खरीद प्रणाली को लागू कर रहा है और उक्त पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं के लिए भी जैम पोर्टल के माध्यम से प्रापण कर रहा है।

8 सामाग्री प्रबंधन गतिविधियां :

- खरीद, भंडारण एवं रसद की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए इस विभाग को उन्नयन किया गया है।
- ऑनलाईन निविदा के माध्यम से खरीद की जा रही है।
- एनएससी द्वारा खरीदी जा रही सामग्री को जैम पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है जो वर्तमान में पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।
- संभावित आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वह जैम पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं।
- एमएसई आदेश 2012 के अनुसार, एमएसएमई फार्मों के निविदाओं को वरीयता दी जा रही है।
- थैलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पैकिंग सामग्रियों की तकनीकी विशेषताओं को संशोधित किया गया है।
- विपणन में सुधार के लिए फसल विशिष्ट बीओपीपी बैगो और नए डिजाईन वाले लेमिनेटेड फोटो पॉली पाउचों की शुरुआत की गई हैं।
- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकांश खरीद को केंद्रीकृत किया जा रहा है।
- खरीद की गई सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नामित प्रयोगशालाओं से परीक्षण किया जाता है।
- एनएससी के द्वारा खरीदी गई सामग्री का मासिक खरीद डाटा निरंतर "एमएसएमई संबंध पोर्टल" पर अपलोड किया जा रहा है।
- एमएसएमई आदेश 2012 का अनुपालन निम्न प्रकार से हैं :-

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	प्रस्तावित लक्ष्य वित्त वर्ष 2020-21
1	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	2721.51	9372.72	9500.00
2	एमएसईज (MSEs) से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत (अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम भी शामिल है)	1851.51	3048.29	2375.00
3	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा सिर्फ एमएसईज (MSEs)से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत	शून्य	1.23	380.00
4	एमएसईज (MSEs) से खरीद का % (कुल खरीद के अलावा अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा स्वयं एमएसईज (MSEs) भी शामिल है)	68.03%	32.52%	25%से अधिक
5	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा कुल खरीद के अलावा सिर्फ एमएसईज (MSEs) से खरीद का %	--	0.013%	4%से अधिक
6	एमएसईज के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	--	1.40%	3%से अधिक
7	क्या एमएसईज से खरीद के लिए वार्षिक प्रापण योजना को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है?	हां	हां	हां
8	क्या लक्ष्यों को वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है?	हां	हां	हां

g. Information Technology :

Uptill 2017-18 NSC was maintaining Beej Prabandhan software which was focusing on activities of Regional /Area Offices for the Production/ Marketing / Inventory programme. The finance activities were interlinked with all these activities.

To maintain the transparency and interlinking, different Divisions having control over Regional /Area Offices as well as Farms, a new initiative was taken to develop a software ERP having Mobile App to capture all the field details in real time data (including crop monitoring) to the dashboard of the Controlling Officers to monitor each and every activities of Production, Marketing, Inventory, Quality, Projects & Engineering, HR, CS & legal along with financial implication and budgeting. In addition, NSC is going to implement QR code on each and every bag for seed traceability from source to the consumer.

NSC is implementing online e-procurement system and also following procurement through GeM portal for the items which are available on the said Portal.

8. Material Management Activities.

- The dedicated department has been upgraded for managing the activities of procurement, storage and logistics.
- Procurements are being made through online tendering process.
- GeM Portal is being requested to upload the goods being procured by NSC which are not currently available on the portal.
- The potential suppliers are being requested to register themselves at the GeM portal.
- MSME firms are being given preference in the tenders as per MSE order 2012.
- The technical specifications of packing materials have been revised to improve the quality of bags.
- The Crop specific BOPP bags and Laminated Photo Poly pouches with new designs have been introduced for improving the Marketing potential.
- Most of the procurement is being made centralized for maintaining the quality at competitive prices.
- The procured materials are tested from designated laboratories to ensure its quality.
- The monthly procurement data of procurement by NSC are being uploaded on “MSME SAMBANDH PORTAL” regularly.
- The compliance report of MSE order 2012 is given below: (Rs. in Lakhs)

S No.	Particulars	Financial Year 2018-19	Financial Year 2019-20	Proposed target for the Financial year 2020-21
1	Total Annual Procurement (In Values)	2721.51	9372.72	9500.00
2	Total value of goods and services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs)	1851.51	3048.29	2375.00
3	Total value of goods and services procured from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs	NIL	1.23	380.00
4	Percentage of procurement from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement)	68.03%	32.52%	Atleast 25%
5	Percentage of procurement from only MSEs owned by SC/ST entrepreneur out of total procurement	--	0.013%	Atleast 4%
6	Total No. of Vendor Development Programmes for MSEs (VDP)	--	1.40%	Atleast 3%
7	Whether Annual Procurement plan for purchases from MSEs uploaded on the official Website	YES	YES	YES
8	Whether targets reported in Annual Report	YES	YES	YES



9. मानव संसाधन विभाग

एनएससी के सुचारु एवं कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान मानव संसाधन विभाग ने अपने भर्ती नियमों को संशोधित करके निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पेशेवर एवं तकनीकी जनशक्ति की भर्ती की है। तदनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के विरुद्ध 229 प्रशिक्षुओं/वरिष्ठ प्रशिक्षुओं/प्रबंधन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की है।

31.03.2020 तक सभी वर्गों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1494 थी, जबकि 31.03.2019 तक यह 1441 थी। 31.03.2020 तक कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक श्रेणी के कार्मिकों की संख्या निम्न प्रकार से है :

श्रेणी	कुल कार्मिकों की संख्या
कार्यपालक (ई-0 एवं अधिक)	218
गैर कार्यपालक :-	
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस-4)	32
ख. कामगार / मजदूर (एनएस-0 से एस-3)	1244
कुल	1494

वर्ष 2019-20 के दौरान पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद एवं अ.जा./अ.जा.जा. से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है :-

क. पदोन्नति :

श्रेणी	भरे गए पदों की संख्या	अ.जा./अ.जा.जा से संबद्ध कार्मिकों की संख्या	
		अ.जा.	अ.जा.जा
कार्यपालक (ई-0 एवं अधिक)	39	2	1
गैर कार्यपालक :-			
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस-4)	शून्य	शून्य	शून्य
ख. कामगार / मजदूर (एनएस-0 से एस-3)	68	15	1
कुल	107	17	2

ख. सीधी भर्ती :

श्रेणी	भरे गए पदों की संख्या	अ.जा./अ.जा.जा/अ.पि.व./शा.अं. से संबद्ध उम्मीदवारों की संख्या			
		अ.जा.	अ.जा.जा	अ.पि.व.	शा.अं.
कार्यपालक (ई-0 एवं अधिक)	11	1	1	3	0
गैर कार्यपालक :-					
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस-4)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. कामगार / मजदूर (एनएस-0 से एस-3)	266*	48	16	76	5
कुल	277	49	17	79	5

* निगम की नियमितीकरण नीति के अनुसार, इसमें 48 दैनिक वेतन भोगी/दैनिक वेतन कामगार(एससी-17, एसटी-0, ओबीसी-15 एवं दिव्यांग-0) को नियमित कामगार ग्रेड-।।। (एनएस-0) के रूप में नियमित किया गया।

9. HUMAN RESOURCE DEPARTMENT:

Human Resource Department of NSC plays a very important role for smooth and efficient functioning of NSC. During the year 2019-20, HR Department has recruited professionally and technically sound manpower by revising its Recruitment Rules and conducting recruitment activities in a fair and transparent manner and accordingly inducted 229 Trainees/Senior Trainees/Management Trainees against superannuation of employees during the year 2019-20.

The total number of employees of all categories as on **31.03.2020** was 1494 as compared to total number of 1441 as on **31.03.2019**. The staff strength in Executive and Non-Executive category as on 31.03.2020 was as under:

Category	Total No. of Employees
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	218
NON EXECUTIVE :-	
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	32
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	1244
Total	1494

The information with regard to the posts filled-up by promotion/direct recruitment and number of employees / candidates belonging to SC/ST category promoted/appointed during the year 2019-20 is as under:-

A. Promotion:

Category	No. of Posts filled	No of employees belonging to SC/ST	
		SC	ST
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	39	2	1
NON EXECUTIVE :-			
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	Nil	Nil	Nil
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	68	15	1
TOTAL	107	17	2

B. Direct Recruitment :

Category	No. of Posts filled	No of candidates belonging to SC/ST/OBC/PH			
		SC	ST	OBC	PH
EXECUTIVE (E-0 & ABOVE)	11	1	1	3	0
NON EXECUTIVE :-					
A. NON UNIONIZED SUPERVISOR (S-4)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B. WORKMEN / WORKER (NS-0 TO S-1)	266*	48	16	76	5
TOTAL	277	49	17	79	5

* This includes Regularization of 48 DPWs/DWWs (SC-17, ST-0, OBC-15 & PH-0) as RW Gd. III (NS-0) as per regularization policy of the Corporation.



ग. 31.03.2020 को विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :-

श्रेणी	कार्मिकों की कुल संख्या	अ.जा./अ.जा.जा से संबद्ध कार्मिकों की संख्या	
		अ.जा.	अ.जा.जा
कार्यपालक (ई-0 एवं अधिक)	218	29	13
गैर कार्यपालक :-			
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस-4)	32	5	1
ख. कामगार / मजदूर (एनएस-0 से एस-3)	1244	246	61
कुल	1494	280	75

(घ). **बैंचमार्क दिव्यांगों का नियोजन :**
31.03.2020 को बैंचमार्क दिव्यांगों की संख्या निम्न प्रकार है :-

दिव्यांगता की श्रेणी	वर्तमान कार्मिकों की संख्या
श्रेणी-"क"- अंधत्व के कारण दिव्यांग	8
श्रेणी-"ख"- बहरेपन के कारण दिव्यांग	2
श्रेणी-"ग"- सेरेबल पाल्सी की लोकोमोटर विकलांगता (आर्थोपेडिकली विकलांगता सहित) प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पद।	9
श्रेणी -"घ"- विभिन्न विकलांगताएं	शून्य

ड. **भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन**
31.03.2020 को भूतपूर्व सैनिकों की नियोजन संख्या निम्न प्रकार है :-

श्रेणी	संख्या
कार्यपालक (ई-0 एवं अधिक)	लागू नहीं
गैर कार्यपालक :-	
क. गैर संगठित पर्यवेक्षक (एस-4)	शून्य*
ख. कामगार / मजदूर (एनएस-0 से एस-3)	
कुल	

* एनएससी के साथ एसएफसीआई के विलय के पश्चात अक्टूबर, 2018 में निदेशक मंडल द्वारा नई जनशक्ति की मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान भर्ती विज्ञापन में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का विज्ञापन भी किया गया। खराब प्रतिक्रिया के कारण ये पद नहीं भरे जा सके।

निगम 'पदों पर आधारित' आरक्षण रोस्टर रखने के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

च. **दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 का पालन :**

राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वाणिज्यिक संगठन है जोकि लोक उद्यम विभाग की नीतियों द्वारा शासित है तथा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 के अनुसरण में समय-समय पर डीओपीटी/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करता है। एनएससी ने हमेशा निगम में बैंच मार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया है। एनएससी का प्रबंधन दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़-संकल्प है। एनएससी के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 की प्रत्येक धारा को लागू करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं :-

C. Representation of Scheduled Caste/ Scheduled Tribes in various Categories of employees as on 31.03.2020 was as under:

Category	Total No. of Employees	No. of Employees belonging to SC/ST	
		SC	ST
EXECUTIVES (E-0 & ABOVE)	218	29	13
NON EXECUTIVES : -			
A. NON UNIONIZED SUPERVISORS (S-4)	32	5	1
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	1244	246	61
Total	1494	280	75

D. Employment of Persons with Benchmark Disability:

The Strength of Persons with Benchmark Disability (PWBD) as on 31.03.2020 was as under:

Category	Strength
CAT. "A" - Blindness of low vision	8
CAT. "B" - Hearing impairment, and	2
CAT. "C" - Locomoter disability of cerebral palsy (including Orthopedically handicapped) in post identified for each disability	9
CAT. "D" – Multiple disabilities	NIL

E. Employment of Ex-Servicemen:

The Strength of Ex-servicemen as on 31.03.2020 was as under:

Category	Strength
EXECUTIVES (E-0 & ABOVE)	Not applicable
NON EXECUTIVES : -	
A. NON UNIONIZED SUPERVISORS (S4)	NIL*
B. WORKMEN / WORKERS (NS-0 TO S-3)	
Total	

*The new manpower set up after merger of SFCI with NSC was approved by the Board in October, 2018. In the recruitment advertisement during 2019, reserved posts for ex-servicemen was advertised. Posts couldn't be filled due to poor response.

The Corporation is following guidelines received from Department of Public Enterprises, Govt. of India, New Delhi from time to time in regard to maintaining "Post Based" reservation roster.

E. Compliance of Reservation to Persons with Disabilities Act, 2016

NSC is a commercial organization under Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, governed by the policies of DPE, follows the laid down norms as prescribed by DoPT/Govt. of India from time to time. In pursuance of RPwD Act 2016, NSC has always made maximum possible efforts to ensure reservation to persons with benchmark disabilities in the Corporation. The Management of NSC is determinant on the subject of providing equal opportunities to Employees of PwD categories. Following are the major steps taken by NSC in order to implement each and every section of RPwD Act, 2016:



(i) निगम के कर्मचारियों को समानता/सुविधाएं

- एनएससी ने एक प्रमुख कदम के रूप में निगम में सभी प्रत्यक्ष भर्ती पदों को सूचीबद्ध किया है जो भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ पीडब्ल्यूडी की उप श्रेणी और शारीरिक आवश्यकता के आधार पर PWDS के लिए उपयुक्त है। पीडब्ल्यूडी के लिए उपयुक्त ऐसे पद एनएससी की वेबसाइट [https://www-indiaseeds-com/doc-file/PWED-PD-pdf](https://www.indiaseeds-com/doc-file/PWED-PD-pdf) पर उपलब्ध है।
- सामान्य अवसर के लिए तथा निगम के कार्मिकों/हितधारकों/आम जनता की सूचना में दिव्यांगजनों के अधिकारों को अपनी वेबसाइट पर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2017 को अपलोड किया है।
- एनएससी अपने परिसर के भीतर दिव्यांगजनों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है जैसे चलने के लिए रैम्प, अलग शौचालय तथा विश्राम कक्ष की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
- दिव्यांगजनों के आरक्षण के लिए अलग से रजिस्टर बनाया गया है।

(ii) निगम में समान रोजगार के अवसर

- वर्ष 2019 से सीधी भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- निगम की आवश्यकतानुसार दिव्यांगजनों को उनके गृह राज्य के नजदीक तैनाती के लिए अधिकतम प्रयास किए गए।
- सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड को हमेशा सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी से नीचे रखा गया है।
- परीक्षा में दिव्यांगजनों (बैंच मार्क अपंगता) के लिए लिखने की सुविधा, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गईं।

(iii) शिकायत निवारण

- निदेशक (वित्त) जोकि पीईएसबी के द्वारा नियुक्त है, एनएससी के शिकायत निवारण अधिकारी है जिनके अधीन एक अलग शिकायत रजिस्टर रखा गया है और उनकी प्रत्यक्ष देख रेख में समय पर कार्रवाई की जा रही है।
- कार्यपालक स्तर के अधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

10. एनएससी में प्रशिक्षण गतिविधियां :

वर्ष 2019-20 के दौरान, निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, (MANAGE), हैदराबाद में कृषि इनपुट, बीजों के विपणन पर 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत, सभी क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अधिकतर प्रक्षेत्र प्रबंधकों (कुल 40) को बीजों के विपणन संबंधित सभी पहलुओं पर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों के समक्ष बीजों की विभिन्न प्रजातियां प्रदर्शित की गईं। इस प्रशिक्षण के दौरान खेतों का निरीक्षण भी करवाया गया तथा प्रमुख फसलों के उत्पादन का अध्ययन करवाया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, सभी फार्मों पर नव नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं के लिए बीज उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 03-06, फरवरी, 2020 को केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी, रायचूर में आयोजित किया गया जिसमें 35 कार्मिकों ने भाग लिया। द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 10-13, फरवरी, 2020 को केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी, हिसार में आयोजित किया गया, जिसमें 35 कार्मिकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान खेतों का निरीक्षण भी करवाया गया तथा प्रमुख फसलों के उत्पादन का अध्ययन करवाया गया।

निगमित कार्यालय में आईएआरआई के विशेषज्ञों द्वारा चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नव नियुक्त युवा कर्मचारियों को गुणवत्ता विभाग से संबंधित सभी प्रक्रियाओं एवं तकनीकी विषयों पर जानकारी दी गई। सभी प्रतिभागियों को गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में ऑन द जॉब प्रशिक्षण भी दिया गया।

मानव संसाधन विभाग के 40 कार्मिकों के लिए मानव संसाधन नियमों एवं विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन मैनुअल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 24-25, फरवरी, 2020 को केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी, सूरतगढ़ में रखा गया जिसमें पूरे भारतवर्ष में नियुक्त युवा कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया एवं इन्हें सूरतगढ़ फार्म का दौरा करवाया गया, जहां पर, फार्म की गतिविधियों के संबंध में अवगत करवाया गया। वर्ष 2019-20 में, जहां एनएससी ने सर्वाधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया, वहीं हम पिछले वर्षों की तुलना में इस मद पर कम खर्च करने में सफल रहे। हमने 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएससी के केन्द्रीय राज्य फार्मों एवं निगम मुख्यालय में आयोजित किए, जिनमें कुल 195 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(i) Equality/facilities to Employees of the Corporation

- As a major step NSC has listed out all the direct recruitment posts in the Corporation identified suitable for PWDs based on the sub-category and physical requirement of PWD along with the Duties and Responsibilities of each post, in compliance of the directions received from Govt. of India. Such posts identified suitable for PWDs are available on NSC website at <https://www.indiaseeds.com/doc-file/PWED-PD-pdf>.
- For equal opportunity and to bring the rights of PWD in the notice of employees of the Corporation / Stake holders /General Public, NSC has uploaded RPWD Act, 2017 on its website.
- NSC is providing necessary facilities and amenities within the premises such as walking ramp, separate toilets and rest room facility to enable them to discharge their duties effectively.
- Separate register for reservation of PWDs is maintained.

(ii) Equal Employment Opportunity in the Corporation

- Ensured 4% reservation in direct recruitment in the year 2019.
- Maximum efforts were made to provide nearby/home State as place of posting of PWD candidates as per needs of the Corporation.
- The eligibility criteria to PWD candidates for direct recruitment and promotion have always been kept below UR/OBC/SC/ST.
- Facilities of Scribe, sitting arrangement & others to PWD (Benchmark disability) were provided in the examination during the recruitment process.

(iii) Grievance Redressal

- Director (Finance), a PESB appointee is the Grievance Redressal Officer of NSC under whom a separate complaint register has been maintained and timely actions are being taken under direct supervision of him.
- Executive level Officer has been appointed as Liaison Officer for PWD.

10. TRAINING ACTIVITIES IN NSC:

During the year 2019-20, the Corporation has organized a 05 days Training programme on Agricultural inputs, Marketing of seeds at the National Agricultural Extension Management Institute (MANAGE), Hyderabad. Under this programme, detailed training was given to all the Regional Managers and many Area Managers (totaling 40) by Technical Experts on various aspects related to marketing of seeds. During the training period, demonstration of various seed varieties was made and field visits were organised for the Officials.

During the year 2019-20, seed production training programmes were organized at all the Farms of Corporation for newly appointed officers / employees / trainees. In the First Training programme, organized from 03-06 February, 2020 at Central State Farm, Raichur, was attended by 35 Participants and the Second Training programme held during 10-13 February, 2020 at Central State Farm, Hisar, was attended by 35 participants. During both the Training programmes, field visits were undertaken to demonstrate various aspects of production of major crops during that period.

Four days training programme was organized at Corporate Office, New Delhi in which experts from IARI were invited to impart training on the technical topics related to Quality Control to the newly appointed young employees in Quality Control Department. All participants were also given on-the-job training in the Quality Control Laboratory at Corporate Office.

A training program of 40 Human Resource personnel on HR Rules and related aspects was conducted during 24-25 February, 2020 at Central State Farm, NSC, Suratgarh wherein young personnel employed in NSC all over India were called to gain oversight and understanding about activities of the farm. During 2019-20, inspite of organising wide varieties of training for NSC personnel, total expenses on Training were reduced as in comparison to the previous years. Corporation had conducted 05 training programs at the Central State Farms and Headquarters, NSC in which a total of 195 officers / employees participated.



वर्ष 2019-20 के दौरान, निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	आयोजक
1	जैम पोर्टल खरीद पर क्षमता निर्माण	02 मई, 2019	03	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
2	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण	28 जून, 2019	01	आईआईसीए, कोलकाता
3	बीज कानून प्रवर्तन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण	8-12 जुलाई 2019	01	एनएआरएंडटीसी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाराणसी
4	बीज प्रमाणीकरण पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण	15-19 जुलाई 2019	01	एनएआरएंडटीसी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाराणसी
5	बीज परीक्षण प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण	22-26 जुलाई 2019	02	एनएआरएंडटीसी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाराणसी
6	सेवाओं में एससी / एसटी / ओबीसी आरक्षण	26-29 अगस्त.19	02	आईएसटीएंडएम, नई दिल्ली
7	स्वच्छ भारत अभियान	6 सितम्बर, 2019	01	आईएसटीएंडएम, नई दिल्ली
8	ई-खरीद	17 सितम्बर, 2019	01	एनपीसी, हैदराबाद
9	माल और सेवा कर पर रिटर्न / ई-आकलन	27 सितम्बर, 2019	01	इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़
10	माल और सेवा कर पर कार्यशाला	17-18 अक्टूबर, 19	01	आईएसटीएंडएम, नई दिल्ली
11	प्रभावी बोर्ड गतिशीलता	26 नवंबर. 2019	01	आईसीएआई
12	बीजों पर फोकस के साथ एग्री इनपुट्स की मार्केटिंग	16-20 दिसम्बर. 2019	40	मैनेज, हैदराबाद
13	अनुशासनात्मक मामलों में प्रारूपण पर ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	6 -7 जनवरी, .2020	01	आईएसटीएंडएम, नई दिल्ली
14	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला	22-24 जनवरी, 2020	02	आईएसटीएंडएम, नई दिल्ली
15	बीज उत्पादन	03-06 फरवरी. 2020	35	एनएससी, केराफा, रायचूर
16	संविधान दिवस	10 फरवरी, 2020	50	एनएससी निगमित कार्यालय
17	बीज उत्पादन	10-13 फरवरी, 2020	35	एनएससी, केराफा, हिसार
18	गुणवत्ता नियंत्रण	19-22 फरवरी. 2020	35	निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
19	मानव संसाधन कार्यक्रम	24-25 फरवरी, 2020	40	एनएससी, केराफा, सूरतगढ़

During the year 2019-20, the following training programs were organized, the details of which are as follows:

S.No	Name of Programme	Date	No. of Participants	Organiser
1	Capacity Building on GeM Procurement	02 May 2019	03	MoA&FW, DAC, GoI
2	Internal Financial Control under Companies Act, 2013	28 June 2019	01	IICA Kolkata
3	National Training for Seed Law Enforcement	8-12 July 2019	01	NAR&TC, MoA&FW, Varanasi
4	National Training for Seed Certification	15-19 July 2019	01	NAR&TC, MoA&FW, Varanasi
5	National Training for Seed Testing Laboratory	22-26 July 2019	02	NAR&TC, MoA&FW, Varanasi
6	Reservation in Services for SC/ST/OBC	26-29 Aug. 19	02	IST&M, New Delhi
7	Swachh Bharat Abhiyan	6 Sept. 2019	01	IST&M, New Delhi
8	E-procurement	17 Sept. 2019	01	NPC Hyderabad
9	Returns/E-Assessments under GST	27 Sept. 2019	01	Institute of Cost Accountants of India Chandigarh
10	Workshop on Goods & Services Tax	17-18 Oct. 19	01	IST&M, New Delhi
11	Effective Board Dynamics	26 Nov. 2019	01	ICAI
12	Marketing of Agri Inputs with focus on seeds	16-20 Dec. 2019	40	MANAGE, Hyderabad
13	Orientation Training Programme on Drafting in Disciplinary Matters	6 -7 Jan. 2020	01	IST&M, New Delhi
14	Workshop on prevention of Sexual Harassment at Work Place	22-24 Jan. 2020	02	IST&M, New Delhi
15	Seed Production	03-06 Feb. 2020	35	NSC, CSF, Raichur
16	Constitution Day	10 Feb. 2020	50	NSC Corporate Office
17	Seed Production	10-13 Feb. 2020	35	NSC, CSF, Hisar
18	Quality Control	19-22 Feb. 2020	35	Corporate Office, New Delhi
19	HR Function	24-25 Feb. 2020	40	NSC, CSF, Suratgarh



11. राजभाषा का कार्यान्वयन:

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से 14 सितम्बर, 2019 से 28 सितम्बर, 2019 तक निगमित कार्यलय, क्षेत्रीय कार्यलयों व केन्द्रीय राज्य फार्मों पर "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए तथा सभी प्रतिभागियों को मानदेय द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यालय में श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में 28 सितम्बर, 2019 को हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह मनाया गया।

वर्ष के दौरान 04 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, इन कार्यशालाओं में निगम के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से 04 बैठकें आयोजित की गईं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट समीक्षा हेतु नियमित रूप से कृषि एवं किसान मंत्रालय/गृह मंत्रालय को भेजी गईं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार के राजभाषा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आधिकारिक प्रतिनिधियों तथा राजभाषा संसदीय समिति ने एनएससी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलयों, फार्मों और कॉर्पोरेट कार्यलय का निरीक्षण किया। जिसमें सभी राजभाषा के अनुपालन से संतुष्ट थे। भारत सरकार के 10 निरीक्षित कार्यलयों में से, एनएससी, जयपुर का निष्पादन उत्कृष्ट पाया गया और उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

एनएससी की वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निगम नियमित रूप से अपनी गतिविधियों के बारे में तथा कार्मिकों द्वारा साझा किए गए लेखों की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक छमाही हिंदी पत्रिका "बीज पत्रिका" का प्रकाशन कर रहा है। यह पत्रिका, निगम की सभी इकाइयों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग, नराकास एवं अन्य सरकारी विभागों को भेजी जाती है।

राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 के लक्ष्यों तथा प्रावधानों के अनुपालन हेतु निरंतर प्रयास किए गए।

12. सतर्कता गतिविधियां :

i) निवारक सतर्कता

निवारक सतर्कता पहल के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं :

- क) निवारण उपाय के रूप में निरीक्षण/आकस्मिक जांच/ठेकों की सुरक्षा जांच की गई। लंबित अनुशासनात्मक शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समय-समय पर प्रबंधन के साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त/डीओपीटी/डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुशासनात्मक एवं सतर्कता मामलों पर उपर्युक्त सलाह प्रदान करने के लिए निरंतर बातचीत की जाती है।
- ख) ई-0 और इसके बाद के स्तर के अधिकारियों द्वारा दाखिल की गई वार्षिक संपत्ति रिटर्न की समीक्षा की गई। कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रत्येक चल-अचल लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रारूप 'F' तैयार किया गया है।

ii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह:-

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, 28.10.2019 से 02.11.2019 तक निगमित कार्यलय, क्षेत्रीय कार्यलयों और फार्मों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2019 मनाया गया। एनएससी, मुख्यालय, नई दिल्ली के मुख्य स्थानों पर उत्कृष्ट भाषा में बैनर व पोस्टर प्रदर्शित किए गए। निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, द्वारा 28.10.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे शपथ दिलाई गई। एनएससी ने नागरिकों में सतर्कता लाने के लिए निगम से बाहर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया :

- क) 30.10.2019 को एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्यालय और जैतसर फार्म में संवेदीकरण कार्यक्रम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।
- ख) एनएससी की ओर से एक संगठन के रूप में और साथ ही कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ई-प्रतिज्ञा ली गई थी।
- ग) 01.11.2019 को जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया और 01.11.2019 को सर्वोदय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पूसा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में जागरूकता के लिए पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हरित पृथ्वी की अवधारणा को मजबूत करने के लिए समापन दिवस पर ग्राम चंद्रनगर स्कूल, जिला काशीपुर में एक "जागरूकता ग्रामसभा" का आयोजन किया गया।

13. निगमित शासन :

निगम, कारपोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिससे इसके समग्र व्यवसायिक लेन-देन में नैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत, जिम्मेदारी और पारदर्शी प्रकटीकरण के उच्च मानकों ने अपनी पकड़ मजबूत की है और इसके निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं कार्मिकों के द्वारा सांझा की गई है।

11. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

With a view to promote the use of Hindi in Official work, "Hindi Pakhwara" was organized from 14 September, 2019 to 28 September, 2019 in Corporate Office, Regional Offices and Farms. During this period, various competitions were organized wherein top performers of competition were awarded with cash prizes and all the participants were felicitated by honorarium. Hindi Pakhwara closing ceremony was celebrated on 28 September, 2019 at HQ under the Chairmanships of Shri Shyamvir Saini, Independent Director on the Board of NSC.

During the year, Four Hindi Workshops were organized and various Officers/employees participated in these workshops. Four Meetings of Official language implementation Committee at Head Office were conducted in each quarter to review the progressive use of Official Language in Official Work and the quarterly reports on progressive use of Hindi were regularly sent to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare/Home Ministry.

During the Year 2019-20, Department of Official Language, Government of India, official representatives of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Parliamentary Committee on Official Language inspected various ROs, Farms and Corporate office of NSC who were satisfied with the compliance of Official Language in NSC. Out of the 10 inspected Offices of the Government of India, the performance of NSC, Jaipur was found as excellent and it achieved the second position.

The website of NSC is available in bilingual form i.e. in English and Hindi and it is being updated from time to time.

In addition to above, Corporation is regularly publishing a half yearly Hindi Magazine "Beej Patrika" to disseminate the information about the working on the activities of the Corporation and Articles of usefulness to a common person and employees of the Corporation. This Magazine is sent to all the Units of NSC, MOA&FW, Official Language Department, GOI, NARAKAS and other Government Departments.

Constant efforts were made to comply with the provisions and target of the "Annual Programme" of 2019-20.

12. VIGILANCE ACTIVITIES:

i) Preventive Vigilance

As initiatives of preventive Vigilance activities following actions have been taken:

- a) Preventive measures like inspection/surprise checks/security of contracts were conducted. Regular monitoring of pending disciplinary cases and complaints is being done. Regular interactions with Management is maintained for rendering suitable advice on Disciplinary/Vigilance matters as per guidelines issued by CVC/DOPT/DPE from time to time.
- b) Review of Annual Property Returns filed by the Officers of the level of E-0 and above. A format 'F' has been devised to report every immovable and movable transactions done by the employees.

ii) **Vigilance Awareness Week** - In accordance with the directives of the Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week-2019 was observed at Corporate Office, Regional Offices and Farms from 28.10.2019 to 02.11.2019. During the Week, Banners and Posters were prominently displayed at prime locations of the Office Building. Pledge was administered on 28.10.2019 at 11.00 AM by Chairman-cum-Managing Director, NSC to all the Officers and staff of the Corporation. NSC also conducted the following outreach activities for bringing awareness among the citizens:

- a) An Essay competition was organized on 30.10.2019. One day workshop on Sensitization programme was organized at Head Office and Jetsar Farm. Prizes were distributed to the winning participants of competitions during the course of Vigilance Awareness Week.
- b) E-pledge was taken on behalf of the NSC as an organization as well as by the employees as individuals.
- c) Awareness lecture was conducted on 01.11.2019 and Poster Exhibition was organised for general awareness about Vigilance Awareness week on 01.11.2019 at Sarvodaya Girls Sr. Sec. School, Pusa Complex, New Delhi. An 'Awareness Gram Sabha' was organized at Village Chandranagar, Distt. Kashipur on the conclusion day in order to strengthen the green earth concept.

13. CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation strives to foster a corporate culture in which high standards of ethical behaviour, individual accountability and transparent disclosure are ingrained in all its business dealings and shared by its Board of Directors, Management and Employees.



निगम ने अपनी समग्र जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अपने निदेशक मंडल की जानकारी हेतु आधुनिक प्रणालियों एवं पद्धतियों को स्थापित किया है और लंबी आवधिक शेयरधारक मूल्य निर्धारण हेतु प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की है।
निगमित शासन पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक – I** पर दी गई हैं।

लंबे समय तक ट्रेक रिकार्ड को बनाते हुए यह बड़े हर्ष की बात है कि निगमित शासन के अंतर्गत निगम को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा "उत्कृष्ट" श्रेणी का दर्जा दिया गया है। यद्यपि वित्त वर्ष 2019-20 की ग्रेडिंग डीपीई द्वारा घोषित नहीं की गई है।

14. वार्षिक रिटर्न का उद्धारण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अंतर्गत, आवश्यक फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न के उद्धारणों का विवरण **अनुलग्नक- II** के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

15. निदेशक मंडल :

आपके निगम के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा निर्देश 2010 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से नामित और नियुक्त किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, उप सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रपति के आदेश संख्या 5-7 / 2018-एसडी- I दिनांक 05.04.2019 के द्वारा एनएससी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इन्हें 14.05.2019 को निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 2-1 / 2017- एसडी-I (पीटी) दिनांक 2 / 5 अगस्त, 2019 जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा श्री मोहन लाल अरोड़ा को एनएससी में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया तथा इन्हें 28.09.2019 को निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकार के नामांकित निदेशक डॉ. तरसेम चंद को राष्ट्रपति के आदेश संख्या 5-7 / 2018-बीज दिनांक 11.10.2019 को कार्ययुक्त किया गया, इसी आदेश के तहत इसी दिन से श्रीमती शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल और तिलहन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, को एनएससी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 1-9 / 2014-बीज-I दिनांक 06.02.2017 के अनुसार श्रीमती प्रतिभा सुमन को तीन वर्ष की अवधि के लिए एनएससी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, कार्यकाल पूरा होने पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कार्यकाल विस्तार न मिलने के कारण श्रीमती प्रतिभा सुमन का कार्यकाल 05.02.2020 को समाप्त हो गया।

16. धारा 149 के उपनियम 6 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निर्णय लेने पर वक्तव्य :

कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे अधिनियम की धारा 149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 में डीपीई द्वारा निर्धारित व्यावसायिक आचरण एवं आचार संहिता का अनुपालन किया है। हालाँकि, कोविड-19 राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण, इन घोषणाओं को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली बैठक में बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जा सका और बाद की बैठक में बोर्ड के समक्ष सूचना के लिए रखा गया।

17. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण :

हमारे ज्ञान एवं विश्वास तथा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आपके निदेशक, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(सी) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण देते हैं:-

(क) यह कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों को तैयार करने में सामग्री से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उनका सतत रूप से प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए हैं जो उचित एवं विवेकसम्मत हैं तथा जो 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।



The Corporation has established systems & procedures to ensure that its Board of Directors is well-informed and well equipped to fulfil its overall responsibilities and to provide the management a strategic direction to create long-term shareholders value.

A Report on Corporate Governance is given at [Annexure-I](#).

Maintaining the long track record for long past, it is a matter of pleasure that NSC has achieved Excellent Grading for the Financial Year 2018-19 under Corporate Governance by the DPE. However the Grading for Financial Year 2019-20 under Corporate Governance is yet to be declared by the DPE.

14. EXTRACTS OF ANNUAL RETURN:

The details forming part of the extracts of the Annual Return in Form MGT-9, as required under Section 92 of the Companies Act, 2013 are attached as [Annexure-II](#) which forms an integral part of this Report.

15. BOARD OF DIRECTORS:

The Directors of your Corporation are nominated and appointed by the President of India through Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MOA&FW) in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and Corporate Governance Guidelines, 2010 issued by Department of Public Enterprises.

During the year under review, Smt. Gurpreet Gadhok, Deputy Secretary (Seeds), MOA&FW was appointed as Government Director on the Board of NSC vide the Presidential approval No. 5-7/2018-SD-I dated 05.04.2019 and was inducted on the Board w.e.f. 14.05.2019.

Vide Presidential Order No. 2-1/2017-SD-I (pt) dated 2/5th.08.2019, MOA&FW appointed Shri. Mohan Lal Arora as Director (Commercial) in NSC, as such, he was taken on the Board of Directors on 28.09.2019.

During the year under review, Dr. Tarsem Chand, Government Nominee Director was relieved from the office w.e.f.11.10.2019 by virtue of Government Order No. 5-7/2018-SD-I dated 11.10.2019 and Smt. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds), MOA&FW, was appointed vide the same Government Order as ibid as Government Director on the Board of NSC.

Vide Presidential Order No. 1-9/2014-SD-I dated 06.02.2017 Smt. Partibha Suman was appointed as Independent Director on the Board of NSC for a period of three years, as such due to completion of tenure and non-receipt of any tenure extension order from MOA&FW, the office of Smt. Partibha Suman ceased w.e.f. 05.02.2020.

16. A STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SUB-SECTION (6) OF SECTION 149:

All Independent Directors of the Company have given declarations that they meet the criteria of independence as laid down under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, all the Directors including Independent Directors have also confirmed that they have complied with the Code of Business Conduct & Ethics as prescribed by DPE in its Corporate Governance Guidelines, 2010. However, due to COVID-19 National Lockdown, these declarations could not be placed before the Board in its first Meeting of the FY 2020-21 and the same have been placed before the Board in subsequent Meeting for information.

17. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanation obtained, your Directors make the following statement in terms of Section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013:

- (a) That in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2020, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- (b) The Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the State of Affairs of the Company as at March 31, 2020 and of the profit and loss of the company for that period;.



- (ग) निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जिनमें निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखेधड़ी एवं अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है।
- (घ) निदेशक मंडल ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए।
- (ङ) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। लागू नहीं

कंपनी, एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। हालांकि, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया गया है जोकि पर्याप्त है तथा 31.03.2020 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, जिन्हें सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जांचा एवं प्रमाणित किया है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन हेतु शब्द "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" से अभिप्राय, कंपनी के कारोबार को सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं से है। जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं इनका पता लगाना, लेखा-अभिलेखों की सटीकताओं एवं संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना भी शामिल है, और

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की है और इस तरह की व्यवस्थायें पर्याप्त थीं एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

18. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट का भाग है। इन्हें यहां संक्षिप्तता की दृष्टि से इंगित नहीं किया गया है।

19. निदेशक मंडल की समितियां :

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:-

1. लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति तथा
3. प्रथम टियर नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) समिति।

20. शीर्ष प्रबंधकीय अधिकारी

कंपनी के शीर्ष प्रबंधकीय अधिकारी निम्नलिखित हैं:-

1. श्री विनोद कुमार गौड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)
3. श्री एम.एल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक)
4. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)/सीएफओ और
5. श्री मो.राकिम, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट मामले)

21. नामांकन एवं पुनर्मूल्यांकन नीति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अनुसरण में, उक्त प्रावधान के अंतर्गत शामिल कंपनी, निदेशकों की स्वतंत्रता, सकारात्मकता विशेषताओं, निर्धारित अर्हताओं के लिए मापदंडों और धारा 178 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी नीति तैयार करेगी। हालांकि एक सरकारी कंपनी होने के नाते यह एनएससी पर लागू नहीं है। निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय है, जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है, जो कि 'अनुसूची - बी' सीपीएसई पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक और प्रत्येक समिति की बैठक के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है जिसमें वे सदस्य होते हैं।

22. कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण :

31.03.2020 को एनएससी ने रु. 7628.51 लाख का ऋण लिया, जबकि राज्य बीज निगमों एवं अन्य में निवेश रु. 3849.98 लाख है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल ऋण, गारंटी और निवेश का ब्योरा, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

- (c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities;
- (d) The Annual Accounts have been prepared on a going concern basis; and
- (e) That the Directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. N.A.

The Company is not a listed Company. However, the internal financial controls to be followed which are adequate and are operating effectively as at March 31st, 2020 and these were checked and certified by the Statutory Auditors in their report, as per the provisions of the Companies Act, 2013.

Explanation:- For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the Accounting Records, and the timely preparation of reliable financial information; and

- (f) That the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

18. NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD:

The details of the number of meetings of the Board held during the Financial Year 2019-20 forms part of the Corporate Governance Report therefore for the sake of brevity, these are not repeated here.

19. COMMITTEES OF THE BOARD:

The Board of Directors have constituted the following Committees:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; &
3. 1st Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee.

20. KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

The following are the Key Managerial Personnel of the Company:

1. Sh. Vinod Kumar Gaur, Chairman cum Managing Director
2. Sh. V. Mohan, Director(Finance)
3. Sh. M.L. Arora, Director (Commercial)
4. Sh. Kaushik Rakshit, Senior General Manager Finance (CFO); &
5. Sh. Mohd. Raquim, Company Secretary & General Manager (Corporate Affairs)

21. NOMINATION AND REMUNERATION POLICY:

In accordance with Section 178(1) of the Companies Act, 2013, a company covered under said provision shall frame a company's policy on Directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a directors and other matters as provided under sub-section (3) of section 178. However the same is not applicable on NSC, being a Government Company. The Directors are appointed by the Hon'ble President of India through MOA&FW, which is the Administrative Ministry who also prescribes the remuneration of functional Directors including Chairman cum Managing Director, as per the guidelines applicable to 'Schedule – B' CPSEs. However, the Independent Directors are paid only the sitting fees for every Board Meeting and each Committee Meeting in which they are Members.

22. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE BY THE COMPANY:

As on 31st March, 2020 NSC has Loans taken of Rs. 7628.51 Lakhs whereas investment in SSCs & others is Rs. 3849.98 Lakhs. Further, the details of Loans, Guarantees and Investments covered under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 are given in the notes to Financial Statements forming part of this Annual Report.



23. निगरानी तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति :

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार, पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत दाखिल करने की पद्धति को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के विवरण एवं प्रारूप को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- रिकार्ड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए रिकार्ड खुले हैं।
- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, भारत का नागरिक कोई भी सूचना मांग सकता है।
- कई अन्य जानकारियों का खुलासा एनएससी की वेबसाइट पर किया गया है जिसे समय-समय पर अपलोड किया जाता है।

24. सम्बद्ध पार्टी लेन-देन :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, किसी भी निदेशक ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का कोई उल्लेख या विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा, एनएससी और उसकी सहयोगी कंपनियों के बीच लेन-देन होते हैं, वो सभी सरकारी कंपनियां हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 188(1) का चौथा प्रावधान तथा सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के अनुसार छूट दी गई है।

25. नियामकों या न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय आदेश : शून्य

26. सांविधिक लेखा परीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मैसर्स अरोड़ा एंड चौधरी एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में तथा अन्य सनदी लेखाकारों की फर्मों को शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त किया है।

27. लेखा परीक्षा अर्हता :

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाएं। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब, निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है।

28. धोखाधड़ी की रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं था, जिसमें अधिनियम एवम् नियमों की धारा 143(12) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना आवश्यक था।

29. निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक अर्हता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा किए गए दावे पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

- लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में वार्षिक रिपोर्ट का भाग
- अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में :- **लागू नहीं**
- भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों पर वार्षिक रिपोर्ट का भाग।

30. जोखिम प्रबंधन :

आपकी कंपनी का मानना है कि जोखिम का प्रबंधन रिटर्न को अधिकतम करने में मदद करता है। व्यवसायिक जोखिमों को दूर करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण व्यापक है और इसमें ऐसे जोखिमों की आवधिक समीक्षा भी शामिल है। इस तरह के जोखिमों के परिणामों को कम करने, नियंत्रण करने, रिपोर्टिंग करने और उनसे बचने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई गई है।

जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा समय-समय पर विभागाध्यक्षों की समिति द्वारा की जाती है जिनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की कुल 04 बैठकें आयोजित की गईं।

31. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व :

निदेशक मंडल ने संशोधित अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची VII के अधिनियम के अनुपालन में एक व्यापक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) को मंजूरी दी है जिसके अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और अनुसूची VII के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्थिरता, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, भूख उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं।

23. VIGIL MECHANISM/ WHISTLE BLOWER POLICY:

- i. Procedure for filing complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) as per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines has been uploaded on NSC website.
- ii. The details and format of Lokayukt Act, 2013 has been uploaded on NSC website.
- iii. Records open to CAG.
- iv. Citizens of India may ask any information in accordance with RTI Act, 2005.
- v. Suo motto disclosure of many more information is uploaded on the website of NSC from time to time.

24. RELATED PARTY TRANSACTIONS:

During the period under review none of the Directors has reported any such details or particulars of contracts or arrangements with related parties as referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013. Further the dealings between NSC and its Associates Companies, all of whom are Government Companies are on arms length basis hence exempt pursuant to 4th proviso of Section 188 (1) of the Act and Govt. Notification dated 05.06.2015.

25. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS: NIL

26. STATUTORY AUDITORS :

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s Arora & Choudhary Associates, Chartered Accountants Firm, New Delhi as the Statutory Auditors and other C.A. Firms were reappointed/appointed as Branch Auditors for the financial year 2019-20 for the Units.

27. AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified Financial Statement. Management's reply to the Statutory Auditors' observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2020, if any, is forming part of Annual Report.

28. REPORTING OF FRAUDS:

There was no instance of fraud during the year under review, which may necessitate the Statutory Auditors to report to the Audit Committee and /or Board under Section 143(12) of Act and Rules thereunder.

29. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

- (i) By the Auditor in his Report which forms part of Annual Report.
- (ii) By the Company Secretary in Practice in his Secretarial Audit Report:- N.A.
- (iii) By the CAG on the Financial Statements 2019-20-forming part of Annual Report.

30. RISK MANAGEMENT:

Your Company believes that managing risks helps in maximizing returns. The Company's approach to addressing business risks is comprehensive and includes periodic review of such risks and a Risk Management Policy has been framed for mitigating, control, reporting and avoiding consequences of such risks.

The Risk Management framework is reviewed periodically by the Committee of the Head of Divisions whose Minutes are placed before the Audit Committee and Board for review. During the year under review, total 4 meetings of Risk Management Committee were held.

31. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY :

The Board has approved a comprehensive Corporate Social Responsibility Policy (CSR) in Compliance with the Provisions of the Act and Schedule VII of the Companies Act, 2013 and is being amended from time to time. According to which, the Company has interalia undertaken projects in the areas of environment sustainability, preventive health care, eradication of hunger, education, health, hygiene etc., as covered under the provisions of the Companies Act, 2013 and Schedule VII.



कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत सीएसआर नीति के साथ सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट अनुलग्नक - III के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न एवं यौन संबंधी शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक एंटी यौन उत्पीड़न नीति तैयार की है और इसे लागू किया है। सभी महिला कर्मचारी स्थायी, अस्थायी, प्रशिक्षु या संविदा के तहत, उपर्युक्त नीति के अंतर्गत आती हैं। उक्त अधिनियम के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

33. लेखा खातों को इलैक्ट्रॉनिक मोड में रखे जाने की पद्धति :

एनएससी के पास वेब आधारित 'बीज प्रबंधन' एप्लीकेशन है जिसमें उत्पादन, विपणन स्टॉक एवं वित्त के मॉड्यूल सम्मिलित हैं। लेखा खातों को एक समर्पित सर्वर सी-डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 मानक) पर इलैक्ट्रॉनिक मोड पर रखा जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों की पुष्टि के पश्चात मुख्यालय में डाटा को बंद किया जाता है। सर्वर का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ
क	सेवा प्रदाता का नाम	सी-डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 स्टैनडर्ड)
ख	सेवा प्रदाता का आईपी प्रोटोकॉल पता	http://220.156.188.25:7783
ग	सेवा प्रदाता का स्थान	सी-56/1, अनुसंधान भवन, इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, सैक्टर-62, नोएडा-201307 उ.प्र. (भारत)
घ	लेखा खातों, अन्य खातों एवं कागजातों को	एप्लीकेशन को समर्पित सर्वर पर रखा जाता है। एप्लीकेशन का डोमेन है www.nsci.in (http://220.156.188.25:7783) अन्य वित्तीय सूचनाओं को www.indiaseeds.com (सी-डैक) पर अपलोड किया गया है।

34. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :

- (i.) **ऊर्जा संरक्षण** :- निगम, अपने फार्मों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रक्षेत्र कार्यालयों और मुख्यालय में ईंधन और विद्युतीय ऊर्जा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों को, जब वे अपनी सीट पर नहीं होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में अप्रयुक्त लाइटों, पंखों और वातानुकूलितों और अन्य विद्युत उपकरणों को बंद करने हेतु परिपत्र जारी किए जा रहे हैं। फार्म अधिकारी ईंधन की खपत को कम करने हेतु खेतों का दौरा करते समय वाहन साझा कर रहे हैं। ट्रैक्टरों एवं अन्य मशीनरी बेकार न चलें, इसलिए सेल्फ स्टार्टर लगाए गए हैं। प्रचालनात्मक क्षमता बढ़ाने और ईंधन की खपत को कम करने के लिए पुरानी और अप्रचलित मशीनों को समय-समय पर बदला जा रहा है। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।
- (ii.) **तकनीकी अवशोषण** : बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए निगम द्वारा, नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। उपलब्ध पानी से ही सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने हेतु नहर का प्लस्टर और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। फार्मों पर बुवाई और कटाई के लिए नवीनतम विकसित मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजों को कीटनाशकों या माइक्रोन्यूट्रिएंट से कोट करने हेतु सीड कोटिंग मशीनें लगाई गई हैं। ईआरपी प्रणाली लागू की जा रही है।

The Report on CSR activities along with CSR Policy as required under the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is annexed as **Annexure III** and forms an integral part of this Report.

32. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

In order to comply with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Company has formulated and implemented an Anti Sexual Harassment Policy on prevention, prohibition and redressal of complaints related to sexual harassment of women at the workplace. All women employees permanent, temporary, trainees or contractual are covered under the above policy. An Internal Complaint Committee (ICC) is existing in compliance with the said Act.

During the year under review, no complaint pertaining to sexual harassment of women employees were reported to the Company.

33. MANNER OF BOOKS OF ACCOUNTS TO BE KEPT IN ELECTRONIC MODE:

The Company is having web based application “Beej Prabandhan” consisting of Seed Production, Marketing, Inventory and Finance Module. The Books of Accounts are kept in electronic mode at a dedicated server reside at CDAC, Noida Data Centre (ISO 27001:2013 standards).The data is locked at Head Office after confirming from the concerned RO/Farm. The details of the servers are as under:-

S.No	Particulars	Response
A	Name of Service Provider	C-DAC, Noida (ISO 27001:2013 standards)
B	IP Protocol address of the Service provider	http://220.156.188.25:7783
C	Location of service provider	C-56/1,Anusandhan Bhawan, Institutional Area, Sector -62, Noida-201 307, U.P (India)
D	Where the Books of Accounts and other books and papers are maintained on cloud, address of the Server	The application is hosted on a dedicated Server. Domain of the application is www.nscl.in (http://220.156.188.25:7783) Other Financial informations are kept at web site www.indiaseeds.com (Reside at CDAC, Noida)

34. THE CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.

- (i) **Conservation of Energy:** The Corporation is taking every step to conserve the fuel and electrical energy at the Farms, R.Os, AOs and H.O. Time to time circulars are being issued to switch off the lights, fans and ACs, and other electric equipments which are not being used in their absence, whenever the Officer/staff is not available on their seat. Farm Officers are sharing the vehicle for visiting the fields to minimize the fuel consumption. The tractors and other machinery are fitted with self-starter to reduce the idle running. Old and outdated machineries are being replaced periodically to reduce the consumption of fuel and to increase the operational efficiency. Effective monitoring and surprise checks are being done for ensuring the compliance of instructions.
- (ii) **Technology absorption:** For increasing the seed production, the Corporation is adopting latest techniques and technology. The Lining of Canal & Micro Irrigation Systems are being used for increasing more area under irrigation with the available water. Newly developed machines are being used for sowing and harvesting of crops at Farms. Seed Coating Machines have been installed to coat the seed with pesticides or micronutrient. ERP System is under implementation.



3. विदेशी मुद्रा अर्जन : शून्य

विदेशी मुद्रा व्यय

विदेश भ्रमण

रु. 4.11 लाख

सदस्यता शुल्क

रु. 4.47 लाख

विदेशी मुद्रा में कुल व्यय रु. 8.58 लाख है।

35. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

वित्त वर्ष 2019-20, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निगम ने 127 आवेदन और 25 प्रथम अपील प्राप्त की तथा इनका विधिवत निपटान किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की गई। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सी.आई.सी. के समक्ष केवल 01 आरटीआई द्वितीय अपील सूचीबद्ध की गई।

36. कम्पनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति के दौरान हुए सामग्री परिवर्तन और कमिटमेंट्स, यदि कोई, से प्रभावित, कपनी की वित्तीय स्थिति और रिपोर्ट की तारीख।

शून्य

37. सम्प्रेषण का माध्यम :

वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन को निगम की वैबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड किया गया है। स्टैकहोल्डर्स, निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) / कम्पनी सचिव से पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 पर संपर्क कर सकते हैं। ई-मेल- cs@indiaseeds.com / फोन नं. 011-25843673

आभारोक्ति :

मैं इस अवसर पर आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण, संयुक्त सचिव (बीज) एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति के सभी वैज्ञानिकों को पैतृक बीज (Parental line) उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों को भी उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

मैं निदेशक मंडल में अपने माननीय सहयोगियों और निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना एवं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर सम्भव मार्गदर्शन, सहयोग व सहायता दी तथा उनके कठिन परिश्रम के बिना कपनी की उपलब्धियों को प्राप्त करना संभव नहीं था। मैं शेयर धारकों एवं प्रबंधन की तरफ से केन्द्रीय मंत्रीमंडल, बैंकरों, ग्राहकों, डीलरों, एजेंटों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों का भी उनके द्वारा निगम को दिए गए सतत सहयोग, विश्वास एवं भरोसे के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि अपने आदरणीय हितधारकों के अनमोल समर्थन के साथ जुड़े समर्पित एवं मेहनती कार्यबल के साथ निगम आने वाले वर्षों में उच्च शिखर पर पहुंचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

निदेशक मंडल की ओर से

ह./-

(विनोद कुमार गौड़)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.08.2020



(iii) **Foreign Exchange Earning – NIL**

Foreign Exchange Outgo

Foreign Travel	Rs. 4.11 Lakhs
Membership Fees	Rs. 4.47 Lakhs

TOTAL EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE IS Rs. 8.58 Lakhs

35. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

During the Financial Year 2019-20, Corporation received 127 Nos. applications & 25 First Appeals under the RTI Act and these were duly disposed off. Quarterly and Annual Returns were also submitted with Central Information Commission (CIC) and the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. During the FY 2019-20 only 01 RTI Second Appeal was listed before C.I.C.

36. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT;

NIL

37. MEANS OF COMMUNICATIONS:

Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation have been uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012. e-mail-cs@indiaseeds.com /Phone No. 011-25843673.

ACKNOWLEDGEMENTS:

I take this opportunity on behalf of the Board to place my sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Ministers of State for Agriculture, the Secretary, Agril., Coop. & Farmers Welfare, the Joint Secretary (Seeds) and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. I also acknowledge the contribution of ICAR and all the Scientists of National Agriculture Research System for making parental line available. I am also grateful to the Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance.

I would also like to place on record my sincere thanks and high regards for the support and Co-operation received from my esteemed colleagues on the Board and to all the Officers and staff of the Corporation at all levels who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management and without whose hard work your Company's achievements would not have been possible. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Union Cabinet, Bankers, Customers, dealers, agents, suppliers and other Stakeholders, for their continued support and faith reposed in the Company and its Management.

I am confident that with such dedicated and devoted workforce coupled with valuable support of our all the esteemed stakeholders and with the exploration of the enlarged treasure of resources, Corporation will touch further heights and milestones in the forthcoming years.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
(Vinod Kumar Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Dated: 27.08. 2020

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन प्रणाली :

आपका निगम, लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन दिशा-निर्देश, 2010 का अनुपालन किया है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल करते हुए बड़े-बड़े कार्य किए हैं, जिनका सामान्य जनजीवन और निगमित क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यह निगम ईमानदारी पर विश्वास करता है और चिरस्थायी सफलता के लिए इसे आवश्यक शर्त मानता है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेयता और उत्तरदायित्व कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों के स्तम्भ हैं। इस पहलात्मक प्रयास से सर्वोत्तम निगमित शासन आचरण अपनाने में निगम की वचनबद्धता को प्रबलता मिलती है।

निगम का दृष्टिकोण गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति और अन्य कृषि आदानों/सेवाओं के माध्यम से किसानों की समृद्धि में योगदान करना तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

निगम का ध्यान उच्च स्तर की एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के कारण, विभिन्न फसल किस्मों एवं संकर के गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा विपणन द्वारा भारतीय बीज उद्योग का नेतृत्व करना तथा किसानों की संतुष्टि हेतु अन्य कृषि संबंधी आदानों और सेवाओं के माध्यम से मूल्य वर्धन करना है।

2. निदेशक मण्डल :

क) निदेशक मण्डल का आकार :

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी है, जिसकी कुल चुकता पूंजी का शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के संस्थागत अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रशासनिक मंत्रालय, शेरधारक और बोर्ड के निर्णय के अनुसार, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए अपनी कॉर्पोरेट स्थिति के संदर्भ में ग्राहकों / शेरधारकों की संख्या दो से सात तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

जैसा कि निगम द्वारा अपनाए गए नए संस्था अंतर्नियम की शर्तों के अनुसार इसके निदेशक मण्डल में तीन से कम और पंद्रह से ज्यादा निदेशक नहीं होंगे। इन निदेशकों में कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उपक्रमों के कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुसार पूरे समय के कार्यात्मक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, महिला निदेशक और सरकारी निदेशक शामिल होंगे।

ख) गठन :

लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निदेशक मण्डल में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक अनुकूल संयोजन होना चाहिए। 31 मार्च, 2020 को निदेशक मण्डल में सात निदेशक थे, जिनमें से तीन कार्यात्मक निदेशक अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (वाणिज्यिक), 02 स्वतंत्र निदेशक तथा 02 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित हैं।

ग) निदेशक मण्डल की बैठकें :

निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समुचित सूचना देकर निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की जाती हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान अल्पावधि सूचना पर कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। अपवाद या तत्कालिकता के मामलों में, संचलन के माध्यम से भी निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों को समय पर एजेंडा के साथ विस्तृत कार्यसूची, प्रबंध रिपोर्ट एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण परिचालित किए जाते हैं ताकि उन्हें बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचनापरक तथा संकेन्द्रित निर्णय लेने में सुविधा हो। जिन मामलों में किसी दस्तावेजों को परिचालित करना व्यवहारिक न हो अथवा कार्यसूची गोपनीय प्रकृति की हो तो ऐसे दस्तावेजों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन से बैठक के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**1. CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY:**

Your Corporation has been complying with the Corporate Governance Guidelines, 2010 of the DPE and has undertaken major initiatives in several critical areas which impacts the lives of the common man and Corporate Sector in a positive way.

Corporation believes in integrity as a necessary condition for enduring success. Transparency, fairness, accountability and responsibility which are the pillars of the Corporation's business ethics and activities. The initiative further reinforces the commitment of the Corporation to adopt best corporate governance practices.

The Vision of the Corporation is to contribute in the prosperity of the Nation through Farmers by supplying quality seeds and other agro inputs / services and to enhance agricultural productivity.

As being Sole Apex Level Public Sector Company, the Mission of the Corporation is to lead the Indian Seed Industry by producing and marketing quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids, and adding value through other agro related inputs and services to the satisfaction of farmers.

2. BOARD OF DIRECTORS:**a) Size of Board**

National Seeds Corporation Limited is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013 as the President of India holds 100% of the total paid-up share capital. As per Articles of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. As per decision of the Administrative Ministry, Shareholders and the Board, the Company is in the process of enhancing the number of subscribers / shareholders from two to seven with reference to its Corporate Status from Private Limited to Public Limited Company.

As such, in terms of the newly adopted Articles of Association of the Corporation, the strength of NSC Board shall not be less than three Directors and not more than fifteen Directors. These Directors shall include Whole-Time Functional Directors, Independent Directors, Women Directors and Government Directors as per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Corporate Governance Guidelines of Dept. of Public Enterprises.

b) Composition

As per Corporate Governance Guidelines of DPE, the Board of Directors should have an optimum combination of executive and non-executive Directors. As on 31st March, 2020 the Board comprised Seven Directors out of which three are Functional Directors viz. Chairman cum Managing Director, Director (Finance) and Director (Commercial), two Independent Directors and two Directors are nominated by Government of India.

c) Board Meetings

The Meetings are convened by giving appropriate advance Notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. Further no Meetings were called at Shorter Notice during the year under review. In case of exigencies or urgency, resolutions are also got passed from the Board through circulation.

Detailed Agendas, Management Reports and other Explanatory Statements are circulated in advance along with the defined agenda format amongst the Members for enabling them to have a meaningful, informed and focussed decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda as being of confidential or emergent nature, the same is tabled at the meeting with the permission of Board.



घ) निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक की संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	283 ^{वीं}	11.06.2019
2.	284 ^{वीं}	31.08.2019
3.	285 ^{वीं}	28.09.2019
4.	286 ^{वीं}	31.10.2019
5.	287 ^{वीं}	20.12.2019
6.	288 ^{वीं}	28.02.2019

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की 06 बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक निदेशक द्वारा बैठक में शामिल होने की उपस्थिति के साथ-साथ उनका अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्र. सं.	निदेशक	निदेशक मण्डल की बैठकें		अन्य कितनी संस्थाओं में निदेशक है
		आयोजित की गईं	शामिल हुए	
1.	श्री वी.के. गौड़ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	6	6 <small>(वर्ष 17-03-2020 को एचएसडीसी के निदेशक मंडल से सदस्यता समाप्त)</small>
2.	डॉ तरसेम चंद, सरकारी निदेशक *	3	0	शून्य
3.	श्रीमती शुभा ठाकुर, सरकारी निदेशक **	2	1	1
4.	श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक ***	6	5	शून्य
5.	श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त)	6	6	4
6.	श्री एम एल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक)****	4	2	1
7.	श्रीमती प्रतिभा सुमन , स्वतंत्र निदेशक *****	5	5	शून्य
8.	डॉ बी.बी. मोहंती, स्वतंत्र निदेशक	6	5	शून्य
9.	श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक	6	6	शून्य

* दिनांक 11.10.2019 से निदेशक मंडल की सदस्यता से कार्यमुक्त

** दिनांक 11.11.2019 से निदेशक मंडल में सरकारी नामिति

*** दिनांक 14.05.2019 से निदेशक मंडल में सरकारी नामिति

**** दिनांक 28.09.2019 कार्यत्मक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

***** दिनांक 05.02.2020 से निदेशक मंडल की सदस्यता से कार्यमुक्त

ड.) निदेशकों का पारिश्रमिक :

i) प्रकार्यात्मक निदेशक

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	सकल परिलब्धियां
1.	श्री वी.के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	45.09
2.	श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त)	35.66
3.	श्री एम एल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक)	16.47

D) Number of meetings of the Board :

S. No.	Number of Board Meeting concerned	Date of Board Meeting concerned
1.	283 rd	11.06.2019
2.	284 th	31.08.2019
3.	285 th	28.09.2019
4.	286 th	31.10.2019
5.	287 th	20.12.2019
6.	288 th	28.02.2020

The meetings of the Board of Directors are normally held at the Corporation's Registered Office at New Delhi. 06 Board Meetings were held during the financial year 2019-20. Details of Board meetings attended by each of the Directors along with further details of their directorships in other companies are given below: -

S.No	Directors	Board meetings		No. of other Director-ships
		Held during the period	Attended	
1.	Shri V.K. Gaur Chairman-cum-Managing Director	6	6	6 (however ceased from BoD of HSDC on 17.03.2020)
2.	Dr.Tarsem Chand* , Government Director	3	0	NIL
3.	Smt. Shubha Thakur **, Government Director	2	1	1
4.	Smt. Gurpreet Gadhok, Government Director***	6	5	NIL
5.	Shri V. Mohan, Director (Finance)	6	6	4
6.	Shri M.L. Arora****, Director (Commercial)	4	2	1
7.	Smt. Partibha Suman *****, Independent Director	5	5	NIL
8.	Dr. B.B. Mohanty, Independent Director	6	5	NIL
9.	Shri Shyamvir Saini, Independent Director	6	6	NIL

*** Ceased to function on the Board w.e.f. 11.10.2019**

**** Joined as Government Nominee Director on 11.11.2019**

*****Joined as Government Nominee Director on 14.05.2019**

******Joined as Functional Director on 28.09.2019**

*******Ceased to function on the Board w.e.f. 05.02.2020**

E) Remuneration of the Directors :

i) Functional Directors

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Name & Designation	Gross Emoluments
1.	Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director	45.09
2.	Shri V. Mohan, Director (Finance)	35.66
3.	Shri M.L. Arora, Director (Commercial)	16.47



ii) **अंशकालिक सरकारी निदेशक / सरकारी निदेशक :**

निगम द्वारा अंशकालिक अधिकारियों सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

iii) **अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :**

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क एवं यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता को छोड़कर अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।

3. **निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति :**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति में श्रीमती प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष, डॉ. बी.बी. मोहनन्ती, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य तथा श्रीमती गुरुप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक, सदस्य शामिल थे।

हालाँकि, श्रीमती प्रतिभा सुमन का 05.02.2020 को कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा 28.02.2020 को हुई अपनी 288 वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति को पुनर्गठित किया गया, जिसमें श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया और डॉ. बी.बी. मोहनन्ती को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति ने दिनांक 11.06.2019, 20.12.2019 और 28.02.2020 को बैठकें कीं। हालाँकि 31.08.2019 को निर्धारित बैठक में कोरम पूरा न होने से बैठक नहीं हो सकी। आगे कोविड-19 और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के प्रकोप के कारण, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य कोई बैठक नहीं हो सकी।

4. **निदेशक मंडल की नामांकन व पारिश्रमिक समिति का गठन व कार्य :**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की नामांकन व पारिश्रमिक समिति में श्रीमती प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष, श्रीमती गुरुप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक, सदस्य एवं श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य शामिल थे। श्रीमती प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल के समाप्त होने पर, नामांकन व पारिश्रमिक समिति के कार्य से भी कार्यमुक्त हो गए। तदनुसार, डॉ. बी.बी. मोहनन्ती, स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड द्वारा इस समिति के सदस्य एवम् अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

यद्यपि, आवश्यकता न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

5. **जोखिम प्रबन्धन :**

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुच्छेद 7.3 के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने निगम की जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है। जोखिम प्रबंधन समिति की समय-समय पर हुई बैठकों के कार्यवृत्त, लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार एनएससी, अपनी परिसम्पत्तियों को किसी प्रकार की चोट, नुकसान या क्षति से रक्षा के लिए अपनी रणनीति के तहत जोखिम प्रबंधन के प्रति वचनबद्ध है, जिससे कि किसानों, कार्मिकों एवं जन साधारण के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम के शमन हेतु वर्गीकरण करना और जोखिम के लिए जोखिम उपचार योजना शामिल हैं। निगम की सारी स्थायी परिसम्पत्तियों का बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाया हुआ है और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए निगम में एक समुचित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली है। त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए एवं वर्ष के अंत में संपत्तियों के सत्यापन हेतु मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और 05 प्रमुख फार्मों में स्वतंत्र सनदी लेखाकारों/लागत लेखाकार फर्मों की नियुक्ति हेतु स्पष्ट उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। यदि किसी धोखाधड़ी का पता चलता है तो अन्वेषण एवं जांच करने के बाद अनुमोदित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

6 **निदेशक की जवाबदेयता-**

निगम और भारत सरकार के बीच प्रत्येक वर्ष प्रारम्भ में एक वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय तथा गैर वित्तीय कार्यक्षेत्रों के लिए लक्ष्य तथा इनकी गुरुता भारत सरकार के परामर्श से नियत किए जाते हैं। वर्ष के अंत में इन लक्ष्यों की तुलना में निगम के कार्य निष्पादन का जायजा लिया जाता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य निष्पादन की समीक्षा निगम के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रूप से की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही की समझौता ज्ञापन की उपलब्धियों की रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भेजी जाती है जो कि निगम के निष्पादन का मूल्यांकन करती है और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर लोक उद्यम विभाग (आईएमसी) के कार्य दल द्वारा वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है तथा ग्रेडिंग प्रदान की जाती है।

ii) Part-time Official Director/ Government Director

No remuneration is paid to the Part-time Official/Government Directors by the Corporation.

iii) Part time Non-official Director

No remuneration other than sitting fee and T.A./D.A. is paid to Part-time Non-official/ Independent Directors.

3. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

During the Financial Year 2019-20, the Audit Committee was comprising of three Members viz., Smt. Partibha Suman, Independent Director, Chairperson, Dr. B.B. Mohanty, Independent Director, Member and Smt. Gurpreet Gadhok, Government Director, Member.

However, upon cessation of office of Smt. Partibha Suman in consequence of completion of her tenure on 05.02.2020, the Audit Committee was reconstituted by the Board vide its 288th Meeting held on 28.02.2020 when Sh. Shyamvir Saini, Independent Director was appointed as a Member of Audit Committee and Dr. B.B. Mohanty was re-designated as Chairman of the Committee. During the year under review, the Audit Committee held its meetings on 11.06.2019, 20.12.2019 and 28.02.2020. However one meeting called for 31.08.2019 could not be held for want of quorum. Further due to outbreak of COVID-19 and Nationwide lockdown, no other Meetings could have been held during the FY 2019-20.

4. CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year under review the Nomination and Remuneration Committee of the Board comprised the following Members viz., Smt. Partibha Suman, Independent Director, Chairperson, Smt. Gurpreet Gadhok, Government Director, Member and Shri Shyamvir Saini, Independent Director, Member. Consequent upon cessation of the office of Smt. Partibha Suman, Independent Director, she also ceased to function in Nomination & Remuneration Committee. Accordingly, Dr. B.B. Mohanty, Independent Director has been appointed as Member and Chairman of the said Committee by the Board.

However, during the Financial Year 2019-20 no Meeting of the Nomination & Remuneration Committee was held since the need did not arise.

5. RISK MANAGEMENT:

In pursuance of Clause 7.3 of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, there is in existence a Risk Management Policy of the Corporation which also fulfils the requirement of Section 177(4) (vii) of the Companies Act, 2013. Risk Management Committee holds its Meetings from time to time whose minutes are placed before Audit Committee and Board. As such, NSC is committed for risk management as an element of its strategy to safeguard the Corporation's assets from any injury, loss or damage that could materially affect its ability to discharge its responsibility towards farmers, employees and other members of the public. Risk management process includes risk identification, risk assessment, risk valuation, categorization and risk treatment plan for mitigation of the risks. All the assets of the Corporation are insured through insurance policies and there is a proper internal control system to check the frauds. There is a clear laid-down practice for appointing the independent Chartered Accountants / Cost Accountants firms for all the Regional Offices, five major Farms as well as Head Office for undertaking quarterly internal audit and verification of the assets at the end of the year. Once a fraud is detected, disciplinary action is taken by following the set of approved procedures after conducting investigation and enquiry. During the year 2019-20, 4 Meetings of Risk Management Committee of HODs, NSC have been held.

6. ACCOUNTABILITY OF DIRECTORS:

Memorandum of Understanding (MoU) is entered into annually by the Corporation with Government of India (GOI) in the beginning of each year setting the targets in financial and non-financial parameters with weightages decided in consultation with GOI. The performance of the Corporation is measured at the end of the year vis-a-vis these targets. The performance with regard to MoU is reported and reviewed regularly by the Board of Directors of the Corporation on quarterly basis. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are taken.

At the end of each quarter of the financial year, the MoU achievements Report is furnished to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and performance of the Corporation is evaluated by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and annually by Department of Public Enterprises Inter Ministerial Committee (IMC) on the basis of actual achievements as per signed MoU and grading is awarded accordingly.



7 साधारण सभा बैठक:

क) वार्षिक साधारण बैठक

पिछली तीन वार्षिक बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में विवरण निम्न प्रकार है:

तिथि	29.09.2017	30.09.2018/ 29.10.2018/ 22.11.2018 (स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक)	28.09.2019/ 31.10.2019/ 20.12.2019 (स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक)
समय	पूर्वाह्न 10.30 बजे	पूर्वाह्न 11.00 बजे, पूर्वाह्न 11.00 बजे एवं पूर्वाह्न 11.00 बजे	पूर्वाह्न 10.30 बजे, पूर्वाह्न 10.30 बजे एवं पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
उपस्थिति	1. श्री वी.के. गौड़.सद.एवं अ.प्र.नि. 2. श्री ए.के. झा, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि 3. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज)सदस्य 4. श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक 5. श्री वी. मोहन, निदेशक 6. श्री संजय खताब, निदेशक 7. श्रीमती प्रतिभा सुमन, निदेशक	1. श्री वी.के. गौड़.सद.एवं अ.प्र.नि. 2. श्री रोहित माथुर भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि 3. श्री ए.के. झा अवर सचिव (बीज)सदस्य 4. श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक 5. श्री वी. मोहन, निदेशक 6. श्रीमती प्रतिभा सुमन, निदेशक 7. डॉ. बी. बी. मोहंती, निदेशक 8. श्री श्यामवीर सैनी, निदेशक	1. श्री वी.के. गौड़.सद.एवं अ.प्र.नि. 2. श्री एस.एस. वगुलापर्णम (28.09.2019 और 31.10.2019 के लिए) एवं श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक (20.12.2019 के लिए), भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि 3. श्री एस.एस. वगुलापर्णम अवर सचिव (बीज)सदस्य 4. श्री वी. मोहन, निदेशक 5. श्री एम.एल. अरोड़ा, निदेशक 6. श्रीमती प्रतिभा सुमन, निदेशक 7. डॉ. बी. बी. मोहंती, निदेशक 8. श्री श्यामवीर सैनी, निदेशक

ख) अतिरिक्त सामान्य सामान्य बैठकों (ईजीएम) में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण :

- ईजीएम की तारीख : 28.02.2020
- पारित किए गए विशेष प्रस्तावों की संख्या : 2
- पारित किए गए विशेष प्रस्तावों का विवरण :
 - i) पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनी का रूपांतरण,
 - ii) मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाना

8. प्रकटन :

क) सम्बद्ध पार्टी सौदे:

निगम के निदेशकों द्वारा सम्बद्ध पार्टी सौदे के प्रकटीकरण के लिए कोई सूचना नहीं दी है ।

टिप्पणी : एन.एस.सी. और इसकी सहयोगी कम्पनियों के बीच लेनदेन, क्योंकि ये सभी सरकारी कम्पनियां हैं, जोकि अधिनियम की धारा 188(1) का प्रावधान - iv सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2016 के तहत छूट प्राप्त है ।

ख) लेखा व्यवस्था :

कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन लागू नियमों तथा आवश्यक रूप से लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं ।

9. सम्प्रेषण का माध्यम :

साधारण महा बैठक की सूचना, निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन, निगम की वेबसाइट:- www.indiaseeds.com पर अपलोड किए जाते हैं । स्टेकहोल्डर्स अपने सम्प्रेषण को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त)/कम्पनी सचिव को निगम के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली- 110012 पर भेज सकते हैं । ई.मेल: cs@indiaseeds.com फोन नं. 011- 25843673

7. GENERAL BODY MEETINGS:

a) Annual General Meetings

Date, time and location where the last three Annual General meetings were held are as under:-

Date	29.09.2017	29.09.2018/ 29.10.2018/ 22.11.2018 (Adjourned AGM)	28.09.2019/31.10.2019/ 20.12.2019 (Adjourned AGM)
Time	10.30 AM	11:00 A.M., 11:00A.M. & 11:00 A.M. respectively	10.30 AM, 10:30 AM and 10.30 AM respectively.
Venue	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi
Special Resolution	NIL	NIL	NIL
Attendance	1. Sh. V.K. Gaur, Member & CMD	1. Sh. V.K. Gaur Mem.& CMD	1. Sh. V.K. Gaur Member & CMD
	2. Sh. A.K. Jha, Representative of President of India.	2. Sh. Rohit Mathur, Representative of President of India.	2. Sh. S.S. Vagulaparnam (for 28.09.2019 and 31.10.2019) & Smt. Gurpreet Gadhok (for 20.12.2019), Representative of President of India.
	3. Sh. A.K. Jha, US(Seeds), Member	3. Sh. A.K. Jha, US(Seeds) Member	3. Sh. S.S. Vagulaparnam, US(Seeds) Member
	4. Sh. Dinesh Arora, Director	4. Sh. Dinesh Arora, Director	4. Sh. V. Mohan, Director
	5. Sh. V. Mohan, Director	5. Sh. V. Mohan, Director	5. Sh. M.L. Arora, Director
	6. Sh. Sanjay Khatal, Director	6. Smt. Partibha Suman, Dir.	6. Smt. Partibha Suman, Director
	7. Smt. Partibha Suman, Director	7. Dr. B.B. Mohanty, Director	7. Dr. B.B. Mohanty, Director
		8. Sh. Shyamvir Saini, Director	8. Sh. Shyamvir Saini, Director

b) Details of Special Resolutions passed at the Extra-ordinary General Meetings (EGMs):

- **Date of EGM:** 28.02.2020
- **Number of Special Resolutions passed:** 2
- **Details of Special Resolutions passed:**

i) Conversion of Company into Public Limited Company

ii) Adoption of new set of Memorandum of Association and Articles of Association

8. DISCLOSURES:

a) Related Party Transactions

No notice for disclosure of Related Party Transactions have been given by the Board Members.

NOTE: The dealings between NSC and its Associates Companies, all of which are Government Companies, are at arms' length basis hence exempt from disclosure pursuant to Proviso IV of Section 188 (1) of the Act r/w Govt. Notification dated 05.06.2016.

b) Accounting Treatment:

The Financial Statements are prepared with applicable mandatory Indian Accounting Standards and relevant presentational requirements as per the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder.

9. MEANS OF COMMUNICATIONS

Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation are uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012. [e-mail:cs@indiaseeds.com](mailto:cs@indiaseeds.com)
Phone No.011- 25843673.



10. **लेखा परीक्षा अर्हता :**

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाए । 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्धन का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है ।

11. **कंपनी के अंशधारियों का पेटर्न :**

निगम के शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास हैं ।

12. **व्हिसल ब्लोअर नीति :**

- i. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार पीआईडीपीआई के तहत शिकायत दर्ज करने की पद्धति को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।
- ii. लोक आयुक्त, अधिनियम, 2013 के प्रपत्र एवं विवरण को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।
- iii. सीएजी के लिए रिकार्ड खुला है ।
- iv. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है ।

13. **निगम में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास :**

कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार इसके साथ ही समय-समय पर संशोधित , साथ ही साथ निगम की सीएसआर नीति के अनुसार, निगम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करता है । निदेशकों की प्रथम स्तरीय टियर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति भी गठित की गई है, जो कि विभागाध्यक्षों की द्वितीय टियर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी द्वारा विधिवत और अनुशासित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बनाई गई है और इन प्रस्तावों को निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिश करती हैं । । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, सीएसआर बजट को हर साल बोर्ड द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अनुमोदित किया जाता है । निदेशकों की रिपोर्ट में कारणों का खुलासा होने के बाद अगले वर्ष में उपयोग के लिए अनिर्दिष्ट राशि ली गई है । सीएसआर गतिविधियों, योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि किए गए कार्यक्रमों का प्रभाव समाज के चयनित क्षेत्रों पर दिखाई पड़े ।

वर्ष के दौरान सीएसआर के तहत किए गए विभिन्न कार्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक – III** में रखा गया है जोकि वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट का भाग है ।

10. AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified Financial Statement. Management's reply to the Statutory Auditors' and CAG's observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2020 are forming part of Annual Report.

11. SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION:

100% shares of the Corporation are held by President of India.

12. WHISTLE BLOWER POLICY:

- i. Procedure for filing complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) as per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines has been uploaded on NSC website.
- ii. The details and format of Lokayukt Act 2013 has been uploaded on NSC website.
- iii. Records open to CAG.
- iv. RTI Act, 2005 is applicable.

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT:

As per Companies Act, 2013 and Companies (CSR Policy) Rules, 2014, as well as CSR Policy of the Corporation duly amended from time to time, the Corporation complies with the provisions concerning Corporate Social Responsibility. A 1st Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee of the Directors has also been constituted to consider the proposals duly vetted & recommended by 2nd Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee of HODs concerned, and to further recommend these proposals for approval of the Board of Directors. In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a CSR Budget is approved by the Board every year for expending on CSR activities. Unspent amount is carried over for utilization in next year after disclosure of reasons in Directors' Report. CSR activities are planned in a manner that the impact of implementation programmes becomes visible on the selected segments of society.

The details of different works done under CSR during the year are placed in the Annual Report at Annexure-III forming part of the present Annual Report.

.....



वार्षिक रिटर्न का प्रारूप- फार्म संख्या एमजीटी-9
31.03.2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 का नियम 12(01) के अनुपालन में

I) पंजीकरण एवं अन्य विवरण :-

1.	सिन	यू74899 डीएल1963जीओआई003913
2.	पंजीकरण की तारीख	19.03.1963
3.	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
4.	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	कृषि
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 दूरभाष संख्या- 25843673, ई-मेल: cs@indiaseeds.com वेबसाइट: www.indiaseeds.com
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई	लागू नहीं

II) कंपनी के प्रमुख व्यवसायिक क्रियाकलाप:

(कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान की सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों को निर्दिष्ट करना होगा)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा कर एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार प्रतिशत (%)
1	अनाज	0001	38.14
2	दलहन	0010	25.43
3	तिलहन	3340	20.64
4	चारा	0080	5.75
5	रेशा	0031	1.24
6	हरी खाद	0080 & 0032	1.97
7	सब्जियों जिनमें आलू एवं रोपण सामग्री भी शामिल हैं।	0063 & 0061	6.83
		कुल	100

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की बिक्री पर कुल कारोबार रू. 94,070 लाख का था।



Annexure-II.

EXTRACTS OF ANNUAL RETURN - FORM NO. MGT-9
For the Financial Year ended on 31.03.2020

Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

1.	CIN	U74899DL1963GOI003913
2.	Registration Date	19.03.1963
3.	Name of the Company	National Seeds Corporation Limited (A Government of India Undertaking)
4.	Category/Sub-Category of the Company	Agriculture
5.	Address of the Registered Office and contact details	Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012. Phone No. 25843673 e-mail: cs@indiaseeds.com Website-www.indiaseeds.com
6.	Whether listed Company	No
7.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:-

(All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated)

S.No.	Name & Description of main products /services	NIC Code of the Product/service	%age of the total turnover of the Company
1	Cereals	0001	38.14
2	Pulses	0010	25.43
3	Oilseeds	3340	20.64
4	Fodders	0080	5.75
5	Fibers	0031	1.24
6	Green Manure	0080 & 0032	1.97
7	Vegetable including potato & Planting material	0063 &0061	6.83
		Total	100

The Turnover on account of Sale of Certified/Quality Seeds during the year 2019-20 was Rs. 94070 Lakhs inclusive of dealers' commission.



III- होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सिन / जीएलएन	धारित/सहयोगी/ एसोसिएट	शेयर का (%)	लागू नियम
1.	हरियाणा बीज विकास निगम, बे सं-3-6,सैक्टर-2, पंचकुला-134112(हरियाणा)	यू01122एचआर1974एसजीसी 007442	एसोसिएट	23.31 %	कंपनी अधिनियम,2013 का 2(6)
2.	उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम लि.,पंत नगर, डाक-हल्दी-263146, जिला-उद्यमसिंह नगर (उत्तराखंड)	यू01122 यूआर 1969 एसजीसी 003228	एसोसिएट	23.44 %	कंपनी अधिनियम,2013 का 2(6)
3.	महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि. महाबीज भवन, कृषि नगर, अमरावती रोड, अकोला 444004 (महाराष्ट्र)	यू01200 एमएच 1976 एसजीसी 018990	एसोसिएट	35.45 %	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)
4.	आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि., 4/150 इलरु रोड, विजयवाड़ा-521008 (आंध्र प्रदेश)	यू01112एपी1976 एसजीसी107938	एसोसिएट	32.64 %	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)
5.	बिहार राज्य बीज निगम लि., पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001 (बिहार)	यू01111बीआर1977 एसजीसी 001294	एसोसिएट	20.91 %	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)

टिप्पणी : एनएससी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। हालांकि, उपर्युक्त कंपनियों में भारत सरकार द्वारा एनएसपी निधि का एनएससी के माध्यम से निवेश किया गया था। इन एसोसिएट कंपनियों को अपने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को भेजने के लिए कई बार कहा गया परन्तु लेखापरीक्षित विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुपालन में समय पर अपने लेखे तैयार नहीं कर रहे हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 129 (3) के अनुसार एसोसिएट कंपनियों के वित्तीय विवरण इसके साथ समेकित नहीं किए जा सके। प्रशासनिक मंत्रालय ने इन कंपनियों द्वारा खरीद वापसी के माध्यम से, एनएससी की हिस्सेदारी 20 %से कम करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि कोई प्रगति नहीं हो सकी। इसलिए, प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह 19% से अधिक की एसोसिएट कंपनियों के अतिरिक्त शेयरों को खरीदे, ताकि कंपनी की हिस्सेदारी 19% तक रहे।

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1.	Haryana Seeds Development Corporation Limited, Bays No 3-6, Sector-2 Panchkula-134112 (Haryana)	U01122HR1974SGC007442	Associate	23.31%	2(6) of the Companies Act, 2013
2.	Uttarakhand Seeds & TARAI Development Corporation Limited, PantnAgar P O Haldi, Distt. Udham Singh Nagar-263146 (Uttarakhand)	U01122UR1969SGC003228	Associate	23.44%	2(6) of the Companies Act, 2013
3.	Maharashtra State Seeds Corporation Limited, Mahabeej Bhavan Krishi Nagar Akola- 444104 (Maharashtra)	U01200MH1976SGC018990	Associate	35.45%	2(6) of the Companies Act, 2013
4.	Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd., 4/150, Eluru Road, Prasadampadu, Ramavarapadu (Post), Vijayawada-521008 (Andhra Pradesh)	U01112AP1976SGC107938	Associate	32.64%	2(6) of the Companies Act, 2013
5.	Bihar Rajya Beej Nigam Limited, 6 th Floor, Pant Bhawan, Jawaharlal Nehru Marg, Patna-800001 (Bihar).	U01111BR1977SGC001294	Associate	20.91%	2(6) of the Companies Act, 2013

NOTE: There is no subsidiary or Joint Venture Company of NSC. However, in the above Associate Companies the NSP funds have been invested by GOI through NSC. These Companies have been advised continuously to send the copy of their Audited Financial Statements. These Associate Companies are not finalizing their accounts in time to comply with the provisions of the Companies Act, 2013. Therefore, the consolidated Financial Statement along with the Associate Companies Financial Statement could not be prepared and laid as per Section 129(3) of the Companies Act, 2013. Administrative Ministry has already conveyed its in principle approval for reduction of NSC's stake in such Associates to bring it below 20%, through buy-back route by the Associate Companies. However, no progress could have been achieved. Hence, the Administrative Ministry has been requested to purchase the additional shares of the Associate Companies in excess of 19%, to keep the Company's stake at 19%.



IV शेयर धारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणी अनुसार शेयर धारण

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ									
(ख) केन्द्रीय सरकार	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
(ग) राज्य सरकार									
(घ) स्वायत्त निकाय									
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (1) :	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
(2) विदेशी (क) विदेशी-व्यक्तिगत									
(ख) अन्य व्यक्ति									
(ग) स्वायत्त निकायी									
(घ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ङ) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (2) :	शून्य			शून्य	शून्य		शून्य		शून्य
प्रमोटर्स का कुल शेयर धारण	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
(क) = (क) (1) + (क) (2)									
ख. सार्वजनिक शेयरधारक									
1. संस्थान									
(क) म्यूचल निधि									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ग) केन्द्रीय सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(ङ) उद्यम पूंजी निधि									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि									
(झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					शून्य				
उप जोड़ (ख)(1) :-									
2. गैर संस्थान									
(क) निकाय									
(i) भारतीय									
(ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत									
(i) रु. 1.00 लाख तक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ii) 01 लाख से अधिक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप जोड़ - (ख)(2) :-									
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)									
ग. जीडीआरएस और एडीआरएस के पास धारित शेयर					शून्य				
कुल जोड़ (क + ख + ग)	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)
(i) Category wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 1 st April, 2019)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31 st March, 2020)				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF									
(b) Central Govt.	NIL	573199	573199	100%	NIL	573199	573199	100%	NIL
(c) State Govt(s)									
(d) Bodies Corp.									
(e) Banks/FI									
(f) Any other....									
Sub-total(A) (1):-	NIL	573199	573199	100%	NIL	573199	573199	100%	NIL
(2) Foreign									
(a) NRIs- Individuals									
(b) Other- Individuals					NIL				
(c) Bodies Corp.									
(d) Banks/FI									
(e) Any Other.....									
Sub-total (A) (2) :-	NIL			NIL	NIL		NIL		NIL
Total shareholding of promoter (A)=(A)(1)+(A) (2)	NIL	573199	573199	100%	NIL	573199	573199	100%	NIL
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
(a) Mutual funds									
(b) Banks/FI									
(c) Central Govt									
(d) State Govt(s)									
(e) Venture Capital Funds									
(f) Insurance Companies									
(g) FIs									
(h) Foreign Venture Capital Funds									
(i) Other (specify)					NIL				
Sub-Total (B)(1):-									
2. Non- Institutions									
(a) Bodies Corp.									
(i) Indian									
(ii) Overseas									
(b) Individual									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									
(ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh									
(c) Others (specify)									
Sub-Total (B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B) (1) + (B) (2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs				NIL	NIL				
Grand Total (A+B+C)	NIL	573199	573199	100%	NIL	573199	573199	100%	NIL



(ii) प्रोमोटर्स का शेयरधारण

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारण (01.04.2019 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारण (31.03.2020 तक)			वर्ष के दौरान धारित शेयरों के % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए बंधक/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए बंधक/भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	573199	100%	शून्य	573199	100%	शून्य	शून्य
	कुल	573199	100%	शून्य	573199	100%	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटर्स का शेयरधारण में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	573199	100%	573199	100%
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स शेयरधारण में तिथिवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	कोई बदलाव नहीं			
	वर्ष के अंत में शेयरधारण	573199	100%	573199	100%

(iv) मुख्य 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं जीडीआर एवं एडीआर धारक के अलावा)

क्र.सं.	प्रत्येक 10 प्रमुख शेयर धारकों के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारम्भ में			शून्य	
2.	तारीख के अनुसार वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)			शून्य	
3.	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तारीख, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)			शून्य	

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year (As on 01 st April, 2019)			Share holding at the end of the year (As on 31 st March, 2020)			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ Encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	President of India	573199	100%	Nil	573199	100%	Nil	Nil
	Total	573199	100%	Nil	573199	100%	Nil	Nil

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	573199	100%	573199	100%
2.	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g.allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc)	No Change			
3.	At the end of the year	573199	100%	573199	100%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
1	At the beginning of the year			NIL	
2	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc):			NIL	
3	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)			NIL	



(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य		शून्य	
2.	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरधारण में तिथिवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	शून्य		शून्य	
3.	वर्ष के अंत में	शून्य		शून्य	

V. ऋणग्रस्तता:

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया / उपार्जित ब्याज भी शामिल है परंतु भुगतान के लिए देय नहीं हैं।

(रुपये लाखों में)

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता	999.40	802.34	197.06
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* वृद्धि	7542.65	232.60	7310.05
* कमी	(742.40)	(600.00)	(142.50)
निवल परिवर्तन	(742.40)	7542.65	(367.40)	7167.55
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	256.90	7542.65	434.94	7364.61

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय :

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधकों को मानदेय :

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों /प्रबंधक का नाम (राशि लाख रु. में)			कुल राशि लाख रु. में
		अ. एवं प्र. नि.	नि. (वित्त)	नि. (वाणि.)	
1.	सकल वेतन (क)आयकर अधिनियम 1961 के नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन	43.57	35.42	15.92	94.91
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 के नियम 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत	1.52	0.24	0.55	2.31
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 के नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य परिलब्धियां ।
2.	स्टाक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	45.09	35.66	16.47	97.22
	अधिनियम के अनुसार सीमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel**

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1	At the beginning of the year	NIL		NIL	
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc.):	NIL		NIL	
3	At the End of the year	NIL		NIL	

V. **INDEBTEDNESS**

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. In Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	999.40	---	802.34	197.06
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	---	7542.65	232.60	7310.05
• Reduction	(742.50)	---	(600.00)	(142.50)
Net Change	(742.50)	7542.65	(367.40)	7167.55
Indebtedness at the end of the financial year	256.90	7542.65	434.94	7364.61

VI. **REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:**

A. *Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:*

Sl. No	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager (Amount Rs. in Lakhs)			Total Amount (Rs. in lakhs)
		CMD	Director (Finance)	Director (Comm.)	
1.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-Tax Act, 1961.	43.57	35.42	15.92	94.91
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income -Tax Act, 1961	1.52	0.24	0.55	2.31
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income -Tax Act, 1961	-----	-----	-----	-----
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission				
	- as % of profit	NIL	NIL	NIL	NIL
	- others, specify.....				
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total (A)	45.09	35.66	16.47	97.22
	Ceiling as per the Act	NIL	NIL	NIL	NIL



ख. अन्य निदेशकों को मानदेय :

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	निदेशकों का नाम (रु.)			कुल राशि (रु.)
		श्रीमती प्रतिभा सुमन	डॉ. बी.बी. मोहंती	श्री श्यामवीर सैनी	
1.	स्वतंत्र निदेशक				
	• निदेशक मंडल एवं समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क	46,350	45,900	51,300	1,43,550
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य, कृपया ब्यौरा दें (टी.ए./डी.ए.)	12,000	1,14,764	27,588	1,54,352
	कुल (1)	58,350	1,60,664	78,888	2,97,902
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक				
	• निदेशक मंडल, समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• कमीशन				
	• अन्य, कृपया ब्यौरा दें।				
	कुल (2)				
	कुल (ख) = (1+2)	58,350	1,60,664	78,888	2,97,902
	कुल प्रबंधकीय मानदेय				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंधकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय :

क्र. सं.	मानदेय का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (राशि लाख में)			
		मु.का.अ.*	मु.वि.अ.	कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन (क)आयकर अधिनियम 1961 के नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं	23.73	30.32	54.05
	(ख)आयकर अधिनियम 1961 के नियम 17(2)के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत	लागू नहीं	0.08	1.69	1.77
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 के नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ की मूल्य परिलब्धियां ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टाक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया ब्यौरा दें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	शून्य	23.81	32.01	55.82

*अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा उनके मानदेय को पहले ही VI-A में प्रकटीकरण कर दिया गया है ।

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors (Amount in Rs.)			Total Amount
		Smt. Partibha Suman	Dr. B.B. Mohanty	Sh. Shyamvir Saini	
1.	Independent Directors				
	• Sitting Fee for attending Board & Committee meetings	46,350	45,900	51,300	1,43,550
	• Commission	Nil	Nil	Nil	Nil
	• Others, please specify (TA/DA)	12,000	1,14,764	27,588	1,54,352
	Total (1)	58,350	1,60,664	78,888	2,97,902
2.	Other Non-Executive Directors	NIL	NIL	NIL	NIL
	• Fee for attending Board Committee Meetings				
	• Commission				
	• Others, please specify				
	Total (2)				
	Total (B) = (1+2)	58,350	1,60,664	78,888	2,97,902
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel (Amount in lakhs)			
		CEO*	CFO/ SGM(F&A)	C.S.	Total
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income –tax Act, 1961	N.A.	23.73	30.32	54.05
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	N.A.	0.08	1.69	1.77
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income -tax Act, 1961	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission	NIL	NIL	NIL	NIL
	- as % of profit				
	- others, specify.....				
5.	Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total	NIL	23.81	32.01	55.82

*CMD is CEO and his remuneration already disclosed in VI -A.



VII. दंड/जुर्माना/अपराध का समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड /जुर्माना/ अपराध पर लगाए शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एन.सी एलटी/ कोर्ट)	अपील की गई, यदि कोई हो, (विवरण दें)
(क) कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) निदेशक					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) चूक में अन्य अधिकारी					
मामूली जुर्माना	एनएससी (सीडीए) नियमों के तहत, छह अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया ।	छोटी / प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के लिए	कुछ मामलों में वित्तीय नुकसान को भरपाई सहित मामूली जुर्माना ।	एनएससी (सीडीए) नियमों,के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी ।	शून्य
भारी जुर्माना	एनएससी (सीडीए) नियमों के तहत, दो अधिकारियों पर प्रमुख दंडात्मक कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया ।	एनएससी (सीडीए) नियमों के तहत भारी चूक/ अनियमितताओं के लिए	प्रमुख दंड	एनएससी (सीडीए) नियम, 2013 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Minor Penalty	6 officials under NSC Employees (CDA) Rules, 2013.	For Minor/ Procedural Irregularities	Minor Penalties, including recovery of financial loss in some of the cases.	Disciplinary Authority as per NSC (CDA) Rules.	NIL
Major Penalty	2 Officers under Major Penalty proceedings under NSC Employees (CDA) Rules, 2013.	For Major lapses/ irregularities under NSC Employees (CDA) Rules.	Major Penalties	Disciplinary Authority as per NSC (CDA) Rules, 2013.	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

**निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र
(कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 08 के अनुपालन में)**

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का वेबलिंग का संदर्भ भी शामिल है।

कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के प्रावधानों पर आधारित है। इसके अलावा, नीति को समय-समय पर वैधानिक संशोधनों और/या सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर अद्यतन किया जाता है। कंपनी की सीएसआर पहल सामाजिक कल्याण गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से समुदायों के समावेशी विकास के लिए उनकी आजीविका, शिक्षा और तकनीकी मानकों के क्षेत्र में विकास और अन्य कार्यों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आम आदमी को राहत प्रदान करना है। हमारा सीएसआर दृष्टिकोण हमारी इकाइयों और कार्यालयों के आसपास के समुदायों के विकास पर केंद्रित है।

सीएसआर नीति को समय-समय पर अद्यतन करके कंपनी की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड कि जाती है। कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर यानी वेब-लिंग <https://www.indiaseeds.com/doc.file/csrapolicy102019.pdf> पर उपलब्ध कराई गई है।

2. सीएसआर समिति के गठन

बोर्ड की सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर नीति के निष्पादन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के अनुसार प्रथम स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति की संरचना इस प्रकार है :

i. श्री वी.के. गौड़, अ.सह प्र.नि. / अध्यक्ष

ii. श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त) एवं सदस्य

iii. श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

(श्रीमती प्रतिभा सुमन ,स्वतंत्र निदेशक, प्रथम श्रेणी सीएसआर और स्थिरता समिति की सदस्य का कार्यकाल 05.02.2020 को समाप्त हो गया)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, समिति की 04 बैठकें आयोजित की गईं।

3. कम्पनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसतन निवल लाभ (रु. लाख में)

i.	2016–17	रु. 7786.46
ii.	2017–18	रु. 3037.01
iii.	2018–19	रु. 4779.90
	कुल	रु 15603.37
	औसत – रु	5201.12 लाख

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 पर इंगित राशि का दो प्रतिशत)

उक्त 03 में इंगित राशि का 2%	= रु. 104.02 लाख
जोड़े : पिछले वर्ष खर्च न की गई राशि	= रु. 73.22 लाख
कुल	= रु. 177.24 लाख

5. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर पर किए गए खर्च का विवरण :

(क) प्रथम स्तरीय सीएसआर समिति की विभिन्न तारीखों पर हुई बैठकों की सिफारिशों के अनुसार, जिन्हें निदेशक मंडल ने अपनी निम्नलिखित बैठकों में अनुमोदित किया। क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय राज्य फार्मों एवं मुख्यालय के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :-



Annexure-III.

**FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED
IN THE BOARD'S REPORT
(Pursuant to Rule 8 of the Companies (C.S.R. Policy) Rules, 2014)**

1. A brief outline of the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs:

CSR Policy of the Company is based on the provisions of Companies Act, 2013 and Rules thereunder. Moreover, the Policy is updated from time to time based on the statutory amendments and/or Government Notifications to the effect. CSR initiatives of the Company aim towards inclusive development of communities through a range of social welfare activities to improve their livelihood, education and technical standards area developments and other works aiming to provide relief to a common man. Our CSR approach focuses on development of communities around the vicinity of our Units and offices.

The CSR Policy as updated from time to time is uploaded on the Company's website www.indiaseeds.com. The Corporate Social Responsibility Policy of your Company has been made available on website of the Company i.e., on the web-link <https://www.indiaseeds.com/doc-file/csrapolicy102019.pdf>.

2. The Composition of the CSR Committee:

The CSR committee of the Board is responsible for overseeing the execution of the Company's CSR policy. The composition of 1st Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee as on the date of Directors' Report is as follows:

- i. Shri V.K. Gaur, CMD/Chairman
- ii. Shri V. Mohan, Director (Finance) & Member
- iii. Shri Shyamvir Saini, Independent Director & Member

(Smt. Partibha Suman, Independent Director, Member of the 1st Tier CSR & Sustainability Committee ceased to function upon completion of her tenure on 05.02.2020)

During the Financial Year 2019-20, 04 Meetings of the Committee were held.

3. Average net profit of the company for last three Financial Years. (Rs. in Lakhs)

I	2016-17	Rs. 7786.46
ii	2017-18	Rs. 3037.01
iii	2018-19	Rs. 4779.90
	Total	Rs. 15603.37
	Average -	Rs. 5201.12 Lakhs

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the Average amount as in item 3 above).

2% of the amount in 3 above	= Rs. 104.02 Lakhs
+ Unspent amount of previous years	= Rs. 73.22 Lakhs
GRAND TOTAL	= Rs. 177.24 Lakhs

5. Details of CSR spent during the financial year 2019-20:

(A) As per recommendations of 1st Tier CSR & Sustainability Committee at their meetings held on various dates which were approved by the Board at its below mentioned Meetings, the following proposals of Regional Offices (RO), Central State Farms (CSF) and Head Office (HQ) were approved:-

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक की संख्या एवं तारीख	इकाई	शीर्ष	स्वीकृत राशि (रु.)
1	283वीं बैठक 11.06.2019	मुख्यालय, नई दिल्ली	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	10,00,000
2	284वीं बैठक 31.08.2019	क्षे.का-लखनऊ	सीएसआर के तहत यू.पी. सरकार कृषि निदेशालय के किसान मीटिंग हॉल के लिए फर्नीचर और अन्य उपकरण प्रदान करने के लिए	1,80,000
3	284वीं बैठक 31.08.2019	केराफा-हिसार	जिला हिसार के तीन गांवों में गरीब किसानों को विभिन्न किस्मों के पौधों और बीजों का वितरण	5,00,000
4	284वीं बैठक 31.08.2019	केराफा-रायचूर	रायचूर जिले के छह गांवों के छोटे और सीमांत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और सब्जी बीज किटों का वितरण	5,00,000
5	284वीं बैठक 31.08.2019	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी जिले में गरीब एवं जरूरतमंद किसानों को 5000 सब्जी बीज किटों का वितरण	5,20,000
6	284वीं बैठक 31.08.2019	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	सोनीपत हरियाणा के 5 सरकारी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर के साथ 5 वाटर कूलर की स्थापना (1.70 लीटर)	2,10,814
7	287वीं बैठक 20.12.2019	मुख्यालय, नई दिल्ली	सशस्त्र बलों के झंडा दिवस पर सशस्त्र बलों के जाबांजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए योगदान	5,00,000
8	287वीं बैठक 20.12.2019	केराफा- सूरतगढ़	राजकीय बालिका उच्च मध्य विद्यालय, सूरतगढ़ में कक्ष एवं प्रार्थना मंच का निर्माण	5,89,766
9	287वीं बैठक 20.12.2019	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	झुंझुनू जिले के छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास 1 एकड़ या उससे अधिक की भूमि है। के लिए गर्मी के मौसम में बुवाई हेतु उपयुक्त बीजों का वितरण	5,00,000
10	287वीं बैठक 20.12.2019	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा राज्य के तीन सरकारी स्कूलों में रु 1,26,186/- की लागत पर वाटर प्यूरीफायर के साथ 3 वाटर कूलर की स्थापना।	1,26,186
11	287वीं बैठक 20.12.2019	क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के ग्यारह सरकारी स्कूलों में आरओ के साथ वाटर कूलर की स्थापना तथा प्रिंटर एवं स्कैनर के साथ कंप्यूटरों का वितरण।	5,22,000
12	287वीं बैठक 20.12.2019	केराफा- सरदारगढ़	श्रीगंगानगर जिले के किसानों को रु. 2,37,542.00 की राशि के बीजों का वितरण एवं दो सरकारी स्कूलों में रु 2,62,458/-की लागत के दो वाटर प्यूरीफायर की स्थापना।	5,00,000
13	287वीं बैठक 20.12.2019	क्षे.का-लखनऊ	रुड़की के स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक कंप्यूटर लैब रूम के निर्माण के लिये योगदान।	10,00,000
14	288वीं बैठक 28.02.2020	केराफा-जैतसर	ग्राम पंचायत डाबला, रायसिंहनगर में घायल पशुओं के लिए कवर शेड का निर्माण।	20,000
15	288वीं बैठक 28.02.2020	केराफा-जैतसर	सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री गंगानगर जिला में सम्मेलन कक्ष का निर्माण।	6,43,815

S.No.	No. & date of Board Meeting	Unit	Head	Sanctioned Amount in Rs.
1	283 rd Meeting held on 11.06.2019	HQ, New Delhi	Contribution to Swachh Bharat Kosh	10,00,000
2	284 th Meeting held on 31.08.2019	RO, Lucknow	to provide Furniture and other equipments for the Farmers Meeting Hall at Directorate of Agriculture, U.P. Govt. under CSR	1,80,000
3	284 th Meeting held on 31.08.2019	CSF, Hisar	distribution of plants and seeds of different varieties to the poor farmers in three Villages of District Hisar	5,00,000
4	284 th Meeting held on 31.08.2019	CSF, Raichur	organizing awareness programme and distribution of Vegetable seed kits to the small and marginal farmers of six villages of Raichur District	5,00,000
5	284 th Meeting held on 31.08.2019	RO, Patna	distribution of 5000 vegetable seed kits in Piprakothi District of Eastern Champaran to the poor and needy Farmers	5,20,000
6	284 th Meeting held on 31.08.2019	RO, Chandigarh	installation of 5 Water Coolers with Water Purifiers in the 5 Government Schools of Sonapat Haryana (1.70 L)	2,10,814
7	287 th Meeting held on 20.12.2019	HQ, New Delhi	Contribution towards Armed Forced Flag Day Funds of MOD for the benefits of armed forces veterans, war widows and their dependents	5,00,000
8	287 th Meeting held on 20.12.2019	CSF, Suratgarh	construction of Class room and covered prayer stage in Rajkiya Balika Uchch Madhyamik Vidyalaya, Suratgarh	5,89,766
9	287 th Meeting held on 20.12.2019	RO, Jaipur	distribution of seeds suitable for sowing in summer season to the small and marginal farmers of Jhunjhunu District holding land of 1 acre or more under CSR activity	5,00,000
10	287 th Meeting held on 20.12.2019	RO Chandigarh	installation of 3 water coolers with water purifiers at the cost of Rs. 1,26,186/- in the three Government Schools of the State of Haryana	1,26,186
11	287 th Meeting held on 20.12.2019	RO, Secunderabad	Installation of Water Coolers with RO and distribution of Computer with Printer and Scanners in eleven Govt. Schools of State of Andhra Pradesh and State of Telangana.	5,22,000
12	287 th Meeting held on 20.12.2019	CSF, Sardargarh	For distribution of Seeds and Saplings amounting the famers of Sriganganagar District of Rs. 2,37,542.00 and installation of two Water Purifiers in two Govt. Schools at the cost of Rs.2,62,458/-	5,00,000
13	287 th Meeting held on 20.12.2019	RO, Lucknow	For construction of a Computer Lab Room in Swami Vivekananda College of Education, Roorkee.	10,00,000
14	288 th Meeting held on 28.02.2020	CSF, Jetsar	Construction of covered shed for injured animals at Gram Panchayat Dabla, RaiSinghnagar.	20,000
15	288 th Meeting held on 28.02.2020	CSF, Jetsar	Construction of Conference Room at Govt. Senior Secondary School, Sri Ganganagar district.	6,43,815



16	288वीं बैठक 28.02.2020	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे	शोलापुर जिले के छह सरकारी स्कूलों में बेंचों का वितरण	5,00,000
17	288वीं बैठक 28.02.2020	क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर	बैंगलोर के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, आरओ के साथ पीने के पानी की व्यवस्था, यूपीएस सिस्टम, ब्लैकबोर्ड, किताबें और खेल की वस्तुएं प्रदान करना।	5,00,000
18	288वीं बैठक 28.02.2020	क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर	गुजरात के अमरेली जिले के गरीब किसानों को प्याज बीज किट का वितरण।	5,00,000
19	288वीं बैठक 28.02.2020	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सिवान जिले की ग्राम पंचायत के गरीब किसानों को सब्जी बीज किट का वितरण।	1,10,000
20	288वीं बैठक 28.02.2020	केराफा-जैतसर	ग्राम पंचायत, बाजोवाला के गरीब किसानों के लाभ के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना।	50,000
21	288वीं बैठक 28.02.2020	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	ग्यारह सरकारी स्कूलों में प्रिंटर सहित 7 कंप्यूटरों का वितरण एवं 07 वाटर कूलरो का वितरण।	8,05,000
22	288वीं बैठक 28.02.2020	मुख्यालय नई दिल्ली	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	5,00,000
23	दिनांक 31.03.2020 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से	मुख्यालय नई दिल्ली	कोविड-19 महामारी के लिए प्रधानमंत्री कोष में योगदान।	75,00,000
			कुल	1,77,77,581

ख) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1	2	3	4	5	6	7	8
1	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	परियोजना में शामिल क्षेत्र	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) विनिर्दिष्ट करें राज्य एवं जिला जहां पर परियोजना अथवा कार्यक्रम किया जाना है	राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली राशि उप-शीर्षः (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी शीर्ष	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा लागु करने वाली एजेन्सी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1	सब्जी और चारा बीज किट का वितरण	भूख और कुपोषण के उन्मूलन से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	4,99,246	4,99,246	4,99,246	क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की निगरानी में हुआ वितरण
2	दो सरकारी स्कूलों में सेनेटरी सुविधाएं प्रदान करना / उन्नयन करना	स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	4,78,764	4,78,764	4,78,764	क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता की देखरेख में किया गया काम
3	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	स्वच्छ भारत से संबंधित गतिविधि	मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा योगदान।	10,00,000	10,00,000	10,00,000	राशि को सीधे जमा करा दिया गया, इसलिए निगरानी की आवश्यकता नहीं है।

16	288 th Meeting held on 28.02.2020	RO, Pune	Distribution of Benches in the Six Government Schools of Sholapur District	5,00,000
17	288 th Meeting held on 28.02.2020	RO, Bangalore	Construction of toilets, arrangement of drinking water along with RO, provide UPS System, Blackboard, Books and Sports items to the Govt. school of Bangalore.	5,00,000
18	288 th Meeting held on 28.02.2020	RO, Gandhinagar	Distribution of Onion Seed kits to the poor Farmers of the Amreli District, Gujarat.	5,00,000
19	288 th Meeting held on 28.02.2020	RO, Patna	Distribution of vegetable seed kits to the poor Farmers of Gram Panchayat, Siwan District.	1,10,000
20	288 th Meeting held on 28.02.2020	CSF, Jetsar	To organize health check-up Camp for the benefits of poor farmers of Gram Panchayat, Bajoowala.	50,000
21	288 th Meeting held on 28.02.2020	RO, Bhopal	Distribution of 7 Computer Systems along with Printers and 7 Water Coolers along with purifiers in eleven Govt. Schools.	8,05,000
22	288 th Meeting held on 28.02.2020	HQ, New Delhi	Contribution to Clean Ganga Fund	5,00,000
23	Through Circular Resolution dated 31.03.2020.	HQ, New Delhi	Contribution to PM Cares Fund for COVID-19 Pandemic.	75,00,000
			TOTAL	1,77,77,581

(B) The manner and the amount spent during the financial year is detailed below:

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or Programmes (1)Local area or other (2) State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs + (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	Distribution of Vegetable and Fodder seed kits	Activity relating to eradication of hunger and malnutrition	Activity carried out by RO Chandigarh, in its own area.	4,99,246	4,99,246	4,99,246	Distribution carried under the monitoring of RO Chandigarh
2.	Providing / upgrading Sanitary Facilities in two Government Schools	Activity relating to promoting healthcare and sanitation	Activity carried out by RO Kolkata, in its own area.	4,78,764	4,78,764	4,78,764	Work done under the supervision of RO Kolkata
3.	Contribution to Swachh Bharat Kosh	Activity relating to clean India	Contribution made by NSC Hqrs., New Delhi	10,00,000	10,00,000	10,00,000	Amount remitted directly, hence monitoring not required.

4	कृषि निदेशालय, युपी में मीटिंग हॉल में किसानों के लिए फर्नीचर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराना	कौशल बढ़ाने और आजीविका परियोजनाएं प्रदान करने से संबंधित गतिविधि।	क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा की गई गतिविधि।	1,32,610	1,32,610	1,32,610	क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा प्रबंधित कार्य।
5	गरीब किसानों को विभिन्न किस्मों के पौधों और बीजों का वितरण	भूख और कुपोषण के उन्मूलन से संबंधित गतिविधि।	केराफा हिसार द्वारा अपने क्षेत्र में की गई	5,00,111	5,00,111	5,00,111	केराफा हिसार की निगरानी में किया गया वितरण।
6	छोटे और सीमांत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और सब्जी बीज किट का वितरण	भूख, कुपोषण के उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	केराफा रायचूर द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि	5,00,000	5,00,000	5,00,000	गतिविधि केराफा रायचूर द्वारा की गई।
7	पांच सरकारी स्कूलों में प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	2,10,814	2,10,814	2,10,814	क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा टेंडर आमंत्रित करने के बाद की गई गतिविधि।
8	सशस्त्र बलों के प्रति योगदान झंडा दिवस कोष	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए गतिविधि	मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा योगदान।	5,00,000	5,00,000	5,00,000	राशि को सीधे जमा करा दिया गया, इसलिए निगरानी की आवश्यकता नहीं है।
9	सरकारी स्कूल में क्लास रूम और कवर प्रार्थना मंच का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	केराफा सूरतगढ़ द्वारा अपने क्षेत्र में गतिविधि की गई।	5,89,400	5,89,400	5,89,400	केराफा सूरतगढ़ की देखरेख में किया गया कार्य
10	तीन सरकारी स्कूलों में प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर की स्थापना।	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	1,26,186	1,26,186	1,26,186	क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा टेंडर आमंत्रित करने के बाद की गई गतिविधि।
11	ग्यारह सरकारी स्कूलों में वाटर कूलर और आरओ एवम् कंप्यूटर और प्रिंटर -स्केनर की स्थापना।	बच्चों के बीच सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय सिकंदराबाद द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	5,22,000	5,22,000	5,22,000	क्षेत्रीय कार्यालय सिकंदराबाद की निगरानी में हुआ काम

4.	Providing furniture and other equipments for farmers meeting hall at Directorate of Agr., UP	Activity relating to enhancement of skills and to provide livelihood projects.	Activity carried out by RO Lucknow.	1,32,610	1,32,610	1,32,610	Work managed by RO Lucknow.
5.	Distribution of plants and seeds of different varieties to the poor farmers	Activity relating to eradication of hunger and malnutrition	Activity carried out by CSF Hisar, in its own area.	5,00,111	5,00,111	5,00,111	Distribution done under the monitoring of CSF Hisar.
6.	Organisation of awareness programme and distribution of vegetable seed kits to the small and marginal farmers	Activity relating to eradication of hunger, malnutrition and promoting health care	Activity carried out by CSF Raichur, in its own area.	5,00,000	5,00,000	5,00,000	Activity undertaken and managed by CSF Raichur.
7.	Installation of water coolers with purifiers in five Government schools	Activity relating to make available safe drinking water	Activity carried out by RO Chandigarh, in its own area.	2,10,814	2,10,814	2,10,814	Activity carried by RO Chandigarh after inviting Tender.
8.	Contribution towards Armed forces flag day funds	Activity for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents	Contribution made by NSC Hqrs., New Delhi	5,00,000	5,00,000	5,00,000	Amount remitted directly, hence monitoring not required
9.	Construction of class room and covered prayer stage in Govt. School	Activity relating to promotion of education	Activity carried out by CSF Suratgarh, in its own area.	5,89,400	5,89,400	5,89,400	Work done under the supervision of CSF Suratgarh
10.	Installation of water coolers with purifiers in three Govt. schools	Activity relating to making available safe drinking water	Activity carried out by RO Chandigarh, in its own area.	1,26,186	1,26,186	1,26,186	Activity carried by RO Chandigarh after inviting Tender.
11.	Installation of water coolers with ROs and computer with printers and scanners in eleven Govt. schools	Activity relating to making available safe drinking water and promotion of education among children	Activity carried out by RO Secunderabad, in its own area.	5,22,000	5,22,000	5,22,000	Work done under the monitoring of RO Secunderabad

12	किसानों को बीज और पौधे का वितरण और दो सरकारी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर की स्थापना।	भूख, कुपोषण को दूर करने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित गतिविधि	केराफा सरदारगढ़ द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	4,60,000	4,60,000	4,60,000	केराफा सरदारगढ़ की निगरानी में किया गया वितरण
13	कॉलेज में कंप्यूटर लैब रूम का निर्माण	शिक्षा के प्रचार से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	9,99,800	9,99,800	9,99,800	क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा निविदा आमंत्रित करने के बाद की गई गतिविधि
14	घायल पशुओं के लिए शेड का निर्माण	पशु कल्याण से संबंधित गतिविधि	केराफा जैतसर द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	18,718	18,718	18,718	केराफा जैतसर की निगरानी में काम किया गया
15	सरकारी स्कूलों में सम्मेलन कक्ष का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	अपने क्षेत्र में, केराफा जैतसर द्वारा की गई गतिविधि।	5,96,146	5,96,146	5,96,146	टेंडर आमंत्रित करने के बाद केराफा जैतसर द्वारा की गई गतिविधि।
16	छः सरकारी स्कूलों में बेंचों का वितरण	शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय पुणे द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	5,02,572	5,02,572	5,02,572	टेंडर आमंत्रित करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय पुणे की देखरेख में काम किया गया
17	गरीब किसानों को बीज किट का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण को उन्मूलन से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	3,95,974	3,95,974	3,95,974	क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर की निगरानी में किया गया वितरण
18	ग्यारह सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रिंटर वितरण और प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर की स्थापना।	शिक्षा को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा अपने क्षेत्र में की गई गतिविधि।	4,54,860	4,54,860	4,54,860	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा निविदा आमंत्रित करने के बाद की गई गतिविधि।
19	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	गंगा नदी के कायाकल्प से संबंधित गतिविधि	मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा योगदान।	5,00,000	5,00,000	5,00,000	राशि को सीधे जमा करा दिया गया, इसलिए निगरानी की आवश्यकता नहीं है।
20	प्रधान मंत्री कोष कोष में योगदान	COVID-19 के खिलाफ मुकाबले को मजबूत करने से संबंधित गतिविधि	मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा योगदान।	75,00,000	75,00,000	75,00,000	राशि को सीधे जमा करा दिया गया, इसलिए निगरानी की आवश्यकता नहीं है।

12.	Distribution of seeds and saplings to the farmers and installation of water purifiers in two Govt. Schools	Activity relating to eradicating hunger, malnutrition and making available safe drinking water	Activity carried out by CSF Sardargarh, in its own area.	4,60,000	4,60,000	4,60,000	Distribution done under the monitoring of CSF Sardargarh
13.	Construction of computer lab room in College	Activity related to promotion of education	Activity carried out by RO Lucknow, in its own area.	9,99,800	9,99,800	9,99,800	Activity carried by RO Lucknow After inviting Tender.
14.	Construction of shed for injured animals	Activity relating to animal welfare	Activity carried out by CSF Jetsar, in its own area.	18,718	18,718	18,718	Work done under the monitoring of CSF Jetsar
15.	Construction of conference room in Govt. School	Activity relating to promotion of education	Activity carried out by CSF Jetsar, in its own area.	5,96,146	5,96,146	5,96,146	Activity carried by CSF Jetsar after inviting Tender.
16.	Distribution of benches in six Government Schools	Activity relating to promotion of education	Activity carried out by RO Pune, in its own area.	5,02,572	5,02,572	5,02,572	Work done under the supervision of RO Pune after inviting Tender
17.	Distribution of seed kits to the poor farmers	Activity relating to eradicating hunger, poverty and malnutrition	Activity carried out by RO Gandhinagar, in its own area.	3,95,974	3,95,974	3,95,974	Distribution carried under the monitoring of RO Gandhinagar
18.	Distribution of Computer systems with printers and installation of water coolers with purifiers in eleven Govt. schools	Activity relating to promotion of education and making available safe drinking water	Activity carried out by RO Bhopal, in its own area.	4,54,860	4,54,860	4,54,860	Activity carried by RO Bhopal after inviting Tender.
19.	Contribution to Clean Ganga Fund	Activity relating to rejuvenation of river Ganga	Contribution made by NSC Hqrs., New Delhi	5,00,000	5,00,000	5,00,000	Amount remitted directly, hence monitoring not required.
20.	Contribution to PM CARES Fund	Activity relating to strengthening the combat against COVID-19	Contribution made by NSC Hqrs., New Delhi	75,00,000	75,00,000	75,00,000	Amount remitted directly, hence monitoring not required.



टिप्पणी : कंपनी अधिनियम, 2013 आर/डब्ल्यू सीएसआर नीति एवं नियमों की अनुसूची 7 के अंतर्गत शामिल विभिन्न कार्यों पर उपर्युक्त विवरणानुसार रु. 1,64,87,201/- खर्च किए गए।

1. सीएसआर बजट पिछले वर्ष की बकाया पूरी राशि के साथ खर्च नहीं करने के कारण:-
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल ने अधिनियम और अनुसूची सात में निर्धारित सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्वीकृति दी है। हालाँकि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद रु 12.37 लाख रूपये व्यय नहीं किए गए, जिनका उपयोग उन कार्यों पर किया जाएगा जो सीएसआर गतिविधि प्रगति पर हैं और अन्य सीएसआर की वर्तमान परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

2. सीएसआर समिति का कार्यान्वयन एवं निगरानी, कम्पनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./-
(विनोद कुमार गौड़)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

तारीख : नई दिल्ली
स्थान : 27.08.2020



Note: Rs. 1,64,87,201/- have been spent as detailed above on various works activities covered under Schedule VII of Companies Act, 2013 r/w CSR Policy and Rules.

1. Reasons for not spending in full the CSR Budgeted amount together with previous year unspent amount :
During the FY 2019-20, Board of Directors have given approval to carry out CSR activities as prescribed in the Act and Schedule VII. However after close of the Financial year, Rs. 12.37 Lakhs have been left unspent which will be utilised on the works which are in progress and other CSR Projects in hand.
2. The implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

By order of the Board of Directors

Sd/-
(Vinod Kumar Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: 27.08.2020



रवि एस. शर्मा एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिवगण

कार्यालय : 3016/5, द्वितीय तल, गली सं. 12ए, रणजीत नगर, नई दिल्ली-110008
Tel /Fax : +91-11-25842664 Mob : +91-9310675151,
9213719860, Email: csravisharma@gmail.com



निगमित शासन का प्रमाण पत्र

सेवा में सदस्यगण,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (निगम) द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की, जैसा कि भारी उद्योग एवं लोक उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जी. एम दिनांक 14 मई, 2010 में परिकल्पित है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा इनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न ही वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड व दस्तावेजों के अनुसार हम सत्यापित करते हैं कि निगम ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है सिवाय (i) दो लेखा परीक्षा समिति की बैठक का समय अन्तराल चार माह से अधिक का था। (ii) समीक्षाधीन रिपोर्ट के तहत, वर्ष के दौरान केवल तीन लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। हालांकि बिन्दु संख्या i) में, हमें यह समझाया गया कि 31.08.2019 को लेखा परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई थी, परंतु समिति के सदस्यों अर्थात् सरकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण लेखा परीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। इसलिए बैठक रद्द हो गई। बिन्दु संख्या ii) में यह बताया गया है कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, मार्च, 2020 के महीने में लेखा परीक्षा समिति की कोई अन्य बैठक नहीं हो सकती थी।

हमें आगे कहना है कि इस तरह के अनुपालन न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है, जिसमें प्रबंधन द्वारा निगम के मामलों का संचालित किया गया।

कृते रवि एस. शर्मा एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.08.2020

ह0/-
रवि एस. शर्मा
(प्रोपराइटर)



RAVI S. SHARMA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

Office : 3016/5, 2nd Floor, Street No. 12A,
Ranjit Nagar, New Delhi-110008,
Tel /Fax : +91-11-25842664 Mob : +91-9310675151,
9213719860, Email: csravisharma@gmail.com

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of
National Seeds Corporation Limited,
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **National Seeds Corporation Limited**, ["the Corporation "] for the year ended on 31st March 2020, as envisaged in the Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM dated 14th May , 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the condition of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof , adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guideline on corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except ***(i) The time gap between two Audit Committee meetings exceeded more than four months.(ii) Only 3 (three) Audit Committee Meetings were held during the year under review.*** However, in the respect point no. (i) it was explained to us that a Meeting of Audit Committee dated 31.08.2019 was called which could not be held due to pre-occupations of the Members of the Committee viz. Government and Independent Directors. Hence Meeting stood cancelled. Further w.r.t. point no.(ii), it was informed that upon enforcement of Nation-wide Lockdown due to threat posed by COVID-19, no other Meeting of the Audit Committee could have been held in the month of March, 2020.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For, Ravi S Sharma & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Ravi S Sharma
(Proprietor)

Place : New Delhi
Date : 06.08.2020



गोपनीय
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi



संख्या: 893-पी.डी.ए.(ए.एफ.डब्ल्यू.आर)/क/1/cs/NSC (HO)/2020-21/Vol-II/ 3369

दिनांक: 24.12.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली - 110012.

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां। महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां भेजी जा रही हैं। कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

24/12/2020
(अमिताभ प्रसाद)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)



गोपनीय
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi



संख्या: 893-पी.डी.ए.(ए.एफ.डब्ल्यू.आर)/क/1/cs/NSC (HO)/2020-21/Vol-II/ 3369

दिनांक: 24.12.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली - 110012.

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां। महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां भेजी जा रही है। कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

24/12/2020
(अमिताभ प्रसाद)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:-

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निहित वित्तीय सूचना की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसरण में, स्वतंत्र रूप से की गई लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 12.08.2020 के अनुसार यह बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा कर ली है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों को बिना देखे स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कम्पनी के कर्मचारियों से की गई पूछताछ और कम्पनी के कुछ लेखा रिकार्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित रही है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मानकों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे मतानुसार वित्तीय आंकड़ों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

परिसंपत्ति

व्यापार प्राप्तियाँ (नोट- 15): **रु 41,041.27 लाख**

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट -18): **रु 27,983.38 लाख**

उल्लेखनीय लेखा नीति 2.2.(xxi) (च) में बताया गया है कि सरकारी विभागों / प्राइवेट पार्टियों के विरुद्ध व्यापार प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत बकाए तथा अन्य चालू संपत्तियाँ जो 06 वर्ष या उससे कम अवधि से लंबित हैं तथा प्राइवेट पार्टियों पर 03 वर्ष या कम अवधि के लिए वसूली वाले हैं तथा तदनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है। अपनी लेखाकन नीति के उल्लंघन में कंपनी ने सरकारी विभागों / पार्टियों के विरुद्ध अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/बकाए के लिए प्रावधान नहीं किया है, जो कि छह साल से अधिक अवधि से (बिहार सरकार पर रु. 153.63 लाख, पंजाब सरकार पर रु. 137.16 लाख और उत्तर प्रदेश सरकार पर रु 222.27 लाख) बकाए थे। इसी प्रकार डीलरों पर रु. 98.99 लाख तथा उत्पादकों पर रु. 7.27 लाख बकाए थे, इनका भी प्रावधान नहीं किया गया है जोकि 03 साल से अधिक समय से बकाए थे।

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/बकाए के लिए प्रावधान का सृजन नहीं करने के कारण, "व्यापार प्राप्तियाँ," में रु. 482.16 लाख, "अन्य वित्तीय संपत्तियाँ में" रु. 137.16 लाख अधिक दिखाया गया है परिणामस्वरूप कंपनी के "वर्ष के लिए लाभ" पर रु. 619.32 लाख अधिक बताया गया है।

ख. लाभ प्रदता पर टिप्पणियाँ

लाभ एवं हानि राजस्व का विवरण

(i) परिचालन से राजस्व (टिप्पणी-34)

अन्य परिचालन राजस्व : **रु 9,288.72 लाख**

जैसा कि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 69 में खुलासा किया गया है, कंपनी ने उत्पादन सब्सिडी को वास्तविक खरीद के बजाय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर आंका है तथा लेखांकित किया है। वास्तविक खरीद के आधार के बजाय अनुमान के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का लेखांकन करने के कारण राजस्व के अभिज्ञात से संबंधित इंड एएस 18 का पालन नहीं किया गया है तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों अथवा लेखाकन नीतियों अथवा व्याख्यात्मक दरों पर इंडएएस 1 के मात्र खुलासे से गलत लेखांकन में सुधार नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप "अन्य परिचालन राजस्व" एवं "अन्य प्राप्य" पर रु. 256.90 लाख अधिक दिखाया गया है, जिससे "वर्ष के लिए लाभ" पर यह राशि अधिक दिखाई गई है।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 69 में यह भी बताया गया है कि मंत्रालय के निर्देशानुसार वार्षिक कार्य योजना के आधार पर अनुमानित दरों पर उत्पादन सब्सिडी का लेखांकन किया गया है। यद्यपि, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस प्रकार के निर्देशों की प्रतियाँ रिकार्ड में नहीं पाई गईं और न ही लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध करवाई गईं।



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 12th August 2020.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working paper of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Financial Position

Assets

Trade receivables (Note- 15) : ₹ 41,041.27 lakh

Other Financial Assets (Note-18) : ₹ 27,983.38 lakh

The significant Accounting Policy 2.2 (xxi) (f) states that dues under trade receivables, loans and advances and other current assets against Government Departments/parties outstanding for a period equal to or less than six years and private parties for a period of equal to or less than three are considered good and accordingly provision is made for doubtful debts. In violation of its accounting policy, Company has not made provision for bad and doubtful debts/dues against Government Departments/parties, which were outstanding for a period more than six years (Bihar Government ₹ 153.63 lakh, Punjab Government entity ₹ 137.16 lakh and Uttar Pradesh Government ₹ 222.27 lakh). Similarly, private party outstanding dues of ₹ 98.99 lakh from Dealers and ₹ 7.27 lakh from Growers were also not provided for though were outstanding for a period more than three years.

Non- creation of allowances for bad and doubtful debts/dues has resulted in overstatement of 'Trade Receivables' by ₹ 482.16 lakh, 'Other Financial Assets' by ₹ 137.16 lakh with corresponding overstatement of 'Profit for the year' by ₹ 619.32 lakh.

B. Comments on Profitability

Statement of Profit and loss

Revenue

(i) Revenue from Operations (Note-34)

Other Operating Revenue: ₹ 9,288.72 lakh

As Disclosed under Note 69 to financial statements, Company estimates and accounted production subsidy on the basis of Annual Action Plan (AAP) approved by the Ministry rather than on actual procurement. The accounting of production subsidy on estimation basis instead of actual procurement basis, has resulted in non-adherence to Ind AS 18 regarding revenue recognition and Ind AS 1 as mere disclosure of a practice in Notes to financial statements or accounting policies or explanatory material does not rectify the incorrect accounting treatment. This has resulted into overstatement of 'Other Operating Revenue' and ' Other Receivables' by ₹ 256.90 lakh with corresponding overstatement of 'Profit for the year' by the same amount.

Note 69 to financial statements also states that accounting of production subsidy on estimated basis based on AAP was done at the instructions of the Ministry. However, no such instructions issued by the Ministry were found on records nor was made available to Audit.



(ii) असाधारण मदें {आय/(व्यय)} (टिप्पणी-43): रू. 423.31 लाख

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 जुलाई 2009 के अनुपालन में, कंपनी ने (फरवरी 2010) में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित (आरईडब्ल्यूआर) नाम से कापर्स का सृजन किया गया था जिसमें कंपनी ने कर पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत का अंशदान दिया, जिससे 1 जनवरी 2007 से पूर्व या उसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों की चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वर्ष 2014 में कंपनी ने "सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना के लिए प्रावधान" नाम से एक अलग खाते में अपने हिस्से के अंशदान को रखने की शुरुआत की।

कंपनी के निदेशक मंडल ने जून 2020 में इस योजना की समीक्षा की और सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना के लिए 02 योजनाओं को अनुमोदित किया (यानि (क) 1 जनवरी 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए और (ख) 1 जनवरी 2007 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए)। ये योजनाएं प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेज दी गई थी, जोकि अभी तक प्रतिक्षित हैं। मौजूदा योजना 2010 की समीक्षा के आधार पर कंपनी ने "सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना के लिए बनाए गए प्रावधान" के खाते से अपना अंशदान रू. 360.95 लाख वापस ले लिया है।

चूंकि कंपनी ने लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 जुलाई 2009 के अनुपालन में सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना हेतु अंशदान का प्रावधान किया था और उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय में लंबित होने के कारण कंपनी द्वारा रू 360.95 लाख वापस लिखने का निर्णय समय पूर्व एवं अनियमित था। इसके बजाय, कंपनी को सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना के प्रावधान को बरकरार रखना तथा नई योजना, जिसे 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मिकों के लिए बनाया गया था व निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजा गया था, के लिए आरक्षित में स्थानांतरित किया जाना था। इस प्रकार दोनों प्रस्तावों पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बिना कंपनी ने प्रावधान को दोबारा लिखने के कारण, "सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना" के प्रावधान में रू. 360.95 लाख कम दिखाया गया है जिसके परिणामस्वरूप "वर्ष के लिए लाभ" पर इसी राशि को अधिक दिखाया गया है।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 76 में कहा गया है कि वर्तमान सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना 2010, का अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक नहीं है जैसा कि डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 जुलाई 2009 के अंतर्गत आवश्यक था। इस प्रकार नोट संख्या 76 में कमी है।

ग. खुलासों पर टिप्पणियाँ

(i) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी ने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में विनिवेश की प्रक्रिया का खुलासा नहीं किया गया है। भारत सरकार ने (जनवरी 2020 में) कंपनी के शेयरों को विनिवेश करने का निर्णय लिया था। विनिवेश प्रक्रिया के अनुपालन में कंपनी के शेयरधारकों ने 28 फरवरी 2020 को हुई अपनी असाधारण आम बैठक में कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में परिवर्तित करने का अनुमोदन किया था। कंपनी के निदेशक मंडल ने भी 28 फरवरी 2020 को हुई अपनी उक्त बैठक में विनिवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर कार्रवाई एवं प्रगति के एजेंडे को संज्ञान में लिया था। विनिवेश की प्रक्रिया के तथ्यों का खुलासा नहीं करने के कारण, "वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों" में कमी रह गई है।

(ii) आकस्मिक देनदारियां (टिप्पणी-59)

निम्नलिखित मामले न्यायालयों में लंबित होने से आकस्मिक देनदारियों में, जहां विपरीत पक्षों द्वारा कंपनी के विरुद्ध दावे किए गए हैं, में रू. 3,868.13 लाख कम (अंडरस्टेटमेंट) बताए गए हैं:

(क) पट्टे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के कारण पंजाब सरकार द्वारा रू. 1513.36 लाख की मांग की गई है।

(ख) कर्मचारी संघ द्वारा दाखिल कोर्ट केस से रू. 2040.49 लाख का वित्तीय प्रभाव पड़ा है।

(ग) दिल्ली जिला न्यायालय में लंबित मामला होने से नुकसान के प्रति ठेकेदार द्वारा मांगी गई रू. 314.28 लाख की राशि में से, आकस्मिक देनदारियों में सिर्फ रू. 35.55 लाख ही वसूली वाले दिखाए गए हैं, जबकि रू 278.73 लाख की आकस्मिक देनदारियां छोड़ दी गई हैं।

(ii) Exceptional Items { Income/(Expenses) } (Note-43): ₹ 423.31 lakh

In pursuance of Department of Public Enterprises (DPE) OM dated 8 July 2009, Company (February 2010) created a corpus, namely Retired Employees Welfare Reserve (REWR) by contributing not more than 1.5 percent of profit before tax to take care of medical and any other emergency needs of employees who had retired on or after 1 January 2007. Post 2014, the Company started to keep its share of the contribution in a separate account i.e. 'Provision for Post Retirement Contributory Medical Benefits Scheme.'

The Board of Directors of the Company reviewed the scheme in June 2020 and approved two schemes for post retirement medical benefits (i.e. one scheme for employees retired before 1 January 2007 and another for employees retired on or after 1 January 2007). The schemes were sent to the Administrative Ministry for approval which is awaited. Based on review of existing scheme of 2010, the Company had written back its contribution of ₹ 360.95 lakh made in earlier years from the account ' Provision Maintained for Post Retirement Contributory Medical Benefits Scheme'.

Since the Company had made contribution to post retirement medical benefits scheme in pursuance of DPE OM dated 8 July 2009, and the Administrative Ministry was yet to approve its proposals for the two schemes referred to above, its decision to write back ₹ 360.95 lakh was premature and irregular. Instead, the Company should have retained the provision for post retirement medical benefits and transferred the same into reserve for new scheme that had been approved by the Board of Directors of the Company for employees retired prior to 1 January 2007, and sent to Ministry for approval. Thus , without approval of the two schemes by the Administrative Ministry, the Company's decision to write back provision has resulted in understatement of 'Provision for Post Retirement Contributory Medical Benefits Scheme' by ₹ 360.95 lakh with corresponding overstatement of ' Profit for the year ' by the same amount.

Further Note 76 to financial statements does not state that existing post retirement contributory medical benefit scheme introduced in 2010 does not carry approval of administrative ministry as was required under DPE OM dated 8 July 2009. Thus Note 76 is deficient to the extent.

(c) Comments on Disclosure

(i) Notes to Financial Statements

The Company has not disclosed the facts related to its disinvestment process in the Notes to Financial Statements. Government of India (January 2020) decided to divestment of shares of the Company. To comply with disinvestment process requirements, shareholders of the Company in Extra Ordinary General Meeting held on 28 February 2020 approved the conversion of Company from Private Limited to Public Limited. The Board of Directors of the Company also noted the agenda placed in meeting held on 28 February 2020 regarding developments and actions taken for implementation of disinvestment process. Due to non-disclosure of these facts on disinvestment process, 'Notes to Financial Statements' remained deficient to the extent.

(ii) Contingent Liability (Note-59)

Contingent liabilities are understated by ₹ 3,868.13 lakh due to non-inclusion of following sub-judice cases where claims were raised against the Company by the opposite parties:

- (a) ₹ 1513.36 being sought by Punjab Government towards unauthorized occupation of lease land.
- (b) ₹ 2040.49 lakh being worked out as the financial impact of a case filed by Employee's Union.
- (c) Out of ₹ 314.28 lakh sought by a contractor towards losses suffered through a case pending in the Delhi District Court, only ₹ 35.55 lakh had been considered in the contingent liabilities, leaving out a contingent liability of ₹ 278.73 lakh.



(घ) स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

टिप्पणी 'क', 'ख' (i) और 'ख' (ii) एवं स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 4 "उचित राय का आधार" में दी गई टिप्पणी को देखते हुए, वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (रू. 2,991.95 लाख) जैसा कि कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरणों में दिखाया है, में कंपनी का लाभ रू. 1,714.44 लाख कम हो जाएगा। लाभ एवं हानि विवरण में दिखाए गए कर पश्चात लाभ रू. 2,991.95 लाख 57.30 प्रतिशत तक प्रभावित हुआ है, इसलिए कंपनी का वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण 'सच्चे एवं निष्पक्ष' तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की ओर से दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह आश्वासन उचित नहीं है कि वित्तीय विवरण 'सच्चे एवं निष्पक्ष' प्रस्तुत किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/-

(अमिताभ प्रसाद)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24.12.2020



D. Comment on Independent Auditor's Report

Considering the impact of comments at 'A', 'B (i)' and 'B (ii)' above and comment made by the Independent Auditor in his audit report at para 4 of 'Basis for Qualified Opinion', the profit after tax for the year (₹2,991.95 lakh) as depicted in statement of profit and loss of the company would decrease by ₹ 1,714.44 lakh. The profit after tax for the year of ₹ 2,991.95 lakh depicted in the profit and loss statement is impacted by 57.30 per cent. Hence, the financial statements of the company for the year 2019-20 do not present a 'true and fair view' and it was not proper on the part of Independent Auditor to have provided an assurance in his audit report that the financial statements presented a 'true and fair view'.

**Place : New Delhi
Date : 24.12.2020**

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**Sd/-
(Amitabh Prasad)
Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)**



निदेशक रिपोर्ट-II में परिशिष्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर

टिप्पणी संख्या	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
क	<p>वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ परिसंपत्ति व्यापार प्राप्तियों (नोट- 15): ₹ 41,041.27 लाख अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट -18): ₹ 27,983.38 लाख</p> <p>उल्लेखनीय लेखा नीति 2.2.(i) (च) में बताया गया है कि सरकारी विभागों / प्राइवेट पार्टियों के विरुद्ध व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत बकाए तथा अन्य चालू संपत्तियाँ जो 06 वर्ष या उससे कम अवधि से लंबित हैं तथा प्राइवेट पार्टियों पर 03 वर्ष या कम अवधि के लिए वसूली वाले हैं, तथा तदनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है। अपनी लेखांकन नीति के उल्लंघन में, कंपनी ने सरकारी विभागों / पार्टियों के विरुद्ध अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/बकाए के लिए प्रावधान नहीं किया है, जो कि छह साल से अधिक अवधि से (बिहार सरकार पर ₹. 153.63 लाख, पंजाब सरकार पर ₹. 137.16 लाख और उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹ 222.27 लाख) बकाए थे। इसी प्रकार, डीलरों पर ₹. 98.99 लाख तथा उत्पादकों पर ₹. 7.27 लाख बकाए थे, इनका भी प्रावधान नहीं किया गया है जोकि 03 साल से अधिक समय से बकाए थे।</p> <p>अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/बकाए के लिए प्रावधान का सृजन नहीं करने के कारण, "व्यापार प्राप्य" में ₹. 482.16 लाख, "अन्य वित्तीय संपत्तियाँ" में ₹. 137.16 लाख अधिक दिखाया गया है परिणाम स्वरूप कंपनी के "वर्ष के लिए लाभ" पर ₹. 619.32 लाख अधिक बताया गया है।</p>	<p>(i) ₹. 153.63 लाख (बिहार सरकार) के संबंध में उल्लेख है कि, यह राज्य सरकार द्वारा अवैध रूप से रोका और विलंबित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ 2019 में एक सिविल वसूली मुकदमा दायर किया गया है, जो बिहार के उच्च न्यायालय में चल रहा है। बिहार सरकार द्वारा भुगतान में देरी के लिए एक मात्र मुद्दा, आपूर्ति की गई सामग्री पर लागू दर है, जो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यह दर राज्य सरकार द्वारा, विधिवत रूप से संचालित निविदा प्रक्रिया, जारी आपूर्ति आदेश में अनुमोदित की गई थी तथा आपूर्ति स्वीकार व उपयोग भी गई है। इसी आपूर्ति के लिए एनएससी के खिलाफ सह आपूर्तिकर्ता मैसर्स आईपीएल के केस में इसी आधार पर निर्णय उनके पक्ष में दिया गया है। इसलिए यह केवल वसूली में देरी है तथा कानूनी रूप से बिहार सरकार इस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जिसके लिए एनएससी, बिहार सरकार के खिलाफ मामले की शीघ्र सुनवाई और इसे बंद करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, एनएससी के अधिवक्ता पहले ही सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन भेज चुके हैं। मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण इसमें देरी हो रही है और एनएससी उम्मीद कर रही है कि जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और राशि की वसूली की जाएगी। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए लेखा बहियों में को प्रावधान नहीं किया गया है। यदि तदनुसार और देरी हुई तो इसका प्रावधान 2020-21 के खातों में किया जाएगा।</p> <p>(ii) ₹. 137.16 लाख (पंजाब सरकार) के संबंध में, यह पूर्ववर्ती केन्द्रीय राज्य फार्म, लोढ़ावाल, (वर्ष 2000 के दौरान सरेडर किया गया) के बहुत पुराने मामले से संबंधित है, पूर्ववर्ती एसएफसीआई (जिसे अब एनएससी के रूप में जाना जाता है) से पीएलडी एंड आरसी, पंजाब, सरकार को हस्तांतरित परिसंपत्तियों के मूल्य का भुगतान न करने के कारण एसएफसीआई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त किए। इस मामले में, निर्णय के अनुसार दो पक्ष अर्थात् पीएयू और पीएलडी और आरसी थे। इस निर्णय के आधार पर, पीएयू ने ₹. 117.84 लाख का भुगतान किया है और अपनी देयता को सीमा तक एसएफसीआई के दावे का निपटान किया है, हालांकि पीएलडी और आरसी ने उसी उच्च न्यायालय को डिबीजन बैंक के समक्ष एलपीए दायर की है जो निपटान के लिए लंबित है। यद्यपि, एनएससी ने कोर्ट से एलपीए की जल्द सुनवाई के लिए आवेदन देकर अनुरोध किया है। पीएलडी और आरसी से प्राप्त होने वाली राशि ₹. 137.16 लाख है। एनएससी के अधिवक्ता एलपीए के शीघ्र निपटान के लिए मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। तदनुसार, संदिग्ध ऋणों के लिए बही खातों में प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि, एक पक्ष पहले ही 117.84 लाख ₹. का भुगतान कर चुका है, इसलिए ₹. 37.16 लाख के शेष भाग की वसूली को संदिग्ध नहीं माना गया है और तदनुसार प्रावधान नहीं किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों का खुलासा नोट :61 में किया गया है।</p> <p>(iii) टिप्पणी में दर्शाई गई 222.27 लाख ₹. की बिक्री सब्सिडी राशि, जो 06 वर्ष से अधिक पुरानी है, को संदिग्ध नहीं माना गया है, क्योंकि यह देरी केवल, भारत सरकार की योजना के अनुसार भारत सरकार से राज्य सरकार को धन हस्तांतरण में विलंब के कारण हो रही है। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त सचिव (फसल), भारत सरकार को 1.03.2019 को एक पत्र लिखा है, जिसमें पुरानी बिक्री सब्सिडी (पत्र में उल्लिखित एनएससी व एसएफसीआई के नाम) से संबंधित भुगतानों के लिए फंड जारी करने का अनुरोध किया गया है, इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा एनएससी को फंड जारी करने हेतु मामले को पहले ही सत्यापित, अनुमोदित और विचारित किया जा चुका है, तदनुसार अन्य वित्तीय संपत्तियों में इसे उचित (गुड) ऋण के रूप में माना गया है (नोट-18)</p> <p>(iv) डीलरों से ₹. 98.99 लाख और ग्राहकों से ₹. 7.27 लाख की बकाया राशि के संबंध में, संबंधित कर्मचारियों जिन्होंने क्रेडिट बिक्री की थी, से वसूली जारी है, तथा वसूली संबंधित कर्मचारियों से पूरी तरह से कवरड है, तदनुसार प्रावधान नहीं किया गया है। प्रक्रिया के अनुसार, यदि को कर्मचारी कंपनी की क्रेडिट नीति का पालन नहीं करता है और पार्टी से राशि की वसूली नहीं होती है, तो संबंधित कर्मचारी एनएससी को राशि का निपटान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।</p> <p>चूंकि लेखा परीक्षा द्वारा उल्लिखित सभी बकाया राशि कंपनी के पक्ष में बहुत स्पष्ट मामले हैं, जिनमें उपर्युक्त कारणों से अनावश्यक रूप से देरी हो रही है, कंपनी को इनकी वसूली होने की उम्मीद है। यदि इसमें और अधिक देरी होती है, तो तदनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रावधान कर लिया जाएगा।</p>

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT -II

Management's Reply to the Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31st March, 2020

Com- ment No.	Comments of the comptroller & Auditor General of India	Management Reply
A	<p>Comments on Financial Position Assets Trade Receivables (Note- 15): ₹ 41,041.27 lakh Other Financial Assets (Note-18): ₹ 27,983.38 lakh The Significant Accounting Policy 2.2 (xxi) (f) states that dues under trade receivables, loans and advances and other current assets against Government Departments/parties outstanding for a period equal to or less than six years and private parties for a period of equal to or less than three are considered good and accordingly provision is made for doubtful debts. In violation of its accounting policy, Company has not made provision for bad and doubtful debts/dues against Government departments/parties, which were outstanding for a period more than six years (Bihar Government ₹ 153.63 lakh, Punjab Government ₹ 137.16 lakh and Uttar Pradesh Government ₹ 222.27 lakh). Similarly, private party outstanding dues of ₹ 98.99 lakh from Dealers and 7.27 lakh from Growers were also not provided for though were outstanding for a period more than three years.</p> <p>Non-creation of allowances for bad and doubtful debts/dues has resulted in overstatement of "Trade Receivables" by ₹ 482.16 lakh, "Other Financial Assets" by ₹ 137.16 lakh with corresponding overstatement of "Profit for the year" by ₹ 619.32 lakh.</p>	<p>(i) Regarding ₹ 153.63 lakhs (Bihar Govt.), it is being illegally held and delayed by the State Govt., against which a civil recovery suit filed in 2019, which is in progress at the High Court of Bihar. The only issue for delay in payment by the Government of Bihar is on the applicable rate of the material supplied which is not sustainable since it was approved by the State Govt., in the duly conducted tendering process legally, supply order issued and the supply also accepted and utilized. For the same supply the decision in the case of co-supplier M/s. IPL against NSC went in their favor on this ground also. Hence it is only the delay in realization and legally Government of Bihar is bound to pay the amount for which NSC is making efforts for early hearing and closure of the case against the Government of Bihar. In this respect the Advocate of NSC has already moved applications in the High Court for early hearing. It is delaying due to the prevailing Covid-19 situation and NSC is expecting that the decision will be taken soon and the amount will be realized. Accordingly no provision was created in the books of Account for the year 2019-20. If further delayed accordingly it will be considered in 2020-21 accounts.</p> <p>(ii) Regarding ₹ 137.16 lakhs (Punjab Govt.) it pertains to the very old case of erstwhile CSF Ladhawal (surrendered during the year 2000), due to non-payment of value of assets transferred from erstwhile SFCI (now known as NSC) to PLD & RC, Punjab Govt., SFCI obtained orders in its favor from Punjab & Haryana High Court. In this case, as per the award, there were two parties viz., PAU and PLD & RC. Based on the award, PAU have paid ₹ 117.84 lakhs and settled SFCI's claim to the extent of their liability; PLD & RC have however filed LPA before Division Bench of the same High Court which is pending for disposal. However, NSC has moved applications requesting the Court to make early hearing of the LPA. Amount to be received from PLD and RC is ₹ 137.16 lakhs. NSC counsel is pursuing the matter for expeditious disposal of LPA. Accordingly provision for Doubtful Debts not created in the books of accounts. Since one party has already paid ₹ 117.84 lakhs and settled SFCI's claim to the extent of their liability as per the order of court; hence recovery for the remaining part of ₹ 137.16 lakh is not considered to be doubtful and accordingly provision has not been created. The above facts has been disclosed vide Note: 61.</p> <p>(iii) Amount of sales subsidy of ₹ 222.27 lakhs shown in comment as more than 6 years old is not considered doubtful because it is getting delayed only due to delay in transfer of funds from the GOI to the State Govt., as per the GOI Scheme. Agriculture Director, UP Govt has written a letter on 01.03.2019 to Joint Secretary (Crop) GOI with request to release the fund for payments related to old sales subsidy (name of NSC & SFCI mentioned in letter), hence same has been already verified and approved / considered by the State Govt., to be released to NSC, accordingly considered as good debts in other financial assets (Note-18).</p> <p>(iv) Regarding the dues of ₹ 98.99 lakhs from Dealers and ₹ 7.27 lakhs from Growers, recovery is in progress from concerned employees who had made the credit sales and realization is fully covered from the concerned employees, accordingly provision not made. As per practice if any employee is responsible for credit sales not following the credit policy of the Company and amount is not recovered from the party, the employee concerned is personally liable to settle the amount to NSC. Since all the above dues pointed out by the audit are very clear cases in favour of the Company which are unnecessarily getting delayed due to the reasons mentioned above, Company is hopeful of realizing the same. If it delays further, accordingly provision will be created during FY 2020-21.</p>

टिप्पणी संख्या	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
ख	<p>लाभ प्रदता पर टिप्पणियाँ</p> <p>लाभ एवं हानि राजस्व का विवरण</p> <p>(i) परिचालन से राजस्व (टिप्पणी-34)</p> <p>अन्य परिचालन राजस्व : ₹ 9,288.72 लाख</p> <p>जैसा कि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 69 में खुलासा किया गया है, कंपनी ने उत्पादन सब्सिडी को वास्तविक खरीद के बजाय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एपी) के आधार पर आंका है तथा लेखांकित किया है। वास्तविक खरीद के आधार के बजाय अनुमान के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का लेखांकन करने के कारण, राजस्व के अधिज्ञात से संबंधित इंड एस 18 का पालन नहीं किया गया है तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ अथवा लेखांकन नीतियों अथवा व्याख्यात्मक दरों, पर इंडएस 1 के मात्र खुलासे से गलत लेखांकन में सुधार नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप "अन्य परिचालन राजस्व" एवं "अन्य प्राप्य" पर ₹. 256.90 लाख अधिक दिखाया गया है, जिससे "वर्ष के लिए लाभ" पर यह राशि अधिक दिखा गई है।</p> <p>वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 69 में यह भी बताया गया है कि मंत्रालय के निर्देशानुसार वार्षिक कार्य योजना के आधार पर अनुमानित दरों पर उत्पादन सब्सिडी का लेखांकन किया गया है। यद्यपि, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऐसे को भी निर्देश की पूर्तियां रिकार्ड में नहीं पाए गए और न ही लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए।</p> <p>(ii) असाधारण मदें (आय /व्यय) (टिप्पणी-43):₹. 423.31 लाख</p> <p>लोक उद्यम विभाग (डीपी) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 जुलाई 2009 के अनुपालन में, कंपनी ने (फरवरी 2010) में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित (आर डब्ल्यूआर) नाम से कापर्स का सृजन किया गया था जिसमें कंपनी ने कर पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत का अंशदान दिया, जिससे 1 जनवरी 2007 से पूर्व या उसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा हो सके। वर्ष 2014 में कंपनी ने "सेवानिवृत्त उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना के लिए प्रावधान" नाम से एक अलग खाते में अपने हिस्से के अंशदान को रखने की शुरुआत की।</p> <p>कंपनी के निदेशक मंडल ने जून 2020 में इस योजना की समीक्षा की और सेवानिवृत्त उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना के लिए 02 योजनाओं को अनुमोदित किया (यानि (क) 1 जनवरी 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए और (ख) 1 जनवरी 2007 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए)। ये योजनाएं प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेज दी गई थी, जोकि अभी तक प्रतिक्षित है। मौजूदा योजना 2010 की समीक्षा के आधार पर कंपनी ने "सेवानिवृत्त उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना के लिए बनाए गए प्रावधान" के खाते से अपना अंशदान रु. 360.95 लाख वापस ले लिया है।</p> <p>चूंकि कंपनी ने लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 जुलाई 2009 के अनुपालन में सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ योजना हेतु अंशदान का प्रावधान किया था और उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव</p>	<p>प्रबंधन का जवाब</p> <p>i) जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्पादन सब्सिडी का लेखा-जोखा वास्तव में भारत सरकार द्वारा 2019-20 के लिए जारी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, क्रियान्वित उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत सख्ती से किया गया है। यह कृषि क्षेत्र में विशेषकर एनएससी के लिए विशिष्ट मुद्दा है। जहां उत्पादन मौसम अनुरूप अथवा खरीफ, रबी और ग्रीष्मऋतु पर आधारित है। चूंकि उत्पादन सब्सिडी उत्पादन संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति का एक भाग है। इसलिए, इस क्षेत्र के लिए अपना गतिविधि सबसे उपयोगी है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत उत्पादन के बाद बीजों में अंतिम उत्पादन आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। एक मौसम के दौरान उत्पादित बीज अगले वर्ष उसी मौसम के दौरान ही बिक्री के लिए तैयार होगा। जब वित्तीय वर्ष के साथ तुलना की जाएगी तो हमेशा ओवरलेपिंग होगी। चूंकि अनुमोदित सब्सिडी उस वित्तीय वर्ष में मौसम के दौरान लागू वास्तविक उत्पादन के आधार पर बनाई जाती है। इसलिए, अक्सर अंतर नाम मात्र का होता है जो वास्तविक आधार पर अगले वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है। यह अंतर कभी-कभी वास्तविक से अधिक तथा कभी-कभी कम होगा। जैसा कि लेखा परीक्षकों द्वारा बताया गया है कि यदि सब्सिडी की वास्तविक खरीद पर हिसाब लगाया जाता है तो सब्सिडी का बड़ा हिस्सा पिछले वित्तीय वर्ष/वर्षों से संबंधित होगा।</p> <p>अतः उल्लिखितानुसार वर्ष 2019-20 से संबंधित ₹. 256.90 लाख के अंतर की उत्पादन सब्सिडी का अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन किया जाएगा। तदनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित 382 लाख रु की राशि को कटौती के रूप में अन्य परिचालन राजस्व में 2019-20 के दौरान समायोजित किया गया है। इसलिए ₹. 125.10 लाख वित्तीय वर्ष 2019-20 में निवल प्रभाव एवं परिचालन राजस्व और वर्ष के लिए लाभ में अंडरस्टैटमेंट है और लेखा परीक्षा द्वारा बताए गए बिन्दुओं के अनुसार, ओवरस्टैटमेंट नहीं है।</p> <p>जैसे कि लेखा परीक्षा द्वारा उल्लेख किया गया है कि यह मुद्दा तत्कालीन संयुक्त सचिव (फसल) द्वारा आयोजित नियमित बैठकों में से एक बैठक में तय किया गया था ताकि एएपी सहित लेखा परीक्षित खातों के साथ कंपनी के सब्सिडी दावों को तुलना की जा सके। तदनुसार, कंपनी वित्तीय वर्ष 2014-15 से लगातार उत्पादन सब्सिडी का लेखा जोखा रख रहा है। मंत्रालय ऐसी सभी नियमित बैठकों के कार्यवृत्त तैयार नहीं कर रहा है।</p> <p>चूंकि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कंपनी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से फिर से समीक्षा करेगी कि इंड एस 115 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष के दौरान (जिसमें पिछले वर्ष की वार्षिक कार्य योजना शामिल है) तैयार उत्पादन पर आधारित उत्पादन सब्सिडी पर पुनः विचार करें या नहीं, चूंकि यह मंत्रालय द्वारा दी गई वार्षिक कार्य योजना के साथ मेल नहीं खाएगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>(ii) हालांकि लेखा परीक्षा की टीम को कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियां प्रदान की गई हैं तथा इनके संबंध में विस्तार से बताया गया है। लेखांकन लेखा परीक्षा द्वारा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबंध में कुछ गलतफहमी और गलत व्याख्या को नोट किया गया है। इसलिए लेखा परीक्षा का अवलोकन भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं है। संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.07.2009 के दिशानिर्देश 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से संबंधित है तथा 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित नहीं है, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा बताया गया है। अतः यह योगदान कर पूर्व लाभ के 1.5% से अधिक नहीं है और कापर्स केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जो कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे कि 01.01.2007 के बाद। यह डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.07.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसा कि लेखा परीक्षा के लिए स्पष्ट किया गया था कि कंपनी ने उसी समय के दौरान पहले नृटिवश व्याख्या की थी कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के बिना प्रतिवर्ष नियमित रूप से कर पूर्व लाभ का 1.5% उपलब्ध करवा रही थी तथा लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दु के अनुसार कंपनी द्वारा कापर्स नहीं बनाया गया। कंपनी द्वारा संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए को कापर्स नहीं बनाया गया था तथा न ही मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। बल्कि नृटिवश खाते में कर पूर्व लाभ का 1.5% नियमित रूप से उपलब्ध करवाती रही है। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कर पूर्व लाभ 1.5% उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल प्रारंभिक वर्ष के दौरान सुनिश्चित किया जाना था तथा बाद के वर्षों के लिए वास्तविक आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाना था तथा कापर्स बनाया जाना था। उस समय कंपनी द्वारा तैयार की गई योजना जो कि अब तक जारी है, वह 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित है, जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शासित है। इसके लिए मंत्रालय से योजना के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा दिशानिर्देशों के अनुसार, योगदान समय सेवानिवृत्त लाभों के लिए मूल बतन + डीए के 30% से अधिक</p>

Comment No.	Comments of the comptroller & Auditor General of India	Management Reply
B	<p>Comments on Profitability Statement of Profit and loss Revenue</p> <p>(i) Revenue from Operations (Note-34) Other Operating Revenues: ₹9,288.72 lakh</p> <p>As disclosed under Note 69 to financial statements, Company estimates and accounted production subsidy on the basis of Annual Action Plan (AAP) approved by the Ministry rather than on actual procurement. The accounting of production subsidy on estimation basis instead of actual procurement basis, has resulted in non-adherence to Ind AS 18 regarding revenue recognition and Ind AS 1 as mere disclosure of a practice in Notes to financial statements or accounting policies or explanatory material does not rectify the incorrect accounting treatment. This has resulted into overstatement of "Other Operating Revenue" and "Other Receivables" by ₹ 256.90 lakh with corresponding overstatement of 'Profit for the year' by the same amount.</p> <p>Note 69 to financial statements also states that accounting of production subsidy on estimated basis based on AAP was done at the instructions of the Ministry. However, no such instructions issued by the Ministry were found on records nor was made available to Audit.</p> <p>(ii) Exceptional Items {Income/(Expenses)} (Note-43): ₹ 423.31 lakh</p> <p>In pursuance of Department of Public Enterprises (DPE) OM dated 8 July 2009, Company (February 2010) created a corpus, namely Retired Employees Welfare Reserve (REWR) by contributing not more than 1.5 per cent of profit before tax to take care of medical and any other emergency needs of employees who had retired on or after 1 January 2007. Post 2014, the Company started to keep its share of the contribution in a separate account i.e. "Provision for Post Retirement Contributory Medical Benefits Scheme".</p> <p>The Board of Directors of the Company reviewed the scheme in June 2020 and approved two schemes for post retirement medical benefits (i.e. one scheme for employees retired before 1 January 2007 and another for employees retired on or after 1 January 2007). The schemes were sent to the Administrative Ministry for approval which is awaited. Based on review of existing scheme of 2010, the Company had written back its contribution of ₹ 360.95 lakh made in earlier years from the account "Provision Maintained for Post Retirement Contributory Medical Benefits Scheme".</p>	<p>i) As explained to audit, the Accounting for Production Subsidy was done strictly in line with production programme actually implemented as per Annual Action Plan for 2019-20 issued by the GOI. It is a specific issue exclusively for NSC being in Agriculture Sector where production is based on the seasons viz., Kharif, Rabi and Summer. Since production subsidy is towards reimbursement of part production related expenses, the method adopted is the most appropriate one for this sector. Unlike other sectors, the final product is not readily available in seeds after production. The seed produced during a season will be ready for sale only during the same season of next year. There will always be overlapping when compared with the financial year. Since estimated subsidy is made based on actual production implemented during the seasons in that financial year, the difference used to be nominal which is getting adjusted during the next financial year based on actuals. The difference will be sometimes more and sometimes less than the actuals. As pointed out by audit, if the subsidy is accounted on actual procurement, then major portion of the subsidy will be pertaining to the previous financial year(s) only.</p> <p>As mentioned above the differential production subsidy of ₹ 256.90 lakhs pertaining to 2019-20 will be adjusted in next financial year. Accordingly an amount of ₹ 382 lakhs pertaining to the previous financial year 2018-19 has been adjusted during 2019-20 in the Other Operating Revenue as a deduction. Hence the net impact in FY 2019-20 is understatement of 'Other Operating Revenue' and 'Profit for the year' by ₹ 125.10 lakhs and not overstatement as pointed out by the audit.</p> <p>As explained to audit, the issue was decided in one of the routine meetings conducted by the then JS (Crops), in order to compare the subsidy claims of the Company matching with the AAP as well as the audited accounts. Accordingly the Company is accounting the production subsidy consistently from the FY 2014-15 onwards. Ministry is not preparing minutes of all such routine meetings.</p> <p>Since pointed out by the audit, the Company will review again in consultation with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, whether to consider subsidy based on production made during the Financial Year (which includes Annual Action Plan of previous year) in the context of Ind AS 115, since it will not match with the Annual Action Plan given by the Ministry, and accordingly action will be taken during FY 2020-2021.</p> <p>(ii) Though copies of all the O.Ms provided and explained to the audit team in detail, there is some misunderstanding / misinterpretation of the GOI guidelines by the audit. Hence the observation of audit is not in line with the GOI guidelines. The guidelines of referred O.M dated 08.07.2009 pertains to the employees retired before 01.01.2007 and not after 01.01.2007 as pointed out by the audit. Hence the contribution of not more than 1.5% of PBT and the corpus applies to those employees retired before 01.01.2007 only and not after 01.01.2007. This has been clarified by DPE vide O.M dated 20.07.2011. As explained to the audit, the Company also had wrongly interpreted earlier during that time and was providing 1.5% of PBT regularly every year without a scheme approved by the administrative Ministry and no corpus was created by the.</p>

टिप्पणी संख्या	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
ख	<p>प्रशासनिक मंत्रालय में लंबित होने के कारण कंपनी द्वारा रु 360.95 लाख वापस लिखने का निर्णय समय पूर्व एवं नियमित था। इसके बजाय, कंपनी को सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना के प्रावधान को बरकरार रखना तथा न योजना, जिसे 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मिकों के लिए बनाया गया था व निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजा गया था, के लिए आरक्षित में स्थानांतरित किया जाना था। इस प्रकार दोनों प्रस्तावों पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बिना कंपनी ने प्रावधान को दोबारा लिखने के कारण, "सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना" के प्रावधान में रु. 360.95 लाख कम दिखाया गया है जिसके परिणामस्वरूप "वर्ष के लिए लाभ" पर इसी राशि को अधिक दिखाया गया है।</p> <p>वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 76 में कहा गया है कि वर्तमान सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना 2010, का अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक नहीं है जैसा कि डीपी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 जुलाई 2009 के अंतर्गत आवश्यक था। इस प्रकार नोट संख्या 76 में कमी है।</p>	<p>नहीं होना चाहिए। दिशानिर्देशों में कापर्स के निर्माण को अनिवार्य नहीं किया गया है। दोनों योजनाएं पूरी तरह से अलग-अलग हैं जिनका एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार के दोनों तरह के दिशानिर्देशों का अध्ययन किया गया था और तदनुसार 10 जून, 2020 को आयोजित 289 वीं बैठक में निदेशक मंडल के सामने रखा गया था। भारत सरकार के दिशानिर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तय व अनुमोदित किया गया है:</p> <p>(i) 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए एक नई योजना तैयार की गई है और प्रारम्भिक वर्ष कर पूर्व लाभ की 1.5% राशि स्वरूप रु. 119.76 लाख की राशि रखी गई है जिसे रिजर्व के तहत रखा जाएगा और इस योजना को अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाएगा। अनुमोदन प्राप्त होने पर योजना को भावी प्रभाव से लागू किया जाएगा और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए कापर्स बनाया जाएगा।</p> <p>(ii) 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मौजूदा योजना के लिए प्रस्तावित कुछ संशोधनों को निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई थी तथा वर्ष 2019-20 के मूल वेतन + डीए का 30% का खाते में प्रावधान रखने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उपर्युक्त 01 व 02 पर तैयार योजना के बाद निदेशक मंडल द्वारा रु. 360.95 लाख की सीमा तक, दिशानिर्देशों के अनुसार, आवश्यक स्तर से परे खाते में किए गए, त्रुटिपूर्ण अतिरिक्त प्रावधानों को दोबारा लिखने के लिए अनुमोदित किया गया।</p> <p>कंपनी ने केवल अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण प्रावधानों को दोबारा लिखा है तथा इसलिए दोबारा लिखा गया आधिक्य का लेखाकन सुव्यवस्थित है तथा समय से पूर्व अनियमित नहीं है जैसा कि लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है। दोनों योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक स्तर, रिजर्व/प्रावधानों के तहत रखा गया है और को अनियमितताएं नहीं हैं।</p> <p>कंपनी में अनुमोदन के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया है। कंपनी ने केवल 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित दिशानिर्देशानुसार न प्रस्तावित योजना को ही मंत्रालय के अनुमोदन हेतु भेजा है न कि 01.01.2007 के बाद के लिए पहले से मौजूद योजना को, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा बताया गया है। यह कहना गलत है कि "इसके बजाय, कंपनी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों के प्रावधानों को बनाए रखना चाहिए था और नई योजना के लिए रिजर्व में/स्थानांतरित करना चाहिए था जोकि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मिकों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया था"। कंपनी नोट-22 में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण रिजर्व के तहत रु. 119.76 लाख का रख-रखाव कर रही है जो दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभावी वर्ष के कर पूर्व लाभ के 1.5% के बराबर है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।</p> <p>इसके आगे टिप्पणी-76, 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित योजना से संबंधित है। जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया गया है कि 2010 में शुरू की गई मौजूदा सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना वास्तव में उन कर्मचारियों से संबंधित है जो 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए, जिसके लिए मंत्रालय से स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है। डीपी का दिनांक 08.07.2009 का संदर्भित कार्यालय ज्ञापन 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। इसलिए नोट क्रम में है और अधूरा नहीं है जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा बताया गया है।</p>

Com- ment No.	Comments of the comptroller & Auditor General of India	Management Reply
B	<p>Since the Company had made contribution to post retirement medical benefits scheme in pursuance of DPE OM dated 8 July 2009, and the Administrative Ministry was yet to approve its proposals for the two schemes referred to above, its decision to write back ₹360.95 lakh was premature and irregular. Instead, the Company should have retained the provision for post retirement medical benefits and transferred the same into reserve for new scheme that had been approved by the Board of Directors of the Company for employees retired prior to 1 January 2007, and sent to Ministry for approval. Thus, without approval of the two schemes by the Administrative Ministry, the Company's decision to write back provision has resulted in understatement of Provision for Post Retirement Contributory Medical Benefits Scheme' by ₹ 360.95 lakh with corresponding overstatement of Profit for the year' by the same amount.</p> <p>Further Note 76 to financial statement does not state that existing post retirement contributory medical benefit scheme introduced in 2010 does not carry approval of administrative ministry as was required under DPE OM dated 8 July 2009. Thus Note 76 is deficient to the extent.</p>	<p>Company as pointed out by the audit. There was no scheme framed by the Company and sent to Ministry for approval for those employees retired before 01.01.2007 as per the referred O.M, but continuously providing 1.5% of PBT wrongly in the accounts. As per the guidelines, there is no need to provide 1.5% of PBT every year. It has to be ensured only during the initial year and for the subsequent years, as per the actual need only the required level to be provided and corpus to be maintained. The scheme framed by the Company at that time which is continuing as of now also is pertaining to the employees retired after 01.01.2007 which is governed by a different GOI guidelines. For this, there is no need for Ministry's approval of scheme and as per the guidelines, the contribution should not exceed 30% of the Basic + DA overall superannuation benefits. The guidelines doesn't mandate creation of corpus also. Both are totally different schemes which has no relation with each.</p> <p>During 2019-20, both the GOI guidelines were thoroughly studied and accordingly the facts were placed before the Board in its 289th meeting held on 10th June, 2020. To give effect to the GOI guidelines, it has been decided and approved by the Board as below:</p> <p>(i) A new scheme has been framed and approved for those employees retired before 01.01.2007 by keeping 1.5% of PBT of the initial year amounting to ₹ 119.76 lakhs which will be kept under Reserve and the scheme will be sent to the administrative Ministry for approval. On receipt of approval, the scheme will be implemented from prospective effect only and the corpus will be created for those employees retired before 01.01.2007.</p> <p>(ii) For the already existing scheme which is applicable to those employees retired after 01.01.2007, few amendments proposed in the scheme were approved by the Board and it has been decided to keep 3% of Basic pay + DA of 2019-20 as Provision in the books. Accordingly the wrong excess provisions made in the books so far beyond the required level, as per the guidelines, to the extent of ₹ 360.95 lakhs, after considering (i) and (ii) above, approved by the Board for written back.</p> <p>The Company has written back only the excess wrong provisions and hence the accounting of excess written back is in order and not premature and irregular as pointed out by the audit. The required level as per the guidelines is kept under Reserve/ Provisions for both the schemes and there is no irregularity.</p> <p>The Company has sent to the Ministry for approval, only the new proposed scheme pertaining to those employees retired before 01.01.2007, as per the guidelines and not the scheme already existing for those retired after 01.01.2007, as pointed out by audit. It is incorrect to say that "Instead, the Company should have retained the provision for post retirement medical benefits and transferred the same into reserve for new scheme that had been approved by the Board of Directors of the Company for employees retired prior to 1 January 2007, and sent to Ministry for approval". The Company is retaining ₹ 119.76 lakhs under Retired Employees Welfare Reserve, as in Note 22 which is equivalent to 1.5% of PBT of the initial year as per the guidelines and approved by the Board.</p> <p>Further Note 76 pertains to the new scheme proposed for those retired before 01.01.2007. As pointed out by the audit, the existing post retirement contributory medical scheme introduced in 2010 actually pertains to those retired after 01.01.2007 which doesn't require Ministry's approval. The referred DPE O.M dated 08.07.2009 pertains to those retired before 01.01.2007. Hence the Note is in order and not deficient, as pointed out by audit</p>

टिप्पणी संख्या	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
ग	<p>खुलासों पर टिप्पणियां (i) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां</p> <p>कंपनी ने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में विनिवेश की प्रक्रिया का खुलासा नहीं किया है। भारत सरकार ने (जनवरी 2020 में) कंपनी के शेयरों को विनिवेश करने का निर्णय लिया था। विनिवेश प्रक्रिया के अनुपालन में, कंपनी के शेयरधारकों ने 28 फरवरी 2020 को हुई अपनी असाधारण आम बैठक में कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में परिवर्तित करने का अनुमोदन किया था। कंपनी के निदेशक मंडल ने भी 28 फरवरी 2020 को हु अपनी उक्त बैठक में विनिवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर कार्रवाई एवं प्रगति के एजेंडे को संज्ञान में लिया था। विनिवेश की प्रक्रिया के तथ्यों का खुलासा नहीं करने के कारण, "वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां" में कमी रह गई है।</p> <p>(ii) आकस्मिक देनदारियां (टिप्पणी-59)</p> <p>निम्नलिखित मामले न्यायालयों में लंबित होने से आकस्मिक देनदारियों में, जहां विपरीत पक्षों द्वारा कंपनी के विरुद्ध दावे किए गए हैं, में रू. 3,868.13 लाख कम (अंडरस्टेटमेंट) बताए गए हैं:</p> <p>(क) पट्टे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के कारण पंजाब सरकार द्वारा रू. 1513.36 लाख की मांग की गई है।</p> <p>(ख) कर्मचारी संघ द्वारा दाखिल कोर्ट केस से रू. 2040.49 लाख का वित्तीय प्रभाव पड़ा है।</p> <p>(ग) दिल्ली जिला न्यायालय में लंबित मामला होने से नुकसान के प्रति ठेकेदार द्वारा मांगी ग रू. 314.28 लाख की राशि में से, आकस्मिक देनदारियों में सिर्फ रू. 35.55 लाख वसूली वाले दिखाए गए हैं, जबकि रू 278.73 लाख की आकस्मिक देनदारियां छोड़ दी गई हैं।</p>	<p>प्रबंधन का जवाब</p> <p>(i) 10 अगस्त, 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में संपूर्ण शेयर पूंजी के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम जारी करना, शेयर प्रमाणपत्र संख्या 42 को पब्लिक लिमिटेड स्थिति से प्राइवेट लिमिटेड स्थिति में रूपांतरण को प्रभावी करने के लिए 06 शेयर प्रमाणपत्रों में विभाजित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। 10 अगस्त, 2020 को निदेशक मंडल की बैठक में वर्ष 2019-20 के कंपनी के लेखों को भी प्रस्तुत एवं अनुमोदित किया गया था, और इसलिए वर्ष 2019-20 के लिए खातों में प्रकटीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि, इस फ्रंट पर 10 अगस्त, 2020 के बाद प्रभावी प्रगति हो रही है। इसलिए वर्ष 2020-21 के दौरान विनिवेश पर उचित विकास एवं उचित खुलासों का खुलासा किया जाएगा।</p> <p>(ii) इंड एएस- 37 के अनुसार, आकस्मिक देयताएं अभिज्ञात की जाती हैं :</p> <p>क) (i) जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक संभावित दायित्व होता है। इस मामले में एनएससी पर सिर्फ एक मांग, जो इसके द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, को संभावित देयता नहीं है।</p> <p>(ii) जिसकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने वाली घटना के घटित होने या न होने से होगी।</p> <p>उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, पूर्ववर्ती एसएफसीआई के पीएफसीडी और आरसी, पंजाब सरकार द्वारा रु 137.16 लाख के निपटान के संदर्भ में, उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 'क' के संदर्भ में। यह राशि निवल है जिसे केराफा, लोढ़ावाल को सौंपने पर दोनों पक्षों की ओर से सभी लागू देयताओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया था। इसलिए इंड एएस- 37 के अनुसार आकस्मिक देयता नहीं माना गया।</p> <p>ख) कोर्ट केस में कर्मचारी संघ की प्रार्थना बहुत स्पष्ट है कि उन्हें भी प्रोग्रेड किया जाना है, यदि 5 महा प्रबंधकों को दिए गए अपग्रेड वैध हैं और यह अवैध है तो 5 महा प्रबंधकों को दिए गए अपग्रेड को वापस लेना होगा। चूंकि विस्तृत परीक्षा के बाद, वर्तमान प्रबंधन की भी यह राय है कि 5 महाप्रबंधकों को दिया गया अपग्रेड अनियमित/अवैध था, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवा की गई है और बोर्ड के अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने भी उस समय की गई कार्रवा को रद्द कर दिया है तथा कंपनी के संबंधित महाप्रबंधकों को वसूली पत्र भेजा गया है। लेनदेन लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने भी इस अनियमितता पर एक पैरा जारी किया है और कंपनी को इस तरह के उन्नयन के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतानों को पुन भुगतान करने की सलाह दी है। चूंकि कर्मचारी संघ की प्रार्थना के अनुसार कार्रवा की गई है और इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज अदालत में दायर किए गए हैं, और यह भी कि यह तत्कालीन प्रबंधन द्वारा की गई अनियमितता है। कर्मचारी ऐसे अपग्रेडेशन के लिए पात्र नहीं हैं, जो अवैध है। इसलिए इसे खातों में आकस्मिक देयता के रूप में नहीं माना गया है।</p> <p>ग) हालांकि, ठेकेदार ने अपने दावों के विवरणों में बहुत सारी अप्रासंगिक राशि का दावा किया है, जो कि पार्टी के साथ संविदा अनुबंध में शामिल नहीं हैं। आरए गुप्ता ठेकेदार के पक्ष में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा प्रदान किया गया अंतिम निर्णय रू 6.38 लाख के ब्याज के साथ रु 29.17 लाख देय बनता है, जिसके लिए रू 35.55 लाख की आकस्मिक देयता पर विचार किया गया है। चूंकि, कंपनी ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया है और अपील दायर की है।</p>

Com- ment No.	Comments of the comptroller & Auditor General of India	Management Reply
C	<p>Comments on Disclosure (i) Notes to Financial Statements</p> <p>The Company has not disclosed the facts related to its divestment process in the Notes to Financial Statements. Government of India (January 2020) decided to divestment of shares of the Company. To comply with divestment process requirements, shareholders of the Company in Extra Ordinary General Meeting held on 28 February 2020 approved the conversion of Company from Private Limited to Public Limited. The Board of Directors of the Company also noted the agenda placed in meeting held on 28 February 2020 regarding developments and actions taken for implementation of divestment process. Due to non-disclosure of these facts on divestment process, 'Notes to Financial Statements' remained deficient to the extent.</p> <p>(ii) Contingent Liability (Note-59)</p> <p>Contingent liabilities are understated by ₹ 3,868.13 lakh due to non-inclusion of following sub-judice cases where claims were raised against the Company by the opposite parties:</p> <p>(a) ₹ 1513.36 being sought by Punjab Government towards unauthorized occupation of lease land.</p> <p>(b) ₹ 2040.49 lakh being worked out as the financial impact of a case filed by Employee's Union.</p> <p>(c) Out of ₹ 314.28 lakh sought by a contractor towards losses suffered through a case pending in the Delhi District Court, only ₹ 35.55 lakh had been considered in the contingent liabilities, leaving out a contingent liability of ₹ 278.73 lakh.</p>	<p>(i) Resolution was passed in the Board meeting held on 10th August 2020, to split the share certificate no.42 issued in the name of the Hon'ble President of India for entire share capital, into six share certificates to give effect to the conversion of private limited status to the public limited status. The Accounts 2019-20 of the Company was also placed and approved in the same Board meeting on 10.08.2020 and therefore the disclosure was not taken into consideration in the accounts for the year 2019-20. Since the effective progress on this front is happening subsequent to 10.08.2020, appropriate disclosures and developments on divestment shall be disclosed accordingly during the year 2020-21.</p> <p>(ii) As per Ind AS 37, contingent liability is recognized:</p> <p>a) (i) When there is a possible obligation as a result of past event. In this case there is no possible obligation due to just raising of a demand on NSC not accepted by it.</p> <p>(ii) Existence of which will be confirmed by the occurrence or non occurrence of future event.</p> <p>This is with reference to the same comment no. 'A' above with reference to ₹ 137.16 lakhs to be settled by PLD & RC, Punjab Government to erstwhile SFCI, as per the High Court Order. This amount is the net which was finalized after taking into consideration all the legal applicable dues from both sides, on handing over of the CSF Ladhawal Farm. Hence it was not considered as contingent liability as per Ind AS 37.</p> <p>b) The Employees Association prayer in the Court case is very clear that they have also to be upgraded if the upgradation given to the 5 GMs are legal and if it is illegal then the upgradation given to the 5 GMs has to be withdrawn. Since the present Management also after detailed examination, is of the opinion that the upgradation given to the 5 GMs was irregular / illegal, disciplinary action has been taken against the Official responsible and the Board being the disciplinary authority also has annulled the action taken at that time and Company has sent recovery letter to the concerned GMs. CAG themselves during the transaction audit have issued a para on this irregularity and advised the Company to recover the excess payments made due such upgradation. Since action has been taken as per the prayer of the Employees Association and necessary documents in this regard filed in the Court, and also it is an irregularity committed by the then Management, the employees are not eligible for such upgradation which is illegal. Hence it is not treated as Contingent liability in the books.</p> <p>c) Though the Contractor has claimed lot of irrelevant amounts in his claims statement which are not covered in the contract agreement entered into with the party, the final award granted by the sole arbitrator in favor of RA Gupta contractor was for ₹ 29.17 lakhs plus interest of ₹ 6.38 lakhs approx, against which contingent liability of ₹ 35.55 lakhs has been considered since the Company has not accepted this also in the award and has filed appeal.</p>

टिप्पणी संख्या	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
घ	<p>स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी</p> <p>टिप्पणी 'क', 'ख' (i) और 'ख' (ii) एवं स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 4 "उचित राय का आधार" में दिए गए टिप्पणी को देखते हुए, वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (रु. 2,991.95 लाख) जैसा कि कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरणों में दिखाया है, में कंपनी का लाभ रु. 1,714.44 लाख कम हो जाएगा। लाभ एवं हानि विवरण में दिखाए गए कर पश्चात लाभ रु. 2,991.95 लाख 57.30 प्रतिशत तक प्रभावित हुआ है, इसलिए कंपनी का वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण 'सच्चे एवं निष्पक्ष' तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की ओर से दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह आश्वासन उचित नहीं है कि वित्तीय विवरण 'सच्चे एवं निष्पक्ष' प्रस्तुत किए गए हैं।</p>	<p>i) उपर्युक्त टिप्पणी संख्या क के उत्तर में कुल रु.619.32 लाख के गैर-प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।</p> <p>ii) ऊपर दी गई टिप्पणी संख्या ख (i) के अनुसार, रु.256.90 लाख की उत्पादन सब्सिडी के संदर्भ में, 2019-20 के दौरान रु. 382 लाख की विसंगतियों पर विचार करने के बाद वर्ष के लिए लाभ का अंडरस्टेटमेंट शुद्ध प्रभाव केवल रु.125.10 लाख है तथा लेखा परीक्षा द्वारा इंगित विवरण के अनुसार कोई ओवरस्टेट नहीं है।</p> <p>iii) पहले के वर्षों में गलत तरीके से किए गए रु. 360.95 लाख के अतिरिक्त प्रावधानों को निदेशक मंडल के अनुमोदनानुसार लागू डीपीई दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के बाद वापस लिखा गया था, जैसा कि उपर्युक्त टिप्पणी संख्या ख(ii) के ऊपर विस्तृत रूप से वर्णित है। इसलिए, यह क्रम में है।</p> <p>iv) स्वतंत्र राय के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के आधार में, केंद्रीय राज्य फार्म, बहराइच से वसूली के लिए उल्लिखित रु. 477 लाख भी उत्तर प्रदेश सरकार को फार्म सौंपने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त हाई पावर कमेटी द्वारा कंपनी के पक्ष में अंतिम निवल निपटान भुगतान से संबंधित है।</p> <p>उपर्युक्त (i) और (iv) में उल्लिखित बकाया राशि विभिन्न राज्य सरकारों और कंपनी के पक्ष में बहुत अधिक हैं। उपर्युक्त (ii) का शुद्ध प्रभाव भी केवल वर्ष के लिए लाभ की अंडरस्टेटमेंट और उपर्युक्त (iii) में भारत सरकार द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद वापस लिखे गए प्रावधानों से है। इसलिए, उपर्युक्त के मद्देनजर, वित्तीय विवरण एक 'सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत करता है।</p>

Com- ment No.	Comments of the comptroller & Auditor General of India	Management Reply
D	<p>Comment on Independent Auditor's Report</p> <p>Considering the impact of comments at 'A', 'B(i)' and 'B(ii)' above and comment made by the Independent Auditor in his audit report at para 4 of "Basis for Qualified Opinion", the profit after tax for the year (₹ 2,991.95 lakh) as depicted in statement of profit and loss of the company would decrease by ₹ 1,714.44 lakh. The profit after tax for the year of ₹ 2,991.95 lakh depicted in the profit and loss statement is impacted by 57.30 <i>per cent</i>. Hence, the financial statements of the company for the year 2019-20 do not present a 'true and fair view' and it was not proper on the part of Independent Auditor to have provided an assurance in his audit report that the financial statements presented a 'true and fair view'.</p>	<p>i) Non provisioning of total ₹.619.32 lakhs clarified in detail in the reply to Comment no 'A' above.</p> <p>ii) With reference to production subsidy of ₹256.90 lakhs, as replied in detail to Comment no. B(i) above, after considering previous financial year's reversal of ₹ 382 lakhs during 2019-20, the net effect is only understatement of profit for the year by Rs 125.10 lakhs and there is no overstatement as pointed out by audit.</p> <p>iii) Excess provision of ₹360.95 lakhs wrongly created in earlier years was written back after strictly complying with the applicable DPE guidelines, as approved by the Board and as detailed in the reply to Comment no. B (ii) above. Hence it is in order.</p> <p>iv) In Independent auditors' Basis for qualified opinion, ₹477 lakhs mentioned for recoverable from CSF Bahraich also pertains to the final net settlement on handing over the farm to UP Government, as finalized by the High Power Committee appointed by the UP High Court, in favour of the Company.</p> <p>Majority of the dues mentioned in (i) and (iv) above are from various State Governments and very much in favour of the Company. The net impact of (ii) above is also understatement of profit for the year only and the written back as in (iii) above is after complying with the applicable GOI guidelines. Hence, in view of the above, the financial statements presents a 'true and fair view'.</p>



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

उचित राय

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ("निगम") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित) तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ जिसमें उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। इन इन्डएस वित्तीय विवरणों में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय— चंडीगढ़ और जयपुर भी सम्मिलित हैं, के लेखों की लेखा परीक्षा हमने की है तथा 9 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों गांधीनगर, चैन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, पटना, लखनऊ एवं भोपाल तथा 05 फार्मों सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर, हिसार एवं रायचूर के लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के महा लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिन पर हमने अपनी रिपोर्ट के आधार पर विचार कर लिया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय में उल्लेख किए गए मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 तक निगम के मामलों की दशा और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इसके नकदी प्रवाह एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव की जानकारी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यकतानुसार और भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण देते हैं।

उचित राय का आधार

1. नोट संख्या. 55.1— व्यापार प्राप्य, सब्सिडी प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, धरोहर राशि और व्यापार देयता की शेष राशि पुष्टिकरण / पुनर्गणना के अधीन किए जा रहे हैं। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुनर्गणना पर परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, वित्तीय वक्तव्यों पर पता लगाने योग्य नहीं है।
2. निगम के वित्तीय विवरणों में प्राप्त विभिन्न अनुदानों से संबंधित क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जिसमें से 32.45 रु. की राशि का समाधान नहीं किया गया है, इसे सत्यापित करने के लिए निगम के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
3. जैसा कि सूचित किया गया है, निगम को राज्य / केंद्र सरकार द्वारा खेती करने के लिए कृषि भूमि दी गई है। हालाँकि इस तरह के अधिकार के लिए निगम के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं (नोट संख्या 68)।
4. वित्तीय विवरणों में अन्य प्राप्तियों के नोट -18 (बी) में तत्कालीन एसएफसीआई के बहराइच फार्म से संबंधित 477.27 लाख रुपये की राशि शामिल है जो वर्ष 2012 में बंद कर दी गई थी। यह सूचित किया गया है कि यह मामला यूपी सरकार के पास लंबित है। हालाँकि, खातों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि उक्त प्रावधान किया गया होता, तो लाभ और संपत्ति उस सीमा तक कम होते।
5. निगम ने परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया है, जैसा कि इंड 36 के तहत आवश्यक है कि परिसंपत्तियों की हानि से निपटने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि परिसंपत्तियाँ उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं हैं। लाभ पर प्रभाव अप्राप्य है।
6. निगम अपने फार्मों, जोकि इसके स्वामित्व में नहीं हैं, का 20 से अधिक वर्षों से भूमि विकास व्यय परिशोधन कर रहा है हालाँकि, किसी भी सहायक साक्ष्य के अभाव में, जिस अवधि तक इस व्यय का लाभ प्राप्त होने की संभावना है, हम उक्त नीति की पर्याप्तता और लाभ एवं हानि खाते पर इसके परिणामस्वरूप प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
7. निगम ने एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार एमएसएमई के लिए अतिदेय और उस पर ब्याज के प्रावधान की पहचान नहीं की है। इसलिए ब्याज के इस तरह के गैर प्रावधान के कारण निगम के लाभ पर प्रभाव अप्राप्य है।
8. सूरतगढ़ फार्म में भूमि और भवन (शूटिंग लॉज) का मुटेशन होना लंबित है।



**ARORA & CHOUDHARY ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS**

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of National Seeds Corporation Limited

Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of National Seeds Corporation Limited ("The Corporation"), which comprise the balance sheet as at 31st March 2020, and the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), and statement of cash flows and the statement of change in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these IndAs Financial Statement are the accounts of the Head Office and Regional offices at Chandigarh & Jaipur audited by us and nine other Regional Offices at Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Kolkata, Bhopal, Lucknow, Gandhinagar and Patna and five Farms at Suratgarh, Sardargarh, Jetsar, Hisar and Raichur audited by the Branch Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India whose reports have been considered by us in framing our report.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the Act) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2020 and its profit (including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Note no. 55.1 regarding balances of trade receivables, subsidies receivable, loans and advances, security deposits and trade payables being subject to confirmation/reconciliation. The precise effect of consequential adjustment upon such confirmation/reconciliation, if any, on the financial statements is not ascertainable.
2. The Financial Statements of the corporation contain credit balances related to various grants received out of which a sum of Rs.32.45 Lacs is not reconciled for the reason that there is no document available with the corporation to verify the same.
3. As informed, the Corporation has been given farm lands on right to use basis for cultivation by State / Central Government. However no documents for such right to use are available with the Corporation (Note No 68).
4. Note-18 (b) of Other Receivables in the financial statements includes a sum of Rs.477.27 Lacs pertaining to Bahraich farm of erstwhile SFCI which was closed in the year 2012. It is informed that the matter is pending litigation with U.P Government, however, no provision for the same has been made in the accounts. Had the said provision been made, the profit and assets would have been lower to that extent.
5. The Corporation has not made any specific assessment for impairment of assets as required under the Ind AS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact on the profit is unascertainable.
6. The Corporation amortises the Land Development Expenditure, in respect of farms not owned by it, over a period of 20 years. However, in absence of any supporting evidence as to the period up to which the benefit of this expenditure is likely to be derived, we are unable to comment on the adequacy of said policy and its consequent impact on the profit and loss account.
7. The Corporation has not identified overdues to the MSME and provision of interest thereon as per MSMED Act 2006. The impact on profit of the Corporation due to such non provisioning of interest is, therefore unascertainable.
8. Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.



हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमने अपने वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया है। हम भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा नैतिक आवश्यकताओं के साथ जारी की गई आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इसके अलावा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी उचित राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क) कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर, हमारे समाज पर तथा इसके साथ-साथ विभिन्न संगठनों के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अनिश्चितता के कारण परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही है। कंपनी भी इस अनिश्चितता का सामना कर रही है। टिप्पणी संख्या 81 में इंड एस वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उसके मूल्यांकन का भी खुलासा किया गया है। हम इन खुलासों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं है।
- ख) वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर "उत्पादन सब्सिडी" के लेखों से संबंधित टिप्पणी संख्या 69— इसके कारण सब्सिडी की अनुमानित राशि रु.5127.67 लाख (विगत वर्ष रु.4358.11 लाख) जिसके अंतर्गत उत्पादन अगले वर्ष में पूरा होगा, को भी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष में रखा गया है। हमें बताया गया है कि यह प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
- ग) किसानों के साथ किए गए मानक समझौते के संदर्भ में, जिन बीजों को प्रत्याशित पैदावार के लिए बायबैक एग्रीमेंट के साथ बेचा जाता है, निगम के पास इस संबंध में प्रत्येक समझौते के उल्लंघन में राशियों की गणना के लिए न तो कोई व्यवस्था है और न ही वसूली/छूट के लिए कार्यवाही की गई है। कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है, इस बात पर प्रबंधन ने ध्यान दिए बिना, कहा/उल्लेख किया है कि क्षेत्रीय प्रबंधकों ने बीज की अनुपलब्धता के कारणों का विश्लेषण किया है और रिकार्ड करने के लिए कोई वसूली नहीं है। वित्तीय विवरणों में कोई छूट/वसूली योग्य प्रभाव नहीं है। हमने इस तरह के वर्णन पर विश्वास किया है और तदनुसार इस मामले पर हमारी रिपोर्ट नियमानुकूल नहीं है।
- घ) बीज की वास्तविक बुवाई तथा अनुमानित उत्पादन के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त उत्पादन सब्सिडी की राशि का हिसाब लगाया जाता है। अनुमानित उत्पादन का आंकलन बुवाई के तहत क्षेत्र के पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक पैदावार के आधार पर किया जाता है। अंतिम कटाई के बाद, सब्सिडी का अंतिम दावा भारत सरकार से किया जाता है तथा दावा की गई अधिक या कम सब्सिडी का समायोजन अंतिम दावा किए गए वित्तीय वर्ष में किया जाता है। इसके कारण, पिछले वित्तीय वर्ष में 381.96 लाख रु की सब्सिडी के अंतर को वर्तमान वर्ष के लाभ-हानि खाते में दिखाया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट और अनुबंध शामिल हैं, (किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन को किसी भी रूप को निष्कर्ष के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यह उपलब्ध हो जाए तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या अन्य विवरण वित्तीय विवरणों के साथ असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हुए अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है, तो आवश्यकता पड़ने पर हमें प्रशासन और उचित कार्रवाई करने वालों को मामला प्रस्तुत करना चाहिए।

वित्तीय आंकड़ों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के तहत इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निगम के निदेशक मंडल की है, जिसमें निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन इक्वटी में बदलाव एवं नकदी प्रवाह विवरण विनिर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें कंपनी अधिनियम,

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter:

We draw attention to the following matters in the notes to the Financial Statements:

- a) The developments surrounding the Covid-19 pandemic have a profound impact on people's health and on our society as a whole, as well as on the operational and financial performance of organizations. The situation changes on a daily basis giving rise to inherent uncertainty. The Company is confronted with this uncertainty as well, which has been disclosed in Note No. 81 to the IndAS financial results, together with its evaluation thereof. We draw attention to these disclosures. Our opinion is not modified in respect of this matter.
- b) Note no. 69 of the "Notes to Accounts", regarding the accounting of the "Production subsidy" based on the annual action plan. Due to this an estimated amount of Rs.5127.67 lacs (Previous year Rs.4358.11 lacs) of subsidy for which production shall be completed in the next financial year has also been considered in the financial year under audit. We were explained that this has been done as per the prevailing procedure.
- c) In terms of the standard agreement entered into with the farmers to whom seeds are sold with a buy back agreement for the anticipated yields, the Corporation neither has a system for computation of the amounts in the breach of each agreement in this regard nor has it taken, on records, action for recovery / waiver. The management, notwithstanding that there was no laid down system, has contended/represented that the regional managers have analysed the causes of non-receipt of the seed and there is no recovery to be recorded and that there is no waiver/ recoverable effect in the Financial Statements. We have placed reliance on such representation and accordingly do not qualify our report on this matter.
- d) The amount of Production Subsidy from the Government of India is accounted for on the basis of estimated production based on the actual sowing of seeds. The estimated production is worked out based on the actual yields of the previous financial year of the area under sowing. Final claim of subsidy is raised on the Government of India after final harvesting and suitable adjustment for excess/short subsidy claimed is accounted for in the financial year when the final claim is raised. On account of this an amount of Rs.381.96 lacs, being the difference of subsidy accounted for in the previous financial year, had been charged to the current year's Profit & Loss Account.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report and Annexures thereto, (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). The Directors' Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and appropriate action, if required.

Responsibility of Management for Financial Statements

The Corporation's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, change in equity and



2013 की धारा 133 भी शामिल है। इस जिम्मेवारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख तैयार करना, कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचना एवं पता लगाना उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करना, अनुमान लगाना और निर्णय करना जोकि उचित एवं विवेकपूर्ण हो और डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा अभिलेखों का उचित रखरखाव, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रासंगिकता शामिल हैं जिसमें लेखा अभिलेखों की पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित है तथा सच्चा एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत है जो तात्त्विक गलत विवरणों, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निगम को एक बढ़ते हुए फर्म के रूप में जारी रखने की क्षमता का मूल्यांकन करने, बढ़ते हुए फर्म से संबंधित मामलों का खुलासा करने, जैसा कि लागू है और बढ़ते हुए फर्म के आधार को लेखा परीक्षण के लिए इस्तेमाल करने, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को दिवालिया घोषित करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता है या ऐसा ना करने का कोई यथार्थ विकल्प नहीं है, के लिए जिम्मेवार है।

निदेशक मंडल भी निगम को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए जिम्मेवार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय आंकड़े पूर्णरूपेण भौतिक त्रुटि, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण, से मुक्त हैं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है मगर यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एएसए के अनुसरण में की गई लेखा परीक्षा हमेशा भौतिक त्रुटि जब भी हो, का हमेशा पता लगा लेगा। त्रुटियां किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकती हैं और इसे भौतिक समझा जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में, यह किसी कारणवश आशातीत हो कि यह, प्रयोगकर्ता द्वारा इस वित्तीय आंकड़ों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान हम पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- हम वित्तीय आंकड़ों के भौतिक त्रुटि, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण से होने वाले जोखिमों की पहचान और आंकलन, उन जोखिमों के प्रतिस्वेदी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाईन और निष्पादित करना और हमारी राय को एक आधार उपलब्ध करने हेतु लेखा परीक्षण सबूत प्राप्त करना जो उपयुक्त और पर्याप्त हों। धोखाधड़ी के कारण होनी वाली भौतिक त्रुटि का पता नहीं लगाने का जोखिम गलती से होने वाली त्रुटि से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या निरूपण या धोखाधड़ी आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाईन करने हेतु लेखा परीक्षा की परिस्थितियों में उपयुक्त प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- क्या लेखांकन को चालू समुत्थान आधार का प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, भौतिक अनिश्चितता उन घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित है जिससे एक बढ़ती हुई फर्म के रूप में निगम की क्षमता पर विशेष संदेह किया जा सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने या, यदि इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त है तो आवश्यकता होने पर हमारी राय को संशोधित करना। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम के चालू समुत्थान में रुकावट हो सकती हैं।
- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना तथा क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिनमें निष्पक्ष प्रस्तुति है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और लेखा परीक्षा के दौरान निष्कर्षों के बारे में हम प्रशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हम प्रशासन प्रभारी को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाते हैं तथा हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को वहन करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों पर उचित रूप से विचार करने के लिए उनसे संवाद करना।

cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

That Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



हमें बताए गए मामलों में से जो शासन के कारण प्रभार किए गए हैं, हम उन मामलों का पता लगाते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय आंकड़ों के लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलि मुख्य लेखा परीक्षण मामले हैं। हम इस तरह के मामलों को अपने लेखा परीक्षण में वर्णन करते हैं जब तक कि कोई कानून या विनियमन इस मामले का सार्वजनिक प्रकटीकरण मना करता है या जब, बहुत ही दुर्लभ हालात में, हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले निर्धारित परिणाम ऐसे संवाद से लोक हित लाभ से अधिक यथोचित लगता है।

अन्य मामले

हमने निगम के वित्तीय आंकड़ों में शामिल 14 शाखाएं, जिनके वित्तीय आंकड़े 31.03.2020 तक कुल परिसंपत्तियां रु. 86587.12 लाख और उस तारीख तक समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु. 91660.86 लाख दर्शाते हैं, के वित्तीय आंकड़ों का लेखा परीक्षण नहीं किया क्योंकि जैसा कि माना गया इन शाखाओं की वित्तीय आंकड़ों का लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की जा चुकी है और इब तक हमारी राय, क्योंकि यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारी राय को इन मामलों के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1) जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उपधारा (11) के मामलों में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी, आवश्यक है, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर और अन्य वित्तीय आंकड़ों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और शाखाओं की अन्य वित्तीय सूचना को ध्यान में लेकर, जैसे कि "अन्य मामलों" पैरा में इंगित किया गया है, हम "अनुबंध-क" में आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट किए गए मामलों पर एक विवरण जारी करते हैं।
- 2) निगम के ऐसे खातों और रिकार्डों की जांच के आधार पर, जिन्हें हमने उपयुक्त समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उपनिर्देशों के "अनुबंध-ख" में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) की शर्तानुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
- 3) कार्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम का अनुच्छेद 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम के अनुच्छेद 197(16) के प्रावधानों के अनुसरण में रिपोर्टिंग निगम पर लागू नहीं है।
- 4) अनुबंध क में हमारे टिप्पणी पर और आगे, जैसा कि अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वह सभी सूचना और जानकारियां मांगी और प्राप्त की हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास से हमारी लेखापरीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।
 - ख) हमारी राय में, निगम द्वारा खातों की समुचित पुस्तकें जैसा कि कानूनन आवश्यक है, रखी गई है, जोकि अब तक उन पुस्तकों के हमारे निरीक्षण से प्रतीत होता है और हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरण जो हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य हेतु आवश्यक हैं, प्राप्त किए गए हैं।
 - ग) निगम के शाखा कार्यालयों, जिन्हें अधिनियम के अनुच्छेद 143(8) के तहत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया था, के आंकड़ों की रिपोर्ट हमें भेजी जा चुकी है और हमारे द्वारा, यह रिपोर्ट बनाए जाने के दौरान, अच्छी तरह से जांच कर ली गई है।
 - घ) तुलनपत्र, लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) के विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में बदलाव का विवरण, जो इस रिपोर्ट द्वारा प्रकट किए गए हैं, लेखा बहियों के साथ और हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणों के साथ अनुबंध में हैं।
 - ड) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय आंकड़ें कंपनी(लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत निर्धारित लेखा परीक्षक मानकों के साथ अनुपालन करते हैं, सिवाय लेखा मानक 36 को छोड़कर।
 - च) कार्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) की अनुसूची में एक सरकारी कंपनी होने से अधिनियम के अनुच्छेद 164 की उपधारा (2) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

We did not audit the financial statements/ information of 14 branches included in the financial statements of the corporation whose financial statements reflect total assets of Rs.86,587.12 lacs as at 31st March 2020 and the total revenue of Rs.91,660.86 lacs for the year ended on that date, as considered in the financial statements of these branches and have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of the branches, as noted in the 'Other Matter' paragraph we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Corporation as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the "Annexure B" on the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable on the Corporation.
4. Further to our comments in Annexure A, as required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us;
 - (c) The reports on the accounts of the branch offices of the Corporation audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - (d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), the statement of Cash Flows and statement of change in equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
 - (e) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 except for compliance of AS 36;
 - (f) Being a Government Company pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Act, are not applicable to the Corporation.



- छ) निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी पृथक रिपोर्ट में अनुबंध-ग को देखें।
- ज) कंपनी अधिनियम (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षकों), 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारियों के अनुसार :
- (i) निगम ने अपने वित्तीय आंकड़ों में लंबित मुकदमों का अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है— वित्तीय आंकड़ों पर नोट संख्या 59 को संदर्भित करें।
- (ii) निगम के कोई दीर्घावधि अनुबंध, व्युत्पन्न अनुबंध सहित, नहीं थे, जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य नुकसान हों, और
- (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किया जाना था।

अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

ह0/—
(विजय कुमार चौधरी)
साझेदार

सदस्यता सं: 81843
यूडीआईएन:20081143 AAAACK8688

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त, 2020



- (g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure C”.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements (refer Note no 59) to the financial statements;
 - ii. The Corporation did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation.

For Arora & Choudhary Associates.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. N3870
Sd/-
(Vijay K Choudhary)
PARTNER
M. No:81843
UDIN: 20081843AAAACK8688

Place: New Delhi
Date: 12th August, 2020



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

(राष्ट्रीय बीज निगम के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इंड एस वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और इस तरह की जांचों के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा, हम कहते हैं कि:

- (i) (क) निगम ने पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और इसकी अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है। हालांकि मुख्यालय के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे "एक्सेल फाईल" में रखा जाता है, जिसे प्राधिकरण के बिना संशोधित या बदला जा सकता है। इसके अलावा परिसंपत्तियों की स्थिति का विवरण उसमें वर्णित नहीं है।
- (ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान सभी अचल संपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं किया गया है लेकिन नियमित रूप से भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाता है जोकि हमारी राय में निगम के आकार और अचल संपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है। वर्ष के दौरान सम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कोई विशेष विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलनपत्र की तारीख पर सभी भूमि, भवनों एवं अचल संपत्तियों की लीज डीड निम्नलिखित को छोड़कर, निगम के नाम पर हैं सिवाय मिदनापुर (कोलकाता), पटना (शेखपुरा), पूर्णिया (बिहार), नन्दयाल (आ.प्र), गूटी (आंध्र प्रदेश), हेमपुर (उत्तराखंड), गोरखपुर एवं रायचूर को छोड़कर।
- (ii) निगम की माल सूची को वित्तीय वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की आवृत्ति उचित है। जैसा कि हमें बताया गया है, निगम के परिचालन के सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थी।
- (iii) निगम ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में, किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण नहीं दिया है।
- (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के तहत निगम ने कोई ऋण अथवा गारंटी अथवा निवेश/प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की है। प्रावधान का पालन किया है।
- (v) हमारी राय में, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 73 से 76 के तहत वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, आदेश की पैरा 3(अ) लागू नहीं है।
- (vi) निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए अधिनियम की धारा 148(1)के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii) (क) हमें दी गई लेखा बहियों एवं रिकॉर्ड के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, निगम नियमित रूप से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवाकर (जीएसटी), उपकर सहित निर्विवादित सांघिक देय राशि जमा कर रहा है। 31 मार्च, 2020 तक देय तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए उपयुक्त सांघिक कोई भी निर्विवाद बकाया राशि देय नहीं थी।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर के बकाए देय विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं।

Annexure A to the Independent Auditors' Report

Annexure-I

(Referred to in paragraph 1 of our report of even date on the IndAS financial statements for the financial year ended March 31, 2020 of National Seeds Corporation Limited)

In terms of the information and explanations given to us and also on the basis of such checks as we considered appropriate, we state that:

- (i) (a) The Corporation has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of its fixed assets. However, in the Head office as well as in few regions, the same is maintained in soft (excel files) which can be amended or changed without authorization. Further, the details of the location of the assets are not mentioned therein.
- (b) All the fixed assets have not been physically verified by the management during the year. However, there is regular program of physical verification, which in our opinion is reasonable, having regard to the size of the Corporation and the nature of fixed assets. No material discrepancies have been noticed in respect of the assets physically verified during the year.
- (c) According to the information and explanations given to us and the records examined by us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and buildings, are held in the name of the Corporation as at the balance sheet date, except for lands at Midnapore (Kolkata), Patna, Purnea (Bihar), Nandyal (Andhra Pradesh), Gooty (Andhra Pradesh), Hempur, district Udham Singh Nagar, Gorakhpur and Raichur.
- (ii) All the inventories of the Corporation have not been physically verified by the management at the end of the financial year consequent to sudden lockdown in the country due to Covid-19 pandemic. In our opinion, however, the frequency of verification is otherwise reasonable. As explained to us, the discrepancies noticed on verification were not material in relation to the operations of the Corporation.
- (iii) The Corporation has not granted any loan, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties listed in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 (the Act).
- (iv) The Corporation has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Act in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees and securities, as applicable.
- (v) In our opinion, the Corporation has not accepted any deposit during the year within the meaning of Section 73 to Section 76 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules framed there under. Hence, paragraph 3(v) of the Order is not applicable.
- (vi) Having regard to the nature of the Corporation's business / activities, the maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the Act. Accordingly reporting under clause (vi) of paragraph 3 of the Order is not applicable.
- (vii) (a) According to the books and records produced and examined by us, the Corporation is generally regular in depositing undisputed Statutory dues including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, , Goods and Services Tax (GST), Cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities and no undisputed amount payable in respect of aforesaid statutory dues were outstanding as at March 31, 2020 for a period of more than six months from the date they become payable.
- (b) According to the information and explanations given to us, dues outstanding of Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess which have not been deposited on account of any dispute.

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय की प्रकृति	राशि (रु.)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जहां विवाद लम्बित पड़ा है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	18,110.00	1987-88	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	39,202.00	1988-89	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	35,700.00	1989-90	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
4	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	78,846.00	1989-90	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
5	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	36,140.98	1993-94	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
6	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,	अतिरिक्त बिक्री कर	1,28,498.61	1998-99	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
7	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,30,150.00	1999-00	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
8	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	4,03,306.00	2000-01	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
9	उत्तरांचल	अतिरिक्त बिक्री कर	3,47,678.00	2000-01	उपायुक्त हल्दवानी
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	55,663.00	2000-01	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
11	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,39,649.65	2001-02	संयुक्त आयुक्त (अपील – लखनऊ)
12	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,40,545.00	2002-03	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
13	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,01,664.55	2003-04	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ

Sr. No	Nature of Statue	Nature of dues	Amount (₹)	Period for which Amount Relate	Forum where the dispute is pending
1	Central Sales Tax Act, 1956	Additional sales tax	18,110.00	1987-88	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
2	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	39,202.00	1988-89	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
3	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	35,700.00	1989-90	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
4	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	78,846.00	1989-90	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
5	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	36,140.98	1993-94	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
6	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,28,498.61	1998-99	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
7	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,30,150.00	1999-2000	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
8	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	4,03,306.00	2000-01	Trade Tax Tribunal - Lucknow
9	Uttaranchal	-do-	3,47,678.00	2000-01	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
10	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	55,663.00	2000-01	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
11	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,39,649.65	2001-02	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
12	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,40,545.00	2002-03	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
13	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,01,664.55	2003-04	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow



14	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	75,662.00	2004-05	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
15	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,76,192.00	2005-06	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
16	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,85,787.00	2006-07	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
17	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,62,212.00	1.4.07 to 31.12.07	आकंलन अधिकारी व्यापार कर, लखनऊ
18	वाणिज्यिक कर पटना	वाणिज्यिक कर	7,59,942.00	2011-12	उच्च न्यायालय, पटना
19	बिक्री कर, बिहार	बीएसटी आंकलन	1,35,204.82	2004-05	अपलीय ट्रिब्यूनल (संयुक्त आयुक्त)
20	बिक्री कर, बिहार	सीएसटी आंकलन	3,12,232.00	2004-05	अपलीय ट्रिब्यूनल (संयुक्त आयुक्त)
21	आसाम सामान्य बिक्री कर एवं सीएसटी	बिक्री कर	19,25,730.00	2003-04 to 2005-06	असम बिक्री कर ट्रिब्यूनल
22	आयकर विभाग	आयकर	9,49,740.00	2012-13	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
23	आयकर विभाग	आयकर	5,82,39,270.00	2013-14	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
24	आयकर विभाग	आयकर	4,38,72,770.00	2014-15	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
25	आयकर विभाग	आयकर	1,85,49,540.00	2015-16	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित
26	आयकर विभाग	आयकर	8,00,513.00	2016-17	आय कर आयुक्त के कार्यालय में लंबित

14	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	75,662.00	2004-05	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
15	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,76,192.00	2005-06	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
16	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,85,787.00	2006-07	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
17	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,62,212.00	1.4.07 to 31.12.07	Assessing Officer Trade Tax -Lucknow
18	Commercial Tax Patna	Patna High Court	7,59,942.00	2011-12	High Court Patna
19	Sales Tax Bihar	BST Assessment	1,35,204.82	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
20	Sales Tax Bihar	CST Assessment	3,12,232.00	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
21	Assam General Sales Tax & CST	Sales Tax	19,25,730.00	2003-04 to 2005-06	Sales Tax Tribunal Assam
22	Income Tax Department	Income tax	9,49,740.00	2012-13	Pending in office of Commissioner of Income Tax
23	Income Tax Department	Income tax	5,82,39,270.00	2013-14	Pending in office of Commissioner of Income Tax
24	Income Tax Department	Income tax	4,38,72,770.00	2014-15	Pending in office of Commissioner of Income Tax
25	Income Tax Department	Income tax	1,85,49,540.00	2015-16	Pending in office of Commissioner of Income Tax
26	Income Tax Department	Income tax	8,00,513.00	2016-17	Pending in office of Commissioner of Income Tax



- (viii) इलाहाबाद बैंक से रू. 225.74 लाख के दीर्घावधि ऋण के संबंध में, निगम ने रू. 85.86 लाख तथा इस पर ब्याज के भुगतान करने में विफल रहा है, जैसे कि 17.08.2016 से निगम ने किस्त की अदायगी नहीं की है ।
- (ix) निगम ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण के साधन सहित) या टर्मलोन के माध्यम से कोई राशि एकत्र नहीं की है ।
- (x) प्रस्तुत लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा या निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान नहीं देखा गया है ।
- (xi) कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं हैं ।
- (xii) निगम 'निधि कंपनी' नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 3(xii) आदेश लागू नहीं है ।
- (xiii) हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, जहां लागू होते हैं, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और इस तरह के लेन-देन का विवरण इंड एस वित्तीय विवरण में लागू लेखाकन मानकों के अनुसार आवश्यक है ।
- (xiv) निगम ने वर्ष के दौरान शेयरों के अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है । इसलिए पैरा 3(xiv) आदेश लागू नहीं होता है ।
- (xv) हमारी राय में, निगम ने किसी भी निदेशक के साथ अथवा उनसे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है । इसलिए पैरा 3(xv) आदेश लागू नहीं होता है ।
- (xvi) हमारी राय में निगम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है ।

अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

ह0 / -
(विजय कुमार चौधरी)
साझेदार
सदस्यता सं: 81843
यूडीआईएन:20081143 AAAACK8688

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त, 2020



- (viii) In respect of a term loan of ₹ 225.74 Lacs from Allahabad Bank, the Corporation has defaulted in repayment of ₹ 85.86 lacs including interest thereon as no payment has been made since 17/08/2016.
- (ix) The Corporation has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loan during the year.
- x) Based on the audit procedures performed and according to the information and explanations given to us, no material fraud by the Corporation or on the Corporation by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- (xi) As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, provisions of clause 3 (xi) of the Order are not applicable to the Corporation.
- (xii) The Corporation is not a "Nidhi Company"; hence paragraph 3(xii) the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion, transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Act where applicable and the details of such transactions have been disclosed in the Ind AS Financial Statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) The Corporation has not made preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Hence, paragraph 3(xiv) the Order is not applicable.
- (xv) In our opinion, the Corporation has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Hence, paragraph 3(xv) the Order is not applicable.
- (xvi) In our opinion, the Corporation is not required to be registered under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Arora & Choudhary Associates.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. N3870

Sd/-
(Vijay Kumar Choudhary)
PARTNER
M. No. 81843
UDIN: 20081843AAAACK8688

Place: New Delhi
Date: 12th August, 2020



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध—‘ख’

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

- I. क्या कंपनी के पास सूचना तकनीक के माध्यम से सभी लेखाकंन लेन-देन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की सत्यता पर लेखाकंन लेन-देन की प्रक्रिया, यदि कोई, के बारे में बताएं।

लेखा परीक्षकों का अवलोकन:

- i) निगम के पास एक लेखाकंन सॉफ्टवेयर “बीज प्रबंधन” है। हालांकि बीजों की माल सूची मैनुअल रूप में रखी जाती है और लेखाकंन सॉफ्टवेयर “बीज प्रबंधन” और मैनुअल रिकार्ड के अनुसार, इन्वेंट्री मेल नहीं खाती है। वित्तीय विवरणों में इन्वेंट्री को मैनुअल रिकार्ड के अनुसार लिया जाता है।
- ii) मूल्यहास इत्यादि के कार्यों सहित अचल संपत्तियों का विवरण मुख्यालय के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों पर “एक्सेल फाईल” में रखा जाता है। ये विवरण उचित प्राधिकरण और ऑडिट ट्रायल के बिना परिवर्तन/संशोधन के लिए खुले हैं।
- II. क्या किसी वर्तमान ऋण के लिए पुनर्संरचना है या कंपनी को ऋण चुकाने में, कंपनी की देनदारी के कारण ऋणदाता द्वारा लिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के लिए छूट/बट्टाखाता के मामलें हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।

लेखा परीक्षकों के अवलोकन:

इस तरह का मामला नहीं है।

- III. क्या केंद्रीय/राज्य एंजेसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्ति/प्राप्य को धनराशि निर्धारित शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकित उपयोग किया गया है? अंतराल के मामलों की सूची दें।

लेखा परीक्षकों का अवलोकन:

भारत सरकार द्वारा निगम को दिए गए निम्नलिखित “परिक्रामी निधि” के संबंध में, निगम ने लंबे समय से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया है। इसके अलावा, सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार यह राशि एक अलग बैंक खाते में नहीं रखी गई है:



Annexure 'B' to the Independent Auditors' Report

Directions under section 143 (5) of Companies Act 2013

- I. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Auditors' observations:

- i) The Corporation has an accounting software "Beej Prabandhan". However, the inventories of seeds maintained manually also and the inventories as per the accounting software Beej Prabandhan and the manual records do not match. The Inventories in the Financial Statements is taken as per the manual records.
- ii) The Fixed Assets details including the working of the depreciation etc. are maintained in "Excel files" at the head office as well as in few regions. These records are thus open to alteration / change without proper authorization and audit trail.
- II. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.

Auditors' Observations:

There is no such case.

- III. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Auditors' Observations:

In case of the following "Revolving Funds" given by the Government of India to the Corporation, the corporation has not utilised the amounts received for a long time. Further as per the terms and conditions of the Government, the funds have not been kept in a separate bank account:



क्र.सं.	योजना का नाम, जिसके लिए धनराशि निगम को उपलब्ध करवाई गई थी।	31.03.2020 पर शेष राशि (रु.)	टिप्पणी
1.	डीआरजीटी के तहत बीज उत्पादन के लिए पूंजीगत अनुदान	3,00,00,000/-	रु.1,50,00,000 /- की राशि वर्ष 1995 में प्राप्त हुई थी तथा शेष राशि एकीकरण के समय एसएफसीआई से स्थानांतरित हुई थी जिसका उपयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा स्वीकृति पत्र के अनुसार एक पृथक बैंक खाता होना चाहिए था तथा उत्पाद और बिक्री आय के लिए उपयोग किया जाना था।
2.	बीज बैंक का ईएसटी, एमटीसीई के लिए पूंजीगत अनुदान	5,43,17,752/-	केवल 31.03.2018 पर एक स्थानांतरण प्रविष्टि को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 से कोई उपयोग नहीं है। निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार एक अलग बैंक खाता नहीं रखा गया है।
3.	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	2,07,00,000/-	वर्ष 2000-01 के दौरान रु.1.47 करोड़ प्राप्त हुए। शेष रु.0.60 करोड़ एकीकरण पर एसएफसीआई से स्थानांतरित हुई। इन निधियों का कोई उपयोग नहीं हुआ।
4.	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	26,75,000/-	वर्ष 1995 और 2001 में राशि प्राप्त हुई। कोई उपयोग नहीं। निर्धारित शर्तानुसार इन निधियों के लिए कोई अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया।
6.	आस्थगित सरकारी अनुदान (केंद्रीय राज्य फार्म बहराईच)	85,61,484/-	केन्द्रीय राज्य फार्म को 2012 में बंद कर दिया गया था।

इसके अलावा, लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा सौंपी गई कंपनी की अनुपूरक लेखा परीक्षा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी किए गए किसी भी अतिरिक्त कंपनी/सेक्टर विशिष्ट निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है।

जैसा कि निगम द्वारा सूचित किया गया है संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सौंपे गए कंपनी के अनुपूरक लेखा-परीक्षा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत कोई अतिरिक्त कंपनी/सेक्टर विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए।

Sr. No	Name of the scheme for which the funds were made available to the Corporation	Amount of balance as on 31.3.2020 (₹)	Remarks
1.	Capital Grant Seed Production under DRGT	3,00,00,000/-	The amount of ₹ 1,50,00,000/- was received in the year 1995 and the balance amount transferred from SFCI on merger. There is no utilization. Further as per the terms of the sanction letter a separate bank account was to be maintained and utilized for production and sale proceeds of the product to be credited in the account.
2.	Capital grant for EST, MTCE of Seed Bank	5,43,17,752/-	No utilization since the Financial Year 2015-16 except for one transfer entry as on 31.3.2018. No separate bank account maintained as per the stipulated terms and conditions.
3.	Capital Grant for Crash Prog Rev. Fund	2,07,00,000/-	₹ 1.47 Crores received during the years 2000-01. Balance Rs. 0.60 Crores transferred from SFCI on merger. No utilization of these funds.
4.	Capital Grant for Crash Prog Rev. Fund	26,75,000/-	Amount received in the year 1995 and 2001. No utilization. No separate bank as per stipulated conditions has been maintained for these funds.
6.	Deferred Govt Grant (CSF-Bahraich)	85,61,484/-	The CSF was closed in 2012.

In addition the auditor is required to comply with any additional Company / Sector specific directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Field office entrusted with the supplementary audit of the Company.

As informed by the Corporation, no such additional Company / Sector specific directions had been issued under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 by the concerned Field Office entrusted with the supplementary audit of the Company.



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ग"

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी समादिनांकित रिपोर्ट के पैरा – 4 (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट ।

राय

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के इंड एस वित्तीय आंकड़ों तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए हमने लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में शामिल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है ।

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं और ऐसी पद्धतियां 31 मार्च, 2020 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी और कंपनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मापदंड के आधार पर तथा भारत के सनदी लेखाकारों को संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के दिशा-निर्देश में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि भारत के सनदी लेखाकारों को संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देश में इंगित है । इन जिम्मेदारियों में डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जोकि अपने व्यवसाय के कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनियों की नीतियों का अनुपालन, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं शुद्धता तथा वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना भी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशा-निर्देश") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के अनुसार तथा सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जैसा कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं, दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं । उन मानकों एवं दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार हमने नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के अनुरूप पालन किया है और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा था और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे, के अनुसार हमने लेखा परीक्षा का निष्पादन किया ।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उनके प्रभावी प्रचालन शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में एक समझ प्राप्त करना, जोखिम के आंकलन कि सामग्री की वर्तमान कमजोरी का आंकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन एवं प्रचालन प्रभावशीलता भी शामिल है । जोखिमों की मूल्यांकन सहित, चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें इंड एस वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आंकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो ।



Annexure ' C' to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 4 (g) of our report of even date on the financial statements for the financial year ended March 31, 2020 of National Seeds Corporation Limited)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Opinion

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of National Seeds Corporation ("the Corporation") as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

In our opinion, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India, however the same need to be further strengthened.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.



हम मानते हैं कि हमारी अंकेक्षण राय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य उचित एवं पर्याप्त हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएँ (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित उचित विवरण, सटीकता एवं शुद्धता तथा कंपनी की सम्पत्तियों का लेनदेन एवं स्वभाव को काफी हद तक दर्शाना शामिल है (2) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निर्देशकों के अनुसार किया जा रहा है और (3) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम अथवा उपयोग अथवा अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना, कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रकृति जिसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें जिसमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रण का अनुचित प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण तैयार हो जाना और जिनका पता नहीं लग सकना भी शामिल है । इसके अलावा भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थितियों में बदलाव की अपर्याप्तता हो सकती है अथवा नीतियों या प्रतिक्रियाओं के अनुपालन की उपाधि खराब हो सकती है ।

अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

ह0/—
(विजय कुमार चौधरी)
साझेदार
सदस्यता सं: 81843

यूडीआईएन:20081843AAAACK8688

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त,2020



We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For Arora & Choudhary Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. N3870

Sd/-
(Vijay Kumar Choudhary)
PARTNER
M. No. 81843
UDIN: 20081843AAAACK8688

Place: New Delhi
Date: 12th August, 2020

निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी-।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	टिप्पणी संख्या 55.1- व्यापार प्राप्य,सब्सिडी प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, धरोहर राशि और व्यापार प्रदेय देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुनर्गणना के अध्यक्षीन है। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुनर्मिलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों में पता नहीं चल सका है।	अधिशेष की पुष्टि के लिए सभी लेनदारों और देनदारों को पत्र लिखे गए और जवाब के अभाव में अदायगी के अध्यक्षीन है। टिप्पणी संख्या 55.1 के अंतर्गत तथ्यों का खुलासा किया गया है। यद्यपि पत्र में यह उल्लिखित है कि यदि देय तारीख तक पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो बकाया राशि की पुष्टि समझी जाएगी।
2	निगम के वित्तीय विवरणों में प्राप्त विभिन्न अनुदानों से संबंधित जमा शेष राशि रहती है जिसमें से रू0 32.45 लाख का मिलान इसलिए नहीं किया गया है कि निगम के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	वर्ष 2020-21 के दौरान रू. 32.45 लाख के आवश्यक समायोजन के विवरण का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।
3	जैसा कि सूचित किया गया है कि राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार ने निगम को खेती करने के लिए कृषि भूमि दी है! परंतु निगम के पास इन फार्मों के मालिकाना हक के रूप में कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। (टिप्पणी संख्या 68)	सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर एवं रायचूर फार्म की जमीन के मालिकाना हक से संबंधित सभी कागजात, भारत सरकार के पास हैं, क्योंकि उक्त सभी फार्मों की भूमि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है, इन फार्मों की डीड की प्रतियां निगम के पास हैं। हिसार फार्म के मामले में, निगम ने हरियाणा सरकार के साथ एक लीड डीड पर हस्ताक्षर किए हैं।
4	वित्तीय विवरणों की अन्य प्राप्तियों की टिप्पणी संख्या 18 (ख) के तहत पूर्ववर्ती एसएफसीआई का बहराईच फार्म जो वर्ष 2012 में बंद हो गया था, से संबंधित रू 477.27 लाख की राशि दर्शित है, यह सूचित किया गया है कि यह मामला उत्तरप्रदेश सरकार के पास लंबित है। यद्यपि लेखों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि उक्त प्रावधान किया गया होता तो लाभ एवं संपत्ति उस सीमा तक कम होती।	बहराईच फार्म के बंद होने से उ.प्र. सरकार से 4.77 करोड़ रुपये प्राप्ति योग्य हैं और मामला न्यायालय में है तथा वसूली के लिए प्रयास जारी हैं, इसी कारण से प्रावधान नहीं बनाया गया। अगर वसूली नहीं हुई तो वर्ष 2020-21 में प्रावधान किया जाएगा।



ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT -I

Management's Reply to the observations made by the Statutory Auditors on the financial statements of National Seeds Corporation of India Limited for the year ending 31/03/2020.

Sl. No.	Statutory Auditor's comments	Management Reply
1	Note no. 55.1 regarding balances of trade receivables, subsidies receivable, loans and advances, security deposits and trade payables being subject to confirmation/reconciliation. The precise effect of consequential adjustment upon such confirmation/reconciliation, if any, on the financial statements is not ascertainable.	Letter for confirming balances are written to all debtors and creditors and in absence of replies, balances are subject to reconciliation. The fact stands disclosed under note no. 55.1. However it is mentioned in the letter that if confirmation is not received within the due date, balance will be deemed to be confirmed
2	The Financial Statements of the corporation contain credit balances related to various grants received out of which a sum of ₹ 32.45 Lacs is not reconciled for the reason that there is no document available with the corporation to verify the same.	Continuous efforts are on to trace the details for necessary adjustments of ₹ 32.45 Lacs during 2020-21
3	As informed, the Corporation has been given farm lands on right to use basis for cultivation by State/Central Government. However no documents for such right to use are available with the Corporation(Note No 68).	Original paper regarding the ownership of Land at CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Raichur are with the Government of India as the land at these Farms are in the name of the President of India; copies of the deed are with the Corporation. In case of Hisar, the Corporation has signed a Lease deed with the Govt. of Haryana.
4	Note-18 (b) of Other Receivables in the financial statements includes a sum of ₹ 477.27 Lacs pertaining to Bahraich farm of erstwhile SFCL which was closed in the year 2012. It is informed that the matter is pending litigation with U.P Government, however, no provision for the same has been made in the accounts. Had the said provision been made, the profit and assets would have been lower to that extent.	₹ 4.77 crores receivable from Govt. of UP towards closure of Bahraich Farm and matter is in the Court and persuasion for recovery is going on accordingly provision was not created. Provision will be created in Year 2020-21, if not realised

क्र.सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
5	<p>निगम ने परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक इंड एएस 36 के तहत संपत्तियों की हानि के निपटान के लिए आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसंपत्तियाँ उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। लाभ पर इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है।</p>	<p>प्रबंधन का मानना था कि कंपनी अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास लागू करने के बाद निगम की पुस्तकों में प्रदर्शित होने वाली संपत्ति की राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम है। इसलिए, वर्ष के दौरान पुरानी परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई और तदनुसार इंड एएस 36 के तहत, यानी परिसंपत्तियों की क्षति के बारे में को खुलासा नहीं किया गया। अप्रचलित / अनुपयोगी के रूप में पहचानी गई संपत्ति को निगम प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित रूप से निपटारा जाता है।</p>
6	<p>निगम अपने फार्मों के संबंध में जोकि इसके स्वामित्व में नहीं है के लिए 20 वर्षों से भूमि विकास व्यय परिशोधन करता है। हालाँकि, किसी भी सहायक साक्ष्य के अभाव में इस अवधि तक जिसमें इस व्यय का लाभ प्राप्त होने की संभावना है, हम उक्त नीति की अपर्याप्तता पर को टिप्पणी नहीं कर सकते और लाभ एवं हानि खातों पर परिणामस्वरूप प्रभाव असमर्थ हैं।</p>	<p>इंड एएस 116, इस विशेष मुद्दे पर विशिष्ट नहीं है। कम्पनी अपने पिछले अभ्यास के अनुसार 20 साल से अधिक के लिए भूमि राजस्व व्यय को परिशोधित कर रही है।</p>
7	<p>निगम ने एमएसएम अधिनियम 2006 के अनुसार एमएसएम के लिए अतिदेय तथा उस पर ब्याज के प्रावधान की पहचान नहीं की है। ब्याज के इस तरह के गैर प्रावधान के कारण निगम के लाभ पर प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।</p>	<p>31 मार्च 2020 तक एमएसएम को कुल बकाया रु 2127.42 लाख है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ से संबंधित रु. 832.92 लाख की राशि ग्राहकों (सरकारी) को आगे की आपूर्ति के लिए एमएसएम से बीज की खरीद की जाती है। इन बीजों की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता द्वारा सीधे ग्राहकों को की जाती थी, और बीजों की स्वीकृति और ग्राहकों से भुगतान प्राप्त होने के बाद उन्हें तुरंत भुगतान किया जाएगा। सीएसएफ सूरतगढ़ में जनशक्ति एजेंसी को भुगतान के लिए 4.91 लाख रुपये मिलते हैं, जिसमें उपस्थिति को अंतिम रूप देने के बाद भुगतान किया जाता है। बाकी सभी भुगतान प्राप्त होने वाले सामानों की स्वीकृति से 45 दिनों के भीतर कड़ाई से किए गए थे, कुछ मामलों को छोड़कर मुख्यालय में पैकिंग सामग्री से संबंधित कुछ मामले हैं, जहां निम्नलिखित कारणों से भुगतान में देरी हुई है:</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) पैकिंग सामग्री में मुद्रण और सिलाई की निम्न गुणवत्ता। (ख) आपूर्ति की गई सामग्री के तकनीकी विनिर्देश में विचलन। (ग) दस्तावेजों को देर से जमा करना जैसे कि समझौता, चालान और जमा। (घ) जारी किए गए खरीद आदेश के अनुसार आपूर्ति की गई सामग्री को जमा नहीं करना।



Sl. No.	Statutory Auditor's comments	Management Reply
5	<p>The Corporation has not made any specific assessment for impairment of assets as required under the Ind AS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact on the profit is unascertainable.</p>	<p><i>The management perceived that the carrying amount of assets as appearing in the books of the Corporation after applying depreciation as per Companies Act is less than its recoverable amount. Hence, the need for revaluing old assets during the year was not felt and accordingly no disclosures were made under Ind AS 36, i.e. Impairment of Assets. Those assets identified as obsolete/condemned are disposed regularly as per Corporation procedures.</i></p>
6	<p>The Corporation amortises the Land Development Expenditure, in respect of farms not owned by it, over a period of 20 years. However, in absence of any supporting evidence as to the period up to which the benefit of this expenditure is likely to be derived, we are unable to comment on the adequacy of said policy and its consequent impact on the profit and loss account.</p>	<p><i>Ind AS 116 is not specific on this particular issue. The Company continues to amortize land revenue expenditure over 20 years as per its past practice.</i></p>
7	<p>The Corporation has not identified overdues to the MSME and provision of interest thereon as per MSMED Act 2006. The impact on profit of the Corporation due to such non provisioning of interest is, therefore unascertainable</p>	<p><i>Total dues to MSMEs as at 31st March 2020 is ₹ 2127.42 lakhs. In this, an amount of ₹ 832.92 lakhs pertaining to RO Chandigarh is procurement of seeds from MSMEs for further supplies to customers (Govt.). These seeds were directly supplied by the supplier to the customers and will be paid immediately once acceptance of seeds and receipt of payments from the customers. ₹ 4.91 lakhs pertains to payment to manpower agency at CSF Suratgarh where the payment is done once the attendance is finalized. Rest all payments were made strictly within 45 days from acceptance of goods received, barring a few cases pertaining to packing material at the Head Office, where the payment has been delayed due to the following reasons :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>(a) Inferior quality of printing and stitching in the packing material.</i><i>(b) Deviation in technical specification of supplied material.</i><i>(c) Late submission of documents such as agreement, invoices and deposits.</i><i>(d) Non submission of supplied material as per issued purchase order.</i>

क्र.सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
8	सूरतगढ़ फार्म स्थित भूमि एवं भवन (शूटिंग लॉज) का म्यूटेशन होना लम्बित है।	मुख्यालय द्वारा फार्म को सम्पत्तियों के स्थानांतरण के लिए परिपत्र जारी कर दिए गए हैं। फार्म के द्वारा शासकीय प्राधिकरणों के साथ कार्य प्रक्रियाधीन है।
9	<p>कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश, स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।</p> <p>क.(i) निगम (राष्ट्रीय बीज निगम लि) के पास “बीज प्रबंधन” नामक सॉफ्टवेयर है। यद्यपि, बीजों की सूची मैनुअल रूप से भी तैयार की जाती है और लेखांकन सॉफ्टवेयर बीज प्रबंधन और मैनुअल रिकॉर्डों की सूचियां मेल नहीं खाती हैं। वित्तीय विवरण में सूचियां मैनुअल रिकार्ड के आधार पर रिकार्ड की गई है।</p> <p>(ii) मूल्यहास आदि की वर्किंग सहित, अंचल संपत्ति का विवरण प्रधान कार्यालय के साथ-साथ क क्षेत्रीय कार्यालय पर “ एक्सैल फाईलों ” में रखा जाता हैं। ये रिकार्ड उचित प्राधिकरण और लेखा परीक्षण के बिना बदलाव/परिवर्तन के लिए खुले हैं।</p> <p>ख. भारत सरकार द्वारा निगम को दिए गए निम्नलिखित “ परिक्रामी निधि ” के संबंध में, निगम ने लंबे समय से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया है। इसके अलावा, सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार यह राशि एक अलग बैंक खाते में नहीं रखी गई है।</p>	<p>क.(i) बीज प्रबंधन सॉफ्टवेयर ईआरपी नहीं है। इसका उपयोग केवल वित्तीय पैकेज के रूप में किया जाता है। इन्वेंट्री जो स्टोर मॉड्यूल का एक हिस्सा है, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पूरे देश में इन्वेंटरी को मैनुअल रूप से लागू किया जाता है। तदनुसार लेखा परीक्षित मैनुअल रिकॉर्ड पर, अंतिम रूप देने के उद्देश्य से भरोसा किया जाता है।</p> <p>(ii) यह केवल लेखा परीक्षकों की धारणा है। इस प्रकार के कोई संशोधन नहीं किए गए हैं।</p> <p>ख. क) पुराना मामला होने के नाते उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त/ट्रेस होने पर ही समायोजित किया जा सकता है।</p> <p>ख) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कड़ाई से किया जाता है जिसके लिए इसे जारी किया जाता है, इसलिए, यह सरकारी अनुदान के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं है। लेखा परीक्षा के अनुसार यह अवगत करवाया जाता है कि अप्रयुक्त भाग को अलग से निर्धारित खाते में रखा जाना चाहिए। इसके बजाय कंपनी साल दर साल प्रैटिक्स के अनुसार अपने नकदी जमा खाते में निरंतर अप्रयुक्त निधि को रखता है जो आने व जाने वाली सभी निधियों को रखने के लिए एक सामान्य पूल है। आम पूल के एक हिस्से के बाद, अप्रत्यक्ष हिस्से पर अल्पावधि के लिए अर्जित अप्रत्यक्ष ब्याज का उपयोग सरकार से अवास्तविक सब्सिडी पर ब्याज हानि का सामना करने के लिए किया जाता है, जिसकी प्राप्ति में सामान्यतः 8-9 महीने लगते हैं। चूंकि अनुदान के कुछ हिस्सों को अग्रिम रूप में जारी किया जाता है, इसलिए यह कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी रूप से धन का प्रबंध करें, जैसा कि अभीष्ट प्रयोजनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।</p>



Sl. No.	Statutory Auditor's comments	Management Reply
8	Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.	Circular for transfer of assets were issued by the Head Office to the Farm. The matter is being taken up by the farm with the concerned Government Authorities. Being pursued.
9	<p>Direction under section 143(5) of the Companies Act, 2013 as an Annexure to the Independent Auditor's Report</p> <p>A.) The Corporation has an accounting software "Beej Prabhandan". However, the inventories of seeds maintained manually also and the inventories as per the accounting software Beej Prabhandan and the manual records do not match. The inventories in the Financial statement is taken as per the manual records.</p> <p>ii) The Fixed assets details including the working of the depreciation etc. are maintained in "Excel files" at the head office as well as many of the regions. These records are thus open to alteration/change without proper authorization and audit trial.</p> <p>B. In case of the following "Revolving Funds" given by the Government of India to the Corporation, the corporation has not utilised the amounts received for a long time. Further as per the terms and conditions of the Government, the funds have not been kept in a separate bank account:</p>	<p>A. i) Beej Prabandhan software is not an ERP. It is only used as a financial package. Inventory which is a part of stores module is not utilized by all the Regions. Inventory is maintained manually PAN India. Accordingly Audited manual record are relied for the purpose of finalization.</p> <p>ii) This is only an assumption by the auditors. No such alteration is made.</p> <p>B. a) Being old cases, can only be adjusted once the Utilization Certificate is received/traced.</p> <p>b) As per audit, it is conveyed that the unutilized portion, should have been kept in a separate earmarked Account. Instead the Company as per its year on year practice has consistently kept the unspent grant in its Cash Credit Account which is a common pool for all incoming and outgoing funds. Since a part of the common pool, the indirect interest earned on the unutilized portion for a short period is used to counter the interest loss on unrealized subsidy from Government, which usually takes 8-9 months for realization. Since parts of the grants are released in advance, it is also the responsibility of the Company to effectively manage the funds as the execution of the intended purposes are being carried out in phased manner.</p>

क्र.सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी		प्रबंधन का उत्तर
क्र.सं.	योजना का नाम, जिसके लिए धनराशि निगम को उपलब्ध करवाई गई	31.03.2020 पर शेष राशि (रू.)	टिप्पणी
1	डीआरजीटी के तहत बीज उत्पादन के लिए पूंजीगत अनुदान	3,00,00,000/-	रू.1,50,00,000/- की राशि वर्ष 1995 में प्राप्त हुई थी तथा शेष राशि एकीकरण के समय एसएफसीआई से स्थानांतरित हुई थी जिसका उपयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा स्वीकृति पत्र के अनुसार एक पृथक बैंक खाता होना चाहिए था तथा उत्पाद और बिक्री आय के लिए उपयोग किया जाना था।
2	बीज बैंक का एसटी, एमटीसी के लिए पूंजीगत अनुदान	5,43,17,752/-	केवल 31.03.2018 पर एक स्थानांतरण प्रविष्टि को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 से कोई उपयोग नहीं हुआ। निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार एक अलग बैंक खाता नहीं रखा गया है।
3	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	2,07,00,000/-	वर्ष 2000-01 के दौरान रू.1.47 करोड़ प्राप्त हुए। शेष राशि रू. 0.60 करोड़ एकीकरण पर एसएफसीआई से स्थानांतरित हुई। इन निधियों का कोई उपयोग नहीं हुआ।
4	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	26,75,000/-	वर्ष 1995 और 2001 में राशि प्राप्त हुई। कोई उपयोग नहीं हुआ। निर्धारित शर्तानुसार इन निधियों के लिए अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया।
5	आस्थगित सरकारी अनुदान (केंद्रीय राज्य फार्म बहराईच)	85,61,484/-	केन्द्रीय राज्य फार्म को 2012 में बंद कर दिया गया।

सीएआरओ, 2016 के द्वारा अपेक्षित समदिनांकित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैरा-1 में संदर्भित अनुबंध।

पैरे तथ्यों की अभिव्यक्ति है, इसलिए उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

ह/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)



Sl. No.	Statutory Auditor's comments			Management Reply
Sl. No.	Name of the Scheme for which the funds were made available to the Corporation	Amount of balance as on 31.03.2020 (₹)	Remarks	
1	Capital Grant Seed Production under DRGT	3,00,00,000/-	The amount of ₹ 1,50,00,000/- was received in the year 1995 and the balance amount tfd from SFCI on merger. There is no utilization. Further as per the terms of the sanction letter a separate bank account was to be maintained and utilized for production and sale proceeds of the product to be credited in the account.	
2	Capital grant for EST, MTCE of Seed Bank	5,43,17,752/-	No utilization since the financial year 2015-16 except for one transfer entry as on 31.03.2018.No separate bank account maintained as per the stipulated terms and conditions	
3	Capital Grant for Crash Prog. Rev.Fund	2,07,00,000/-	₹ 1.47 Crores received during the years 2000-01. Balance ₹ 0.60 crores tfd from SFCI on merger. No utilization of these funds.	
4	Capital Grant for Crash Prog Rev.Funds	26,75,000/-	Amount received in the year 1995 and 2001. No utilization. No separate bank as per stipulated conditions has been maintained for these funds.	
5	Deferred Govt. Grant CSF(Bahraich)	85,61,484/-	The CSF was closed in 2012.	

ANNEXURE A REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS REQUIRED BY CARO, 2016.

Paras being statement of facts, needs no reply.

Sd/-
(Kaushik Rakshit)
Sr. General Manager (F&A)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 तक का तुलन पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2020 को		31-03-2019 को	
I. परिसम्पत्तियां					
1 गैर चालू परिसम्पत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	14,708.24		15,039.72	
(ख) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	4	250.56		-	
(ग) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	6	707.89		528.67	
(घ) अन्य अगोचर संपत्तियां	5	6.12		6.84	
(ङ) विकासशील के तहत अमूर्त संपत्ति	7	15.34		15.34	
(च) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां	14	4,247.80		4,014.27	
(छ) निवेश संपत्ति	8	1.53		1.53	
(ज) वित्तीय संपत्तियां					
(i) निवेश	9.1	3,849.98		3,689.67	
(ii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	10	235.46		270.57	
(झ) अस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	12	3,167.58		4,315.90	
(ञ) अन्य गैर चालू संपत्तियां	11	97.75	27,288.25	97.75	27,980.26
2 चालू परिसम्पत्तियां					
(क) माल	13	25,201.86		23,173.61	
(ख) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां	14	6,521.33		7,317.44	
(ग) वित्तीय संपत्तियां					
(i) निवेश	9.2	-		-	
(ii) व्यापार प्राप्तियां	15	41,041.27		32,126.17	
(iii) नकदी एवं नकदी समकक्ष	16	3,548.56		1,862.49	
(iv) उक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	17	434.94		211.86	
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	18	27,983.38		27,177.60	
(घ) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	19	1,872.79		3,221.05	
(ङ) अन्य चालू संपत्तियां	20	4,834.45	111,438.58	5,646.78	100,737.00
कुल परिसम्पत्तियां			138,726.83		128,717.26
II. इक्विटी एवं देयताएं					
1 इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	21	5,731.99		5,731.99	
(ख) अन्य इक्विटी	22	61,451.17	67,183.16	60,047.89	65,779.88
2 देयताएं					
(i) गैर चालू देयताएं					
(क) पूंजीगत अनुदान	23	10,860.08		9,585.47	
(ख) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	24	85.86		78.23	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	3,471.14		3,263.93	
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	26	1,758.50		1,121.33	
(घ) प्रावधान	27	2,717.61	18,893.19	3,458.60	17,507.56
(ii) चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	28	7,713.69		921.17	
(ii) व्यापार प्रदेय	29				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		2,127.42		639.13	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		28,992.41		25,586.08	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	30	9,509.79		11,038.92	
(ख) अन्य चालू देयताएं	31	1,342.70		3,430.66	
(ग) प्रावधान	32	1,914.47		1,763.86	
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	33	1,050.00	52,650.48	2,050.00	45,429.82
कुल इक्विटी एवं देयताएं			138,726.83		128,717.26
III. देखें, संलग्न वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 1-81					

ह0/-
(मो. राफिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
डिन संख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन संख्या - 03289718
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2020

ह0/-
साझेदार - विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं: 81843



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED			
Balance Sheet as at 31st March 2020			
(₹ In lakhs)			
Particulars	Note No.	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
I. ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant and equipment	3	14,708.24	15,039.72
(b) Right-of-use Assets	4	250.56	-
(c) Capital work-in-progress	6	707.89	528.67
(d) Other Intangible assets	5	6.12	6.84
(e) Intangible Assets under Development	7	15.34	15.34
(f) Biological Assets other than bearer plants	14	4,247.80	4,014.27
(g) Investment Property	8	1.53	1.53
(h) Financial Assets			
(i) Investment	9.1	3,849.98	3,689.67
(ii) Other financial assets	10	235.46	270.57
(i) Deferred Tax Assets (Net)	12	3,167.58	4,315.90
(j) Other non-current assets	11	97.75	97.75
		27,288.25	27,980.26
2 Current assets			
(a) Inventories	13	25,201.86	23,173.61
(b) Biological Assets other than bearer plants	14	6,521.33	7,317.44
(c) Financial Assets			
(i) Investment	9.2	-	-
(ii) Trade Receivables	15	41,041.27	32,126.17
(iii) Cash and cash equivalents	16	3,548.56	1,862.49
(iv) Bank Balances other than (iii) above	17	434.94	211.86
(v) Other financial assets	18	27,983.38	27,177.60
(d) Current Tax Assets (Net)	19	1,872.79	3,221.05
(e) Other current assets	20	4,834.45	5,646.78
		1,11,438.58	1,00,737.00
Total Assets		1,38,726.83	1,28,717.26
II. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Equity			
(a) Equity Share Capital	21	5,731.99	5,731.99
(b) Other Equity	22	61,451.17	60,047.89
		67,183.16	65,779.88
2 Liabilities			
(i) Non-current liabilities			
(a) Capital Grant	23	10,860.08	9,585.47
(b) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	24	85.86	78.23
(ii) Other financial liabilities	25	3,471.14	3,263.93
(c) Other Non-Current Liabilities	26	1,758.50	1,121.33
(d) Provisions	27	2,717.61	3,458.60
		18,893.19	17,507.56
(ii) Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	28	7,713.69	921.17
(ii) Trade payables	29		
Total outstanding dues of Micro and Small Enterprises		2,127.42	639.13
Total outstanding dues of creditors other than Micro and Small Enterprises		28,992.41	25,586.08
(iii) Other financial liabilities	30	9,509.79	11,038.92
(b) Other Current Liabilities	31	1,342.70	3,430.66
(c) Provisions	32	1,914.47	1,763.86
(d) Current tax liabilities (Net)	33	1,050.00	2,050.00
		52,650.48	45,429.82
TOTAL Equity and Liabilities		1,38,726.83	1,28,717.26
III. See accompanying notes to the financial statements 1 to 81			

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Sr. General Manager(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870

Place : New Delhi
Dated : 10th August 2020

Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31-03-2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
राजस्व :			
I. परिचालन से राजस्व	34	1,05,996.66	1,15,851.57
II. अन्य आय	35	2,547.15	2,220.08
III. कुल राजस्व (I + II)		108,543.81	118,071.65
IV. व्यय :			
उपयोग की गई सामग्रियों की लागत	36	2,619.33	3,073.80
व्यापक माल की खरीद	37	74,420.41	70,255.96
जैविक सम्पत्तियाँ एवं तैयार माल, व्यापक माल एवं कार्य प्रगति में परिवर्तन	38	(1,263.22)	8,862.91
कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय	39	13,344.82	13,461.38
वित्त लागत	40	780.93	581.44
मूल्यांकन एवं परिशोधन व्यय	41	1,830.34	1,841.90
अन्य व्यय	42	11,146.64	15,530.04
कुल व्यय (IV.)		102,879.25	113,807.43
V. विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व लाभ/हानि (III-IV)		5,664.56	4,464.22
VI. विशिष्ट मदें(आय/व्यय)	43	423.31	315.68
VII. कर पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)		6,087.87	4,779.90
VIII. कर व्यय :			
(1) वर्तमान कर			
- वर्ष के दौरान		1,050.00	2,050.00
- पिछले वर्षों के लिए (निवल)		886.43	145.48
(2) अस्थगित कर (निवल)		1,159.49	(1,547.51)
कुल कर व्यय (VIII)		3,095.92	647.97
IX. निरंतर परिचालन अवधि हेतु लाभ/(हानि) (VII - VIII)		2,991.95	4,131.93
X. बंद परिचालन से लाभ/(हानि)		-	-
XI. बंद परिचालन से कर व्यय		-	-
XII. बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII. अवधि के लिए लाभ/(हानि)(IX+XII)		2,991.95	4,131.93
XIV. अन्य व्यापक आय			
क. मदें जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होगी	44		
- परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः आकलन हानियाँ आयकर प्रभाव		(330.47)	107.32
		43.25	(35.91)
-इक्विटी साधन में पुनः आकलन निवेश आयकर प्रभाव		160.31	178.00
		(32.06)	(35.60)
		-	-
ख. मदें जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत होगी आयकर प्रभाव		-	-
		(158.97)	213.81
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV)		2,832.98	4,345.74
(अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय)			
XV. प्रति इक्विटी शेयर उपाजर्न (जारी परिचालन से)			
(1) बेसिक (अंकित मूल्य रु.1000/-)	45	521.97	720.85
(2) डिल्यूटिड (अंकित मूल्य रु.1000/-)		521.97	720.85
XVI. प्रति इक्विटी शेयर उपाजर्न (बंद परिचालन से)			
(1) बेसिक (रु.)		-	-
(2) डिल्यूटिड (रु.)		-	-
XVII. प्रति इक्विटी शेयर उपाजर्न (जारी एवं बंद परिचालन से)			
(1) बेसिक (अंकित मूल्य रु.1000/-)	45	521.97	720.85
(2) डिल्यूटिड (अंकित मूल्य रु.1000/-)		521.97	720.85

देखें, संलग्न वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 1-81

ह0/-
(मौ.राकिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
दिन संख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिन संख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

ह0/-
साझेदार - विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं: 81843

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2020



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Statement of Profit and Loss for Year ended 31st March 2020

(₹ In lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Revenue :			
I. Revenue from operations	34	1,05,996.66	1,15,851.57
II. Other income	35	2,547.15	2,220.08
III. Total Income (I + II)		1,08,543.81	1,18,071.65
IV. Expenses:			
Cost of materials consumed	36	2,619.33	3,073.80
Purchases of Stock -In-Trade	37	74,420.41	70,255.96
Changes in biological assets and inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress	38	(1,263.22)	8,862.91
Employee benefits expense	39	13,344.82	13,461.38
Finance Costs	40	780.93	581.44
Depreciation and amortization expenses	41	1,830.34	1,841.90
Other Expenses	42	11,146.64	15,530.04
Total Expenses (IV)		1,02,879.25	1,13,607.43
V. Profit/Loss Before exceptional items and Tax (III-IV)		5,664.56	4,464.22
VI. Exceptional items {Income/(Expense)}	43	423.31	315.68
VII. Profit/(Loss) before tax (V+VI)		6,087.87	4,779.90
VIII. Tax expense:			
(1) Current tax			
- For the year		1,050.00	2,050.00
- For earlier years (net)		886.43	145.48
(2) Deferred tax (net)		1,159.49	(1,547.51)
Total Tax Expense (VIII)		3,095.92	647.97
IX. Profit/(loss) for the period from continuing operation (VII - VIII)		2,991.95	4,131.93
X. Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
XI. Tax Expense of discontinued operations		-	-
XII. Profit/(loss) from discontinued operations (after tax) (X-XI)		-	-
XIII. Profit/(loss) for the period (IX+XII)		2,991.95	4,131.93
XIV. Other Comprehensive Income			
A. Items that will not be reclassified to profit and loss	44		
- Re-measurement losses on defined benefit plans		(330.47)	107.32
Income Tax effect		43.25	(35.91)
- Re-measurement investment in equity instruments		160.31	178.00
Income Tax effect		(32.06)	(35.60)
B. Items that will be reclassified to profit and loss		-	-
Income Tax effect		-	-
Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)		(158.97)	213.81
(Comprehensive profit and other comprehensive income for the period)		2,832.98	4,345.74
XV. Earnings Per Equity Share: (For continuing Operation)			
(1) Basic (Face Value Rs. 1000)(in ₹)	45	521.97	720.85
(2) Diluted (Face Value Rs. 1000) (in ₹)		521.97	720.85
XVI. Earnings Per Equity Share: (For discontinuing Operation)			
(1) Basic (in ₹)		-	-
(2) Diluted (in ₹)		-	-
XVII. Earnings Per Equity Share:(For discontinued and continuing Operation)			
(1) Basic (Face Value Rs. 1000)(in ₹)	45	521.97	720.85
(2) Diluted (Face Value Rs. 1000) (in ₹)		521.97	720.85
See accompanying notes to the financial statements 1 to 81			

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Sr. General Manager(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870

Place : New Delhi
Dated : 10th August 2020

Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31-03-2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
क- परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के लिए लाभ	2,991.95	4,131.93
के लिए समायोजन :-		
मूल्यहास	1,830.34	1,841.90
ब्याज आय	(28.87)	(22.99)
लाभांश आय	(57.13)	(33.65)
आयकर व्यय	3,095.92	647.97
पूँजीगत अनुदान के लिए समायोजन	1,274.61	(1,279.12)
भूमि विकास व्यय एवं रोपण फसल बड़ा खाता	36.76	29.25
संवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	24.72	12.26
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	(62.36)	(15.68)
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय	5.99	-
वित्त लागत	774.94	581.44
म्यूचुअल निधि में शुद्ध लाभ	(7.43)	(0.07)
	-	-
परिचालन परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ	9,879.44	5,893.24
के लिए समायोजन :-		
जैविक सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	562.58	(1,538.78)
माल में कमी/(वृद्धि)	(2,028.25)	9,853.14
व्यापार एवं अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(9,685.77)	(10,885.94)
अन्य सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	589.25	(531.13)
(व्यापार प्रदेय एवं अन्य प्रदेय में (कमी)/वृद्धि	3,597.80	5,038.37
प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	(590.36)	(71.64)
परिभाषित लाभ योजना के पुनः मूल्यांकन का प्रभाव-ओसीआई	(330.47)	107.32
अन्य देयताओं में (कमी)/वृद्धि	(1,450.77)	2,506.60
परिचालन से अर्जित नकदी	543.41	10,371.18
सेवानिवृत्ति चिकित्सा प्रीमियम प्रदत्त	(76.26)	(25.42)
आयकर का भुगतान	(1,588)	(1,700)
परिचालन गतिविधियों से कुल नकदी	(1,200.52)	8,645.30
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर संपत्तियों की बिक्री/निपटान	61.18	36.53
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर संपत्तियों की खरीद	(1,674.03)	(1,795.06)
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	(179.22)	(420.04)
ब्याज प्राप्य	28.87	22.99
लाभांश आय	57.13	33.65
निवेश के मूल्य में परिवर्तन	7.43	0.07
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई निवल नकदी	(1,698.64)	(2,121.86)
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)	(1,494.44)	(903.30)
वित्त लागत	(774.95)	(581.44)
लीज देयताओं का भुगतान	(25.04)	-
उधार/ऋण की (वापसी)	7.63	8.95
	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से उपाार्जित निवल नकदी	(2,286.80)	(1,477.79)
नकदी एवं नकदीतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(5,106.45)	5,045.63
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदीतुल्य	941.31	(4,104.31)
वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदीतुल्य	(4,165.13)	941.32
नकदी एवं नकदीतुल्य का मिलान :		
हस्तगत नकदी एवं नकदीतुल्य	14.12	0.35
बैंकों में शेष:		
-चालू खाते में	3,532.41	1,260.86
-हस्तगत चेक, डिमांड ड्राफ्ट एवं स्टैम्प	2.03	1.28
-3 माह से कम के मूल परिपक्वता जमा	-	600.00
-प्रत्याभूत नकद क्रेडिट/एसटीएल	(7,713.69)	(921.17)
	-	-
तुलन पत्र के अनुसार नकद एवं शेष नकदी	(4,165.13)	941.32

टिप्पणी :

- आईसीआईएआई द्वारा नकदी प्रवाह विवरण पर जारी लेखा मानक 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुष्टि के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनर्मूल्यांकन किया गया है और वर्तमान वर्ष के साथ तुलनीय बनाया गया है।

ह0/-
(मो.राकिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रश्मि)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
डिन संख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन संख्या - 03289716

हारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2020

ह0/-
साझेदार - विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं: 81843



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March 2020

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
A. Cash Flow from Operating Activities		
Profit for the year	2,991.95	4,131.93
Adjustments for :-		
Depreciation	1,830.34	1,841.90
Interest income	(28.87)	(22.99)
Dividend income	(57.13)	(33.65)
Income Tax expense	3,095.92	647.97
Adjustments to Capital Grant	1,274.61	(1,279.12)
Land Development Expenses and Plantation crop written off	36.76	29.25
Subscription received from retired employees	24.72	12.28
Profit on Sale of Fixed Assets	(62.36)	(15.68)
Interest exp on lease liabilities	5.99	-
Finance Cost	774.94	581.44
Net Gain in Mutual Fund	(7.43)	(0.07)
Operating Profit before changes in operating assets & liabilities	9,879.44	5,893.24
	(1)	
Adjustments for :-		
Decrease / (Increase) in Biological Assets	562.58	(1,538.78)
Decrease / (Increase) in Inventories	(2,028.25)	9,853.14
Decrease/ (Increase) in Trade & Other Receivables	(9,685.77)	(10,885.94)
Decrease/ (Increase) in Other assets	589.25	(531.13)
(Decrease) / Increase in trade payables & Other payables	3,597.80	5,038.37
(Decrease) / Increase in provisions	(590.36)	(71.64)
Effect of Remeasurement of Defined benefits Plan - OCI	(330.47)	107.32
(Decrease) / Increase in Other liabilities	(1,450.77)	2,506.60
	(2)	
Cash generated from operation	(9,336.03)	4,477.94
	(1+2)	
Retired medical premium paid	543.41	10,371.18
Income Tax Paid	(76.26)	(25.42)
	(1,588)	(1,700)
Total Cash generated from Operating Activities	(1,200.52)	8,645.30
B. Cash Flow From Investing Activities		
Sale/Disposal of Property, plant and equipment's & Other intangible assets	61.18	36.53
Purchase of Property, plant and equipment's & Other intangible assets	(1,674.03)	(1,795.06)
Capital Work-in-progress	(179.22)	(420.04)
Interest Receivable	28.87	22.99
Dividend income	57.13	33.65
Changes in Value of Investments	7.43	0.07
Net Cash used in Investing Activities	(1,698.64)	(2,121.86)
C. Cash Flow From Financing Activities		
Dividend Paid (Including Tax on Dividend)	(1,494.44)	(903.30)
Finance Cost	(774.95)	(581.44)
Payment of Lease Liabilities	(25.04)	-
Borrowings/(Repayment) of Loans	7.63	6.95
Net Cash generated from Financing Activities	(2,286.80)	(1,477.79)
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	(5,106.45)	5,045.63
Opening Cash & Cash Equivalents	941.32	(4,104.31)
Closing Cash & Cash Equivalents	(4,165.13)	941.32
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents		
Cash and Cash Equivalent Comprises of		
Cash on hand	14.12	0.35
Balances with banks:		
– On current accounts	3,532.41	1,260.86
– Cheques, drafts and stamps on hand	2.03	1.28
– Deposits with original maturity of less than three months	-	600.00
– Secured, Cash Credit/STL	(7,713.69)	(921.17)
Cash and Cash Balances as per Balance Sheet	(4,165.13)	941.32

Notes:-

- The Statement of Cash Flow has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Sr. General Manager(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289718
As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-03870

Place : New Delhi
Dated :10th August 2020

Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क- इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2018 को शेष	573,199	5731.99
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	573,199	5,731.99
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	573,199	5731.99

ख- अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
	स्वर्च न की गई सीएसआर आरक्षित	सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित	भूमि विकास आरक्षित	प्रतिधारित कमाई				
31 मार्च, 2018 को शेष	355.65	104.93	363.02	53,489.96	-	2,275.78	-	56,589.36
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2018 के प्रारम्भ में पुनः वर्णित शेष राशि	355.65	104.93	363.02	53,489.98	-	2,275.78	-	56,589.36
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	4,131.93	-	-	-	4,131.93
लामांश एवं लामांश वितरण कर	-	-	-	(903.30)	-	-	-	(903.30)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	71.41	-	142.40	-	213.81
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	(25.57)	-	-	25.57	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)(निवल)	-	(13.16)	29.25	-	-	-	-	16.09
31 मार्च, 2019 को शेष	330.08	91.77	392.27	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.89
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को पुनः वर्णित शेष	330.08	91.77	392.27	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.89
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	2,991.96	-	-	-	2,991.96
लामांश एवं लामांश वितरण कर	-	-	-	(1,494.44)	-	-	-	(1,494.44)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(287.22)	-	128.25	-	(158.97)
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	(60.85)	-	-	60.85	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)(निवल)	-	(51.54)	36.76	-	-	-	-	(14.78)
जोड़ें : प्रावधानों से स्थानांतरित	-	79.53	-	-	-	-	-	79.53
31 मार्च, 2020 को शेष	269.23	119.76	429.03	58,086.74	-	2,546.43	-	61,451.19

ह0/-
(मो.राकिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
दिन संख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिन संख्या - 03289716
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2020

ह0/-
साझेदार - विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं: 81843



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Statement of changes in equity for the period ended 31st March 2020

A. Equity share capital	(₹ In Lakhs)	
	No. of Shares	Amount
Balance at 1st April 2018	5,73,199	5,731.99
Changes in equity share capital during the year	-	-
Balance as on 31st March 2019	5,73,199	5,731.99
Changes in equity share capital during the year	-	-
Balance as on 31st March 2020	5,73,199	5,731.99

Particulars	Reserve & Surplus				Debt instruments through other comprehensive income	Equity Instruments through other comprehensive income	Other Items of Other comprehensive income (specify nature)	Total
	Unspent CSR Reserve	Retired Employees Welfare Reserve	Land Development Reserve	Retained Earnings				
Balance as at 31st March 2018	355.65	104.93	363.02	53,489.98	-	2,275.78	-	56,589.36
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of 1st April 2018	355.65	104.93	363.02	53,489.98	-	2,275.78	-	56,589.36
Bonus Shares Issued	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year	-	-	-	4,131.93	-	-	-	4,131.93
Dividends and Dividend Distribution Tax	-	-	-	(903.30)	-	-	-	(903.30)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	71.41	-	142.40	-	213.81
Transfer to/from retained earning	(25.57)	-	-	25.57	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	(13.16)	29.25	-	-	-	-	16.09
Balance as on 31st March 2019	330.08	91.77	392.27	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.89
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of 1st April 2019	330.08	91.77	392.27	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.89
Bonus Shares Issued	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year	-	-	-	2,991.96	-	-	-	2,991.96
Dividends and Divided Distribution Tax	-	-	-	(1,494.44)	-	-	-	(1,494.44)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	(287.22)	-	128.25	-	(158.97)
Transfer to/from retained earning	(60.85)	-	-	60.85	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	(51.54)	36.76	-	-	-	-	(14.78)
Add: Transferred from Provisions	-	79.53	-	-	-	-	-	79.53
Balance as on 31st March 2020	269.23	119.76	429.03	58,086.74	-	2,546.43	-	61,451.19

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Sr. General Manager(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date
For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870

Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843

Place : New Delhi
Dated :10th August 2020



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित परिचय

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) की स्थापना आधारीय एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए 19 मार्च, 1963 में स्थापित, भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। यह अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न, श्रेणी-। कंपनी है।

वर्ष 1974 में राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) के शुभारंभ के साथ ही, देश में बीज उद्योग के समुचित विकास में मुख्य भूमिका निभाने की जिम्मेदारी एनएससी को सौंपी गई थी। यह अपने फार्मों और अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से 80 फसलों की लगभग 627 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कार्य करता है। पूरे देश में 08 फार्मस एवं 12500 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन कार्यक्रम करते हैं।

देश भर में विविध कृषि पारिस्थितिक परिस्थितियों की मांगों को पूरा करने के लिए एन.एस.सी. के पास 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 48 प्रक्षेत्र कार्यालय, 107 विपणन केन्द्र, 30 उत्पादन केन्द्र, 65 बीज विधायन संयंत्र, 07 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं, 157 बीज गोदाम, 2 सब्जी पैकिंग केन्द्र, 04 बीज परिक्षण प्रयोगशालायें, और 01 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशालाएं हैं। एन.एस.सी. गुणवत्ता बीजों के उत्पादन व वितरण के अलावा केले आदि के टिशू कलचर पौधों के उत्पादन से भी जुड़ा है। यह अपने फार्मों के बगीचों से फलों की फसलों की रोपाईं / पौधे की आपूर्ति भी करता है। बीज विपणन का कार्य पांच चैनलों यथा डीलरों / वितरकों, सरकार (राज्य / केन्द्र), राज्य बीज निगमों, कृषि मेला / प्रदर्शनियों और स्वयं के बीज बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। निगम के लगभग 2640 डीलर हैं। जिनका बिक्री टर्नओवर में 50% से भी अधिक का योगदान है।

एन.एस.सी. भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेंसियों के बीज उत्पादन में कार्यरत कार्मिकों को बीज प्रशिक्षण प्रदान करके, तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। एन.एस.सी., निजी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में प्रसंस्करण संयंत्रों एवं भंडारण गोदामों की स्थापना के लिए अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है। निगम, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 में स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 लेखांकन का आधार

क) अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) एव उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधित नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति आवश्यकता का अनुपालन करते हैं। अधिनियम की अनुसूची-III में निर्धारित निर्देशानुसार, जहां भी लागू है, सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) मापन का आधार वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत सिद्धान्त के तहत व प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय टिप्पणी संख्या 46 में उल्लिखित मदों को छोड़ कर।

ग) अनुमान व मूल्यांकन की उपयोगिता इंड एस के अनुरूप वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करते हैं और वित्तीय विवरणों और आय एवं व्यय की रिपोर्ट की राशि पर संपत्ति, देनदारियों, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के खुलासे की सूचना दी जाती है। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्तियों के उपयोग का अधिकार कर्मचारी लाभ खर्च, प्रावधान, जैविक संपत्तियों का मूल्यांकन आदि के तहत भविष्य के दायित्वों में शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। समय-समय पर अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की जाती है। इन परिणामों में परिवर्तन ओर वास्तविक परिणाम के बीच अंतर के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और अनुमान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम ज्ञात / कार्यान्वित होते हैं।

घ) सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रूपयों में प्रस्तुत की गई और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में गिना जाता है, जहां अन्यथा कहा गया है।

2.2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश :

(i) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्रतिवेदित किया जाता है, जिससे कर पूर्व लाभ / (हानि) का गैर-नकदी प्रकृति के लेनेदेने के प्रभाव और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्ति या भुगतान के किसी अवहेलना या अभिवृद्धि के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर निगम की परिचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों के नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरणों के प्रयोजनों हेतु, नकद और हस्तगत रोकड़ सहित नकद समतुल्य, बैंकों पर नकद और बैंकों में डिमांड डिपोजिट्स, मांग पर चुकौती के निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट्स, निगम की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

1- Corporate Information

National Seeds Corporation Limited (NSC) is a public limited company domiciled and incorporated in India on 19th March 1963 to undertake production of foundation and certified seeds. It is wholly owned by Government of India under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It is a Schedule 'B'-Miniratna Category-I Company.

With the launching of the National Seed Project (NSP) in 1974, NSC was assigned the lead role to develop the seed industry in the country on sound lines. It undertakes production of certified seeds of nearly 627 varieties of 80 crops through its own farms and registered seed growers. There are 8 Farms and about 12,500 registered seed growers all over the country who are undertaking the seed production programmes in different agro-climatic conditions.

NSC has 11 Regional Offices, 48 Area Offices, 107 Marketing Centres, 30 Production Centres, 65 Seed processing plants, 7 Air-conditioned seed storage facilities, 157 Seed storage facilities, 2 Vegetable seed packing centres, 4 seed testing labs and one DNA finger printing lab to meet the demands of diverse agro ecological situations across the country. Besides production and distribution of quality seeds, NSC is also involved in the production of Tissue Culture Plants like banana. It also undertakes supply of seedlings/saplings of fruits crops from Elite proprietary orchards being maintained at farms. Seed marketing is carried out through five channels namely sale through dealers/distributors, Government (State/Central) state seed corporation, kisan melas/exhibitions and through its own sales counters. There are about 2640 dealers of the Corporation who account for more than 50% of the sales turnover.

NSC plays a key role in the implementation of various schemes of the Government of India like, "National Food Security Mission (NFSM)" and "Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)". It also provides technical support to the seed producing agencies including State Seed Corporations by imparting training of personnel engaged in the production of seeds in that organization. NSC is the nodal agency for the implementation of the Central Sector Scheme to create infrastructure facilities for establishment of processing plants and storage godowns in different states in the private sector. The company was registered under the Indian Companies Act, 1956 and the registered office of the company is located at Beej Bhavan, Pusa Complex, New Delhi 110012

2- Significant Accounting policy

2.1 Basis of Preparation

a) Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter. The financial statements adhere to the relevant presentational requirement of the Companies Act, 2013. All assets and liabilities are classified as current or non-current, wherever applicable as per the guidance as set out in schedule III to the Act.

b) Basis of Measurement The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the items (Refer note 46)

c) Use of estimates and judgment The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates includes future obligations under employee retirement benefit plans and estimated useful life of property, plant and equipment, right of use assets, Employee benefit expenses, provisions, valuation of biological assets etc. actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs except where otherwise stated.

2.2 Summary of Significant Accounting Policies

(i) Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Corporation are segregated based on the available information. For the purposes of the Statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

इंडएस-7 में संशोधन

कंपनी ने इंड एस-7 के संशोधन को अपनाया जिसके लिए संस्थाओं को खुलासा करने की आवश्यकता है। जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है जिसमें नकदी प्रवाह और गैर नकदी परिवर्तन, प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के बीच मिलान करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने में वित्तीय विवरणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ii) कार्यात्मक और प्रजेंटेशन मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रू0 (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो निगम की प्रजेंटेशन मुद्रा के साथ-साथ कार्यात्मक भी है।

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन प्रभावित होने पर प्रचलित विनिमय दर पर रिकार्ड में लिया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर उत्पन्न विनिमय अंतर लाभ एवं हानि विवरणों में अभिज्ञात हैं।
- विदेशी मुद्रा में अंकित मदों को पुनः वर्णित किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर उपयोग करके भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है और परिणामी विनिमय अन्तर को लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत के रूप में बताया गया है जिसमें मूल्हास / परिशोधन तथा क्षति यदि कोई हो, को घटाया गया है।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की लागत में शामिल है:
 - व्यापार छूट, एवं छूट के बाद आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य खरीद करों सहित इसका खरीद मूल्य;
 - प्रबंधन द्वारा लक्षित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान एवं स्थिति में संपत्ति लाने के लिए सीधे ही कोई भी लागत जिम्मेदार है।
 - वस्तु का प्रारंभिक अनुमान मद को हटाने और स्थान को बहाल करने के लिए जिस पर वह स्थित है, वह दायित्व जिसके लिए कोई इकाई किसी वस्तु के दौरान या मद के प्राप्त होने पर अथवा अवधि के दौरान मद के प्रयोग के माल सूची तैयार करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी एक विशेष अवधि होती है।
- पट्टादार भूमि के अधिग्रहण पर प्रीमियम के भुगतान को लागत माना जाता है।
- प्रगतिशील पूंजीगत कार्य जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय तथा यहां तक कि उधार पर ब्याज भी शामिल है।
- परियोजना के निर्माण / कार्यान्वयन चरण के दौरान आए सभी व्यय, जैसे कि प्रधान परियोजना के तहत दिखाया गया है परियोजनाओं पर विभिन्न स्थाई परिसंपत्तियों, संयंत्रों एवं उपक्रम की लागत के आधार पर पूर्व व्यय को पूंजीकृत किया गया है।
- यदि अभिज्ञात मानदंड पूरे हैं तो, प्रतिस्थापन की लागत प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत और दीर्घकालीन निर्माण परियोजना के लिए उधार की लागतों को पूंजीकृत किया जाता है।
- संपत्ति, संयंत्रों और उपकरण की मद के अभिज्ञात से उत्पन्न लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खातों में शामिल किया जाएगा। जब मद की पहचान (जब तक कि इंड एस 116 लीज की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा बिक्री एवं लीजबैक पर) की जाती है।

(iv) अमूर्त संपत्ति

किसी अमूर्त संपत्ति को अभिज्ञात किया जाता है, जहाँ पर संभव हो कि संपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वासपूर्वक आंका जा सकता है। अमूर्त संपत्तियां परंपरागत लागत, न्यून संचित परिशोधन और क्षति, यदि कोई, पर वर्णित की गई है।

(v) निवेश संपत्ति:-

- निवेश संपत्ति में पूर्ण संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तीय लीज के तहत संपत्ति शामिल है जिसे व्यापार के सामान्य कोर्स या उत्पादन इस्तेमाल या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग की बजाय किराया कमाने या पूंजी बढ़ोत्तरी या दोनों हेतु रखा जाता है।
- निवेश संपत्ति की लागत, संचित अवमूल्यन के शुद्ध और संचित हानि, यदि कोई, के बारे में बताया गया है।
- निगम निवेश संपत्ति के निर्माण घटकों का अवमूल्यन, मूल खरीद की तारीख से 60 वर्ष से अधिक पर करता है।
- निवेश संपत्ति की तब पहचान की जाती है, जब इनका निपटान किया जाता है या जब इन्हें उपयोग से पूर्णतया वापस लिया जाता है और भविष्य में इनके निपटान से कोई वित्तीय लाभ की उम्मीद न हो। शुद्ध निपटान प्रक्रिया और परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर को मान्यता रद्द होने की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Amendment to Ind-AS 7:

The company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

(ii) Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Indian Rupee (INR), which is functional as well as presentation currency of company.

- i) Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss.
- ii) Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

(iii) Property, plant and equipment

1. Property, Plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.
2. The cost of an item of property, plant and equipment comprises:
 - (a) Its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.
 - (b) Any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
 - (c) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.
3. Premium paid on acquisition of leasehold land, is treated as cost.
4. Capital work-in-progress is carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and interest on borrowing to the extent attributed to them.
5. All expenditure incurred during construction / implementation stage of the project as shown under the head Project and Pre-operative expenditure has been capitalized on pro-rata basis to the cost of various property, plant and equipments on commissioning of the Project.
6. Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts and borrowing costs for long-term construction projects are capitalized if the recognition criteria are met.
7. The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is derecognised (unless Ind AS 116- Leases requires otherwise on a sale and leaseback).

(iv) Intangible Assets

An intangible Asset is recognized where it is probable that the future economic benefits attributable to the assets will flow to the company and cost of the asset can be measured reliability. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

(v) Investment properties

- a) Investment property comprises completed property, property under construction and property held under finance lease that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or for use in production or administrative functions.
- b) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.
- c) The company depreciates building component of investment property over 60 years from the date of original purchase.
- d) Investment properties are derecognized either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of de-recognition.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(vi) प्रावधान: देनदारियों के संबंध में केवल उन प्रावधानों को अभिज्ञात किया जाता है जिनका निर्धारण केवल एक पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके किया जाता है, जब:

1. एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप निगम की वर्तमान देनदारी है।
2. आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाह का दायित्व तय करने की आवश्यकता होगी, तथा
3. दायित्व की मात्रा का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट:

जिन प्रावधानों का 12 महीने से अधिक समय में निपटान संभावित है उन्हें पूर्व छूट दर जो दायित्व के विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है, का उपयोग कर वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को ब्याज व्यय में दिखाया जाता है।

(vii) राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

(क) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब अभिज्ञात किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

(ख) राजस्व की मान्यता को अंतिम संग्रह की अनिश्चितताओं के प्रभाव के कारण स्थागित किया जाता है और इन अनिश्चितताओं के समाप्त होने पर राजस्व को मान्य किया जाता है।

अन्य राजस्व मान्यता:

(क) ब्याज आय, बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, सम अनुपात आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(ख) लाभांश तब मान्य होगा जब इकाईयों को भुगतान का अधिकार स्थापित हो, आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होगा और राशि का पूरी तरह निर्धारण किया जा सकता है।

(viii) पट्टे:

(i) एक पट्टे के रूप में

क) कंपनी एक परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देयता को पट्टा प्रारंभ तारीख पर मान्य करती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार शुरूआती लागत पर मापा जाता है, जिसमें लीज प्रारंभ तारीख पर या उससे पहले किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है, इसके साथ-साथ कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जो खर्च हुई है और एक बुनियादी संपत्ति को हटाने या विघटित करने या बुनियादी संपत्ति को उसी स्थान, जहां यह स्थित है, पर पुनर्स्थापित करने पर आई लागत में से कोई भी प्राप्त लीज राशि (इन्सेटिव) घटाकर एक अनुमानित राशि शामिल है।

ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार उपयोगी जीवन के अंत या लीज अवधि के अंत से पहले की तारीख से सीधी लाईन पद्धति का उपयोग करके अनुवर्ती मूल्यहास किया जाता है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसा कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का होता है। इसके साथ-साथ संपत्ति के उपयोग का अधिकार, नुकसान, यदि कोई, के द्वारा आवधिक रूप से घट जाती है और लीज देयता के कुछ भुगतानों के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) पट्टा देयता को प्रारंभ में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका कि भुगतान प्रारंभ तारीख पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निर्धारित ब्याज दर या अगर यह दर आसानी से निर्धारित न हो सके तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

घ) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यह तब हटा दिया जाता है जब सूचकांक या दर में बदलाव से भविष्य के पट्टा भुगतान में बदलाव होता है। जब इस तरह से लीज देयता का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो परिसंपत्ति के उपयोग की वहन राशि के लिए समतुल्य समायोजन किया जाता है, या इसे लाभ और हानि खाते में दर्ज कर लिया जाता है यदि परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि शून्य हो जाती है।

ड) कंपनी उन संपत्ति के उपयोग के अधिकार जो "संपत्ति के उपयोग के अधिकार" में निवेश की संपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करते, उनको अलग से तुलन-पत्र के सम्मुख और लीज देयताओं को तुलनपत्र में "अन्य वित्तीय देयताओं" में प्रस्तुत करती है।

च) अल्पावधि पट्टा और अल्प मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे: -कंपनी ने अल्प अवधि लीजों जिनकी लीज अवधि 12 महीने या इससे कम है और अल्प मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और लीज देयताओं को मान्य नहीं करना निश्चित किया है। कंपनी इन लीजों/पट्टों से संबंधित भुगतानों को लीज अवधि के ऊपर सीधी रेखा में एक खर्च के रूप में मान्य करती है।

(ii) एक पट्टेदार के रूप में

जब कंपनी एक ऋणदाता के रूप में कार्य करती है, तो कंपनी लीज की शुरूआत पर निर्धारित करती है कि प्रत्येक लीज एक वित्तीय लीज है या एक परिचालन लीज है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा सभी आकस्मिक जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से बुनियादी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर स्थानांतरित करता है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के लिए है या नहीं।

कंपनी परिचालन पट्टों के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को "अन्य आय" के हिस्से के रूप में सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में मान्य करती है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

(vi) Provisions Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

1. The Company has a present obligation as a result of a past event.
2. Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
3. The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Provision which expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pretax discount rate that reflects the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

(vii) Revenue

Revenue from Contracts with Customers

a) Revenue from contract with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services.

b) Recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties of ultimate collection, and revenue is recognized in the period when such uncertainties cease to exist.

Other Revenue Recognition

a) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest rate Method.

b) Dividend will be recognized when the entities right to receive payment is established, economic benefit will flow to the entity and amount can be measured reliably.

(viii) Leases

i. As a lessee

a) The Company recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

b) The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use-asset or the end of the lease term. The estimated useful life of the right-of-use asset is determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

c) The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate.

d) The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

e) The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Right of use Assets" separately on the face of the Balance sheet and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet.

f) Short term Lease and Leases of low value assets:-The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

ii. As a Lessor

When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset.

The Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(ix) मूल्यहास और परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

- क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन हेतु लिखित मूल्य विधि (डब्ल्यूडीवी) पर उपलब्ध कराया गया है।
- ख) वर्ष के दौरान खरीदी गई/बेची गई संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारण प्रामाणिक किया जाता है।
- ग) सभी संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जिनकी प्रयोग की अवधि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है और वहन राशि नई लागत के 5 प्रतिशत से कम है, को लागत राशि पर कैरी किया गया है। अन्य सभी संपत्तियों के मामले में अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्तियों की मूल लागत का 5 प्रतिशत रखा जाता है।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति की अनुमानित उपयोग अवधि निम्नानुसार है

विवरण	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	10-15 वर्ष
कार्यालय भवन	60 वर्ष
गोदाम	30 वर्ष
कम्प्यूटर	3-6 वर्ष
कार्यालय उपकरण	10-15 वर्ष
जेनरेटर	15 वर्ष
विद्युत स्थापना	10 वर्ष
नलकूप	5 वर्ष
टैंक एवं रिजर्ववायर	15 वर्ष
केन्द्रीय धूरी सिंचाई	15 वर्ष
तार-बाड़	5 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष
वाहन	10 वर्ष

- घ) लीज होल्ड सुधारों को अनुसूची 2 के तहत कम्प्यूट किए गए निचले अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है और लीज अवधि को उस वर्ष से जब ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया गया है।
- ङ) मूल्यहास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।
- च) लीज होल्ड भूमि, जो सतत पट्टे पर है, से अतिरिक्त प्रीमियम को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति:

अमूर्त संपत्तियों को, उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन तथा उपयोग हेतु उपलब्धता की तारीख से स्ट्रेट लाईन आधार पर परिशोधित किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

प्राप्त अमूर्त संपत्ति	उपयोगी जीवन	स्वयं आंतरिक रूप से उत्पन्न
छ) सॉफ्टवेयर	1-5 वर्ष	अधिगृहित

- ज) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर परिशोधन के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

(x) गैर वित्तीय संपत्तियों की हानि:

- क) संपत्तियों की हानि के अनुसार निगम की संपत्तियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर की जाती है ताकि हानि के किसी भी संकेत में पहचान सकें।
- ख) किसी परिसंपत्ति को खराब माना जाता है जब संपत्ति की वहन लागत, इनकी वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और उसे वर्ष के लाभ और हानि के विवरण से दिखाया जाता है।
- ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर निगम आकस्मिक नुकसान की अनुमानित राशि का मूल्यांकन करता है। पूर्व लेखा अवधियों में पहचाने गए आकस्मिक नुकसान को उत्क्रम किया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव है और ऐसे नुकसान या तो अब हैं नहीं या कम हो चुके हैं। आकस्मिक नुकसान का उत्क्रम लाभ और हानि खातों में दर्ज होता है।

(xi) मालसूची:

- क) माल का मूल्यांकन न्यूनतम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार किया जाता है। माल के संबंध में लागत निर्धारण का आधार बीज के लिए भारित औसत लागत है।
- ख) प्रमाणीकरण, पैकिंग और उपचार सामग्री सहित स्टोर, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों के लिए भारित औसत लागत।
- ग) वर्ष के दौरान नवीनतम नीलामी दर के आधार पर अनुपयोगी एवं गैर-परिवर्तनीय बीज स्टॉक का अनुमानित मूल्यांकन किया गया है। यदि वर्ष के दौरान निपटान नहीं किया गया है तो प्रचलित बाजार की स्थिति के अनुसार अनुमानित भरोसेमंद मूल्य के आधार पर किया गया है।
- घ) इस्तेमाल हो चुके गनी थैलों की खरीद लागत का 50 प्रतिशत मूल्य है।
- ङ) उपयोग की गई फैबरीकेटेड सामग्री को प्रत्यक्ष लागत में लेखांकन किया जाता है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

(ix) Depreciation & Amortization

Property, Plant and Equipment

- (a) Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on Written down value method (WDV) over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.
- (b) Depreciation on assets purchased/ sold during the year is charged on pro rate basis as per Companies Act, 2013.
- (c) The residual value of all assets, whose useful life has been exhausted as on 31.3.2014 following scheduled-II of the Companies Act, 2013 and the carrying amount is below 5% of the new cost, has been carried at carrying amount. In case of all other assets, the residual life is kept at 5% of the original cost of assets.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are generally as follows:

Particulars	Useful Life
Plant and Machinery	10-15 years
Office Building	60 years
Building Godowns	30 years
Computers	3-6 years
Office Equipment's	10-15 years
Generators	15 years
Electric Installations	10 years
Tubewells	5 years
Tanks and Reservoirs	15 years
Pivot Irrigation	15 years
Fencing	5 years
Furniture and fixtures	10 years
Vehicles	10 years

- (d) Leasehold improvements are amortized over the lower of estimated useful life as computed under schedule-II and lease term from the year in which such improvement are capitalized.
- (e) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.
- (f) Premium on leasehold land, other than on perpetual lease, is amortized over the period of the lease.

Intangible Assets

Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight- line basis from the date that they are available for use. The estimated useful life of intangibles are as follows:

Intangible Assets	Useful Life	Internally generated or self-generated
(g) Software	(1 - 5 years)	Acquired

- (h) Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

(x) Impairment of non-financial assets

- a) In accordance with Ind AS-36 Impairment of Assets, the carrying amounts of Company's assets are reviewed at each Balance Sheet date to determine whether there is any indication of impairment.
- b) An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value and impairment loss is charged to the Statement of Profit & Loss in the year in which an asset is identified as impaired.
- c) At each reporting date company assesses the estimate amount of impairment loss. The impairment loss recognized in prior accounting period(s) is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount and such losses either no longer exists or has decreased. Reversal of impaired loss is recognized in the Statement of Profit & Loss.

(xi) Inventory

- a. Inventories are valued at lower of cost and net realizable value. The basis of cost determination in respect of inventories carried is the Weighted Average cost for seeds.
- b. Weighted average cost for stores, spares and consumables comprising certification, packing and treatment materials.
- c. Condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value on the basis of latest auction rate during the year. If not disposed off during the year then on the basis of estimated realizable value as per the prevailing market condition.
- d. The used gunny bags are valued at 50% of the procurement cost.
- e. The fabricated material consumed is accounted for at direct cost plus related overheads.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

- च) एक इकाई की जैविक संपत्ति से प्राप्त कृषि उपज को शुद्ध वसूली मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।
छ) खरीद माल सूची के स्थगित भुगतान में ब्याज अंश भी शामिल है जिसे वित्त लागत में अलग से अभिज्ञात किया गया है और इस माल सूची में लागत शामिल नहीं है।

xii) जैविक संपत्तियाँ:

1. जैविक संपत्तियाँ बढ़ते हुए पौधों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका मापन उचित दाम रहित लागत पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बेचने के लिए किया जाता है। निगम, माल की लागत के अंतर्गत जैविक संपत्तियों के लिए उचित दाम की तुलना में जैविक संपत्तियों की पुनर्गणना से लाभ और हानि का वर्गीकरण करता है।
2. (क) रबी की खड़ी फसलों और पौध शाला की इन्वेंटरी का मूल्य निर्धारण उचित दाम रहित बिक्री पर यानि फसल/पौधशाला को विपणन योग्य बनाने हेतु होने वाले खर्च के लिए एलाउन्स करने के बाद और कृषि कार्यों से जुड़े जोखिमों के लिए प्रावधान करने के बाद किया जाता है। प्रयोजन के लिए, मात्रा / उपज का अनुमान पिछले 5 वर्षों के मौसमी औसत के आधार पर लिया जाएगा। औसत वास्तविक उपज की अनुपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली मानकों के अनुसार वैज्ञानिक मूल्यांकन विधि अपनाई जाएगी।
(ख) पूर्व-खरीफ का मूल्यांकन लागत पर किया जाएगा, जब यह अपने उचित मूल्य के बराबर होता है और जैविक संपत्ति के तहत अभिज्ञात किया जाता है।
3. बंजर भूमि/सीमाओं या अन्यथा कहीं उगाए गए वाणिज्यिक पेड़ों जिनके लिए या तो उपर्युक्त प्राधिकरण से इनके डिस्पोजल हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है या जहाँ यह आवश्यक है, वहाँ निपटान हेतु ऐसी अनुमति पहले ही हासिल की जा चुकी है, का मूल्य निर्धारण खड़े पेड़ों की उचित कीमत पर जैविक संपत्ति मद के तहत किया जाता है। खड़े पेड़ों के लिए उचित कीमत का आधार वन विभाग द्वारा घन सेंटीमीटर में पेड़ के घेरे पर निर्धारित दर है।

(xiii) उधार लागत:

- (1) उधार लागत चुनी गई संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण हुई है को ऐसी संपत्तियों की कीमत के एक हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक चुनी गई संपत्ति/योग्यता संपत्ति वो है जो अपने ऐच्छिक उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती है।
- (2) अन्य सभी उधार लागतों, को जिस अवधि में व्यय हुए उन्हें व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

(xiv) सरकारी अनुदान:

- क) प्रमोटर के योगदान की प्रकृति की सहायता में अनुदानों को इक्विटीधारकों से योगदान के रूप में समझा जाता है।
- ख) ग्रांट इन एड से संबंधित या इसके कारण अधिग्रहित की गई अचल संपत्ति की कीमत को "उपयोगित पूँजीगत अनुदान", जिसकी प्रकृति एक रिजर्व की तरह है, में जमा किया जाता है ऐसी संपत्तियों के मूल्यहास को इस रिजर्व में से काटा जाता है और लाभ एवं हानि खातों में इसे "आय" के रूप में रखा जाता है।
- ग) अनुदान की अप्रयुक्त/बिना खर्ची राशि का खुलासा पूँजी अनुदानों के तहत किया जाता है।
- घ) गैर मौद्रिक संपत्ति रूप सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में इस अनुदान को आस्थगित आय के रूप में रखा जाता है।

(xv) रोजगार उपरांत लाभ और अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएं:

उपदान:

पात्र कर्मचारियों (दैनिक रेटिड कामगारों सहित) को कवर कर रही ग्रेच्युटी के लिए अपनी देयता को पूरा करने हेतु निगम ने INDAS-19 कर्मचारी लाभ के अनुपालन में, एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया है और ट्रस्ट के फंडों को एलआईसी एवं केनरा, एचएसबीसी, ओबीसी, लाईफ इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। निगम बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित प्रीमियम का भुगतान एलआईसी को फंड की आवश्यकता/उपलब्धता के अनुसार इस उद्देश्य हेतु प्रोजेक्ट युनिट क्रेडिट विधि लगाकर करता है।

अवकाश नकदीकरण

INDAS-19 के अनुसरण में अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश के प्रति निगम के दायित्व को बीमांकित आधार पर निर्धारित एवं प्रदान किया जाता है।

भविष्य निधि:

निगम, कर्मचारी भविष्य निधियों और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार सांविधिक भविष्य निधि में योगदान देता है। निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को एक निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है चूंकि निगम को ब्याज और अन्य कमियाँ यदि कोई, को पूरा करना होता है। तदनुसार, देय या किए जा चुके भुगतान और व्यय, यदि कोई, को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में पहचाना जाता है। सभी परिभाषित लाभ दायित्वों से संबंधित बीमांकित लाभ एवं हानि, उस अवधि जिसमें वे होते हैं, को ओसीआई के माध्यम से पूरी तरह मान्य किया जाता है।

अन्य दीर्घ अवधि लाभ योजनाएं:

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजनाएं:

i) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, वर्ष 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए, प्रारंभिक वित्तीय वर्ष 2010 - 11 के कर पूर्व लाभ पर निर्धारित 1.5% पर राशि की गणना की गई है तथा



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

f. Agriculture produce harvested from an entity's biological assets are measured at Net Realizable Value.

g. Deferred payment of inventory purchased includes the interest element which is recognized separately in finance cost, and that does not includes in the cost of inventory.

(xii) Biological Assets

1. Biological assets represent growing plants which are measured at the fair value less cost to sell at the end of each reporting period. Company classifies gain and losses from re-measuring biological assets to fair value for biological assets within cost of goods.

2. (a) Rabi standing crops and inventory of nursery is valued at Net Relizable Value less allowance for the expenses yet to be incurred to make the crop/nursery marketable and after providing for risks associated with the agricultural operations. For the purpose, near estimation of the quantity/yield will be taken on the basis of previous 5 years seasonal average.

In case of unavailability of average actual yield; Scientific Valuation Method as per National Agriculture Research System Standards will be adopted.

(b) The pre-kharif would be valued at cost when it approximates its fair value and recognized under the head biological asset.

3. The commercial trees grown on waste land/boundaries or otherwise including out lived plantation trees for which either the permission of appropriate authority for its disposal is not required or where it is required, such permission has been obtained for disposal, are valued on fair value of standing trees under the head Biological Assets. The Fair value for standing trees is based on rates fixed by forest department applied on girth in cubic meters.

(xiii) Borrowing Cost

1. Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

2. All other borrowing costs are recognised as expenses in the period in which they are incurred.

(xiv) Government Grants

a) Grants in aid of the nature of promoter's contribution are treated as contribution from equity holders.

b) Cost of depreciable property, plant and equipments acquired out of and having nexus to grant-in-aid, is credited to "Utilized Capital Grant" which is in the nature of a reserve. Depreciation on such assets is reduced from this reserve and is recognized as 'Income' in the Statement of Profit and Loss.

c) Unutilised/unspent amount of the grants are disclosed under Capital Grants.

d) Government grant in the form of non-monetary asset is recognized at fair value and presented in balance sheet by setting up the grant as deferred income.

(xv) Post-employment benefits and other long term benefits plans:

Gratuity

To meet its liability towards gratuity covering eligible employees (including daily rated workers), in compliance of Ind AS 19 – Employee Benefits, the Corporation has created a Gratuity Trust and funds of the trust are managed by LIC, Canara Bank and Oriental Bank of Commerce. Corporation pays premium based on actuarial valuation applying the Project Unit Credit Method for this purpose to LIC as per requirement/availability of the funds.

Leave Encashment

The Company's obligation towards earned leave and half pay leave, are actuarially determined and provided for, as per Ind AS – 19.

Provident Fund

The Corporation makes contributions to a statutory provident fund in accordance with the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The provident fund trust set up by the Company is treated as a defined benefit plan since the Company has to meet the interest and other shortfalls, if any. Accordingly, the contribution paid or payable and expenses, if any are recognized as an expense in the period in which services are rendered by the employee. Actuarial gains and losses related to all defined benefit obligations are recognized in full through OCI for the period in which they occur.

Other Long term benefit plans:

Medical Benefit Scheme for retired employees

(i) In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and the approval of the Board of Directors, an amount computed and provided at 1.5% being the prescribed percentage of the Profit Before Tax of the Initial Financial Year 2010-11 amounting to ₹ 119.76 lakhs to be retained as "Retired Employees Welfare Reserve" for the



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

“सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण रिजर्व” में रू. 119.75 लाख की राशि उपलब्ध की गई। निगम से सेवानिवृत्त कार्मिकों (01.01.2007 से पूर्व) के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के उपरांत कॉर्पस बनाया जाना है। आगामी वर्षों में कॉर्पस में योगदान, आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा, यदि आवश्यक होगी और पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ का 1.5% से अधिक नहीं होगा।

(ii) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए “प्रावधानों” के तहत “सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण” हेतु वर्ष 2019-20 के मूल वेतन + डीए का 30%, राशि स्वरूप रू. 190.08 लाख की राशि प्रदान की गई है। आगामी वर्षों में प्रावधानीकरण, आवश्यकता के आधार पर निर्भर करता है, यदि आवश्यक हो तथा कुल सेवानिवृत्त लाभों की सीमा में मूल वेतन + डीए से 30% अधिक नहीं हो।

(iii) उपर्युक्त दोनों योजनाओं की समीक्षा हर साल की जाएगी तथा योजना जारी रखने का निर्णय उपलब्धता और स्थिरता पर निर्भर रहेगा।

पेंशन निधि:

निगम, मूलवेतन का 10%+डीए के बराबर या अन्य ऐसे प्रतिशत जो नियोक्ता समय-समय पर निर्णय करता है, के बराबर योगदान देता है और ऐसे योगदान का भुगतान तब तक होगा जब तक भुगतान के प्रसंग होंगे। निगम ने एक ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट के निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है।

निर्धारित दर पर ट्रस्ट, बीमा कंपनी और सभी सदस्यों को तीन महीने का नोटिस देकर ऐसे योगदान को आगामी वर्ष में रोका जा सकता है यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निगम का कर उपरांत लाभ 20 करोड़ से नीचे रहता है। हालांकि रोके गए योगदान को चरणबद्ध तरीके से ट्रस्ट को, सभी विगम संचित हानि को पूरा किया जा चुकने और कर उपरांत लाभ 20 करोड़ से अधिक होने के वर्ष से अगले वर्ष के दौरान, मासिक योगदान के ऐसे बकाए पर बिना ब्याज जारी किया जाएगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना:

कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अलगाव के विकल्प का प्रस्ताव कर रही लागू योजना के तहत अर्जित मुआवजे को कर्मचारी द्वारा ऐसी योजना के तहत विकल्प चुनने के वर्ष में लाभ और हानि खातों में दिखाया जाता है।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उम्मीद किए गए अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के भुगतान की अघोशित राशि को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में माना जाता है।

(xvi) कर:

वर्तमान आयकर:

- वर्ष के लिए कर खर्च में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर शामिल हैं।
- वर्तमान कर का आकलन, लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर किया जाता है।
- राशि की गणना हेतु इस्तेमाल कर दरें और कर कानून वो हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख पर उन देशों में जहां निगम संचालित है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है, वहाँ अधिनियमित हैं या पर्याप्त रूप से लागू हैं।
- अन्य व्यापक मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय में दिखाया जाता है।

आस्थगित कर:

भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “आयकर”

- आस्थगित आयकर संपत्ति और देनदारियों को अस्थायी अंतरोध्मतभेदों जिसे कर दरों और कर कानून, जो रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू हैं, का इस्तेमाल करके मान्य किया जाता है।
- आस्थगित आयकर संपत्तियों को उस हद तक मान्य किया जाता है जहां तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उत्पन्न होगा, जिसके तहत छूट अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और आगे बढ़ाएँ गए अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सके।
- आस्थगित आयकर की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उस हद तक कम की जाती है जहाँ कि यह संभावना नहीं है कि आस्थगित आयकर संपत्ति का हिस्सा या पूर्णरूप से इस्तेमाल करने पर पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।
- अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में दिखाया जाता है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

benefit of employees retired before 01.01.2007. Corpus to be created after approval of the Post Retirement Contributory Medical Scheme for retired employees (before 01.01.2007) of the Corporation, by The Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Contribution to the Corpus in the subsequent years, depending upon the need, if required, and not exceed 1.5% of PBT of the previous year.

(ii) In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and the approval of the Board of Directors, an amount of ₹ 190.08 lakhs, being 3% of Basic Pay + DA of 2019-20, to be retained as "For Retired Employees Welfare" under "Provisions" for the benefit of employees retired after 01.01.2007. Further provisioning in the subsequent years, depending upon the need, if required, and not to exceed overall ceiling of 30% of Basic Pay + DA covering the total Superannuation benefits.

(iii) Both the above schemes to be reviewed every year and depending on the affordability and sustainability, continuance of the scheme to be decided.

Pension Fund

The Corporation makes Contributions equal to 10% of Basic Pay plus DA or such other percentage as the employer may decide from time to time and such contribution shall be payable until the happening of payment events. The company has created a Trust and the funds of the Trust is managed by LIC.

Such contribution at the prescribed rate shall be withheld in subsequent year if in a particular financial year profit after tax of the Corporation dips below ₹ 20 Crore, after giving three months' notice to the Trust, the Insurer and all the Member. However, the withheld contribution shall be released in a phased manner to the Trust from the financial year subsequent to the year when all the previous accumulated losses are wiped out and the profit after tax becomes more than ₹ 20 Crore, without any interest on such arrears of monthly contributions.

Voluntary Retirement Scheme

Compensation accruing under a scheme for the time being in force, offering option for voluntary retirement/ separation to employees is charged to the statement of profit and loss, in the year when the employees exercise option under such scheme.

Short Term Employee Benefits

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees, is recognized as an expense during the period when the employees rendered those services.

xvi) Taxes

Current income tax

- i. Tax expense for the year comprises of current Income tax and deferred tax.
- ii. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities using the applicable tax rates.
- iii. The tax rates and tax laws used to compute the taxable amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in the countries where the company operates and generates taxable income.
- iv. Current tax related to OCI Items is recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

Deferred tax

In accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS 12) "Income Taxes" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- i. Deferred income tax assets and liabilities are recognized for temporary differences which is computed using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.
- ii. Deferred income tax asset are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available Against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized.
- iii. The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax Asset to be utilized.
- iv. Deferred tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(xvii) प्रतिशेयर उपार्जन:

1. प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या को बोनस जारी करने और शेयर विभाजन के मामलों में समायोजित किया जाता है।
2. प्रति शेयर डिल्यूटेड आय की गणना के उद्देश्य हेतु इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि एवं अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारत औसत संख्या को सभी डिल्यूटेड पोटेंशनल इक्विटी शेयरों के इफैक्ट के लिए समायोजित किया जाता है।

(xviii) आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियां :

- (क) आकस्मिक देयताओं का निम्नलिखित में से किसी भी मामले में खुलासा किया जाता है:
- i. किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब यह संभावित नहीं है कि देयता को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो, या
 - ii. वर्तमान देयता का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके, या
 - iii. एक संभावित देयता, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना बहुत ही कम है।
- (ख) आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना पर किया जाता है।
- (ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है।
- (घ) आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह को ध्यान में रखकर अनुमानित प्रावधानों का निवल है।

(xix) उचित मूल्य निर्धारण :

- (क) निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कुछ वित्तीय साधनों का उचित मूल्य पर आंकलन करता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे निर्धारण की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक संपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगी या एक देयता को हस्तांतरण करने पर भुगतान की जाएगी। निष्पक्ष मूल्य निर्धारण इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता हस्तांतरित करने पर लेनदेन, या तो परिसंपत्ति या देयता के लिए सैद्धांतिक बाजार में, या प्रमुख बाजार की अनुपलब्धता में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में होता है।
- (ख) निगम के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके निर्धारित जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता के मूल्य निर्धारण में करता है, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागियों ने अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य किया है। निगम उन मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त है और जिसके लिए उचित कीमत निर्धारण हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रांसगिक तथा अवलोकनात्मक इनपुट का उपयोग अधिकतम है और अप्रभावी इनपुट का प्रयोग कम है।

(xx) इक्विटीधारकों के लिए लामांश:

भुगतान किए जा चुके/ किए जाने वाले लामांश को उस वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित लामांशों को शेयरधारकों या निदेशक मंडल, जो भी उचित हो, द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(xxi) वित्तीय साधन:

प्रारंभिक पहचान: वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब निगम, साधन के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण से हुई हैं, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

आगामी आकलन:

वित्तीय संपत्तियाँ:

वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

(क) परिशोधित लागत पर :

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर निर्धारण किया गया है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बाजार में होल्ड किया जाता है जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को, संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने हेतु होल्ड करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों को बकाया मूल राशि पर क्वेल मूलधन और ब्याज का भुगतान करता है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

(xvii) Earnings Per Share

1. Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted Average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus issue and share split.
2. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

(xviii) Contingent Liabilities and contingent Assets

- (a) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:
 - i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or
 - ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or
 - iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.
- (b) Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.
- (c) Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.
- (d) Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

(xix) Fair Value Measurement

a) Company measures certain financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

b) The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

(xx) Dividend to equity holders

Dividend paid/payable is recognized in the year in which the related dividends are approved by shareholders or board of directors as appropriate.

(xxi) Financial instruments:-

Initial Recognition: Financial Assets and Liabilities are recognized when the company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Subsequent measurement

FINANCIAL ASSETS

Financial Assets are classified in following categories:

a. At Amortised Cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर:

- * वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारण किया गया है। यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों के ऐसे व्यापार में रोका जाता है जिसका उद्देश्य, दोनों, संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रह और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों जो केवल बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान है, को वृद्धि देती हैं।
- * निगम ने अन्य व्यापक आय में पेश करने के लिए एक अनिश्चित चुनाव किए हैं जो व्यापार के लिए नहीं जुड़े इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में बाद के बदलावों में शामिल हैं।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर:

वित्तीय आस्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि यह प्रारंभिक पहचान पर परिशोधित कीमत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापा जाता है। लेनदेन जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से अधिग्रहित किया गया है, को तुरंत लाभ या हानि में मान्य किया जाता है।

(घ) एसोसियेट्स में निवेश:

एसोसियेट्स में निवेश को भारतीय लेखा मानक एएस 27 वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर निर्धारण किया जाता है।

वित्तीय देनदारियाँ:

वित्तीय देनदारियाँ निम्नानुसार वर्गीकृत हैं:

(क) परिशोधित लागत पर :

व्यापार और अन्य देय, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण पैसा आदि द्वारा प्रतिनिधित्व की गई परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग कर परिशोधित लागत पर कैरी किया जाता है।

(ख) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

निगम ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देनदारी को नामित नहीं किया है।

(ड) डी-रिकोनाइजेशन वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता केवल तब रद्द की जाती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वित्तीय अनुबंधों और संपत्ति के अधिकतर सभी जोखिमों और स्वामित्व के अधिकारी स्थानांतरित हो जाते हैं।

वित्तीय देयता:

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द होती है जब देयता के तहत दायित्व पूरा हो जाता है या निरस्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से दूसरी द्वारा पूरी तरह अलग शर्तों पर बदल दिया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को पूरी तरह संशोधित कर दिया जाता है, इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की रद्दता और नई देयता की मान्यता के रूप में समझा जा सकता है और संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ और हानि के विवरण/लेखों में मान्य किया जाता है। 05 वर्ष से गैर ऑपरेटिव पार्टियों के सुरक्षा डिपोजिट और धरोहर राशि सहित खातों में पड़े बकाया क्रेडिट को वापस लिखा जाता है।

(च) वित्तीय संपत्तियों की हानि:

- कंपनी हानि के निर्धारण एवं अभिज्ञात के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। व्यापार प्राप्य पर हानि की पहचान के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण" का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि की पहचान करता है।
- कंपनी परिशोधित लागत एवं एफवीटीओसीआई ऋण पर ली गई संपत्तियों से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट नुकसान का आंकलन आगे के आधार पर करती है। हानि पद्धति तब लागू होता है जब क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हो।
- अवधि के दौरान ईसीएल हानि (या उल्टा) लाभ एवं हानि के विवरण में आय एवं व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।
- व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम के तहत बकाया और सरकारी विभागों / पक्षों के विरुद्ध अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों जो 06 वर्षों से कम या बराबर अवधि से बकाया हैं और निजी पार्टियों के लिए तीन वर्षों से कम या बराबर, को अच्छा माना जाता है और तदनुसार संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाता है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

b. Fair Value through Other Comprehensive Income

- * Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
 - * The company has made an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of equity investments not held for trading.
- c. At Fair Value through Profit and Loss**
Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in profit or loss.
- d. Investment in Associates**
Investment in Associates are measured at cost as per IndAS-27- Separate Financial Statements.

Financial Liabilities

Financial Liabilities are classified as follow:

- a) Financial liabilities at Amortized Cost
Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and retention money etc. are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.
 - b) Financial liabilities at FVTPL
The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.
- e. De-recognition Financial Asset**
A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss. Credit balances lying in the accounts including security and EMD for non-operative parties for more than 5 years is written back .

f) Impairment of financial assets:

- Company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss. The Company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on trade receivable. The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition .
- Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried at amortised cost and FVTOCI debt instruments. The impairment methodology applies on whether there has been significant increase in credit risk.
- ECL impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period is recognised as income/expense in the statement of profit and loss.
- Dues under trade receivables, loans and advances and other Current Assets against the Government Departments/parties outstanding for a period equal to or less than six years and private parties for a period of equal to or less than three years are considered good and accordingly provision is made for doubtful debt.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-3
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (रु. लाख में)

विवरण	श्री होल्ड मूनि	पढ़े वाली मूनि	भूमि विकास फार्म	गवन	संयंत्र एवं यन्त्रीय	पौध रोपण एवं बागवानी	सिंचाई	फर्नीचर/ फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	रु. 5000/- से कम चीजों की परिचयिका	फिचार्स	वाहन	तिरपात एवं धूनी आवरण	सड़कें	कुल
लागत अथवा माध्य लागत																
1 अप्रैल, 2018 को वृद्धि	461.18	219.80	909.86	9,835.69	7,303.26	233.88	7,424.80	637.84	440.31	429.75	50.06	5.26	265.73	57.77	136.91	28,512.33
आरक्ष में स्थानांतरित	17.87	32.19	78.80	279.94	660.81	0.63	668.42	30.08	10.73	24.38	0.32	0.35	-	-	-	1,794.52
आरक्ष में स्थानांतरित निपटान/समायोजन	-	-	-	19.06	56.64	1.50	-	21.60	(21.44)	-	-	-	23.77	1.53	-	102.66
31 मार्च, 2019 को इंड एरस-116 को अपनाने के कारण पुनः वर्गीकरण	479.05	252.12	988.76	10,196.57	7,907.43	233.01	8,083.22	646.32	472.48	454.13	50.38	5.61	241.96	56.24	136.91	30,294.19
आरक्ष में स्थानांतरित निपटान/समायोजन	4.61	-	163.18	565.19	447.73	7.67	445.94	24.93	4.14	4.88	0.69	-	-	5.04	-	1,674.00
31 मार्च, 2020 को संचित मूल्यांकन एवं हानि	483.86	-	1,151.94	10,756.02	8,196.16	240.53	8,526.99	686.48	461.31	455.98	45.42	5.61	193.51	61.28	136.91	31,403.40
1 अप्रैल, 2018 को वर्ष के लिए मूल्यांकन प्रभार	-	-	-	3,487.22	4,849.32	109.02	3,210.62	487.84	374.32	402.22	49.70	5.19	248.11	53.15	96.77	13,404.79
हानि	-	-	-	586.86	466.96	10.47	667.53	42.50	30.09	9.84	0.24	0.32	3.57	1.54	9.56	1,641.48
आरक्ष में स्थानांतरण से मूल्यांकन निपटान/समायोजन	-	-	-	1.36	54.96	1.08	-	12.53	(12.37)	-	-	-	22.71	1.53	-	81.80
31 मार्च, 2019 को इंड एरस-116 को अपनाने के कारण पुनः वर्गीकरण	-	41.51	-	4,074.72	5,261.32	118.41	3,878.15	517.81	416.78	411.86	49.94	5.51	228.97	53.16	106.33	15,164.47
वर्ष के लिए मूल्यांकन प्रभार	-	-	-	552.25	519.18	7.78	622.97	35.48	23.82	16.15	0.87	0.01	1.88	3.18	6.67	1,796.24
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरक्ष में स्थानांतरण से मूल्यांकन निपटान/समायोजन	-	-	-	(0.32)	170.04	-	0.16	(11.91)	15.31	3.43	5.85	-	41.88	-	-	224.04
31 मार्च, 2020 को निवल वहन मूल्य	483.86	210.61	988.76	6,121.85	2,646.11	114.60	4,205.07	128.51	55.70	42.27	0.44	0.10	12.99	3.08	30.58	15,039.72
31 मार्च, 2019 को निवल वहन मूल्य	483.86	210.61	988.76	6,121.85	2,646.11	114.60	4,205.07	128.51	55.70	42.27	0.44	0.10	12.99	3.08	30.58	15,039.72
31 मार्च, 2020 को निवल वहन मूल्य	483.86	210.61	988.76	6,121.85	2,646.11	114.60	4,205.07	128.51	55.70	42.27	0.44	0.10	12.99	3.08	30.58	15,039.72

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note - 3
Property, Plant and equipment

Particulars	(₹ in lakhs)															
	Freehold Land	Leasehold Land	Land Development Farm	Building	Plant and Machinery	Plantation & Horticulture	Irrigation	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Computers	Assets Less than Rs. 5000.-	Books	Vehicles	Tarpaulins and Fumigation cover	Roads	Total
Cost or deemed cost																
At 01 April 2018	461.18	219.93	909.96	9,935.69	7,303.26	233.88	7,424.80	637.84	440.31	429.75	50.06	5.26	285.73	57.77	136.91	28,512.33
Additions	17.87	32.19	78.80	279.94	660.81	0.63	659.42	30.08	10.73	24.38	0.32	0.35	-	-	-	1,794.52
transferred to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	19.06	56.64	1.50	-	21.60	(21.44)	-	-	-	23.77	1.53	-	102.66
At 31 March 2019	479.05	252.12	988.76	10,196.57	7,907.43	233.01	8,083.22	646.32	472.48	454.13	50.38	5.61	241.98	56.24	136.91	30,294.19
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	-	252.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.12
Additions	4.61	-	163.18	565.19	447.73	7.67	445.94	24.93	4.14	4.88	0.69	-	-	5.04	-	1,674.00
transferred to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	3.74	159.00	0.15	2.17	(15.23)	15.31	3.43	5.65	-	48.45	-	-	222.67
At 31 March 2020	483.66	-	1,151.94	10,758.02	8,196.16	240.53	8,526.99	686.48	461.31	455.58	45.42	5.61	193.51	61.28	136.91	31,403.40
Accumulated Depreciation and Impairment																
At 01 April 2018	-	31.31	-	3,487.22	4,849.32	109.02	3,210.62	487.84	374.32	402.22	49.70	5.19	248.11	53.15	96.77	13,404.79
Depreciation charge for the year	-	10.20	-	589.86	466.96	10.47	667.53	42.50	30.09	9.64	0.24	0.32	3.57	1.54	9.56	1,841.48
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation on Tiro to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	1.36	54.96	1.08	-	12.53	(12.37)	-	-	-	22.71	1.53	-	81.80
At 31 March 2019	-	41.51	-	4,074.72	5,261.32	118.41	3,878.15	577.81	416.78	411.86	49.94	5.81	228.97	53.16	106.33	15,194.47
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	-	41.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.51
Depreciation charge for the year	-	-	-	559.25	519.18	7.78	622.97	35.48	23.82	16.15	0.87	0.01	1.88	3.18	6.67	1,796.24
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation on Tiro to RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	(0.32)	170.04	-	0.16	(11.91)	15.31	3.43	5.65	-	41.68	-	-	224.04
At 31 March 2020	-	-	-	4,632.29	5,610.46	126.19	4,500.96	565.20	425.29	424.59	45.16	5.82	189.17	56.34	113.00	16,695.16
Net carrying value																
At 31 March 2020	483.66	-	1,151.94	6,124.73	2,585.70	114.34	4,026.03	121.28	36.02	31.00	0.26	0.09	4.34	4.94	23.91	14,708.24
At 31 March 2019	479.05	210.61	988.76	6,121.85	2,646.11	114.60	4,205.07	128.51	95.70	42.27	0.44	0.10	12.99	3.08	30.38	15,039.72



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-4 : संपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	कुल
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में शेष		-	-
इंड एएस-116 को अपनाने के कारण पुनः वर्गीकरण	252.12	-	252.12
वर्ष के दौरान वृद्धि	3.21	70.27	73.48
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	0.03	-	0.03
31 मार्च, 2020 को शेष	255.30	70.27	325.57
मूल्यहास एवं हानि			
1 अप्रैल, 2019 के प्रारम्भ में शेष	-	-	-
इंड एएस-116 को अपनाने के कारण पुनः वर्गीकरण	41.51	-	41.51
वर्ष के दौरान वृद्धि	11.64	21.86	33.50
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 के अन्त में शेष	53.15	21.86	75.01
निवल मूल्य			
31 मार्च, 2020 को	202.15	48.41	250.56
1 अप्रैल, 2019 को	-	-	-

टिप्पणी-5 : अन्य अगोचर परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	साफवेयर	कुल
लागत अथवा मान्य लागत		
1 अप्रैल, 2018 को	88.53	88.53
वृद्धि	0.54	0.54
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2019 को	89.07	89.07
वृद्धि	-	-
निपटान/समायोजन	0.16	0.16
31 मार्च, 2020 को	88.91	88.91
संचित परिशोधन एवं हानि		
1 अप्रैल, 2018 को	81.85	81.85
वर्ष के लिए परिशोधन	0.38	0.38
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2019 को	82.23	82.23
वर्ष के लिए परिशोधन	0.56	0.56
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2020 को	82.79	82.79
निवल वहन मूल्य		
31 मार्च, 2020 को	6.12	6.12
31 मार्च, 2019 को	6.84	6.84



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note:- 4 Right-of-use Assets

(₹ In lakhs)

Particulars	Land	Building	Total
Gross Block			
Opening balance at 1 April 2019	-	-	-
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	252.12	-	252.12
Addition during the year	3.21	70.27	73.48
Disposals / adjustment during the year	0.03	-	0.03
Closing balance at 31 March 2020	255.30	70.27	325.57
Depreciation and Impairment			
Opening balance at 1 April 2019	-	-	-
Reclassified due to adoption of the Ind AS-116	41.51	-	41.51
Addition during the year	11.64	21.86	33.50
Disposals / adjustment during the year	-	-	-
Closing balance At 31 March 2020	53.15	21.86	75.01
Net Book Value			
At 31 March 2020	202.15	48.41	250.56
At 1 April 2019	-	-	-

Note: - 5 Other intangible assets

(₹ In lakhs)

Particulars	Software	Total
At Cost or Deemed Cost		
At 1st April 2018	88.53	88.53
Additions	0.54	0.54
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2019	89.07	89.07
Additions	-	-
Disposals/Adjustments	0.16	0.16
At 31 March 2020	88.91	88.91
Accumulated Amortisation and impairment		
At 1st April 2018	81.85	81.85
Amortisation for the year	0.38	0.38
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2019	82.23	82.23
Amortisation for the year	0.56	0.56
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2020	82.79	82.79
Net carrying value		
At 31 March 2020	6.12	6.12
At 31 March 2019	6.84	6.84



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-6 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	707.89	528.67
कुल	707.89	528.67

टिप्पणी-7 : विकासशील अमूर्त संपत्तियां (ईआरपी सॉफ्टवेयर)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
विकासशील अमूर्त संपत्तियां	15.34	15.34
कुल	15.34	15.34

टिप्पणी-8 : निवेश परिसंपत्ति

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि	मवन	कुल
सकल वहन राशि/मान्य लागत			
1 अप्रैल, 2018 के प्रारम्भ में शेष	-	28.24	28.24
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	-	28.24	28.24
पुनः वर्गीकरण समायोजन	-	1.76	1.76
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	-	30.00	30.00
संचित मूल्यह्रास एवं हानि			
1 अप्रैल, 2018 के प्रारम्भ में शेष	-	26.68	26.68
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	-	0.03	0.03
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	-	26.71	26.71
पुनः वर्गीकरण समायोजन	-	1.73	1.73
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	-	0.03	0.03
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	-	28.47	28.47
निवल वहन राशि			
31 मार्च, 2020 को	-	1.53	1.53
31 मार्च, 2019 को	-	1.53	1.53



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note: - 6 Capital work-in-progress

(₹ In lakhs)

Particulars	31-Mar-2020	31-Mar-2019
Capital Work in Progress	707.89	528.67
Total	707.89	528.67

Note: - 7 Intangible Assets under Development (ERP Software)

(₹ In lakhs)

Particulars	31-Mar-2020	31-Mar-2019
Intangible Assets under Development	15.34	15.34
Total	15.34	15.34

Note: - 8 Investment property

(₹ In lakhs)

Particulars	Land	Building	Total
Gross carrying amount/Deemed cost			
Opening balance at 1 April 2018	-	28.24	28.24
Additions (subsequent expenditure)	-	-	-
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2019	-	28.24	28.24
Reclassification Adjustments			
Additions (subsequent expenditure)	-	1.76	1.76
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2020	-	30.00	30.00
Accumulated Depreciation and impairment			
Opening balance at 1 April 2018	-	26.68	26.68
Depreciation charged during the year	-	0.03	0.03
Disposals	-	-	-
Closing balance 31 March 2019	-	26.71	26.71
Reclassification Adjustments			
Depreciation charged during the year	-	1.73	1.73
Disposals / Adjustments	-	0.03	0.03
Closing balance 31 March 2020	-	28.47	28.47
Net Carrying Amount			
at 31 March 2020	-	1.53	1.53
at 31 March 2019	-	1.53	1.53



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निवेश परिसंपत्तियों की आय एवं व्यय से संबंधित सूचना

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	7.46	7.18
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव सहित)	-	-
उत्पन्न किराया आय	-	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव सहित) जिससे किराया आय उत्पन्न नहीं हुई	-	-
मूल्यहास से पूर्व निवेश परिसम्पत्तियों से उत्पन्न लाभ	7.46	7.18
घटाएं : मूल्यहास	0.03	0.030
निवेश परिसम्पत्तियों से उत्पन्न लाभ	7.43	7.15

उचित मूल्य का पुनः मिलान (स्तर-3 में आवर्ती मूल्यांकन, यदि आवश्यक हो)

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	कुल
1 अप्रैल, 2018 के प्रारम्भ में शेष	-	342.82	342.82
उचित मूल्य अंतर खरीद	-	52.91	52.91
31 मार्च, 2019 के अन्त में शेष	-	395.7	395.7
उचित मूल्य अंतर खरीद	-	(3.65)	(3.65)
31 मार्च, 2020 के अन्त में शेष	-	392.08	392.08
टिप्पणी :			
निवेश सम्पत्ति अधिगृहित	-	-	-
निवेश सम्पत्ति स्वनिर्मित	-	-	-
	-	-	-

टिप्पणी :

निवेश सम्पत्ति की खरीद, निर्माण अथवा विकास अथवा इसके मरम्मत/रखरखाव या वृद्धि के लिए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धता शून्य है ।

उचित मूल्य का आकलन:

कम्पनी ने अपनी निवेश सम्पत्तियों के लिए वार्षिक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है । उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण इसी प्रकार की सम्पत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमत है ।

निवेश पर सम्पत्तियों का उचित मूल्य पूरे देश में स्वतंत्र मूल्यांकनों द्वारा निर्धारित किया गया है । उपयोग की गई मुख्य इनपुट सम्पत्ति की सरकारी दरें हैं । सभी परिणामस्वरूप निवेश सम्पत्तियों के लिए उचित मूल्य स्तर-3 में शामिल है ।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Information regarding income and expenditure of Investment property

(₹ In lakhs)

Particulars	31-Mar-2020	31-Mar-2019
Rental income derived from investment properties	7.46	7.18
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) generating rental income	-	-
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) that did not generate rental income'	-	-
Profit arising from investment properties before depreciation	7.46	7.18
Less: Depreciation	0.03	0.03
Profit arising from investment properties	7.43	7.15

Reconciliation of fair value (Required if recurring valuation within level-3)

(₹ In lakhs)

Particulars	Land	Building	Total
Opening balance as at 01-04- 2018	-	342.82	342.82
Fair value difference	-	52.91	52.91
Purchases	-	-	-
Closing balance as at 31-03-2019	-	395.70	395.70
Fair value difference	-	(3.65)	(3.65)
Purchases	-	-	-
Closing balance as at 31-03-2020	-	392.08	392.08
Note:-			
Investment Property acquired	-	-	-
Investment Property self constructed	-	-	-
	-	-	-

Note:

Contractual commitment for purchase, construction or development of investment property or for its repair maintenance or enhancement are Nil.

"Estimation of Fair Value

The company obtains independent valuation for its investment properties at least annually. The best evidence of fair value is current prices in active market for similar properties.

The fair value of investment properties have been determined by Independent valuers throughout the country. The main inputs used are Government rates of Property. All resulting fair value for investment properties are included in level 3."



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-9 : निवेश

टिप्पणी-9.1 : गैर चालू निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(क) इक्विटी में निवेश		
(प) एसोशियट्स लागत पर		
आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 90,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 : (90,000))	90.00	90.00
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,13,312 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 : 1,13,312).	113.31	113.31
उत्तरांचल बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 84,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 : 84,000)	84.00	84.00
महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,48,330 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 : 1,48,330)	148.33	148.33
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 63,829 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 : 63,829)	63.83	63.83
"घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान"	(63.83)	(63.83)
शेयर आवेदन प्रदत्त राशि :		
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 3,226 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 3,226)	3.23	3.23
"घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान"	(3.23)	(3.23)
कुल (क) का (i)	435.64	435.64
(ii) अन्य व्यापक आय से अन्य उचित मूल्य		
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 25,039 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 25,039)	456.96	588.67
कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 62,230 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 पिछले वर्ष 62,230)	556.96	561.94
पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 96,151 इक्विटी शेयर (1 अप्रैल, 2019 : 96,151) {संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.1 (प)}	628.83	410.56
मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में प्रत्येक 10000 रु. के पूर्णत प्रदत्त 482 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 482)	68.39	73.97
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1, 13,930 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 1,13,930)	1,683.89	1,599.58
सरस्वती किसान सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बहाराइच में प्रत्येक 200 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2500 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 2500)	5.00	5.00
को-ऑपरेटिव औद्योगिक वसाहत लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 05 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 05)	0.01	0.01
कुल (क) का (ii)	3,400.04	3,239.73
कुल (क) ((i) + (ii))	3,835.68	3,675.37



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note:- 9 Investment

Note 9.1 Non Current Investment

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
a) Investment in equity instruments		
(i) Associates at cost		
90,000 [31-March-19 : 90,000] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd.	90.00	90.00
1,13,312 [31-March-19 : 1,13,312] Equity Shares of Rs.100 each fully paid-up of Haryana Seeds Development Corporation Ltd.	113.31	113.31
84,000 [31-March-19 : 84,000] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd.	84.00	84.00
1,48,330 [31-March-19 : 1,48,330] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Maharashtra State Seeds Corporation Ltd.	148.33	148.33
63,829 [31-March-19 : 63,829] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	63.83	63.83
"Less: Provision for diminution in value of shares"	(63.83)	(63.83)
Share application money paid:*		
3,226 [31-March-19 : 3,226] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	3.23	3.23
"Less: Provision for diminution in value of shares"	(3.23)	(3.23)
Total a) (i)	435.64	435.64
(ii) Others at Fair Value through Other Comprehensive Income		
25,039 [31-March-19 : 25,039] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.	456.96	588.67
62,230 [31-March-19 : 62,230] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Karnataka State Seeds Corporation Ltd.	556.96	561.94
96,151 [31-March-19 : 96,151] Equity Shares of Rs.100 each fully paid-up of Punjab State Seeds Corporation Ltd	628.83	410.56
482 [31-March-19 : 482] Equity Shares of Rs. 10000 each fully paid-up of Madhya Pradesh Rajya Beej Evam Farm Vikas Nigam	68.39	73.97
1,13,930 [31-March-19 : 1,13,930] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.	1,683.89	1,599.58
2,500 [31-March-19 : 2,500] Equity Shares of Rs. 200 each fully paid-up in Sharavasti Kissan Sehkari Sugar Mills Ltd. Nanpura, Janpad Bahraich(U.P)	5.00	5.00
5 [31-March-19 : 5] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Cooperative Audhyogik Vasahat Ltd.	0.01	0.01
Total a) (ii)	3,400.04	3,239.73
Total a) {(i) + (ii)}	3,835.68	3,675.37



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ख. अधिमानी शेयरो में निवेश :

(i) एसोशियटेस – लागत पर		
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 37,021 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2019: 37,021)	37.02	37.02
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान' शेयर आवेदन प्रदत्त राशि *	(37.02)	(37.02)
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2,304 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2019: 2,304)	2.30	2.30
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(2.30)	(2.3)
कुल (ख) का (i)		

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(ii) अन्य परिशोधित लागत पर		
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 14,301 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 14,301)	14.30	14.30
कुल (ख) का (ii)	14.30	14.30
कुल (ख) का {(i)+(ii)}	14.30	14.30
कुल गैर चालू निवेश (क+ख)	3,849.98	3,689.67

टिप्पणी-9.2 : चालू निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क- म्यूचुअल फंड में लाभ तथा हानि निवेश के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		--
कुल चालू निवेश	-	-
उद्धृत निवेश एवं उसके बाजार मूल्य की कुल राशि	-	-
अउद्धृत निवेश की कुल राशि	3,849.98	3,689.67
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	106.38	106.38

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा शेयरों के आबंटन को उनके निदेशक मंडल ने दिनांक 31.1.1998 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है, अभी भी शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं, निवेश को प्रदत्त शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया है।

टिप्पणी :

9.1. (ख)(i). बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिमानी शेयरों में निवेश को परिशोधित लागत पर लिया गया है, यद्यपि लाभांश के प्रभाव को लेखा बहियों में नहीं लिया जाता है क्योंकि निगम ने पिछले कई वर्षों से इस कम्पनी से कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

b) Investment in Preference Shares :

(i) Associates at Cost

37,021 [31-March-19 : 37,021] Preference Shares of Rs.100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	37.02	-	37.02
"Less: Provision for diminution in value of shares"	(37.02)	-	(37.02)
Share application money paid: *			
2,304 [31-March-19 : 2,304] Preference Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	2.30	-	2.30
"Less: Provision for diminution in value of shares"	(2.30)	-	(2.30)
Total b) (i)		-	-

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
(ii) Others at Amortised Cost		
14,301 [31-March-19 : 14,301] Preference Shares of Rs.100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.	14.30	14.30
Total b) (ii)	14.30	14.30
Total b) {(i)+(ii)}	14.30	14.30
Total of Non-Current Investment (a+b)	3,849.98	3,689.67

Note:- 9.2 : Current Investments

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
a) Investment at Fair Value Through Profit and Loss		
Investment in Mutual Funds	-	-
Total of Current Investment	-	-
Aggregate amount of quoted investment and market value there of	-	-
Aggregate amount of unquoted investment	3,849.98	3,689.67
Aggregate amount of impairment in value of investment	106.38	106.38

* The allotment of shares by Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. have been approved by their Board of Directors in its meeting held on 3.1.1998. Since the share certificates are yet to be issued, the investments are shown as Share Application Money paid.

Notes:

Note 9.1(b)(i) : Investment in preference shares of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd are carried at Amortised cost, however impact of cumulation of dividend is not taken in books, since company has not recieved dividend since past several years.

Refer Note No. 66



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-10 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रत्याभूत जमा		
वसूली वाले	235.46	270.57
संदिग्ध वसूली वाले	38.26	19.95
	273.72	290.52
घटाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए अलाउन्सेस	(38.26)	(19.95)
कुल	235.46	270.57

टिप्पणी-11 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
पूँजीगत अग्रिम *		
अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट	97.75	97.75
कुल	97.75	97.75

*संदर्भ टिप्पणी सं0 46 (vii)

टिप्पणी-12 : अस्थगित कर परिसंपत्तियां

शेष में अस्थायी अंतर शामिल हैं :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
अस्थगित कर परिसंपत्तियां		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत डिसअलाउन्सेज	1,431.56	2,146.70
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2,195.30	2,472.52
अन्य	382.09	561.27
कुल	4,008.95	5,180.49
अस्थगित कर देयताएं		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित	338.32	393.60
निवेश का पुनर्मूल्यांकन	503.05	470.99
कुल	841.37	864.59
अस्थगित कर परिसंपत्तियां (अस्थगित कर देयताओं का निवल)	3,167.58	4,315.90



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note - 10: Other financial assets

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Security Deposit		
Considered Good	235.46	270.57
Considered Doubtful	38.26	19.95
	273.72	290.52
Less: Allowances for Doubtful Loans & Advances	(38.26)	(19.95)
	235.46	270.57
Total	235.46	270.57

Note - 11: Other non-current assets

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Capital Advances*		
Unsecured, considered good unless otherwise specified	97.75	97.75
Total	97.75	97.75

*Note: Refer note no. 46(vii)

Note - 12 : Deferred Tax Assets

The balance comprises temporary differences attributable to:

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Deferred Tax Assets		
Disallowances under section 43B of Income Tax Act, 1961	1,431.56	2,146.70
Provision for doubtful debts & advances	2,195.30	2,472.52
Others	382.09	561.27
Total	4,008.95	5,180.49
Deferred Tax Liability		
Related to Property plant and equipment	338.32	393.60
Revaluation of Investment	503.05	470.99
Total	841.37	864.59
Deferred Tax Asset (Net of deferred tax liability)	3,167.58	4,315.90



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 12.1 : अस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं में गतिविधियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	पीपीई एवं अगोचर संपत्तियां	प्रावधान	निवेश	43बी	अन्य	कुल
1 अप्रैल, 2018 को	(352.86)	588.70	(435.39)	2,457.58	581.85	2,839.88
प्रभारित/(जमा)	-	-	-	-	-	-
लाभ हानि के लिए	(40.75)	1,883.81	-	(274.98)	(20.58)	1,547.50
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	(35.60)	(35.91)	-	(71.51)
31 मार्च, 2019	(393.61)	2,472.51	(470.99)	2,146.70	561.27	4,315.87
प्रभारित/(जमा)	-	-	-	-	-	-
लाभ हानि के लिए	55.28	(277.20)	-	(758.38)	(179.18)	(1,159.48)
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	(32.06)	43.25	-	11.19
31 मार्च, 2020	(338.32)	2,195.30	(503.05)	1,431.56	382.09	3,167.58

आयकर एवं आस्थगित कर
क) आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	1,050.00	2,050.00
पिछले वर्ष के चालू आयकर से संबंधित समायोजन	886.43	145.48
कुल चालू कर व्यय	1,936.43	2,195.48

ख) आस्थगित कर

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
आस्थगित कर पहचान	1,167.38	(1,547.52)
कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)	1,167.38	(1,547.52)
जारी परिचालन के लिए आयकर व्यय के कारण	3,103.81	647.96

टिप्पणी संख्या 12.2 : वर्ष के दौरान ओसीआई में अभिज्ञात मदों से संबंधित कर

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
निवेश का उचित मूल्यांकन	(32.06)	35.60
परिभाषित लाभ का पुनः निर्धारण	43.25	35.91
ओसीआई के लिए इंगित आयकर	11.19	71.51



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 12.1 : Movement in deferred Tax assets/liabilities:

(₹ In lakhs)

Particulars	PPE and Intangible assets	Provisions	Investment	43B	Other	Total
At 1 April 2018	(352.86)	588.70	(435.39)	2,457.58	581.85	2,839.88
Charged/(credited)						
To Profit & Loss	(40.75)	1,883.81	-	(274.98)	(20.58)	1,547.50
To other comprehensive income	-	-	(35.60)	(35.91)	-	(71.51)
At 31 March 2019	(393.61)	2,472.51	(470.99)	2,146.70	561.27	4,315.87
Charged/(credited)	-	-	-	-	-	-
To Profit & Loss	55.28	(277.20)	-	(758.38)	(179.18)	(1,159.48)
To other comprehensive income	-	-	(32.06)	43.25	-	11.19
At 31 March 2020	(338.32)	2,195.30	(503.05)	1,431.56	382.09	3,167.58

Income Tax & Deferred Tax

a) Income Tax Expenses

(₹ In lakhs)

Particulars	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Current Tax on profits for the years	1,050.00	2,050.00
Adjustments in respect of current income tax of previous year	886.43	145.48
Total Current tax Expenses	1,936.43	2,195.48

b) Deferred tax

(₹ In lakhs)

Particulars	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Deferred tax recognition	1,167.38	(1,547.52)
Total Deferred Tax Expenses (Benefits)	1,167.38	(1,547.52)
Income tax expense attributable to continuing operations	3,103.81	647.96

Note 12.2 Tax related to items recognised in OCI during the year:

(₹ In lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Fair valuation of Investment	(32.06)	35.60
Re-measurement of defined benefits	43.25	35.91
Income tax charged to OCI	11.19	71.51



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 12.3 : 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2019 के लिए भारत की घरेलू कर की दर से गुणात्मक कर व्यय एवं लेखांकन लाभ का मिलान : (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
जारी परिचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	6,058.78	4,779.89
गैर चालू परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)		
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	6,058.78	4,779.89
" 25.17% – भारत के सांविधिक आयकर दर (31 मार्च, 2019 : 34.94%)* "	1,524.87	1,670.29
आयकर पर ब्याज	6.29	32.86
गैर कर योग्य आय/अन्य कटौती योग्य खर्चों के कारण कर प्रभाव		
कृषि आय (व्यय का निवल)	(646.54)	(1,242.50)
लाभांश आय (व्यय का निवल)	(13.12)	(10.36)
घरेलू संपत्ति आय	(36.94)	(49.28)
स्वीकार्य व्यय	-	-
गैर कटौती योग्य व्यय के कारण कर प्रभाव		
निगमित सामाजिक उत्तदायित्व	41.49	51.89
सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण	(90.84)	(8.88)
पूर्णांक (Rounding off) कर प्रावधान सहित अन्य मदें	930.85	-
दर एवं अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	458.07	4.64
अतिरिक्त प्रावधान	-	17.91
	2,174.13	466.57
प्रभावी आयकर दर	35.88%	9.76%

टिप्पणी संख्या 12.4 : लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाई गई वर्तमान वर्ष के लिए कर खर्च : (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	1,050.00	2,050.00
आस्थगित कर	1,167.38	(1,547.52)
वर्तमान वर्ष में कुल कर व्यय लाभ एवं हानि	2,217.38	502.48

टिप्पणी-13 : माल का स्टॉक (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
तैयार माल	13,609.23	13,154.62
प्रमाणित पैकिंग एवं उपचार सामग्रियाँ	2,240.64	2,080.32
अनुपयोगी बीज	623.55	994.52
फार्म स्टॉक	8,543.38	6,801.23
अन्य (भंडार एवं कलपुर्जे, पीओएल, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, दवाईयाँ)	185.06	142.92
कुल	25,201.86	23,173.61

टिप्पणी :

मूल्यांकन विधि पैरा (xi) टिप्पणी 2.2 में दी गई है उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 12.3 Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for 31st March 2020 and 31st March 2019:

(₹ In lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Accounting profit before tax from continuing operations	6,058.78	4,779.89
Profit/(loss) before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting profit before income tax	6,058.78	4,779.89
" At India's statutory income tax rate of 25.17 % (31st March 2019: 34.94%)* "	1,524.87	1,670.29
Interest on Income Tax	6.29	32.86
Tax Effect due to Non taxable Income / Other Deductible Expenses		
Agriculture income (Net of Expenses)	(646.54)	(1,242.50)
Dividend Income (Net of Expenses)	(13.12)	(10.36)
House property Income	(36.94)	(49.28)
Expenses Allowable	-	-
Tax Effect due to non Deductible Expenses		
Corporate Social Responsibility	41.49	51.89
Retired Employee Welfare	(90.84)	(8.88)
Other Items including rounding off of tax provision	930.85	-
Impact of Change in rate and other Items	458.07	4.64
Additional Provision	-	17.91
	2,174.13	466.57
At effective Income tax rate	35.88%	9.76%

Note 12.4 Tax expense for current year reported in Statement of profit and loss

(₹ In lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Current Tax on profit for the year	1,050.00	2,050.00
Deferrred Tax	1,167.38	(1,547.52)
Total tax expense for current year charged to statement of profit and loss	2,217.38	502.48

Note 13 : Inventories

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Finished Goods	13,609.23	13,154.62
Certification, Packing and Treatment Materials	2,240.64	2,080.32
Unserviceable Seeds	623.55	994.52
Farm Stock	8,543.38	6,801.23
Others(Stores & Spares, POL, Printing & Stationary, Medicines)	185.06	142.92
Total	25,201.86	23,173.61

Note:

Valuation method is given in para(xi) note-2.2 Summary of Significant Accounting Policies.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-14 : वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक परिसम्पत्ति

(रु. लाख में)

विवरण	गैर चालू		चालू	
	पेड़	खड़ी फसल	पौध	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेष	4,262.76	5,470.20	59.97	5,530.17
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	(146.10)	7,238.77	20.48	7,259.25
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-	-	-
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	(102.39)	(5,470.20)	(1.78)	(5,471.98)
31 मार्च, 2019 को शेष	4,014.27	7,238.77	78.67	7,317.44
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	201.89	5,225.32	25.25	5,250.57
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	78.64	-	1.66	1.66
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	(47.00)	(6,041.95)	(6.39)	(6,048.34)
31 मार्च, 2020 को शेष	4,247.80	6,422.14	99.19	6,521.33

टिप्पणी :

- जैविक सम्पत्ति में खड़ी फसल तथा खड़े पेड़ शामिल हैं जोकि कम्पनी द्वारा अपने फार्मों पर उत्पादित किए जा रहे हैं।
- कम्पनी को अपने बीज व्यवसाय में कीटनाशकों और फसल पर मौसम के प्रभाव का जोखिम का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों को पौधों के निरंतर पोषण से कम किया जाता है।
- अन्य इकाई की जैविक सम्पत्ति के उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर की गई है। इन्हें निष्पक्ष मूल्य पदानुक्रम में स्तर-3 के अनुसार उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 31 मार्च, 2020 को निगम के पास 2,93, 279 पेड़ थे (31 मार्च, 2019 को 2,94, 958 पेड़ थे)।
- 31 मार्च, 2020 को निगम के पास 22,048.50 है0 खेती थी (31 मार्च, 2019 को 21,398.85 है0) वर्ष के दौरान कम्पनी ने 15,85,299.59 किंव0 (31 मार्च, 2019 को 19,22,823 किंव0) प्रमाणित बीजों की बिक्री की।

टिप्पणी-15 : व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
संबंधित पार्टियों से प्राप्य	-	-	-	-
अन्यों से प्राप्य				
वसूली वाले अप्रत्याभूत	41,041.27		32,126.17	
उधार जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	3,150.28	44,191.55	3,087.03	35,213.20
घटाएं : अमान्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउन्स		(3,150.28)		(3,087.03)
कुल व्यापार प्राप्य योग्य	41,041.27		32,126.17	



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note: - 14: Biological Asset other than bearer plants. (₹ In lakhs)

Particulars	Non Current		Current	
	Trees	Standing Crops	Nursery	Total
Balance at 1 April 2018	4,262.76	5,470.20	59.97	5,530.17
Increase due to purchases	-	-	-	-
Changes in fair value due to biological transformation	(146.10)	7,238.77	20.48	7,259.25
Changes in fair value due to price changes	-	-	-	-
Transfer of harvested assets to inventory	(102.39)	(5,470.20)	(1.78)	(5,471.98)
Balance At 31 March 2019	4,014.27	7,238.77	78.67	7,317.44
Increase due to purchases	-	-	-	-
Changes in fair value due to biological transformation	201.89	6422.14	25.25	6447.39
Changes in fair value due to price changes	78.64	-	1.66	1.66
Transfer of harvested assets to inventory	(47.00)	(7238.77)	(6.39)	(7245.16)
Balance At 31 March 2020	4,247.80	6,422.14	99.19	6,521.33

Note:

- (i) Biological Assets comprises of the standing crops and standing trees which is being produced by the company in its own farms
- (ii) The Company's seeds business is exposed to risks from pests and the effect of the weather on crops. These risks are mitigated by continuous nurturing of plants.
- (iii) The fair value of biological assets of other entity were calculated based on quoted price in active market that the entity can access at the measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.
- (iv) As at 31st March 2020, there were 2,93,279 No. of trees plantation (31st March 2019: 2,94,958).
- (v) As at 31st March 2020, there were 22,048.50 hectare of cultivation (31st March 2019: 21,398.85 hectare of cultivation). During the year, the company sold 1585299.59 quintals of certified seeds (31st March 2019: 19,22,823 quintals of certified seeds).

Note:- 15: Trade Receivables

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020		31 March 2019	
Receivables from related parties	-	-	-	-
Receivables from Others				
Unsecured, Considered good	41,041.27		32,126.17	
Significant increase in Credit Risk	<u>3,150.28</u>	44,191.55	<u>3,087.03</u>	35,213.20
Less: Allowances for bad and doubtful debts		(3,150.28)		(3,087.03)
Total Trade Receivables		41,041.27		32,126.17



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-16 : नकदी एवं नकद समतुल्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(क) बैंकों के पास शेष (नकद एवं नकदीतुल्य)		
वसूली वाले	3,532.41	1,260.86
संदिग्ध वसूली वाले	4.86	-
	<u>3,537.27</u>	<u>1,260.86</u>
घटाएं : संदिग्ध ऋण एवे अग्रिम के लिए अलाउन्सेस	<u>(4.86)</u>	<u>-</u>
	3,532.41	1,260.86
(ख) हस्तगत में चैक, डिमांड ड्राफ्ट एवं टिकट	2.03	1.28
(ग) हस्तगत में नकदी	14.12	0.35
(घ) अन्य (तीन माह से कम का मूल परिपक्वता जमा)	-	600.00
कुल	<u>3,548.56</u>	<u>1,862.49</u>

टिप्पणी: 31.03.2020 तक उपयोग किया गया अनुदान की शेष राशि रु. 2737.86 लाख है (पिछले वर्ष 1303.16 लाख)

टिप्पणी-17 : नकदी एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क) बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	-	-
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन हेतु सहायता के लिए बैंक में शेष	-	9.52
ख) बैंक गारंटी के विरुद्ध सीमांत राशि / प्रत्याभूत के रूप में साविधि जमा	434.94	202.34
कुल	<u>434.94</u>	<u>211.86</u>



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note:- 16: Cash and cash equivalents

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
(a) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents)		
Considered Good	3,532.41	1,260.86
Considered Doubtful	4.86	-
	<u>3,537.27</u>	<u>1,260.86</u>
Less: Allowances for Doubtful Loans & Advances	<u>(4.86)</u>	<u>-</u>
	3,532.41	1,260.86
(b) Cheques, drafts and stamps on hand	2.03	1.28
(c) Cash on hand	14.12	0.35
(d) Others (Deposits with original maturity of less than three months)	-	600.00
Total	<u>3,548.56</u>	<u>1,862.49</u>

Note: Balance of unutilised grant as on 31.03.2020 is ₹ 2737.85 lakhs (Previous Year ₹ 1303.16 lakhs)

Note: - 17: Bank Balances other than cash and cash equivalents

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
(a) Earmarked balances with banks:		
Balance with bank for assistance for boosting seeds production in Pvt. Sector	-	9.52
(b) Fixed deposit held as margin money/security against bank borrowings/guarantee	434.94	202.34
Total	<u>434.94</u>	<u>211.86</u>



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-18 : अन्य वित्तीय सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

Particulars	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क- उपार्जन		
जमा पर ब्याज उपार्जित	21.43	17.35
ख- अन्य प्राप्त		
- वसूली वाले	607.59	913.60
- संदिग्ध वसूली वाले	71.43	40.09
	679.02	953.69
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(71.43)	(40.09)
ग- वसूली योग्य दावे :		
- वसूली वाले	0.88	76.01
- संदिग्ध वसूली वाले	69.51	6.80
	70.39	82.81
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(69.51)	(6.80)
घ- बीज / उत्पादन-आर्थिक सहायता / मिनिफिटस* के विरुद्ध भारत सरकार से वसूली योग्य :		
- वसूली वाले	20,716.51	20,079.72
- संदिग्ध वसूली वाले	4,014.52	2,715.71
	24,731.03	22,795.43
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	(4,014.52)	(2,715.71)
ङ- बिक्री/उत्पादन आर्थिक सहायता के:* विरुद्ध राज्य सरकारों से वसूली योग्य :		
- वसूली वाले	6,583.95	6,018.43
- संदिग्ध वसूली वाले	1,170.18	1,031.93
	7,754.13	7,050.36
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	(1,170.18)	(1,031.93)
च- स्टाफ से वसूली योग्य :		
अप्रत्याभूत वसूली वाले	53.02	72.49
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	4.38	4.02
	57.40	76.51
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(4.38)	(4.02)
कुल	27,983.38	27,177.60

*केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार से प्राप्तयोग्य खर्चों की आर्थिक सहायता/ अनुदान/ प्रतिपूर्ति के लिए क्रेडिट संबंधित प्राधिकारी से दावा योग्य राशि के आधार पर लिया गया है, समायोजन के अधीन है, यदि कोई, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इसके अंतिम निपटान/ स्वीकृति के समय किया जाता है ।

टिप्पणी-19 : चालू कर सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
अग्रिम एवं स्रोत पर कर कर कटौती (निवल)	1,872.79	3,221.05
कुल	1,872.79	3,221.05



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note:- 18: Other financial assets

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
a) Accrued		
Interest accrued on deposit	21.43	17.35
b) Other Receivables		
- Considered good	607.59	913.60
- Considered Doubtful	<u>71.43</u>	<u>40.09</u>
	679.02	953.69
Less: Allowance for Doubtful Claims	<u>(71.43)</u>	<u>(40.09)</u>
	607.59	913.60
c) Claims Receivables		
- Considered good	0.88	76.01
- Considered Doubtful	<u>69.51</u>	<u>6.80</u>
	70.39	82.81
Less: Allowance for Doubtful Claims	<u>(69.51)</u>	<u>(6.80)</u>
	0.88	76.01
d) Recoverable from Govt.of India against * sales/production-subsidy/Minikits:		
- Considered Good	20,716.51	20,079.72
- Considered Doubtful	<u>4,014.52</u>	<u>2,715.71</u>
	24,731.03	22,795.43
Less: Allowance for Doubtful Claims	<u>(4,014.52)</u>	<u>(2,715.71)</u>
	20,716.51	20,079.72
e) Recoverable from state government against: * sales/production subsidy:		
- Considered Good	6,583.95	6,018.43
- Considered Doubtful	<u>1,170.18</u>	<u>1,031.93</u>
	7,754.13	7,050.36
Less: Allowance for Doubtful Claims	<u>(1,170.18)</u>	<u>(1,031.93)</u>
	6,583.95	6,018.43
f) Recoverable from staff		
Unsecured, Considered Good	53.02	72.49
Unsecured Considered Doubtful	<u>4.38</u>	<u>4.02</u>
	57.40	76.51
Less: Allowance for Doubtful claims	<u>(4.38)</u>	<u>(4.02)</u>
	53.02	72.49
TOTAL	27,983.38	27,177.60

*Credit for subsidies/grants-in-aid/reimbursement of expenses receivable from Central/State Government have been taken on the basis of amount claimable from respective authority subject to adjustment, if any, being made at the time of final settlement/acceptance of the same by the respective authority.

Note 19 : Current Tax Assets

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Advance Tax & Tax Deducted at Source (Net)	1,872.79	3,221.05
Total	1,872.79	3,221.05



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-20 : अन्य चालू सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क) अन्य अग्रिम		
उत्पादकों को अग्रिम		
अप्रत्याभूत वसूली वाले	4,423.04	5,471.74
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	153.57	199.47
	4,576.61	5,671.21
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(153.57)	(199.47)
	4,423.04	5,471.74
अन्यों का अग्रिम		
अप्रत्याभूत वसूली वाले	315.75	(12.47)
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	2.67	2.75
	318.42	(9.72)
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(2.67)	(2.75)
	315.75	(12.47)
ख) अन्य		
पूर्व प्रदत्त व्यय		
	41.72	34.20
ग) दावें		
वसूली योग्य दावें	5.00	80.50
संदिग्ध वसूली वाले	80.50	-
	85.50	80.50
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(80.50)	-
	5.00	80.50
घ) स्टाफ को अग्रिम		
अप्रत्याभूत वसूली वाले	30.75	43.35
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	-	-
	30.75	43.35
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	-	-
	30.75	43.35
प्राप्य योग्य जीएसटी इनपुट कर	18.19	29.46
कुल	4,834.45	5,646.78

*वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से स्टॉक की चोरी के लिए पार्टी से रु. 80.50 लाख वसूली योग्य है। पार्टी के विरुद्ध परक्राम्य अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया हुआ है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 20: Other current assets

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
a) Other Advances		
<u>Advance to Growers</u>		
Secured, Considered Good	4,423.04	5,471.74
Unsecured, Considered Doubtful	153.57	199.47
	<u>4,576.61</u>	<u>5,671.21</u>
Less: Allowance for Doubtful Advances	<u>(153.57)</u>	<u>(199.47)</u>
	4,423.04	5,471.74
<u>Advance to Others</u>		
Secured, Considered Good	315.75	(12.47)
Unsecured, Considered Doubtful	2.67	2.75
	<u>318.42</u>	<u>(9.72)</u>
Less: Allowance for Doubtful Advances	<u>(2.67)</u>	<u>(2.75)</u>
	315.75	(12.47)
b) Others		
Prepaid Expenses	41.72	34.20
c) Claims		
Claims recoverable	5.00	80.50
Considered Doubtful	80.50	-
	<u>85.50</u>	<u>80.50</u>
Less: Allowance for Doubtful Claims	<u>(80.50)</u>	<u>-</u>
	5.00	80.50
g) Advance to staff		
Unsecured, Considered Good	30.75	43.35
Unsecured Considered Doubtful	-	-
	<u>30.75</u>	<u>43.35</u>
Less: Allowance for Doubtful claims	<u>-</u>	<u>-</u>
	30.75	43.35
GST Input Tax Receivables	18.19	29.46
TOTAL	4,834.45	5,646.78

*Claims recoverable of ₹ 80.50 lakhs from party for theft of stock during 2017-18, under RO Bhopal. Case has been filed against party under negotiable instrument act.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-21 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक 1000 रु. के 17,36,100 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 17,36,100)	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	17,361.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता		
प्रत्येक 1000 रु. के पूर्णतः प्रदत्त 5,73,199 (पिछले वर्ष 5,73,199)	5,731.99	5,731.99
	5,731.99	5,731.99

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या एवं बकाए पूंजी का मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शेयर	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक जारी/अभिदत्त एवं लंबित प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99

(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास रु 1000 के सम मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। निर्देशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, सिवाय अंतरिम लाभांश के आगामी शेयर धारकों की बैठक के अनुमोदन के अधीन होता है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमानी राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार है।

(iii) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारक का विवरण

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	शेयरों की संख्या	% धारक शेयरों की संख्या	% धारक	
भारत सरकार	5,73,199	100%	5,73,199	100%
कुल	5,73,199	100%	5,73,199	100%

- (iv) क) एनएससी ने प्रत्येक पूर्णतः चुकता रु. 1000 के अंकित मूल्य के साथ ही इक्विटी शेयर जारी किए हैं।
 ख) एनएससी ने कोई अधिमानी शेयर जारी नहीं किए।
 ग) एनएससी के द्वारा जीडीपी के विरुद्ध गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, बाण्ड, परिवर्तनीय अवधि ऋण, शेयरवॉरंट जारी नहीं किए गए।
 घ) एनएससी के द्वारा शेयरों की जब्ती नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप जब्त शेयरों में कोई पुनः निर्गम नहीं हुआ।
 ङ) एनएससी ने अब तक अपने शेयरों की वापसी खरीद नहीं की।
 च) दो शेयरों को छोड़कर शेष सभी इक्विटी शेयर एनएससी के द्वारा जारी किए हैं, जो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं। एक-एक शेयर क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएससी एवं अवर सचिव, भारत सरकार के नाम पर हैं।

(v) वर्ष के दौरान नकद, जारी किए गए बोनस शेयर और वापस खरीदे गए शेयरों के अलावा विचारार्थ जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या :-

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
नकदी के अलावा विचारार्थ जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में पूर्ण रूप से प्रदत्त जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	31,490
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note - 21: Equity Share capital

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Authorised share capital		
17,36,100 (previous Year 17,36,100) Equity Shares of ₹ 1000 each	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	17,361.00
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
5,73,199 (previous Year 5,73,199) Equity Shares of ₹ 1000 each	5,731.99	5,731.99
	5,731.99	5,731.99

(i) Reconciliation of the number of equity shares and share capital Outstanding

(₹ In lakhs)

Particulars	As at 31 March 2020		As at 31 March 2019	
	No of shares	Amount	No of shares	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99
Add: Shares Issued during the year	-	-	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99

(ii) Terms/Rights attached to Equity Shares

The Company has one class of equity shares having a par value of ₹ 1,000 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed/ to be proposed by the Board of Directors is subject to approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

(iii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the company.

Name of the shareholder	As at 31 March 2020		As at 31 March 2019	
	No. of Shares	% holding in the class	No. of Shares	% holding in the class
Government of India	5,73,199	100%	5,73,199	100%
Total	5,73,199	100%	5,73,199	100%

(iv) a. NSC has issued only equity shares with face value of Rs. 1000/- each fully paid up.

b. No preference shares have been issued by NSC.

c. No convertible debentures, bonds, convertible term loan, share warrants against GDF has been issued by NSC.

d. No forfeiture of shares have been done by NSC and consequently there is no reissue of forfeited shares.

e. NSC did not buy back its own shares so far.

f. All the equity shares except two shares as have been issued by NSC are in the name of President of India. One each in the name of CMD and US Seeds respectively.

(v) Aggregate number of equity shares issued for consideration other than cash, bonus shares issued and shares bought back during the Year :-

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Equity Shares issued for consideration other than cash	-	-	-	-	-
Equity Shares issued as fully paid up bonus shares	-	-	-	-	31,490
Equity Shares bought back	-	-	-	-	-



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-22 : अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(क) प्रतिधारित उपार्जन	58,086.74	56,815.59
(ख) अन्य आरक्षित		
(i) खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित	269.22	330.08
(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित	119.76	91.77
(iii) भूमि विकास आरक्षित	429.02	392.27
(iv) एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश	2,546.43	2,418.18
कुल	61,451.17	60,047.89

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(क) प्रतिधारित उपार्जन		
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	56,815.59	53,489.98
घटाएं : जारी किए गए बोनस शेयर	-	-
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	2,991.96	4,131.93
जोड़े : परिभाषित लाभ योजना के पुनर्निर्धारण के लिए अन्य व्यापक आय से लाभ/(हानि)(कर प्रभाव का निवल)	(287.22)	71.41
	59,520.33	57,693.32
घटाएं		
लाभांश प्रदत्त	(1,239.58)	(749.25)
लाभांश वितरण कर	(254.86)	(154.05)
खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित में स्थानांतरण	60.85	25.57
वर्ष के अंत में शेष	(1,433.59)	(877.73)
	58,086.74	56,815.59
(ख) अन्य आरक्षित		
(i) खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	330.07	355.65
जोड़े : लाभ हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	(60.85)	(25.57)
वर्ष के अंत में शेष	269.22	330.08
(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	91.77	104.93
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	24.72	12.26
जोड़े : प्रावधान से स्थानांतरित	79.53	-
घटाएं		
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	(76.26)	(25.42)
वर्ष के अंत में शेष	119.76	91.77
(iii) भूमि विकास आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	392.26	363.02
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	36.76	29.25
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	429.02	392.27
(iv) एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,418.18	2,275.78
एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन अस्थगित कर	160.31	178.00
	(32.06)	(35.60)
	2,546.43	2,418.18
कुल	61,451.17	60,047.89



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note: - 22: Other Equity

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
(a) Retained Earnings	58,086.74	56,815.59
(b) Other Reserves		
(i) Unspent CSR Reserve	269.22	330.08
(ii) Retired Employees Welfare Reserve	119.76	91.77
(iii) Land Development Reserve	429.02	392.27
(iv) FVTOCI Equity Investment	2,546.43	2,418.18
Total	61,451.17	60,047.89

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
(a) Retained Earnings		
Surplus in Statement of Profit and Loss:		
Balance as at the beginning of the year	56,815.59	53,489.98
Less: Bonus shares issued	-	-
Add: Profit for the year	2,991.96	4,131.93
Add : Profit/(Loss) from Other comprehensive Income for Re-measurement of defined benefits plans (net of tax effect)	(287.22)	71.41
	59,520.33	57,693.32
Less:		
Dividend Paid	(1,239.58)	(749.25)
Dividend Distribution Tax	(254.86)	(154.05)
Transferred to Unspent CSR Reserve	60.85	25.57
Balance as at the end of the year	(1,433.59)	(877.73)
	58,086.74	56,815.59
(b) Other Reserves		
(i) Unspent CSR Reserve:		
Balance as at the beginning of the year	330.07	355.65
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit & Loss	(60.85)	(25.57)
Balance as at the end of the year	269.22	330.08
(ii) Retired Employees Welfare Reserve:		
Balance as at the beginning of the year	91.77	104.93
Add: Subscription received during the year	24.72	12.26
Add: Transferred from Provisions	79.53	-
Less:		
Amount utilised during the year	(76.26)	(25.42)
Balance as at the end of the year	119.76	91.77
(iii) Land Development Reserve:		
Balance as at the beginning of the year	392.26	363.02
Add: Addition during the year	36.76	29.25
Less: Utilised during the year	-	-
Balance as at the end of the year	429.02	392.27
(iv) FVTOCI Equity Investment		
Opening Balance	2,418.18	2,275.78
Change in fair value of FVTOCI equity instrument	160.31	178.00
Deferred Taxes	(32.06)	(35.60)
	2,546.43	2,418.18
Total	61,451.17	60,047.89



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

आरक्षितों की प्रकृति एवं उद्देश्य
एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश

निगम ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से एसोशिएट्स के अलावा इक्विटी में निवेश किए उचित मूल्यों में परिवर्तनों को अभिज्ञात किया है। इक्विटी में इन परिवर्तनों को एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के तहत जमा किया गया है। कम्पनी इस आरक्षित से प्रतिधारित उपाजर्जन में तब राशि स्थानांतरण करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय तीन वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च किया जाना चाहिए, तदनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए एक बजट निर्धारित किया गया था। सीएसआर बजट और सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई वास्तविक राशि का अंतर खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित में स्थानांतरित किया जाता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ को निर्धारित प्रतिशत पर गणना की गई राशि को लाभ/हानि विवरण एवं आरक्षित शीर्षक "सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित" पर दिखाया गया है।

भूमि विकास आरक्षित

भूमि विकास व्यय फार्मों के विकास पर किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ष 1985-86 से स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है। मूल्यहास के बजाए, प्रति वर्ष डब्ल्यू डी वी पर 5% की दर से भूमि विकास आरक्षित बनाया जा रहा है।

वितरित एवं प्रस्तावित

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 के वर्ष अंत के लिए	31 मार्च, 2019 के वर्ष अंत के लिए
इक्विटी शेयर पर घोषित एवं प्रदत्त नकद लाभांश		
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश : (रु. 216.26 प्रति शेयर)	1,239.58	749.29
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	254.86	154.05
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश*		
31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश : (रु. 156.59 प्रति शेयर)	897.59	1,239.58
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	184.54	254.86

* यह भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.05.2016 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि निगम के लिए 3226 लाख रु. (निवल मूल्य का 05 प्रतिशत) का भुगतान करना संभव नहीं था जबकि वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ रु. 29.92 करोड़ है। इसके अलावा निगम की नकदी प्रवाह की स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि निगम 7500 करोड़ रुपये की सीसी सीमा पर चल रहा है। इसके अलावा निगम को अपनी सिंचाई प्रणाली में सुधार के अलावा स्वयं की चल रही पंजीकरण प्रक्रिया को वित्त पोषित करने के लिए बड़ी मात्रा में आंतरिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उक्त दिशानिर्देशों से निगम को छूट देने के लिए पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट के लिए अनुरोध किया गया है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Nature and purpose of Reserves

FVTOCI Equity Investment

The NSC has elected to recognize changes in fair value of investment in equity instruments other than Associates through other comprehensive income. These changes are accumulated within the FVTOCI equity investments within equity. The company transfers amounts from this reserve to retained earnings when the relevant equity securities are de-recognized.

Unspent CSR Reserve:

As per section 135 of the Companies Act, 2013 at least 2% of the average net profit during the three immediately preceding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility, accordingly a budget was earmarked for the CSR activities. The difference of CSR budget and the actual amount spent on the CSR activity is transferred to unspent CSR Reserve.

Retired Employees Welfare Reserve:

In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and approval of the Board of Directors, an amount computed at the prescribed percentage of the profit before tax of the previous year is charged to the statement of profit and loss and a Reserve titled "Retired Employees Welfare Reserve" is created for the corresponding amount.

Land Development Reserve:

The land development expenditure represents expenditure incurred on development of farm lands and has been treated as fixed assets from 1985-86. Instead of depreciation, land development Reserve is being created at the rate of 5% on W.D.V every year.

Distribution made and proposed

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
<u>Cash dividend on equity shares declared and paid</u>		
Final Dividend for the year ended 31st March 2019 (₹ 216.26 per share)	1,239.58	749.29
Dividend distribution Tax on Final dividend	254.86	154.05
<u>Proposed Dividend on Equity shares*</u>		
Proposed Dividend for the year ended 31.03.2020 (₹ 156.59 per share)	897.59	1,239.58
Dividend distribution Tax on Proposed Dividend	184.54	254.86

*Not in compliance of GOI OM dated 17-05-16 since it was not feasible for the corporation to pay ₹ 3226 lakhs (being 5% of the Net Worth) as PAT during the year is ₹ 29.92 Crores. Moreover the Cash Flow position is also highly precarious with the corporation thriving on a CC limit of ₹ 7500 Crore. Further, a large amount of internal resources is to be ploughed back to Finance its own on-going capitalisation process including improvement of its irrigation system. Exemption request already submitted through the administrative ministry, to exempt the Corporation from the guidelines issued.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-23 : पूंजीगत अनुदान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क) उपयोगित पूंजीगत अनुदान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	8,196.14	8,396.04
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रयोग किया गया	709.03	730.49
	8,905.17	9,126.53
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित अनुदान	-	(0.56)
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती (मूल्यह्रास)	(868.56)	(929.83)
वर्ष के अंत में शेष	8,036.61	8,196.14
(ख) खर्च न किया गया पूंजीगत अनुदान		
i) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं जीओटी फार्मर्स के उपकरणों की खरीद		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	61.60	58.39
मुख्यालय / फार्म से /को स्थानांतरित	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	80.00	52.46
	141.60	110.85
घटाएं : उपयोग की गई राशि-पूंजीगत व्यय	(84.50)	(40.72)
घटाएं : उपयोग की गई राशि- राजस्व व्यय	-	(8.54)
घटाएं : कृ.एवं कि.क. को स्थानांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	57.10	61.59
ii) एसएमएसपी के तहत बुनियादी सुविधाओं का निर्माण		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,072.32	1,370.75
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	773.05	289.60
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	(191.89)	(583.04)
घटाएं : कृ.एवं कि.क. को स्थानांतरित	-	(5.00)
	1,653.48	1,072.31
iii) आरकेवीवाय के तहत सीड कोटिंग तकनीक को अपनाने हेतु.		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	137.92	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	225.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान स्थानांतरित	-	-
घटाएं : उपयोग की गई पूंजीगत व्यय	(132.63)	-
घटाएं : उपयोग की गई राजस्व व्यय	(0.22)	(87.08)
	5.07	137.92
iv) कम्प्यूटरीकरण के लिए		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	15.34	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	39.35
मुख्यालय / फार्म से /को स्थानांतरित	-	-
घटाएं : उपयोग की गई राशि - पूंजीगत व्यय	-	(19.65)
घटाएं : उपयोग की गई राशि - राजस्व व्यय	-	(4.36)
	15.34	15.34
v) प्रशिक्षण आयोजन के लिए		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	16.56	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	33.48
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(13.59)	(16.92)
	2.97	16.56
vi) आस्थगित सरकारी अनुदान (सीएसएफ बहाराइच)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	85.61	85.61
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	-
	85.61	85.61



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note : 23: Capital Grant

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
a) Utilised capital grant:		
Balance as at the beginning of the year	8,196.14	8,396.04
Add: Utilised during the year	709.03	730.49
	8,905.17	9,126.53
Less: Grant adjusted during the year	-	(0.56)
Less: Deductions during the year (Depreciation)	(868.56)	(929.83)
Balance as at the end of the year	8,036.61	8,196.14
(b) Unspent Capital Grant		
i) For Procurement of equipment of Seed Testing Labs & For G.O.T. Farms		
Balance as at the beginning of the year	61.60	58.39
Transferred from /to HO/Farms	-	-
Add: Addition during the year	80.00	52.46
	141.60	110.85
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	(84.50)	(40.72)
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	-	(8.54)
Less: Unutilised amount refunded to MOA	-	-
Balance as at the end of the year	57.10	61.59
ii) For creation of Infrastructure Facilities under SMSP		
Balance as at the beginning of the year	1,072.32	1,370.75
Add: Received during the year	773.05	289.60
Less: Utilised during the year	(191.89)	(583.04)
less: Refunded to MOA	-	(5.00)
	1,653.48	1,072.31
iii) For adoption of seed coating technology under RKVY.		
Balance as at the beginning of the year	137.92	-
Add: Received during the year	-	225.00
Add: Transferred during the year	-	-
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	(132.63)	-
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	(0.22)	(87.08)
	5.07	137.92
iv) For Computerisation		
Balance as at the beginning of the year	15.34	-
Add: Received during the year	-	39.35
Transferred from /to HO/Farms	-	-
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	-	(19.65)
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	-	(4.36)
	15.34	15.34
v) For conduction training		
Balance as at the beginning of the year	16.56	-
Add: Received during the year	-	33.48
Less: Amount utilised	(13.59)	(16.92)
	2.97	16.56
vi) Deferred Govt. Grant (CSF Bahraich)		
Balance as at the beginning of the year	85.61	85.61
Add: Received during the year	-	-
Less: Amount utilised	-	-
	85.61	85.61



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
vii) बीज गांव योजना के लिए पूंजीगत अनुदान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	940.81
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,321.65	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(325.67)	(940.81)
	995.98	-
viii) फार्मों पर वृक्षारोपण के लिए वित्तीय अनुदान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	3.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	(3.00)
	-	-
ix) एनएफएसएम के तहत फार्मों पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	300.00	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(300.00)	-
	-	-
x) किसान मेला के लिए सहायता		
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	12.00	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(4.08)	-
	7.92	-
xi) कृषि प्रतिरोधक एवं गैसीयकरण संयंत्र की स्थापना		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	10.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	(10.00)
	-	-
कुल (ख)	2,823.47	1,389.33
कुल (क+ख)	10,860.08	9,585.47



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
vii) Capt. Grant for Seed Village Programme		
Balance as at the beginning of the year	-	940.81
Additions during the year	1,321.65	-
Less: Amount utilised	(325.67)	(940.81)
	995.98	-
viii) For Financial Assistance for Tree Plantation at Farms		
Balance as at the beginning of the year	-	3.00
Addition during the year	-	-
Less: Amount utilised	-	(3.00)
	-	-
ix) For Installation of Micro Irrigation System at Farms under NFSM		
Balance as at the beginning of the year	-	-
Addition during the year	300.00	-
Less: Amount utilised	(300.00)	-
	-	-
x) Grant for Kisan Mela		
Balance as at the beginning of the year	-	-
Addition during the year	12.00	-
Less: Amount utilised	(4.08)	-
	7.92	-
xi) Establishment of agro residue based briquette making and gasification plant.		
Balance as at the beginning of the year	-	10.00
Addition during the year	-	-
Less: Amount utilised	-	(10.00)
	-	-
TOTAL (b)	2,823.47	1,389.33
Total(a)+(b)	10,860.08	9,585.47



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-24 : उधार

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रत्याभूत अवधि ऋण बैंक से	85.86	78.23
कुल	85.86	78.23

टिप्पणी-25 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
धरोहर एवं अन्य जमा उपदान (संदर्भ सं० :75)*	969.25	764.20
लीज देयताएं	2,472.66	2,499.73
	29.23	-
कुल	3,471.14	3,263.93

* कम्पनी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रदान करती है। 5 वर्ष की निरंतर सेवा करने पर कर्मचारी, ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है। सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारियों के अंतिम वेतन (बेसिक डी.ए.) को सेवाकाल के वर्ष की संख्या पर प्रति वर्ष 15 दिन के वेतन की दर से गुणन करके अनुपातिक गणना की जाती है। ग्रेच्युटी योजना वित्त पोषित योजना है और कम्पनी भारत में मान्यता प्राप्त निधि में योगदान करती है।

टिप्पणी-26 : अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क) अग्रिम		
ग्राहकों से अग्रिम	-	-
अग्रिम अनुबंध प्राप्तियां	-	-
अग्रिम किराया/प्राप्त प्रीमियम	654.46	-
परिक्रामी निधि के लिए:		
सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन*	150.00	150.00
सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन-एसएफसीआई	150.00	150.00
बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव**	379.55	379.55
बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु- पूर्ववर्ती एसएफसीआई	163.63	163.63
-क्रैश प्रोग्राम (तिलहन)***	147.00	147.00
-क्रैश प्रोग्राम (तिलहन) - एसएफसीआई	60.00	60.00
-क्रैश प्रोग्राम (दलहन)***	26.75	26.75
-क्रैश प्रोग्राम (दलहन) - एसएफसीआई	233.75	233.75
उचित मूल्य समायोजन	27.11	44.40
कुल	1,758.50	1,121.33

* सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि में अनुदान राशि प्रदान की। यह निधि अलग खाते में रखी जानी थी तथा इसे कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया जाना था। यह भी बताया गया है कि उपयोग की गई राशि वापस होनी चाहिए थी ताकि इस खाते में कोई कमी न हो।

*** बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रखरखाव के लिए परिक्रामी निधि : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज बैंक की स्थापना एवं रखरखाव के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सहायता उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं दिशा निर्देश के अनुसार उपयोग किया जाना था तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को कार्यान्वयन योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी।

*** तिलहन एवं दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी क्रैश प्रोग्राम लागू करने के लिए परिक्रामी निधि : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है। दलहनों के उत्पादन के लिए क्रैश प्रोग्राम की आयोजन हेतु निधि का प्रयोग किया जाना था।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note: - 24 Borrowings

(₹ In lakhs)

Particulars	31st March 2020	31st March 2019
<u>Secured Term Loan</u>		
From Bank	85.86	78.23
Total	85.86	78.23
Refer note 46(viii) for term loan from bank		

Note:- 25: Other financial Liabilities

(₹ In lakhs)

Particulars	31st March 2020	31st March 2019
Security and other Deposit	969.25	764.20
Gratuity (Refer Note:75) *	2,472.66	2,499.73
Lease Liabilities	29.23	-
Total	3,471.14	3,263.93

* Company provides for gratuity for employees in India as per the payment of gratuity Act, 1972. Employees who are in continuous service for a period of 5 years are eligible for gratuity. The amount of gratuity payable on retirement/termination is the employees last drawn salary (Basic + D.A) per month computed proportionately for 15 days salary per year multiplied for the number of years service. The gratuity plan is funded plan and company makes a contribution to the recognized fund in India.

Note: - 26: Other non current liabilities

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
a) Advances		
Advance from clients	-	-
Advance contract receipts	-	-
Advance Rent/Premium Received	654.46	-
Revolving Fund For:		
-Seed Production under Drought Prone Area*	150.00	150.00
-Seed Production under Drought Prone Area-SFCI	150.00	150.00
-For Establishment and Maintenance of Seed Bank Scheme **	379.55	379.55
-For Establishment and Maintenance of Seed Bank Scheme - erstwhile SFCI	163.63	163.63
-Crash Programme (Oil Seeds)***	147.00	147.00
-Crash Programme (Oil Seeds)-SFCI	60.00	60.00
-Crash Programme(Pulses)***	26.75	26.75
-Crash Programme(Pulses)-SFCI	-	233.75
-Fair Value Adjustment	27.11	44.40
Total	1,758.50	1,121.33

* Revolving fund for seed production under drought prone area:-The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of fund for seed production under drought prone areas. This fund was to be kept in a separate account and to be used as working capital. It was also stated that the funds utilized were to be deposited back so that there should be no depletion from this account.

** Revolving fund for establishment and maintenance of Seed Bank Scheme :- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval for release of funds for creation of revolving fund for the purpose of establishment and maintenance of seed bank. This assistance was to be used as per the guidelines and utilization certificate and progress of implementation scheme was to be submitted to DAC & FW

*** Revolving fund for implementation of Crash Programme for Quality Seed Production of Oilseeds and Pulses:- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of revolving fund for the purpose of implementation of quality seed production of Oilseeds and pulses. The funds were to be used for organizing crash programs for production of Oilseeds and pulses.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-27 : प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान		
क्षतिपूरक अनुपस्थितियों हेतु*		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,828.04	2,932.36
वर्ष के दौरान वृद्धि	394.85	575.01
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(695.36)	(679.33)
वर्ष के अंत में शेष	2,527.53	2,828.04
सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	630.56	585.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	45.56
घटाएं : आरक्षित में स्थानांतरित	(79.53)	-
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी	(360.95)	-
वर्ष के अंत में शेष	190.08	630.56
टीटीए के लिए		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
	2,717.61	3,458.60

* संदर्भ नोट संख्या 75

टिप्पणी-28 : उधार

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रत्याभूत, बैंक से मांग पर पुनः देय ऋण		
प्रत्याभूत (नकद उधार)*	171.04	921.17
अप्रत्याभूत	7,542.65	-
कुल	7,713.69	921.17

* कंपनी की सभी वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों, संयंत्र एवं मशीनरी पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रारंभिक प्रतिभूति एवं देश के विभिन्न भागों में स्थित 26 परिसंपत्तियों पर साम्यिक बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूति ।

(रु. लाख में)

टिप्पणी-29 : व्यापार प्रदेय

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय*	2,127.42	639.13
- अन्य	28,992.41	25,586.08
- संबंधित पार्टियों को देय	-	-
कुल	31,119.83	26,225.21

*संदर्भ नोट संख्या 53



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note: - 27: Provisions

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Provision for Employees benefits		
For compensated Absences*		
Balance as at the beginning of the year	2,828.04	2,932.36
Additions during the year	394.85	575.01
Amounts utilised during the year	(695.36)	(679.33)
Balance as at the end of the year	2,527.53	2,828.04
For Retired Employees welfare		
Balance as at the beginning of the year	630.56	585.00
Additions during the year	-	45.56
Less: Transferred to Reserve	(79.53)	-
Less: Written Back during the year	(360.95)	-
Balance as at the end of the year	190.08	630.56
For TTA		
Balance as at the beginning of the year	-	-
Additions during the year	-	-
Less: Adjusted during the year	-	-
Balance as at the end of the year	-	-
	2,717.61	3,458.60

* Refer Note No. 75

Note: - 28: Borrowings

(₹ In lakhs)

Particulars	31st March 2020	31st March 2019
Secured, Loan repayable on demand from bank		
Secured, Cash Credit*	171.04	921.17
Unsecured	7,542.65	-
Total	7,713.69	921.17

* Primarily secured by first charge on all present and future current assets, plant and machinery of the company and collaterally secured by equitable mortgage on 26 properties located at different parts of the country.

Note:- 29: Trade Payables

(₹ In lakhs)

Particulars	31st March 2020	31st March 2019
- Due to MSME*	2,127.42	639.13
- Others	28,992.41	25,586.08
- Payable to related parties	-	-
Total	31,119.83	26,225.21

*Refer note no. 53



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-30 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
निरीक्षण शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि	34.76	23.36
सुरक्षित जमा	2,760.63	2,685.76
स्थायी परिसंपत्तियों को देय	196.08	356.51
अन्य	6,493.12	7,973.29
लीज देयताएं	25.20	-
कुल	9,509.79	11,038.92

टिप्पणी-31 : अन्य वर्तमान देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
सांविधिक देय	679.33	427.97
के लिए अग्रिम :		
आर्थिक सहायता/अनुदान	171.97	171.97
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन के लिए सहायता	52.19	9.52
एन.एफ.एस.एम. की परियोजना मिशन के लिए अग्रिम	224.16	181.49
अन्य वर्तमान देयताएं	363.55	2,807.06
अग्रिम किराया/प्राप्त प्रीमियम	59.15	-
उचित मूल्य समायोजन	16.51	14.14
कुल	1,342.70	3,430.66

टिप्पणी-32 : प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	788.02	696.44
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	94.21
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(122.00)	(2.62)
दीर्घावधि प्रावधान में स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	666.02	788.03
पेंशन		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	34.83	341.85
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(2.06)	(307.01)
वर्ष के अंत में शेष	32.77	34.84
निष्पादन संबंधी वेतन		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	940.99	738.43
वर्ष के दौरान वृद्धि	274.69	205.00
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	-	(2.44)
वर्ष के अंत में शेष	1,215.68	940.99
कुल	1,914.47	1,763.86

*संदर्भ नोट संख्या 75

टिप्पणी-33 : वर्तमान कर देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,050.00	400.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,050.00	2,050.00
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(2050.00)	(400.00)
कुल	1,050.00	2,050.00



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note:- 30: Other financial liabilities

(₹ In lakhs)

Particulars	31st March 2020	31st March 2019
Inspection fee, Registration fee etc.	34.76	23.36
Security Deposit	2,760.63	2,685.76
Payable for fixed asset	196.08	356.51
Others	6,493.12	7,973.29
Lease Liabilities	25.20	-
Total	9,509.79	11,038.92

Note: - 31: Other current liabilities

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Statutory dues	679.33	427.97
Advances For :		
Grant in Aid/Subsidy	171.97	171.97
Assistance for boosting seeds production in private Sector	52.19	9.52
Advance for National Food Security Mission Project Mission etc.	363.55	2,807.06
Other current liabilities		
Advance Rent/Premium Received	59.15	-
Fair value adjustment	16.51	14.14
Total	1,342.70	3,430.66

Note: - 32: Provisions

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
For Compensated Absences:*		
Balance as at the beginning of the year	788.02	696.44
Additions during the year	-	94.21
Amounts utilised during the year	(122.00)	(2.62)
Transfer to Long-term Provision	-	-
Balance as at the end of the year	666.02	788.03
Pension		
Balance as at the beginning of the year	34.83	341.85
Additions during the year	-	-
Amounts utilised during the year	(2.06)	(307.01)
Balance as at the end of the year	32.77	34.84
Performance Related Pay		
Balance as at the beginning of the year	940.99	738.43
Additions during the year	274.69	205.00
Amounts utilised during the year	-	(2.44)
Balance as at the end of the year	1,215.68	940.99
Total	1,914.47	1,763.86

*Refer Note no.75

Note: 33:- Current tax liabilities

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Balance as at the beginning of the year	2,050.00	400.00
Additions for the year	1,050.00	2,050.00
Amounts utilised during the year	(2,050.00)	(400.00)
Total	1,050.00	2,050.00



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-34 : परिचालन से राजस्व		(रु. लाख में)	
विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
प्रचालनों से राजस्व			
प्रमाणित – गृह बाजार	89,674.88	93,739.65	
प्रमाणित – निर्यात	-	-	
बीज बिक्री पर मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति	4,394.83	7,084.01	
घटाएं : व्यापार छूट	(3,974.69)	(4,562.04)	96,261.62
मूल बीज	3,226.93	2,588.56	
प्रजनक बीज	376.83	291.77	
पौध सामग्री	-	-	63.93
अनुपयोगी बीज	1,656.49	2,314.63	
विविध बिक्री	1,305.03	734.64	5,993.53
सेवाओं की बिक्री	-	-	44.86
अन्य प्रचालन राजस्व	9,288.72	-	13,551.56
कुल	1,05,996.66	1,15,851.57	

टिप्पणी-35 : अन्य आय		(रु. लाख में)	
विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
ब्याज आय			
टीडीएस रु 1.42 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.90 लाख)	28.87	22.99	
म्यूचुअल फंड में निवेश से शुद्ध लाभ	7.43	0.07	
लाभांश आय			
एसोसिएट से लाभांश	57.13	33.65	
अन्य गैर प्रचालन आय			
विविध प्राप्तियाँ *	357.24	281.81	
दावे	0.07	0.01	
किराया विद्युत प्रभार सहित	580.04	571.32	
वसूल किया गया निर्णीत हर्जाना	64.69	168.81	1,021.95
अलाउन्स/प्रावधान एवं देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं रही :			
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	27.67	4.79	
संदिग्ध अग्रिम एवं जमा	42.83	68.05	
बोनस	0.11	0.05	
वेतन एवं भत्ते	146.04	14.56	
आर्थिक सहायता के लिए देयताएं:	-	-	87.45
सेवाएं	108.15	109.04	
माल	258.32	15.10	124.14
आर्थिक अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्याहानस	868.56	-	929.83
कुल	2,547.15	2,220.08	

* 31 मार्च, 2020 तक जब्त किए गए धरोहर राशि एवं अन्य जमा रु. 12.07 लाख (31 मार्च, 2019 को : रु. 40.78 लाख) शामिल है ।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 34 : Revenue from Operations

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020		For the year ended 31st March 2019	
Revenue from operations				
Certified - Home Market	89,674.88		93,739.65	
Certified - Export	-		-	
Reimbursement of Price Differential on sale of seed	4,394.83		7,084.01	
Less: Trade Discount	(3,974.69)	90,095.02	(4,562.04)	96,261.62
Foundation Seeds	3,226.93		2,588.56	
Breeder Seeds	376.83		291.77	
Sapling	-		63.93	
Condemned Seeds	1,656.49		2,314.63	
Miscellaneous sales	1,305.03	6,565.28	734.64	5,993.53
Sale of Services		47.64	-	44.86
Other Operating Revenues		9,288.72	-	13,551.56
Total		1,05,996.66		1,15,851.57

Note 35 : Other Income

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020		For the year ended 31st March 2019	
Interest Income [TDS ₹ 1.42 lakhs (previous year: ₹ 0.90 lakhs)]		28.87		22.99
Net Gain in Investment in Mutual Fund		7.43		0.07
Dividend Income				
Dividend from Associates		57.13		33.65
Other Non-Operating Income:				
Miscellaneous Receipts*	357.24		281.81	
Claims	0.07		0.01	
Rent including electricity charges	580.04		571.32	
Liquidated damages recovered	64.69	1,002.04	168.81	1,021.95
<u>Allowances/Provisions & Liabilities no longer required:</u>				
<u>Allowances/Provisions for :</u>				
Bad & Doubtful Debts	27.67		4.79	
Doubtful Advances & Deposits	42.83		68.05	
Bonus	0.11		0.05	
Salary and Allowances	146.04		14.56	
Subsidy	-	216.65	-	87.45
<u>Liabilities for :</u>				
Services	108.15		109.04	
Goods	258.32	366.47	15.10	124.14
Depreciation on assets purchased out of Grant- in- aid		868.56		929.83
Total		2,547.15		2,220.08

* Includes ₹ 12.07 lakhs for 31 March 2020 (31 March 2019 ₹ 40.78 lakhs) towards Security and Other Deposits Forfeited.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-36 : उपयोग की गई सामग्री की लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
प्रारंभिक स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,508.41		1,053.09	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	571.91	2,080.32	479.77	1,532.86
जोड़े : क्रय				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,950.62		2,429.45	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	829.03	2,779.65	1,191.81	3,621.26
घटाएं: अंतिम स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,729.02		1,508.41	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	511.62	2,240.64	571.91	2,080.32
कुल		2,619.33		3,073.80

टिप्पणी-37 : व्यापारगत स्टॉक की खरीद

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
प्रमाणित बीज		71,057.60		67,853.35
मूल बीज		2,584.84		1,721.35
प्रजनक बीज		762.52		615.03
पौध सामग्री		15.45		66.23
कुल		74,420.41		70,255.96

टिप्पणी-38 : तैयार माल में परिवर्तन तथा जैविक सम्पत्तियां, स्टॉक- इन -ट्रेड एवं प्रगतिशील कार्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
बीज का प्रारंभिक स्टॉक		14,149.13		23,440.55
फार्म का स्टॉक		6,801.23		7,911.50
जोड़े :				
जैविक सम्पत्तियों से स्थानांतरण -फार्म स्टॉक		7,292.17		5,574.37
घटाएं : जैविक सम्पत्तियों के उचित मूल्य में अंतर		(6,729.59)		(7,113.15)
घटाएं :				
बीजों का अंतिम स्टॉक		14,232.78		14,149.13
फार्म स्टॉक		8,543.38		6,801.23
कुल		(1,263.22)		8,862.91

टिप्पणी-39 : कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
वेतन, मजदूरी, भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं बोनस		11,833.59		11,860.11
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		1,290.18		1,268.73
स्टॉफ कल्याण व्यय		221.05		332.54
कुल		13,344.82		13,461.38



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 36 : Cost of materials consumed (₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020		For the year ended 31st March 2019	
Opening Stock				
Certification & Packing Materials	1,508.41		1,053.09	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	571.91	2,080.32	479.77	1,532.86
Add: Purchases				
Certification & Packing Materials	1,950.62		2,429.45	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	829.03	2,779.65	1,191.81	3,621.26
Less: Closing stock				
Certification & Packing Materials	1,729.02		1,508.41	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	511.62	2,240.64	571.91	2,080.32
Total		2,619.33		3,073.80

Note 37 : Purchases of stock in trade (₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020		For the year ended 31st March 2019	
Certified seeds		71,057.60		67,853.35
Foundation seeds		2,584.84		1,721.35
Breeder seeds		762.52		615.03
Saplings		15.45		66.23
Total		74,420.41		70,255.96

Note 38 : Changes in Biological Assets and Inventories of Finished Goods, Stock-in-Trade and Work-in-progress (₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020		For the year ended 31st March 2019	
Opening Stock of Seeds		14,149.13		23,440.55
Farm Stock		6,801.23		7,911.50
Add:				
Transfer From Biological Assets - Farm Stock		7,292.17		5,574.37
Less : Difference in Fair Value of Biological Assets		(6,729.59)		(7,113.15)
Less :				
Closing Stock of Seeds		14,232.78		14,149.13
Farm Stock		8,543.38		6,801.23
Total		(1,263.22)		8,862.91

Note 39 : Employee Benefits Expense (₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020		For the year ended 31st March 2019	
Salary, Wages, Allowances, Other benefits and Bonus		11,833.59		11,860.11
Contribution to provident fund and other funds		1,290.18		1,268.73
Staff welfare expenses		221.05		332.54
Total		13,344.82		13,461.38



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-40 : वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
ब्याज व्यय		
बैंक से प्रतिभूति ऋण (नकद ऋण)/ अल्पावधि अप्रत्याभूत ऋण	739.87	499.31
अन्य उधार लागत		
ऋण संसाधन शुल्क	12.63	63.49
छूट	22.44	18.64
लीज देनदारियों पर ब्याज व्यय	5.99	-
कुल	780.93	581.44

टिप्पणी-41 : मूल्यहास एवं परिशोधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यहास	1,796.28	1,841.52
संपत्ति उपयोग पर मूल्यहास	33.50	-
परिशोधन	0.56	0.38
कुल	1,830.34	1,841.90

टिप्पणी-42 : अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
क.परिचालन व्यय		
मरम्मत व रख रखाव		
गोदाम व संसाधन संयंत्र भवन	21.56	42.50
संयंत्र व मशीनरी	54.25	75.81
आवक माल भाड़ा जिसमें माल एवं अचल संपत्तियों की अंतर इकाई संचलन भाड़ा भी शामिल है ।	2,037.53	2,234.71
घटाएं: परिवहन सहायता	(251.55)	(287.73)
भंडारण व संसाधन संयंत्रों का किराया	679.15	779.07
संसाधन, निरीक्षण व बीज परीक्षण प्रभार	1,645.97	1,952.39
उपयोग में आए भंडार, कल पुर्जे इत्यादि (स्वदेशी सहित)	216.39	200.02
बिजली व ईंधन	1,039.26	1,114.95
सिंचाई प्रभार	19.00	33.82
प्रयोगशाला खर्च	2.96	4.32
कृषि परिचालन व्यय	80.84	163.61
अन्य विविध खर्चे	103.81	109.75
कुल (क)	5,649.17	6,393.97

ख. प्रशासनिक व्यय

मरम्मत एवं रखरखाव :

कार्यालय व आवासीय भवन	37.79	38.81
अन्य	84.06	121.85
किराया: कार्यालय एवं आवासीय भवन	256.62	325.85
यात्रा एवं स्थानीय वाहन *	239.62	214.07
टेलीफोन व ट्रक काल	35.09	37.02
डाक टिकट, तार व टेलेक्स	17.49	16.92
मुद्रण व लेखन सामग्री	63.78	94.25
बिजली व पानी प्रभार	304.16	288.75
फर्नीचर, जुड़नार, वाहन आदि का किराया भाड़ा	80.88	70.86
मुकद्दमा व्यय (कानूनी खर्च)	71.48	46.60
दर व कर	58.62	56.51



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 40 : Finance Costs

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
<u>Interest Expense:</u>		
On Secured loans(Cash Credit)/Short term Unsecured from Bank	739.87	499.31
<u>Other Borrowing Costs:</u>		
Loan Processing Fees	12.63	63.49
Unwinding of discount	22.44	18.64
Interest exp on lease liabilities	5.99	-
Total	780.93	581.44

Note 41: Depreciation and Amortization expenses

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Depreciation on Property, Plant and Equipment	1,796.28	1,841.52
Depreciation on right of use assets	33.50	-
Amortisation	0.56	0.38
Total	1,830.34	1,841.90

Note 42 : Other Expenses

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
A - Operational Expenses:		
<u>Repair and Maintenance:</u>		
Godown and Processing Plant Building	21.56	42.50
Plant and Machinery	54.25	46.56
Carriage Inwards including freight on Inter Unit movement of goods and fixed assets	2,037.53	2,234.71
Less: Transport Subsidy	(251.55)	(287.73)
Rent for Storage and Processing Plants	679.15	779.07
Processing, Inspection and Seed Testing charges	1,645.97	1,952.39
Stores, Spares etc. Consumed (all indigenous)	216.39	200.02
Power and Fuel	1,039.26	1,114.95
Irrigation charges	19.00	33.82
Laboratory Expenses	2.96	4.32
Agriculture Operational Expenses	80.84	163.61
Other Miscellaneous Expenses	103.81	109.75
Total (A)	5,649.17	6,393.97
B - Administrative Expenses		
<u>Repair and Maintenance:</u>		
Office and Residential Buildings	37.79	38.81
Others	84.06	97.87
Rent : Office and Residential Buildings	256.62	325.85
Travelling and Conveyance *	239.62	214.07
Telephone and Trunk Calls	35.09	37.02
Postage, Telegrams and Telex	17.49	16.92
Printing and Stationery	63.78	94.25
Electricity and Water Charges	304.16	288.75
Hire Charges of Furniture, Fixtures, Vehicles etc.	80.88	70.86
Legal Expenses	71.48	46.60
Rates and Taxes	58.62	56.51



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान, समूह बीमा इत्यादि का प्रशासनिक प्रभार	13.20	16.16
बीमा	61.73	72.87
मनोरंजन व्यय	32.55	33.01
विज्ञापन (साधारण)	31.70	32.48
<u>लेखा परीक्षकों को मानदेय (सेवा कर सहित)</u>		
—लेखा परीक्षकों को	11.59	8.56
—कराधान मामले	2.18	2.36
—अन्य सेवाएं	2.93	1.96
—खर्चों की प्रतिपूर्ति	3.64	2.24
निदेशक बैठक शुल्क	1.60	0.89
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस एवं खर्चों की प्रतिपूर्ति	26.09	23.40
बैंक प्रभार	23.67	29.68
भूमि विकास व्यय बढ़े खाते	36.76	29.25
पौध रोपण फसल बढ़े खाते	2.25	1.46
विविध	119.82	78.70
कुल (ख)	1,619.30	1,620.53
ग. बिक्री व्यय:		
जावक भाड़ा	1,858.69	1,868.36
प्रचार व विज्ञापन	68.79	40.41
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
जीएसटी	24.86	12.54
बिक्री कर	2.52	4.99
धन वापसी गारंटी के अंतर्गत मुआवजा	6.11	47.18
जायरी खर्च (निवल)	12.46	(1.03)
विदेशी व्यापार पर हानि	0.07	0.26
अन्य बिक्री व्यय	7.55	1.64
कुल (ग)	1,981.05	1,974.35
घ. अलाउन्स व बढ़े खाते		
<u>अशोध्य व संदिग्ध के लिए अलाउन्स</u>		
व्यापार प्राप्य	245.44	2,320.45
अग्रिम और दावे	1,486.09	3,071.77
<u>बढ़े खाते</u>		
व्यापार प्राप्य	-	0.45
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्य के प्रावधान के विरुद्ध वसूली योग्य	-	-
बिक्री/उत्पादन सहायता के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्य	0.72	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों, दावों इत्यादि के प्रावधान वसूली योग्य	-	-
कुल (घ)	1,732.25	5,392.67
ड. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय :	164.87	148.52
कुल (क+ख+ग+घ+ड.)	11,146.64	15,530.04

*इसमें क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को चुकाया गया यात्रा व्यय रु. 11.41 लाख एवं निदेशकों का रु.3.00 लाख (पिछले वर्ष : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रु. 11.44 लाख एवं निदेशकों का रु.2.93 लाख) शामिल है ।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Admn. charges of EPF, Gratuity, Group Insurance etc.	13.20	16.16
Insurance	61.73	72.87
Entertainment Expenses	32.55	33.01
Advertisement (General)	31.70	32.48
Remuneration to Auditors (including service tax):		
- As auditor	11.59	8.56
- For taxation matters	2.18	2.36
- For other services	2.93	1.96
- For reimbursement of expenses	3.64	2.24
Directors sitting fee	1.60	0.89
Internal Audit Fees and reimbursement of expenses	26.09	23.40
Bank Charges	23.67	29.68
Land development expenses written off	36.76	29.25
Plantation crop written off	2.25	1.46
Miscellaneous	119.82	78.70
Total (B)	1,619.30	1,620.53
C- Selling Expenses:		
Freight Outward	1,858.69	1,868.36
Publicity and Advertisement	68.79	40.41
Research and Development Expenses	-	-
Goods and Service Tax	24.86	12.54
Sales Tax	2.52	4.99
Compensation paid under money back guarantee,	6.11	47.18
Diary Expenses (net)	12.46	(1.03)
Loss on Foreign Translation	0.07	0.26
Other selling expenses	7.55	1.64
Total (C)	1,981.05	1,974.35
D - Allowances and write offs:		
Allowance for bad and doubtful:		
Trade Receivables	245.44	2,320.45
Advances and claims	1,486.09	3,071.77
Write-offs:		
Trade Receivables	-	0.45
Less: Charged against Provision for Doubtful Trade Receivables	-	-
Recoverable from Government of India against sales/production subsidy	0.72	-
Less: Charged against Provision for Doubtful Advances, Claims etc.	-	-
Total (D)	1,732.25	5,392.67
E - Expenses on Corporate Social Responsibility	164.87	148.52
Total (A+B+C+D+E)	11,146.64	15,530.04

* Includes travelling expenditure of CMD : ₹ 11.41 lakhs and Directors ₹ 3.00 lakhs respectively (Previous year : CMD ₹ 11.44 lakhs and Directors ₹ 2.93 lakhs respectively)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-43 : विशिष्ट मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
पेंशन का प्रावधान	-	300
सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना का प्रावधान*	360.95	-
सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	62.36	15.68
कुल	423.31	315.68

* संदर्भ नोट संख्या 76

टिप्पणी-44 : अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
मदें जो लाभ एवं हानि पर पुनः वर्गीकृत नहीं होंगी		
परिभाषित लाभ योजना का पुनः निर्धारण (उपदान)	(330.47)	107.32
परिभाषित लाभ योजना पर आयकर का प्रभाव	43.25	(35.91)
निवेश का उचित मूल्यांकन	160.31	178.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से निवेश पर आयकर का प्रभाव	(32.06)	(35.60)
कुल	(158.97)	213.81

टिप्पणी-45 : प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

प्रति शेयर उपार्जन निर्धारण करने में, कंपनी कर पश्चात निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना में प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या है। अमिश्रित उपार्जन प्रति शेयर की गणना तब की जाती है यदि वर्ष के दौरान संभावित इक्विटी शेयर शामिल होते हैं।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
मूल प्रति शेयर उपार्जन	521.97	720.85
डिल्यूटिड प्रति शेयर उपार्जन	521.97	720.85
मूल प्रति शेयर उपार्जन की गणना में आय तथा प्रयोग किए गए शेयर डाटा को दर्शाया गया है :-		

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
मूल इक्विटी शेयर धारकों के लिए लाभ जारी परिचालन	2,991.95	4,131.93
बंद परिचालन	-	-
मूल प्रति शेयर उपार्जन के लिए इक्विटी धारकों के लिए लाभ	2,991.95	4,131.93
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयरों पर ब्याज	-	-
कमजोर प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी धारकों के लिए लाभ	2,991.95	4,131.93

निम्नलिखित भारित औसत शेयरों की संख्या जोकि मूल ईपीएस की संगणना में प्रयोग की गई है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
मूल प्रति शेयर उपार्जन के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	5,73,199	5,73,199
डिल्यूशन का प्रभाव	-	-
शेयर विकल्प	-	-
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयर	-	-
डिल्यूशन के प्रभाव के लिए समायोजित भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	5,73,199	5,73,199



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 43 : Exceptional Items

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Provision of Pension written back	-	300.00
Provision of post retirement contributory medical benefit scheme written back*	360.95	-
Profit on sale of asset	62.36	15.68
Total	423.31	315.68

* Refer note no. - 76

Note: - 44 Components of Other Comprehensive Income (OCI)

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Items that will not be reclassified to profit and loss		
Remeasurement of Defined benefit plans (Gratuity)	(330.47)	107.32
Income tax effect related to defined benefit plans	43.25	(287.22)
Fair Valuation of Investment	160.31	(35.91)
Income tax effect related to Investment Through	(32.06)	178.00
Other Comprehensive Income	128.25	(35.60)
Total	(158.97)	213.81

Note: - 45 Earnings per share (EPS)

In determining earning per share, the company considers the net profit after tax. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The dilutive earning per share is computed in case there is potential equity share involved during the year.

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Basic EPS (in ₹)	521.97	720.85
Diluted EPS (in ₹)	521.97	720.85

The following reflects the income and share data used in the basic EPS computations:-

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Profit attributable to equity holders of the parent:		
Continuing operations	2,991.95	4,131.93
Discontinued operation	-	-
Profit attributable to equity holders for Basic Earning Per Share	2,991.95	4,131.93
Interest on convertible preference shares	-	-
Profit attributable to equity holders adjusted for the effect of dilution	2,991.95	4,131.93

The following reflects the weighted average No of shares used in the basic EPS Computations

(₹ In lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Weighted average number of Equity shares for basic EPS	5,73,199	5,73,199
Effect of dilution:		
Share Options	-	-
Convertible preference shares	-	-
Weighted average number of Equity shares adjusted for the effect of dilution	5,73,199	5,73,199



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-46 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

- (i) कोलकाता (मिदनापुर) क्षेत्रीय कार्यालय के संबंध में- भूमि का पट्टा / विलेख (जिन पर भवनों का निर्माण किया गया है) निगम के पक्ष में है परन्तु भूमि के मूल्य का भुगतान का विवरण एवं उसके मूल्य का लेखांकन नहीं किया गया है, हालांकि भूमि की प्राप्ति के बारे में दस्तावेजी प्रमाण, जो 1984 में मिदनापुर में 30 वर्षों की अवधि के लिए ली गई थी (लीज डीड पहले ही समाप्त हो चुकी है), का पता लगा लिया है और इसके आधार पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है।
- (ii) पटना (शेखपुरा) क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय, पूर्णिया के पट्टा विलेख (शेखपुरा में 02 एकड़ पर भवन निर्माण किया गया है) निगम के नाम पर है परन्तु भुगतान का विवरण एवं लागत का लेखांकन उपलब्ध नहीं है। शेखपुरा का नगर पालिका कर 31.03.2019 तक भुगतान किया गया है।
- (iii) नंदयाल के भूमि के लीज डीड का निष्पादन के संबंध में- निगम ने आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से 15.10.1994 को बीज प्रसंस्करण संयंत्र-सह-गोदाम परिसर के निर्माण के लिए 04 एकड़ भूमि ली थी जिसकी लीज राशि को अंतिम रूप न देने के कारण निष्पादित नहीं किया गया है। हालांकि अब कृषि विभाग ने अपने पत्र संख्या ए / 242 / 94 दिनांक 02.04.2016 के द्वारा इस भूमि के लीज किराये को रु. 0.83 लाख प्रति वर्ष कर दिया है और लीज डीड को निष्पादित किया जा रहा है और लीज रेंट का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।
- (iv) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, तत्कालीन एसएफसीआई ने रु. 16.97 लाख में आंध्र प्रदेश के गुट्टी में 46,100 वर्ग मी. फ्री होल्ड भूमि खरीदी थी, लेकिन अभी तक निगम के नाम पर जमीन का पंजीकरण नहीं किया गया है, इस तथ्य के कारण कि पट्टा विलेख का हस्तांतरण गोदामों के निर्माण पूरा होने और मशीनरी की स्थापना पर किया जाएगा। गोदाम का निर्माण एवं मशीनरी की स्थापना सितंबर 2014 में पूरा हो गया है और एपीआईआईसी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा पट्टा निष्पादन एवं पंजीकरण को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- (v) पीपीई में गाँव: बुहेरा, डाक: नवाबगंज जिला बाराबंकी की फ्रीहोल्ड भूमि एवं भवन शामिल है और बरेली, मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, उधम सिंह नगर, शाहजहाँपुर और अमेठी में भूमि और भवन पट्टे पर हैं। इन सभी जमीनों का पट्टा निगम के नाम पर पंजीकृत किया गया है सिवाय हेमपुर, उधम सिंह नगर के 7 एकड़ भूमि की लीजहोल्ड को छोड़ कर, जो कि समाप्त हो चुकी है। इस भूमि को उत्तराखंड सरकार द्वारा नवीनीकृत किया जाना बाकी है। वर्ष 1986 में बुनियादी ढांचे के साथ 16 एकड़ भूमि के हस्तांतरण पर, उत्तराखंड सरकार से 25.00 लाख रु. के मुआवजे की लंबित राशि के कारण इस नवीकरण प्रीमियम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके सत्यापन के लिए मूल पट्टा विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (vi) निवाड़ी में भूमि स्थायी रूप से रु.0.40 लाख के प्रीमियम पर तथा रु. 0.03 लाख प्रतिवर्ष के किराए पर निगम को हस्तांतरित की गई है। हालांकि, निवाड़ी में पट्टे की आवधिकता के अभाव में, 99 साल की अवधि के लिए भूमि का परिशोधन किया जा रहा है।
- (vii) निगम ने वर्ष 2011-12 में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से गोरखपुर में रु. 97.75 लाख की भूमि खरीदी, जिसे निगम के नाम पर पंजीकृत किया गया है। हालांकि, इसे अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक निगम द्वारा इसे जीआईडीए से प्राप्त नहीं किया गया और इसे गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (नोट -11) के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में बताया गया है।
- (viii) निगम ने नाबार्ड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के वित्तपोषण के लिए इलाहाबाद बैंक से रु.225.74 लाख का ऋण लिया था। निगम की रु 45.00 लाख की सब्सिडी का हकदार है, जो पहले ही निगम की ओर से बैंक द्वारा दावा किया जा चुका है। निगम की पात्रता के अनुसार अब तक वास्तविक राशि नाबार्ड द्वारा वितरित की जानी है, जो बैंक द्वारा भविष्य की किस्तों के लिए देय होगी। प्रथम संवितरण की तारीख से दो वर्ष की ऋण स्थगन अवधि थी, जो कि 17.12.12 थी, और तदनुसार जनवरी 2015 से ऋण की अदायगी शुरू हुई। आधार दर पर ब्याज दिया जा रहा है जोकि 31.03.2020 को 9.15% (पिछले वर्ष 9.15%) और इस तारीख को बकाया शेष रु 85.86 लाख है। बैंक से सब्सिडी एवं ब्याज के लाभ की प्रत्याशा में 17.08.2016 से ऋण का कोई भी पुनर्भुगतान नहीं किया गया है।
- (ix) गोदाम या कार्यालय भवन के निर्माण में विद्युत कार्य पर विचार किया गया है। विद्युत कार्य को " विद्युत स्थापना एवं उपकरण घटक" के रूप में माना गया है। ट्रांसफॉर्मर, पावर हाउस इत्यादि के लिए मूल्यहास दर पर आवेदन कर दिया गया है।



Note: 46 - Property, Plant and Equipment

- (i) In respect of Kolkata (Midnapore) Regional Office, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available, although documentary proof about receipt of land in 1984 at Midnapur initially for a period of 30 years (lease deed already expired), have since been located and based thereon the concerned authorities are being asked to expedite necessary action.
- (ii) In respect of Patna (Sheikhpura) Regional Office & Area Office Purnea, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed-Sheikhpura 2 acres) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available. In respect of Sheikhpura, municipal tax paid upto 31.03.2019.
- (iii) Execution of lease deed of land at Nandyal - 4 acres, obtained by the Corporation on 15.10.1994 from the Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh for construction of Seed Processing Plant-cum-Store Complex, is pending due to non finalization of lease amount. However, now the Department of Agriculture vide their letter No A/242/94 dt.02-04-2016 finalised the lease rent as ₹ 0.83 Lakhs per year and the lease deed is being executed and lease rent is regularly paid.
- (iv) Freehold Land - 46100 sq. meters, at Gooty worth of ₹ 16.97 Lakhs was purchased by erstwhile SFCI during the F.Y. 2009-10. But the land has not yet been registered in the name of the Corporation till date, due to the fact that the transfer of title will be done on completion of the construction of Godowns and installation of Machinery. The construction and installation of machinery has been completed in the month of September 2014 and inspection by APIIC has been completed and further process to transfer the title and registration is under progress.
- (v) PPE consists of Freehold land at Village : Buhera, Post : Nawabganj Distt Barabanki and leasehold lands and buildings thereon at Bareilly, Meerut, Kanpur, Agra, Varanasi, Udham Singh Nagar, Shahjahanpur and Amethi. All these lands are registered in the name of the Corporation except for -
- Leasehold rights in respect of land measuring 7 acre at Village : Hempur, Udham Singh Nagar have reportedly since expired which are yet to be renewed by Uttarakhand authorities. No provision for this renewal premium has been made owing to pending receipt of compensation of Rs. 25.00 lakhs from the government on a/c of surrender of 16 acres of land with infrastructure to them in the year 1986. The original lease deed thereof has not been presented before us for verification.
- (vi) Land at Niwari has been transferred to corporation permanently at a premium of ₹ 0.40 Lakhs and at a rent of ₹ 0.03 Lakhs per annum. However, in absence of periodicity of lease, land at Niwari is being amortized over a period of 99 years.
- (vii) An amount of ₹ 97.75 lakhs had been paid to Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) in the Financial year 2011-2012 by the Corporation and lease deed registered. However, since neither mutation has been done in favor of Corporation nor possession handed over by the GIDA, the amount paid has been shown as a Capital Advance (Note No. 11).
- (viii) The Corporation had availed a term loan of ₹ 225.74 Lakhs from Allahabad Bank under the NABARD scheme for funding of godowns in rural areas. The corporation is entitled to a subsidy of ₹ 45.00 Lakhs which has already been claimed by the bank on behalf of the corporation. The actual amount as per the eligibility of the Corporation is yet to be disbursed by NABARD which will be appropriated by the bank towards future installments payable. There was a two year moratorium period from the date of first disbursement, which was 17/12/12, and accordingly repayment of the loan started from January 2015 onwards. Interest is being charged at the base rate which is 9.15% (Previous Year 9.15 %) as on 31.03.2020 and the balance outstanding on that date is ₹ 85.86 Lakhs. No repayment of loan since 17.08.2016 has been made in anticipation of the balance amount of subsidy and benefit of interest subvention from the bank.
- (ix) In the construction of Godown or office building electric work is considered as intrinsic part of the godown/ building. Electric works are considered separately under " Electric Installation and Equipments" once it is treated as a separate entity likes installation of transformer , power house etc. Rate for depreciation is applied accordingly.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-47 : पूंजी प्रबंधन

निगम का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि सतत व्यवसाय जारी रखते हुए उसकी क्षमता सुनिश्चित हो, जिससे निगम अपने शेयर धारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेक होल्डर्स को लाभ दे सके।

इसके अलावा, निगम अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय वाचाओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन के प्रकाश में समायोजन करने के लिए करता है। निगम पूंजी की लागत को कम करने के लिए ऋण और इक्विटी की एक इष्टतम पूंजी संरचना रखता है। निगम के ऋणों में बैंकों से दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक उधार शामिल हैं। निगम की प्रमुख गतिविधियों को केश क्रेडिट, सब्सिडी और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

	(रु. लाख में)	
विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
उधार (टिप्पणी सं० 28)		
प्रत्याभूत अल्पावधि ऋण(टिप्पणी सं० 24+28)	256.90	999.40
अप्रत्याभूत अल्पावधि ऋण (टिप्पणी सं० 28)	7,542.65	
निवल ऋण	7,799.55	999.40
इक्विटी शेयर पूंजी (टिप्पणी सं० 21)	5,731.99	5,731.99
अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं० 22)	58,086.74	56,815.59
कुल इक्विटी	63,818.73	62,547.58
इक्विटी अनुपात में निवल ऋण	0.122	0.016

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के लिए उद्देश्य, नीति अथवा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

टिप्पणी-48 : उचित मूल्य निर्धारण

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	एफवीटीओ सीआइ	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी पीएल	एफवीटीओ सीआइ	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्तियां						
(i) निवेश	-	3,400.04	449.94	-	3,239.73	449.94
(ii) अन्य गैर चालू वित्तीय संपत्तियां	-	-	235.46	-	-	270.57
(iii) व्यापार प्राप्य	-	-	41,041.27	-	-	32,126.17
(iv) नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	3,548.56	-	-	1,862.49
(v) उक्त (iv) के अलावा बैंक शेष	-	-	434.94	-	-	211.86
(vi) अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां	-	-	27,983.38	-	-	27,177.60
कुल वित्तीय संपत्तियां	-	3,400.04	73,693.55	-	3,239.73	62,098.63
वित्तीय देयताएं						
(i) उधार	-	-	7,799.55	-	-	999.40
(ii) अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	-	-	3,471.14	-	-	3,263.93
(iii) व्यापार प्रदेय	-	-	31,119.83	-	-	26,225.21
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	9,509.79	-	-	11,038.92
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	51,900.31	-	-	41,527.46



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Notes :47 Capital management

The Corporation's objective is to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that corporation can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, Corporation manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. The Corporation maintains an optimal capital structure of Debt and equity to reduce the cost of capital. The Corporation's debts includes long term debt and short term borrowing from banks. Major activities of Corporation are financed through Cash Credit, subsidy and internal accruals.

(₹ In lakhs)

Particulars	31-Mar-2020	31-Mar-2019
Borrowings (Note No. 28)		
Secured short term loan (Note 24 + Note 28)	256.90	999.40
Unsecured short term loan (Note No. 28)	7542.65	-
Net debt	7,799.55	999.40
Equity Share Capital (Note No. 21)	5,731.99	5,731.99
Other equity (Note No. 22)	58,086.74	56,815.59
Total equity	63,818.73	62,947.58
Net Debt to equity ratio	0.122	0.016

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the year ended 31 March 2020.

Note 48 :Fair Value measurements

(i) Financial Instruments by Category

(₹ In lakhs)

Particulars	31 March 2020			31 March 2019		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
(i) Investment	-	3,400.04	449.94		3,239.73	449.94
(ii) Other Non Current Financial Assets	-	-	235.46	-	-	270.57
(iii) Trade Receivables	-	-	41,041.27	-	-	32,126.17
(iv) Cash and Cash Equivalents	-	-	3,548.56	-	-	1,862.49
(v) Bank balances other than (iv) above	-	-	434.94	-	-	211.86
(vi) Other Current financial assets	-	-	27,983.38	-	-	27,177.60
Total Financial Assets	-	3,400.04	73,693.55	-	3,239.73	62,098.63
Financial Liabilities						
(i) Borrowings	-	-	7,799.55	-	-	999.40
(ii) Other Non Current Financial Liabilities	-	-	3,471.14	-	-	3,263.93
(iii) Trade payables	-	-	31,119.83	-	-	26,225.21
(iv) Other current financial liabilities	-	-	9,509.79	-	-	11,038.92
Total Financial Liabilities	-	-	51,900.31	-	-	41,527.46



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

- i) व्यापार प्राप्तियों, व्यापार दाताओं, अल्पकालिक धरोहर राशि, नकद एवं नकदी समतुल्य और अन्य अल्प अवधि प्राप्तियां तथा देनदारियों का उचित मूल्य को अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है ।
- ii) कंपनी द्वारा दीर्घावधि परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट देश के जोखिम कारकों तथा अन्य जोखिम कारकों जैसे मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है । इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसी देनदारियों का उचित मूल्य उनकी लाई गई राशि से भौतिक रूप से अलग नहीं है ।
- iii) जैविक सम्पत्तियों का उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उर्द्धत मूल्य के आधार पर की गई थी जिससे कि इकाईयां निर्धारण के कार्य पर उपयोग कर सकते हैं । इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर-3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- iv) धरोहर राशि और अन्य जमाओं के उचित मूल्य अनुमानित उचित मूल्य है, इसलिए लाई गई लागत एवं उचित मूल्य की तुलना का प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।
- v) कंपनी के वित्तीय साधनों के लिए लाई गई राशि एवं उचित मूल्य के श्रेणी के आधार पर तुलना उचित मूल्य पर अनुमानित है जोकि वित्तीय मूल्यों का उचित अनुमान है प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख पर सभी वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उनके वाहक मूल्य अनुमानित करता है ।

31.03.2020 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
जैविक सम्पत्तियां				
खड़ी फसलें	-	-	6,422.14	6,422.14
पेड़	-	-	4,247.80	4,247.80
पौधशाला	-	-	99.19	99.19
वित्तीय परिसंपत्तिया				
निवेश	-	-	3,400.04	3,400.04
	-	-	14,169.17	14,169.17

31.03.2020 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
धरोहर राशि एवं अन्य जमा	-	-	969.25	969.25
	-	-	969.25	969.25

31.03.2019 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
जैविक सम्पत्तिया				
खड़ी फसलें	-	-	7,238.77	7,238.77
पेड़	-	-	4,014.27	4,014.27
पौधशाला	-	-	78.67	78.67
वित्तीय परिसंपत्तिया				
निवेश	-	-	3,239.73	3,239.73
	-	-	14,571.44	14,571.44



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

- i) The fair value of trade receivables, trade payables, short term security deposit, cash and cash equivalents and other short term receivables and payables are considered to be the same as their carrying amount, due to short term nature.
- ii) Long term variable rate borrowings are evaluated by Corporation on parameters such as interest rates, specific country risk factors and other risk factors based on this evaluation the fair value of such payables are not materially different from their carrying amount.
- iii) The fair value of biological assets were calculated based on quoted price in active market that the Corporation can access at the relevant measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.
- iv) Carrying value of security and other deposits approximates fair value. Therefore disclosure for comparison of carrying value and fair value is not provided.
- v) Comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Corporation's financial instruments other than those with carrying amounts that are reasonable approximation of fair values are not presented since fair value of all financial instruments as on reporting date approximates their carrying value.

Fair Value hierarchy as on 31-3-2020

(₹ In lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Crops	-	-	6,422.14	6,422.14
Trees	-	-	4,247.80	4,247.80
Nursery	-	-	99.19	99.19
Financial Assets				
Investment	-	-	3,400.04	3,400.04
	-	-	14,169.17	14,169.17

Fair Value hierarchy as on 31-3-2020

(₹ In lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities at Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	969.25	969.25
	-	-	969.25	969.25

Fair Value hierarchy as on 31-3-2019

(₹ In lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Corps	-	-	7,238.77	7,238.77
Trees	-	-	4,014.27	4,014.27
Nursery	-	-	78.67	78.67
Financial Assets				
Investment	-	-	3,239.73	3,239.73
	-	-	14,571.44	14,571.44



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

31.03.2019 को उचित मूल्य अनुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
धरोहर राशि एवं अन्य जमा	-	-	764.20	764.20
	-	-	764.20	764.20

टिप्पणी-49 : उचित मूल्य के निर्धारण हेतु उपयोगित मूल्यांकन तकनीक

(i) उचित मूल्य के लिए मूल्यांकन आदान एवं सम्बन्ध

उचित मूल्य निर्धारण में उपयोगित उल्लेखनीय अप्रभावी आदानों के संबंध में गुणात्मक जानकारी का सार निम्नलिखित सारिणी के रूप में है। उचित मूल्यों को रियायती नकदी प्रभाव के आधार पर निर्धारित किया गया है।

(रु. लाख में)

विवरण	उचित मूल्य पर		अप्रभावी इनपुट	इनपुट रेंज		उचित मूल्य के लिए अप्रभावी इनपुट का संबंध
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	
गैर उद्भूत इक्विटी शेयर	3,400.04	3,239.73	निगम ने स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्य निर्धारित किया है। हालांकि कुछ मामलों में नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र पर विचार किया गया जोकि वर्ष 2016-17 की है।	लागू नहीं		लागू नहीं
धरोहर एवं अन्य जमा (अन्य वित्तीय संपत्तियां)	969.25	764.20	धरोहर जमा की ब्याज दर एवं संविदात्मक शर्तें	6.25% (भारत सरकार का तीन वर्षीय बॉन्ड)	7.42% (भारत सरकार का तीन वर्षीय बॉन्ड)	ब्याज की दर अधिक, उचित मूल्य कम
फार्म स्टॉक	6,422.14	7,238.77	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	i) धान - 35-40 कु./है. ii) मूंग - 3-5 कु./है. iii) उड़द - 3-5 कु./है. iv) तिल - 2-3 कु./है. v) मिंडी - 3-5 कु./है. vi) गेहूँ - 30-35 कु./है. vii) जौ - 20-30 कु./है. viii) सरसों - 12-15 कु./है. ix) चना - 7-12 कु./है. x) पालक - 6-10 कु./है.		अधिक उपज, अधिक उचित मूल्य
पेड़	4,247.80	4,014.27	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	-	-	परिधि में व्यापक, अधिक उचित मूल्य
पौधशाला	99.19	78.67	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	धान - 35-40 कु./है.	-	उच्च बाजार मूल्य, अधिक उचित मूल्य

(ii) मूल्यांकन प्रक्रियाएं

जैविक परिसंपत्तियां

निगम का वित्त, उत्पादन एवं विपणन विभाग, एक टीम के रूप में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निगम की जैविक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करती है जिसमें स्तर-3 मान शामिल है। मूल्यांकन का आवश्यकताओं के अनुरूप यह टीम वित्त प्रमुख को रिपोर्ट करती है। प्रति वर्ष कम से कम एक बार मूल्यांकन टीम एवं वित्त प्रमुख के बीच मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाओं और परिणामों पर चर्चा होती है।

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों एवं जैविक परिसंपत्तियों के लिए मुख्य स्तर-3 आदानों को व्युत्पन्न तथा मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है।

i) उपज का निर्धारण पौध रोपण की आयु, ऐतिहासिक उपज, जलवायु संबंधी विविधताओं जैसे कि गम्भीर मौसम की घटनाएं, पौध नुकसान तथा उत्पादन में आने वाली नई क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है।

ii) प्रासंगिक क्षेत्र के लिए मूल्यों में लागत उद्भूत हैं जैसे कि विपणन विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है।

टिप्पणी-50 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

निगम की मुख्य वित्तीय देनदारियों में बैंक उधार, व्यापार एवं अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य निगम का संचालन तथा इस संचालन के लिए गारंटी प्रदान करना है। निगम की प्रमुख वित्तीय संपत्ति में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकद तथा नकदी समतुल्य शामिल हैं, जो इसके प्रचालन से सीधे प्राप्त होते हैं। निगम को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा तरलता जोखिम करना पड़ता है। निगम की वित्तीय जोखिम गतिविधियां विनियोजित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और उस वित्तीय जोखिम की पहचान निगम की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित एवं प्रबंध किया गया है। निदेशक मंडल इन जोखिमों की समीक्षा करता है तथा इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए बनाई गई नीतियों से सहमत होती है, जो निम्न प्रकार से हैं :-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Fair Value hierarchy as on 31-3-2019

(₹ In lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities at Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	764.20	764.20
	-	-	764.20	764.20

Note: 49 - Valuation techniques used to determine fair value:

(i) Valuation inputs and relationships to fair value

The following table summarises the qualitative information about the significant unobservable inputs used in the fair value measurements. The fair values are determined based on discounted cash flow:

(₹ In lakhs)

Description	Fair value at		Unobservable inputs	Range of Inputs		Relationship of unobservable inputs to fair value
	31st March 2020	31st March 2019		31st March 2020	31st March 2019	
Unquoted Equity Shares	3,400.04	3,239.73	Corporation has determined value of investment based on adjusted intrinsic value, through independent valuer. However in some cases the latest available Balance Sheet was considered for valuation which is for the year 2016-17.	Not applicable		Not applicable
Security and other deposits (Other financial assets)	969.25	764.20	Interest rate and contractual terms of security deposits	6.25% (Three year GOI bond)	7.42% (Three year GOI bond)	The higher the rate of interest, the lower the fair value
Farm Stock	6,422.14	7,238.77	Yield- tonnes per hectare and price	i) Paddy - 35-40 qtl/ha ii) Moong - 3-5 qtl/ha iii) Urd - 3-5 qtl/ha iv) Til - 2-3 qtl/ha v) Bhindi - 3-5 qtl/ha vi) Wheat - 30-35 qtl/ha vii) Barley - 20-30 qtl/ha viii) Mustard - 12-15 qtl/ha ix) Gram - 7-12 qtl/ha x) Palak 6-10 qtl/ha		The higher the yield, the higher the fair value
Trees	4,247.80	4,014.27	Yield- tonnes per hectare and price	-	-	The wider the girth, the higher the fair value
Nursery	99.19	78.67	Yield- tonnes per hectare and price	Paddy - 35-40 qtl/ha	-	The higher the market price, the higher the fair value

(ii) Valuation processes

Biological Assets

The Corporation's Finance, Production and Marketing department as a team performs the valuation of the corporations biological assets for financial reporting purposes, including level 3 values. The team reports to Finance Heads. Discussions of valuation processes and results are held between the valuation team and Finance Head at least once in every year, in line with reporting requirements.

The main level 3 inputs for unlisted equity securities and biological assets are derived and evaluated as follows:

- Yield is determined based on the age of the plantation, historical yields, and climate-induced variations such as severe weather events, plant losses and new areas coming into production.
- Prices are quoted prices for relevant region as certified by marketing department.

Note: 50 - Financial risk management

The corporation's principal financial liabilities comprise Bank borrowing, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the corporation's operations and to provide guarantees to support its operation. The corporation's principal financial assets include trade and other receivables which includes Govt. subsidy and cash and cash equivalents that derive directly from its operations. The corporation is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The corporation's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risk are identified, measured and managed in accordance with the corporation's policies and risk objectives. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risk, which are summarised below:-



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ब्याज जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण एवं उधार, जमा एवं अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। निगम बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के जोखिम के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों को प्राथमिकता देता है। निगम अपनी नीतियों और जोखिम के उद्देश्य के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करता है।

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम निगम के वित्तीय नुकसान के लिए जोखिम बन जाता है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्षी अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। निगम अपनी वित्तीय गतिविधियों जिसमें व्यापार प्राप्य, बैंक में जमा, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों से क्रेडिट जोखिम पर निगम अपनी नीति के अनुसार प्रबंध करता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

निगम अपनी नीति के अनुसार बैंक के पास शेष राशि के लिए क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंकों से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर अधिशेष का निवेश सिर्फ मान्यताप्राप्त बैंकों में किया जाता है।

टिप्पणी-51 : आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य संबंधी निम्नलिखित मुख्य अवधारणाएँ हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन के मुख्य स्रोत हैं, जिनका अगले वित्तीय वर्ष के लिए संपत्तियों और देनदारियों की लाई गई राशि के लिए सामग्री समायोजन होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन निर्धारण और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से निर्धारित किया जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रभावी बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां पर उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक फैंसले की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम और उतार-चढ़ाव जैसे निवेश शामिल हैं। इन कारकों से संबंधित धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के बताए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

अप्रयुक्त कर के नुकसान के लिए अस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की गई है और उस हद तक अवशोषित मूल्यह्रास यह कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिसके विरुद्ध हानि का उपयोग किया जा सकता है तथा भावी कर नियोजन ऋण नीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ की संभावना समय और स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है।

ग) अनुमान और निर्णय

जैविक परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने में और उद्धृत इक्विटी में निवेश में अनुमान और निर्णय में तुलन पत्र की तारीख पर जैविक संपत्ति और इक्विटी उपकरणों की परिपक्वता की मात्रा और स्तर शामिल हैं। अविश्वसनीय निविष्टियों के बारे में प्रमुख मान्यताओं और उचित मूल्य के साथ उनके संबंध के लिए टिप्पणी संख्या 47 देखें।

घ) निवेश का उचित मूल्यांकन

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का उपयोग करके संस्थाओं की निवल परिसंपत्तियों के समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि कुछ निगमों के लिए नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे, निवेश का और मूल्यांकन बाजार और आर्थिक कारकों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों में परिवर्तन और नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की उपलब्धता वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तित हो सकते हैं।

ड) लीज

इंड एस-116 के तहत, पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के लिए किसी विकल्प के साथ समायोजित, यदि इस तरह के विकल्प का उपयोग उचित है, पट्टे की रद्द न करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा अवधि निर्धारित करने के लिए पट्टेदारों की आवश्यकता है। कंपनी लीज-बाय-लीज के आधार पर अपेक्षित लीज टर्म पर एक आकलन करती है और इस प्रकार यह आकलन करती है कि क्या यह युक्तिसंगत रूप से सुनिश्चित है कि अनुबंध का विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का उपयोग किया जाएगा। भविष्य अवधियों में लीज टर्म का पुनर्मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि लीज टर्म मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है।

च) कोविड-19 (कोविड -19) से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो प्राप्तियों की वहन राशि पर कोविड -19 से संबंधित महामारी से उत्पन्न हो सकता है। कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख पर, इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करने में सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों तथा आर्थिक पूर्वानुमानों का उपयोग किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है क्योंकि यह अनुमान वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से लगाए गए हैं।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loans and borrowing, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The Corporation's exposure to the risk of changes in market interest rate relates primarily to the Corporate's debt obligations with floating interest rate. The Corporation manages its interest risk in accordance with the Corporation's policies and risk objective.

c) Credit Risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Corporation if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the Corporation's receivables from customer. The Corporation is exposed to credit risk from its financial activities including trade receivables, deposits with banks, financial institutions and other financial instruments.

Financial Instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks is managed in accordance with the corporations policy. Investment of surplus are made only with approved banks on the basis of the financial quotes received from the banks.

Note 51 - Key sources of estimation of uncertainty

The following are the key assumptions concerning the future and the key sources of estimation of uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial liabilities is measured by the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

b) Taxes

Deferred tax assets are recognised for unused tax losses and unabsorbed depreciation to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which losses can be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax asset that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profit together with future tax planning strategies.

c) Estimates and judgment

Estimates and judgments in determining the fair value of biological assets and Investment in Unquoted Equity instrument includes the volume and stage of maturity of biological assets and Equity instruments as at balance sheet date. See note 47 for key assumptions about unobservable inputs and their relationship to fair value.

d) Fair Valuation of Investment

Investments are valued based on adjusted intrinsic value of net assets of entities, using audited Financial Statements. However latest financial statement for some of the Corporation's were not available, further valuation of investment depends on various factors including market and economic factor Changes in conditions and availability of latest audited financial statements may lead to change in value of financial assets.

e) Leases

Ind AS-116 requires lessees to determine the lease term as the non-cancellable period of a lease adjusted with any option to extend or terminate the lease, if the use of such option is reasonably certain. The Company makes an assessment on the expected lease term on a lease-by-lease basis and thereby assesses whether it is reasonably certain that any options to extend or terminate the contract will be exercised. The lease term in future periods is reassessed to ensure that the lease term reflects the current economic circumstances.

f) Estimation of uncertainties relating to the global health pandemic from COVID-19 (COVID-19)

The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying amounts of receivables. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial statements has used internal and external sources of information and economic forecasts. The impact of COVID-19 on the Company's financial statements may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-52 : अनुबंधीय प्रतिबद्धताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
शेष ठेके की अनुमानित राशि को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाता है और प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिमों का निवल)	625.82	604.53
कुल	625.82	604.53

टिप्पणी-53 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

निगम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में 51 विक्रेताओं की पहचान की है, जैसे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) में परिभाषित है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है :-:

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को मूल राशि देय एमएसएमईडी अधिनियम के तहत उपरोक्त राशि पर आपूर्तिकर्ता के कारण अर्जित ब्याज और अप्रदत्त वर्ष के दौरान नियुक्त तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को (ब्याज के अलावा) दिया गया भुगतान।	2,127.42	639.13
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16 के अलावा) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं का ब्याज का भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पहले से ही किए गए भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय / प्रदेय ब्याज	-	-

टिप्पणी-54 : विदेशी मुद्रा व्यापार

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
विदेशी मुद्रा में अर्जन: पोतपर्यन्त निःशुल्क आधार पर बीजों का निर्यात	-	-
विदेशी मुद्रा में व्यय		
विदेश भ्रमण	4.11	3.26
सदस्यता शुल्क	4.47	1.17
सीआईएफ आधार पर आयात बीजों का मूल्य	-	-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note : 52 Contractual Commitments

(₹ In lakhs)

Particulars	As at 31-03-2020	As at 31-03-2019
Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advances)	625.82	604.53
Total	625.82	604.53

Note : 53 Micro Small and Medium Enterprises

The Corporation has identified 51 vendors as Micro, Small and Medium enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act). The disclosures pursuant to the said Act is as under:

(₹ In lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2020	Figures for the current reporting period ended 31.03.2019
Principal amount due to suppliers under MSMED Act	2,127.42	639.13
Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid	-	-
Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than section 16)	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (section 16)	-	-
Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	-	-

Note : 54 - FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(₹ In lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2020	Figures for the current reporting period ended 31.03.2019
Earnings in Foreign Exchange:		
Export of seeds on F.O.B. Basis	-	-
Expenditure in Foreign Currency:		
Foreign Travel	4.11	3.26
Membership fees	4.47	1.17
Value of Import of Seeds on CIF basis	-	-



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-55

टिप्पणी-55.1

व्यापार प्राप्तियां, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / समाधान के अध्यक्षीन है। सरकारी विभागों / पार्टियों के विरुद्ध 6/3 वर्ष से कम या उसके बराबर अवधि के लिए लंबित देय वसूली योग्य है। यद्यपि लखनऊ के मामले में छह वर्ष से भी अधिक बीत जाने के बाद भी संबंधित सरकार से आर्थिक सहायता की राशि रु. 4.83 करोड़ वसूली योग्य है। इसी प्रकार भोपाल के मामले में 05 साल बीत जाने के बाद भी प्रदेय राशि रु. 2.04 लाख को वापस नहीं किया गया है।

टिप्पणी-55.2

क) एनएससी कोलकाता में मैसर्स पार्क इंडीकॉम प्रा.लि. को रु. 83,754.00 लाख में मासिक किराये पर रखा गया था, जिसका करारनामा नवम्बर, 2011 में समाप्त हो गया था और किरायेदार द्वारा किराया नहीं देने के कारण एनएससी ने कानूनी कार्रवाई की थी। अधिवक्ता की सलाह के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से अब तक लाइसेंस फीस के लिए कोई बिल नहीं दिया गया और इसे वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 तक के बही खातों में आय के रूप में नहीं दिखाया गया है और सांविधिक देय का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा मैसर्स पार्क इन्डिकोम प्रा. लि. से रुपये 62.72 लाख की बकाया किराया राशि का वर्तमान वर्ष 2019-20 में अशोध्य एवं संग्रिह्य ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी-56

सी.एस.आर. कार्यकलाप :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तीन अग्रगामी वित्तीय वर्षों के दौरान औसतन कर-पूर्व लाभ की कम से कम 2% राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत खर्च किया जाना चाहिए। तदनुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 104.02 लाख की राशि का बजट निर्धारित किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान सी.एस.आर. पर वास्तविक खर्च की गई राशि रु. 164.87 लाख है। इसमें रु. 60.25 लाख अपर्युक्त सी.एस.आर. आरक्षित निधि से उपयोग की गई है।

विवरण निम्नानुसार है:

क) कंपनी द्वारा सकल राशि खर्च की जानी थी अर्थात् सीएसआर बजट की राशि रु. 104.02 लाख है।

ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

(रु. लाख में)	
(i) निर्माण/अधिगृहीत संपत्ति	41.53
(ii) अन्य उद्देश्य	123.34
कुल	164.87

ग) कंपनी द्वारा नियंत्रित सीएसआर व्यय के संबंध में, सम्बद्ध पार्टी लेन-देन नहीं है।

घ) वर्ष के दौरान सीएसआर पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है चूंकि सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि से वास्तविक व्यय अधिक थी।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note: 55

Note: 55.1

The balances under Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade Payables and Other Current Liabilities are subject to confirmation/ reconciliation. Dues against the Government Departments/Parties outstanding for a period of less than or equal to six/ three years are considered good. However in case of Lucknow ₹ 4.83 crores recoverable on account of subsidy from concerned government although more than 6 years old. Similarly in case of Bhopal, payable amount ₹ 2.04 lakhs, since in demand, was not written back even after lapse of 5 years.

Note: 55.2

NSC, Kolkata has a tenant for monthly rent of ₹ .83754.00 in their premises at Salt Lake named Park Indicom Pvt. Ltd. Tenanship agreement has been expired in the year November 2011 and due to non payment by the tenant, legal action taken by NSC. No bill has raised for license fees as per Advocate advise from F.Y. 2016-17 onwards. So income has not booked from FY 2016-17 to FY 2019-20 for the same and statutory dues not paid. Further such outstanding rent receivable a sum of ₹ 62.72 lakhs from Park Indicom Pvt. Ltd. have been made provision for bad and doubtful Debts in current year 2019-20.

Note : 56

CSR Activities:

As per Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average PBT during the three immediately preceding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility. Accordingly a budget of ₹ 104.02 lakhs was earmarked during 2019-20 for CSR activities. Actual amount spent on account of CSR during 2019-20 was ₹ 164.87 lakhs. The excess amount of ₹ 60.85 Lakhs was utilized from unspent CSR Reserve.

The details are as below:

- (a) Gross amount required to be spent by the company i.e. CSR Budget is ₹ 104.02 lakhs.
(b) Amount spent during the year.

	(₹ in lakhs)
(i) Construction/Assets Acquired	41.53
(ii) Other Purpose	123.34
TOTAL	164.87

- (c) There is no related party transaction w.r.t controlled by the company in relation to CSR expenditure.
(d) No provision is made towards CSR during the year as actual amount spent was more than the amount required to be spent on CSR activities.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-57 : संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
टिप्पणी-571 संस्था के मुख्य प्रबंधन अधिकारीगण

नाम	पदनाम
श्री वी.के. गौड़	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. मोहन	निदेशक (वित्त)
श्री एम.एल अरोड़ा	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री कौशिक रक्षित (मुख्य वित्त अधिकारी)	वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)
मो. राकिम	कम्पनी सचिव सह महा प्रबंधक (कं. मा.)

टिप्पणी : 57 संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण ।

मुख्य प्रबंधन अधिकारीगणों की क्षतिपूर्ति

वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं अन्य मुख्य प्रबंधन अधिकारीगणों का मानदेय निम्न प्रकार से हैं:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
श्री वी.के. गौड़ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	45.09	41.03
श्री एम.एल अरोड़ा (निदेशक वाणिज्यिक) (30.08.2019 को कार्य ग्रहण किया)	16.47	-
श्री वी. मोहन (निदेशक वित्त)	35.66	32.53
श्री कौशिक रक्षित (व. महाप्रबंधक वित्त)	23.81	21.68
श्री मो. राकिम (कम्पनी सचिव सह महा प्रबंधक (कं. मा.)	32.01	28.56
कुल	153.04	123.80

मुख्य प्रबंधन अधिकारियों को मानदेय का विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	150.91	121.84
सेवानिवृत्ति कर्मचारी लाभ	-	-
अन्य दीर्घकालिक लाभ	2.13	1.96
समाप्ति लाभ	-	-
कुल	153.04	123.80

57.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

ऊपर दिए गए लेनदेन के अलावा, कंपनी के पास अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं हैं:-
सरकार का नाम: भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 57 : Related Party Disclosures

57.1 Key Managerial personnel of the entity

Name	Position
V.K. Gaur	Chairman cum Managing Director
V. Mohan	Director Finance
M.L.Arora	Director Commercial
Kaushik Rakshit (Chief Financial Officer)	Sr.General Manager (Finance)
Mohd. Raquim	Company Secretary cum GM Corporate Affairs

57.2 Disclosure of transaction with related parties:

Compensation of Key Managerial Personnel

The remuneration of CMD, whole time directors and other members of Key Managerial Personnel during the year was as follows:

(₹ In lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2020	Year ended 31/03/2019
Shri V.K. Gaur (Chairman-cum-Managing Director)	45.09	41.03
Shri M.L.Arora(Director Commercial) (Joined on 30/08/2019)	16.47	-
Shri. V. Mohan (Director Finance)	35.66	32.53
Shri. Kaushik Rakshit (Senior General Manager (Finance)	23.81	21.68
Shri. Mohd. Raquim (Company Secretary-cum-GM Corporate Affairs)	32.01	28.56
Total	153.04	123.80

Details of Remuneration to KMP

(₹ In lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2020	Year ended 31/03/2019
Short-Term Employee Benefits	150.91	121.84
Post-Employment Benefits	-	-
Other Long-Term Benefits	2.13	1.96
Termination Benefits	-	-
Total	153.04	123.80

57.3 Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Agriculture and Farmers welfare (Significant Influence over company)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कृषि महत्वपूर्ण लेनदेन:-

(रु. लाख में)

पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2019-20		2018-19	
		दावा	रसीद	दावा	रसीद
भारत सरकार	मिनीकिट	4141.99	5,054.51	10891.97	7,664.51
भारत सरकार	बीज बैंक	299.41	205.48	493.37	287.89
भारत सरकार	उत्पादन सब्सिडी	9259.23	6468.33*	12980.48	6421.25*
भारत सरकार	वितरण सब्सिडी	-	-	-	-
भारत सरकार	एमआईडीएच	-	225.97	708.22	300.00
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	254.06	181.70	287.73	290.07
भारत सरकार	अनुदान	-	2,394.70	-	639.89

सरकार पर शेष

(रु. लाख में)

पार्टी	विवरण	2019-20	2018-19
भारत सरकार	मिनीकिट	3,693.97	4,607.60
भारत सरकार	बीज बैंक	299.40	205.48
भारत सरकार	उत्पादन सब्सिडी	20,773.29	18,777.64
भारत सरकार	वितरण सब्सिडी	3,400.94	3,400.94
भारत सरकार	एमआईडीएच	-	226.69
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	255.26	182.90
भारत सरकार	अनुदान	1,680.18	1,076.55

*वितरण सहायता सहित

अन्य खुलासे : (यदि कोई)

ये लेनदेन कंपनी के कारोबार में सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं।

टिप्पणी-57.4

एनएससी द्वारा पहले से ही खर्च किए गए व्यय के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी की प्राप्ति में देरी से उत्पन्न होने वाले कार्य पूंजी में घाटे की भरपाई करने के लिए उपयोग किए जाने तक अनुदान राशि, एनएससी के सामान्य नकद क्रेडिट खाते में जमा की जाती है। एनएससी को समय पर सब्सिडी और मिनीकिट की राशि जारी नहीं की जाती है तथा 31 मार्च 2020 को 6 महीने से अधिक समय तक प्रशासनिक मंत्रालय में रु 154.10 करोड़ बकाया है। इसलिए, अनुदान पर ब्याज आय की भरपाई कंपनी को सब्सिडी जारी करने में देरी पर किए गए ब्याज खर्च से होती है।

टिप्पणी-58

निदेशक मंडल की राय में सभी सम्पत्तियां (सिवाए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर चालू निवेश के अलावा) की लागत कम से कम उस राशि के बराबर है, जिस पर उन्हें तुलन पत्र में बताया गया है।

टिप्पणी-59 : आकस्मिक देयता

(रु. लाख में)

आकस्मिक देयताएं :	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
कर्मचारियों एवं अन्यो द्वारा	2,715.80	2,504.86
धन वापसी गारंटी योजना के अंतर्गत लम्बित		
जांच/स्वीकृति के लिए दाखिल किए गए दावे	10.92	39.59
विवादित बिक्री कर मांग	49.15	46.96
विवादित बिक्री कर मांग - असम	19.26	19.26
विवादित प्रवेश कर मांग - पश्चिम बंगाल	-	-
विवादित आय कर की मांग	1,224.12	3,206.04
लाईव एवं लेट लाईव (पार्टी ने साख एवं धन के लिए एनएससी के विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया है)	47.89	47.89
विभिन्न पार्टियां (जिला उपभोक्ता फोरम बालसोर)	-	-
विवादित मांग - कर्मचारी राज्य बीमा निगम	6.38	6.38
टीडीएस लंबित मांग (टेरेसैस) के अनुसार (समायोजन योग्य अनउपभोगित चालान)	4.37	4.37



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Certain significant Transactions:-

(In ₹ lakhs)

PARTY	NATURE OF TRANSACTION	2019-2020		2018-2019	
		CLAIMED	RECEIPT	CLAIMED	RECEIPT
GOI	Minikit	4141.99	5,054.51	10891.97	7,664.51
GOI	Seed Bank	299.41	205.48	493.37	287.89
GOI	Production Subsidy	9259.23	6468.33*	12980.48	6421.25*
GOI	Distribution Subsidy	-	-	-	-
GOI	MIDH	-	225.97	708.22	300.00
GOI	Transport Subsidy	254.06	181.70	287.73	290.07
GOI	Grant	-	2,394.70	-	639.89

Balance with Government

(₹ In lakhs)

PARTY	Particulars	2019-20	2018-19
GOI	Minikit	3,693.97	4,607.60
GOI	Seed Bank	299.40	205.48
GOI	Production Subsidy	20,773.29	18,777.64
GOI	Distribution Subsidy	3,400.94	3,400.94
GOI	MIDH	-	226.69
GOI	Transport Subsidy	255.26	182.90
GOI	Grant	1,680.18	1,076.55

*Includes Distribution Subsidy

Other Disclosures: (if any)

These transactions are conducted in the ordinary course of the Corporation's business.

Note:57.4

The grant funds are pooled in the common Cash Credit Account of NSC until utilised to compensate the deficit in working capital arising out of the delay in realization of subsidy receivable from Govt. of India against the expenditure already incurred by NSC. The subsidy and minikit amounts are not released in time to NSC and outstanding from the Administrative Ministry for more than 6 months as on 31st March 2020 is ₹ 154.10 crores. Hence the interest income on grant is compensated by the interest expenses to the company on delayed release of subsidy.

Note: 58

In the opinion of the Board, all the assets (other than Property, Plant & Equipment and non current investments) have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

Note 59: Contingent liability

(₹ In lakhs)

Contingent Liabilities:	31st March 2020	31st March 2019
Claims against the Company not acknowledged as debt		
By employees and others	2,715.80	2,504.86
Claims lodged under money back guarantee scheme, pending investigation / acceptance	10.92	39.59
Disputed Sales-tax demands	49.15	46.96
Disputed Sales-tax demands - Assam	19.26	19.26
Disputed Demand for Entry Tax, West Bengal	-	-
Disputed Income tax demands	1,224.12	3,206.04
Live & Let Live (party has filed a case against NSC for loss of Goodwill & finance)	47.89	47.89
Various Parties (District Consumer Redressal Forum, Balasore)	-	-
Disputed Employee State Insurance Corporation demand	6.38	6.38
TDS Outstanding Demand as per TRACES(Adjustable Unconsumed Challans)	4.37	4.37



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-60 : सम्पत्तियों की हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि कम्पनी की गैर चालू परिसम्पत्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षित से कम नहीं है और इसलिए तुलन पत्र की तारीख पर सम्पत्ति की कोई हानि नहीं है।

टिप्पणी-61

केन्द्रीय राज्य फार्म, लाढ़ोवाल के मामले में, पूर्ववर्ती भा.रा.फा.नि. से पी.एल.डी. एवं आर.सी./पी.ए.यू./पंजाब सरकार को स्थानांतरित परिसम्पत्तियों की कीमत के गैर भुगतान के कारण, भा.रा.फा.नि. ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश/निर्णय प्राप्त कर लिए हैं। जबकि पी ए यू ने रु117.84 लाख का भुगतान कर दिया है तथा भा.रा.फा.नि. के देयताओं के विरुद्ध निपटान कर दिया है परन्तु पी.एल.डी. एवं आर.सी. ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एल पी ए दायर किया है, जो निपटान के लिए लम्बित है। हालांकि एनएससी ने माननीय न्यायालय के खंडपीठ से एलपी, की तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया है। खंडपीठ इस मामले पर अगले माह सुनवाई करेगी जैसे कि अधिवक्ता ने बताया है। पी.एल.डी. एवं आर.सी. से प्राप्त योग्य राशि रु 137.16 लाख है। एनएससी का एलपीए के शीघ्र निपटान के लिए आगे बढ़ा रही है। तदनुसार, खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी-62

इंड एस -115

राजस्व का गैर संकलन

उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का गैर संकलन निम्न प्रकार से है: उत्पाद एवं सेवा के आधार पर

	(रु. लाख में)	
माल अथवा सेवा का प्रकार	31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31/03/2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.उत्पादों की बिक्री	96,660.30	1,02,255.15
2.सेवा की बिक्री		
i) सेवाओं की बिक्री	47.64	44.86
ii)अन्य परिचालन राजस्व	9,288.72	13,551.56
3.अन्य आय	2,547.15	2,220.08
कुल	1,08,543.81	1,18,071.65

उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का गैर संकलन निम्न प्रकार से है: खंड के आधार पर

	(रु. लाख में)	
खंड आधार पर	31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31/03/2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पाद खंड उत्पादों की बिक्री	13,915.73	13,994.59
खुदरा एवं वितरण	94,628.08	1,04,077.06
कुल	1,08,543.81	1,18,071.65

कंपनी ने इंडएस 115 "उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से राजस्व" के आवेदन के लिए संशोधित आवेदन पत्र दिया है और 01 अप्रैल, 2018 को उपार्जन पर शून्य प्रभाव है।

अनुबंध शेष

	(रु. लाख में)	
	31/03/2020 को	31/03/2019 को
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 15)	41,041.27	32,126.17
अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-
अनुबंध देयताएं	-	-

व्यापार प्राप्य गैर-ब्याज असर है और ग्राहक प्रोफाइल में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। कंपनी का औसतन परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

अनुबंध की संपत्ति उस अवधि में अभिज्ञात की जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले कंपनी के अधिकार पर विचार करने के लिए सेवाओं का निष्पादन किया जाता है। पहले से अनुबंधित संपत्ति के रूप में अभिज्ञात कोई भी राशि संलग्न शर्त के संतुष्टि पर व्यापार रसीदों के लिए पुनर्वर्गीकृत है, अर्थात् भविष्य की सेवा में मील का पत्थर हासिल करने के लिए आवश्यक है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 60 : Impairment of Assets

On the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of non financial assets of the Corporation is not lower than expected and therefore there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

Note: 61

In case of erstwhile CSF Ladhawal, due to non-payment of value of assets transferred from erstwhile SFCI(now known as NSC to PLD & RC /PAU/ Punjab Govt., SFCI obtained orders in its favour from P & H HC. Whereas PAU have paid ₹ 117.84 lakhs and settled SFCI's claim to the extent of their liability; PLD & RC have however filed LPA before Division Bench of the same High Court which is pending for disposal. However, NSC has moved applications requesting court to make early hearing of the LPA. Amount to be received from PLD and RC is ₹ 137.16 lakhs. NSC counsel is persuing the matter for expeditious disposal of LPA. Accordingly provision for Doubtful Debts not created in the books of accounts.

Note : 62

Ind AS-115

Disaggregation of revenue

Below is the disaggregation of the Company's revenue from contracts with customers: Type of Products and Service Wise

	(₹ In lakhs)	
Type of goods or service	For the year ended 31, March 2020	For the year ended 31, March 2019
1. Sale of Products	96,660.30	1,02,255.15
2. Sale of Service-		
i) Sale of services	47.64	44.86
ii)Other operating Revenue	9,288.72	13,551.56
3. Other Income	2,547.15	2,220.08
Total	1,08,543.81	1,18,071.65

Below is the disaggregation of the Company's revenue from contracts with customers: Segment Wise

	(₹ In lakhs)	
Segment Wise	For the year ended 31, March 2020	For the year ended 31, March 2019
Producing Segment	13,915.73	13,994.59
Retailing & Distribution segment	94,628.08	1,04,077.06
Total	1,08,543.81	1,18,071.65

The Company has applied modified restrospective approach for the application of Ind AS 115 "Revenue from contracts with customers" and the effect is Nil on retained earnings as at April 1, 2018.

Contract balances

	(₹ In lakhs)	
	March 31, 2020	March 31, 2019
Trade receivables (Note 15)	41,041.27	32,126.17
Contract assets	-	-
Contract liabilities	-	-

Trade receivables are non-interest bearing and the customer profile include Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, State Governments and public sector enterprises etc. The Company's average project execution cycle is upto 12 months.

Contract assets is recognised over the period in which services are performed to represent the Company's right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. Any amount previously recognised as a contract asset is reclassified to trade receivables on satisfaction of the condition attached i.e. future service which is necessary to achieve the billing milestone.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयताएं	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं*	-	-

टिप्पणी-63

"प्रखंड रिपोर्टिंग" पर भारतीय लेखा मानक 108 के अनुपालन में, अपेक्षित सूचना संलग्न है।

व्यवसायिक खंड : व्यवसायिक खंड निम्न प्रकार से चिह्नित किए गए हैं :-

1. उत्पादन खंड
2. खुदरा बिक्री एवं वितरण खंड

टिप्पणी-64

पट्टों (लीज) का खुलासा

इंड एएस 116 "लीज" की प्रयोज्यता के कारण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में "पट्टों" की नीति को संशोधित किया गया है।

इंड एएस 17 के स्थान पर इंड एएस 116 को 1 अप्रैल, 2019 को अधिसूचित किया गया था। इंड एएस 116 पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है तथा तुलनपत्र पर अधिकांश पट्टों को स्वीकार करने (रिकोनाईज) के लिए पट्टेदारों की आवश्यकता होती है।

इंड एएस 116 के तहत पट्टादाता लेखांकन इंड एएस 17 से काफी हद तक अपरिवर्तित है। इंड एएस 17 में समान सिद्धांतों का उपयोग करने या तो परिचालन या वित्त पट्टों के रूप में पट्टेदारों को वर्गीकृत करना जारी रहेगा। इसलिए, जहां कंपनी पट्टादाता है, वहां पट्टादाता के लिए इंड एएस 116 का प्रभाव नहीं पड़ा। कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 के प्रारंभिक अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) की तारीख से अभिग्रहण की संशोधित पूर्वव्यापी प्रक्रिया का उपयोग करके इंड एएस 116 को अपनाया है। इस प्रक्रिया के तहत, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख से मान्यता प्राप्त मानक को आरंभ में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी रूप से मानक लागू किया जाता है। कंपनी इस ट्रांजिशन प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का उपयोग करने के लिए चुना है, न कि इस पूर्वमूल्यांकन के लिए 01 अप्रैल, 2019 को अनबंध है या लीज पर है। इसके बजाय, कंपनी ने मानकों को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया है, जिन्हें पहले इंड एएस 17 लागू करके पट्टों के रूप में पहचाना गया था।

इंड एएस 116 को अपनाने पर 01 अप्रैल 2019 (वृद्धि / (कमी)) पर प्रभाव निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

संपत्ति	राशि
उपयोग की संपत्ति	284.09
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(210.61)
कुल संपत्ति	73.48
देयताएं	
वित्तीय देनदारियाँ – लीज देनदारियाँ	73.48
कुल देयताएँ	73.48

कंपनी के पास भूमि और भवन के लिए पट्टे के अनुबंध हैं। इंड एएस 116 को अपनाने से पूर्व, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को स्थापना की तारीख से वित्त पट्टा या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। इंड एएस 116 को अपनाने पर, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू किया है। मानक विशिष्ट ट्रांजिशन आवश्यकताएं और व्यावहारिक प्रणाली प्रदान करता है, जो कंपनी द्वारा लागू किए गए हैं।

पट्टों को पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था

कंपनी ने पहले से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए प्रारंभिक एप्लीकेशन की तारीख पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक कैरिंग राशि (अकाउंट) को नहीं बदला (अर्थात्, परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकारी इंड एएस 17 के तहत मान्यता प्राप्त लीज परिसंपत्ति के बराबर है)। इंड एएस 116 की आवश्यकताओं 01 अप्रैल, 2019 से इन पट्टों पर लागू किया गया था

पट्टे, जिनकी पहले परिचालन पट्टों के रूप में लेखांकन किया गया

कंपनी ने उन पट्टों के लिए जिनको पहले परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, सिवाय लघु अवधि पट्टों को छोड़कर। संपत्तियों के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयताओं को मान्यता दी। पट्टेदार बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयता, प्रारंभिक आवेदन की तारीख में पट्टेदार की वृद्धिशील दर का उपयोग करके रियायत के बाद, को मान्य करता है और इसी के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार को, पहले से मान्य की गई पूर्वभुगतान या अर्जित बीज भुगतानों के लिए समायोजित की गई पट्टा देयता के बराबर एक राशि पर निर्धारित की जाती है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

(₹ In lakhs)

Particulars	31st March 2020	31st March 2019
Contract Asset at the beginning of the year	-	-
Contract Asset at the end of the year	-	-

(₹ In lakhs)

Particulars	31st March 2020	31st March 2019
Contract Liabilities at the beginning of the year	-	-
Contract Liabilities at the end of the year	-	-

Note : 63

In compliance of Ind AS 108 on "Operating Segment", the required information is annexed

Business segments: The Business segments have been identified as:-

1. Producing Segment
2. Retailing & Distribution Segment

Note : 64

Leases Disclosures

Policy of 'Leases' has been modified in the significant accounting policies due to the applicability of Ind AS 116 "Leases".

Ind AS 116 was notified with effect from April 1, 2019 which replaces Ind AS 17. Ind AS 116 sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to recognise most leases on the balance sheet.

Lessor accounting under Ind AS 116 is substantially unchanged from Ind AS 17. Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles as in Ind AS 17. Therefore, Ind AS 116 did not have an impact for leases where the Company is the lessor.

The Company adopted Ind AS 116 using the modified retrospective method of adoption with the date of initial application of April 1, 2019. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognised at the date of initial application. The Company elected to use the transition practical expedient not to reassess whether contract is or contains lease at April 01, 2019. Instead, the Company applied the standards only to contracts that were previously identified as leases applying Ind AS 17.

The effect of adoption Ind AS 116 as at April 01 2019 (increase/(decrease)) is as follows:

(₹ In lakhs)

Assets	Amount
Right-of-use assets	284.09
Property, plant and equipment	(210.61)
Total assets	73.48
Liabilities	
Financial liabilities - Lease liabilities	73.48
Total liabilities	73.48

The Company has lease contracts for land and building. Before the adoption of Ind AS 116, the Company classified each of its leases (as lessee) at the inception date as either a finance lease or an operating lease. Upon adoption of Ind AS 116, the Company applied a single recognition and measurement approach for all leases except for short-term leases. The standard provides specific transition requirements and practical expedients, which have been applied by the Company.

Leases previously classified as finance leases

The Company did not change the initial carrying amounts of recognised assets at the date of initial application for leases previously classified as finance leases (i.e., the right-of-use assets equal the lease assets recognised under Ind AS 17). The requirements of Ind AS 116 were applied to these leases from April 01, 2019.

Leases previously accounted for as operating leases

The Company recognised right-of-use assets and lease liabilities for those leases previously classified as operating leases, except for short-term leases. The lessee recognizes a lease liability measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lessee's incremental borrowing rate at the date of initial application and correspondingly measured the right-of-use asset at an amount equal to the lease liability, adjusted for previously recognized prepaid or accrued lease payments.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी ने उपलब्ध व्यावहारिक समीक्षकों को लागू किया, जिसमें इसने:

- (i) यथोचित समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर का उपयोग किया
- (ii) प्रारंभिक अवधि की तारीख के 12 महीनों के भीतर समाप्त होने वाली लीज अवधि और कुल पट्टा अवधि 12 महीने से कम होने वाले पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टों की छूट को लागू किया है।
- (iii) प्रारंभिक आवेदन की तारीख में संपत्ति के उपयोग का अधिकार का निर्धारण प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर है।
- (iv) पट्टे की अवधि निर्धारित करने में उपयोगित लीज किया जाता है, जहां अनुबंध में पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प होते हैं।

इंड एस -17 के तहत, पट्टा दायित्व के बीच अंतर और हस्तांतरण की तारीख पर, लीज देनदारी का मूल्य, मुख्य रूप से इंड एस 116 के अनुसार लीज देयता का निर्धारण निश्चित रूप से विस्तार और समाप्ति विकल्प के कारण है, जो कि इंड एस 116 के तहत वर्तमान मूल्य के लिए लीज देनदारियों में छूट के कारण है। 1 अप्रैल, 2019 को लीज की देनदारियों पर लागू भारत औसत वृद्धिशील दर 8.15% है।

क) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे के अनुबंधों किए हैं, जिसमें भूमि और कार्यालय के पट्टे शामिल हैं। इंड एस 116 के अपनाने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) स्थापना के समय वित्त लीज पट्टा या एक ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे के कार्यालय और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए "अल्पकालिक लीज" पहचान छूट लागू करती है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

अभिज्ञात संपत्ति के उपयोग का अधिकार की प्राप्त राशियाँ और वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों का खुलासा नोट 4 में किया गया है।

लीज देनदारी

वर्ष के दौरान निर्धारित पट्टे की देयताएं एवं संचलन नीचे दी गई हैं:

	(रु. लाख में)
पर जैसा 31 मार्च, 2020	
01 अप्रैल, 2019 पर शेष	73.48
वृद्धि	-
ब्याज की राशि	5.99
भुगतान	25.04
31 मार्च, 2020 तक शेष	54.43
वर्तमान	25.20
गैर-वर्तमान	29.23

31 मार्च 2020 तक अघोषित रूप से लीज देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है: —

	(रु. लाख में)		
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
लीज देयताएं	26.22	13.14	27.37
	26.22	13.14	27.37

लाभ और हानि के विवरण में मान्यताएँ

	(रु. लाख में)
विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सही उपयोग की संपत्ति का मूल्यहास व्यय (संदर्भ नोट 41)	33.50
लीज देनदारियों पर ब्याज व्यय (नोट 40 देखें)	5.99
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय(संदर्भ नोट 42)	256.62
	296.11



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

The Company also applied the available practical expedients wherein it:

- (i) Used a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.
- (ii) Applied the short-term leases exemptions to leases with lease term that ends within 12 months of the date of initial application and the total lease term is less than 12 months.
- (iii) Excluded the initial direct costs from the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application.
- (iv) Used hindsight in determining the lease term where the contract contained options to extend or terminate the lease.

The difference between the lease obligation under the Ind AS-17 and value of the lease liability as on the date of transition is primarily is on account of extension and termination option reasonably certain to exercised in measuring the lease liability in accordance to the Ind AS-116 and discounting of the lease liabilities to the present value under the Ind AS-116. The weighted average incremental borrowings rate applied to lease liabilities as at 1st April, 2019 is 8.15%.

a) Company as a Lessee

The Company as a lessee has entered into various lease contracts, which includes lease of land and office space. Before the adoption of Ind AS 116, the Company classified each of its leases (as lessee) at the inception date as either a finance lease or an operating lease. The Company also has certain leases of offices and guest house with lease terms of 12 months or less. The Company applies the 'short-term lease' recognition exemptions for these leases.

Right of Use Assets

The carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the year are disclosed in Note 4.

Lease Liabilities

Set out below are the carrying amounts of lease liabilities recognised and the movements during the year:

Particulars	(₹ In lakhs) As at 31st March, 2020
Balance at April 1, 2019	73.48
Addition	-
Accredition of interest	5.99
Payments	25.04
Balance at March 31, 2020	54.43
Current	25.20
Non-current	29.23

The maturity analysis of the lease liability on an undiscounted basis as on 31st March 2020 are as follows :-

Particulars	(₹ In lakhs)		
	Less than 1 year	1-2 years	2 year and above
Lease liabilities	26.22	13.14	27.37
	26.22	13.14	27.37

Amounts recognised in Statement of Profit and Loss

Particulars	(₹ In lakhs) For the year ended 31st March 2020
Depreciation expense of right-of-use assets (Refer Note 41)	33.50
Interest expense on lease liabilities (Refer Note 40)	5.99
Expense relating to short-term leases (Refer Note 42)	256.62
	296.11



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी के पास कई पट्टे अनुबंध पर हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। इन विकल्पों पर प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाती है और कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ प्रचलित किया जाता है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है। बिक्री और लीजबैक लेनदेन से लाभ / हानि कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख) एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने पट्टों पर अपनी संपत्ति दी है, उसी का विवरण नोट संख्या –8 निवेश संपत्ति के तहत दिया गया है। (पट्टों) पर इंड एएस-116 के अनुसार, निगम ने नई दिल्ली स्थित नेहरू प्लेस कार्यालय भवन का कुछ हिस्सा और केराफा, सूरतगढ़ में कुछ दुकानें किराए पर दी हैं पार्टियों के साथ एक पट्टा समझौता किया है। कुछ हद तक पट्टा / लीज प्रचलित हैं। नेहरू प्लेस, कार्यालय भवन और सूरतगढ़ की दुकानों से क्रमशः मासिक और वार्षिक लीज किराए प्राप्त किए जा रहे हैं।

टिप्पणी-65

केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच : वर्ष 2013 के दौरान उच्चतम न्यायालय, लखनऊ के निर्णय के पश्चात, केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच के पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल थे और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई थी। तदनुसार मूल्यांकन किया गया था और उच्च स्तरीय समिति ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया और दोनों पक्षों के दावों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय दिए :-

- i. माननीय न्यायालय में पूर्व में जमा किए गए रु. 25.00 लाख की राशि की निकासी के बाद रु. 477.27 लाख की राशि प्राप्य योग्य है। उत्तरप्रदेश सरकार के रु. 198.00 लाख के बकाया राशि के समायोजन के पश्चात केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच के पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत वसूली योग्य है।
- iii. यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय, लखनऊ में विचाराधीन है।
- iv. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच से संबंधित बहुत पुरानी शेष राशि रु. 85.61 लाख खर्च न की गई पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत दिखाई जा रही है। इस राशि को उक्त अनुदान के पता लगने पर समायोजित किया जाएगा।

टिप्पणी-66

राष्ट्रीय बीज निगम के पास कोई सहायक कम्पनी नहीं है। यहां 05 राज्य बीज निगमों में 20% या अधिक शेयरहोल्डिंग है जिन्हें "एसोसिएटस कंपनी" कहा गया है। इन निगमों के खातों को निगम के खातों के साथ समेकित करना तथा संलग्न करना जरूरी था। हालांकि एमओए और एफडब्ल्यू में संयुक्त सचिव (बीज) के साथ एसोसिएट राज्य बीज निगमों के प्रबंध निदेशकों की बैठक सहित सभी प्रयासों के बावजूद वे अपने बैकलाग खातों को इंड एएस में तैयार करने और समय पर जमा करने में असमर्थ थे। तदनुसार, इन एसोसिएट राज्य बीज निगमों के खातों को समेकित करके निगम के खातों के साथ संलग्न नहीं किया जा सका है। चूंकि राज्य बीज निगमों में निवेश की राशि भारत सरकार द्वारा के एनएसपी के अधीन थी, इसलिए निगम का इन एसोसिएट कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। तदनुसार एनएससी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ अपने पत्र दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के द्वारा मामले को उठाया जिसे स्वीकार कर लिया है तथा इन एसोसिएट कंपनियों में हिस्सेदारी 19% तक कम करने के लिए मंजूरी दे दी है। निगम ने एसोसिएट कंपनियों से शेयरों को वापस खरीदने के लिए अनुरोध किया है। कई अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद तथा कई बार दूरभाष पर बातचीत के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया। एमओए और एफडब्ल्यू के संयुक्त सचिव (बीज) की अध्यक्षता में इन सहयोगी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों के साथ दो बार बैठक होने के बावजूद अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इन कंपनियों ने इस मामले पर अपने निधि की कमी के बारे में बताया है तथा मामलों को राज्य सरकार के साथ लेने को कहा है। एनएससी इस मामले पर निरंतर प्रयासरत है।

टिप्पणी-67

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जनवरी, 2014 में एनएससी, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद का संयुक्त औचक निरीक्षण किया और वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान बीज उत्पादन, बीज विपणन से संबंधित रिकार्डों और एनएससी के अन्य राज्यों को प्रेषित रिकार्डों को जप्त कर लिया। सीबीआई कोर्ट में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में वारांगल, नंदियाल एवं कुरनुल प्रक्षेत्र कार्यालय के कर्मचारियों की कुछ निजी पार्टियों के साथ मिलीभगत से भारत सरकार को क्रमशः रु. 255.41 लाख, रु. 697.23 लाख एवं रु. 438.39 लाख का नुकसान पहुंचाया यद्यपि सीबीआई द्वारा वारांगल एवं नंदयाल कार्यालयों के विरुद्ध सितम्बर, 2015 में तथा प्रक्षेत्र कार्यालय करनूल के विरुद्ध जुलाई, 2019 में मुकदमा दायर किया गया है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. These options are negotiated by management and align with the Company's business needs. Management exercises significant judgement in determining whether these extension and termination options are reasonably certain to be exercised. Gain/loss from sale and leaseback transactions is not applicable to the Company.

b) Company as a Lessor

The Company has given its Assets on the leases, details of the same are given under the Note No-8 Investment Property.

As per Ind AS-116 on 'Leases' the Corporation has entered into a lease agreement with parties to let out part of its Nehru Place office building at New Delhi and shops at CSF Suratgarh on rent. The lease to some extent is operating in nature. Monthly and yearly lease rentals are received from its Nehru Place office building and shops at Suratgarh respectively.

Note : 65

CSF Bahraich: After the decision of the Hon'ble High Court Lucknow Bench during 2013, a High Power Committee comprising higher level functionaries of Central and State Government was constituted by the High Court to assess the value of trees and assets of Central State Farm, Bahraich by a valuer appointed by the U.P. Government. The valuation was done accordingly and High Power Committee considered the valuation report and after hearing the claims of both the parties decided as under:-

- i. Net receivable amount of ₹ 477.27 lakhs after withdrawal of ₹ 25 lakhs earlier deposited in the High Court; is recoverable from UP Govt. on account of the value of trees and assets of central state farm Bahraich after adjustment of their outstanding dues of ₹ 198.00 lakhs.
- ii. The matter is still subjudice before the High court Lucknow Bench.
- iii. Very old balance of ₹ 85.61 lakhs relating to CSF Bahraich is appearing under unspent capital grant. The same will be adjusted once the detail of the asset created against the said grant is traced.

Note : 66

National Seeds Corporation Limited does not have any Subsidiary Company. It is holding 20% or more shareholdings in five State Seeds Corporations which are called 'Associate Companies'. The Accounts of such corporations were required to be consolidated and separately attached with the Accounts of Corporation. However inspite of all efforts including a meeting of the Managing Directors of the Associate State Seeds Corporations with the Joint Secretary (Seeds) in MOA & FW, they were unable to either complete their backlog Accounts or prepare their current year accounts in Ind AS and submit in time. Accordingly the Accounts of these Associate State Seeds Corporations could not be consolidated and attached with the accounts of the Corporation. Since the amount invested in the State Seeds Corporation was under NSP of Government of India, NSC has no control on these Associate Companies. As such NSC has taken up the matter with MOA & FW and Ministry vide its letter dated 8th November 2016 has approved for reducing the stakes in these Associate Companies to 19%. Corporation has requested the Associate Companies to buy back the shares to that extent. Despite repeated letters, reminders and telephonic calls, Associate Companies are not giving positive response. Two times, meetings of MDs of Associate Companies were called and held by MOA & FW under the Chairmanship of J.S.(Seeds), but no result has come so far. They are complaining of shortage of funds as well as to take up with their State Governments. Persuasion is being continued by NSC.

Note : 67

The CBI has conducted joint surprise check at the Hyderabad Regional Office in the month of January 2014 and seized the records pertaining to the seed production, seed marketing and dispatches to other states of NSC for the period 2010-11 to 2013-14. As per the Charge sheet filed by the CBI in the CBI Court the total wrongful loss caused to Govt. of India was ₹ 255.41 Lakhs, ₹ 697.23 Lakhs and ₹ 438.39 lakhs by some private parties in collusion with the officials of Warangal, Nandyal and Kurnool area offices respectively. However, the case has been filed by Hon'ble CBI Court in September 2015 in case of Nandyal and Warangal Area Offices and in April 2019 in case of Kurnool Area Office.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी—68

सीएसएफ सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर (राजस्थान) और रायचूर (कर्नाटक) की कब्जे वाली भूमि भारत सरकार के स्वामित्व में है और एनएससी केवल कब्जाधारक है। बलियापुर (झारखंड) का मालिकाना हक राज्य सरकार के नाम पर है, एनएससी पट्टाधारक है। यद्यपि यह फार्म बन्द होने की प्रक्रिया में नालहाटी (प. बंगाल) और सुकिंडा (उड़ीसा) के मामलों में भी जमीन राज्य सरकारों के स्वामित्व में है जहां निगम पट्टेदार है। इन सभी फार्मों को कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तदनुसार गैर-राजस्व अनुदान के तहत इनका खुलासा नहीं किया गया है।

टिप्पणी—69

वित्तीय वर्ष 2013-14 से पूर्व, वित्तीय वर्ष के भीतर की गई खरीद के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का दावा किया गया था। बाद में संयुक्त सचिव (फसल) के निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का दावा किया गया है। वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना मौसम पर आधारित होती है और आंशिक रूप से वित्तीय वर्ष के साथ ओवरलैप होती है। इसी तरह, वर्ष 2019-20 के दौरान खरीफ 2019, रबी 2019-20 और ग्रीष्म 2020 के उत्पादन को शामिल करने के लिए वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है।

टिप्पणी—70

दिनांक 17.10.2011 के पांच बैंक डी.डी प्रत्येक 2000/-रु. के, दिनांक 12.10.2011 का रु. 0.26 लाख का एक डी.डी. और दिनांक 13.01.2012 का रु. 4.50 लाख का एक डी.डी. मांग पत्र भारतीय स्टेट बैंक, नेहरू प्लेस शाखा द्वारा खो गये। तदनुसार निगम की लेखा बहियों में रु. 4.86 लाख का शेष दिखाया जा रहा है। इस मामले को बैंक के समक्ष रखा गया और बैंक को कई पत्र लिखे जा चुके हैं परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ इसलिए प्रबंधन ने भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष 09.08.2017 को शिकायत दर्ज की। वर्ष के दौरान रु. 4.86 लाख का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी—71

पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः एकजुट/पुनःवर्गीकृत किया गया है जहां आवश्यक हो, ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप वर्गीकरण/प्रकटीकरण हो सके।

टिप्पणी—72 :

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त, 2020 को वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया।

टिप्पणी—73

लेखाकन नीति संख्या 2.1 (घ) के अनुसार मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड आफ किया जाना चाहिए था। यद्यपि, समेकन के दौरान सटीकता के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों के वित्तीय जानकारी रूपयों में दी गई थी और मुख्यालय स्तर पर समेकन के समय मूल्यों को निकटतम लाख पर राउंड ऑफ किया गया।

टिप्पणी—74

पूर्वावधि मदें

इंड एस-1 के तहत परिभाषित : महत्वपूर्ण (मैटिरियल) गैर विवरणों को यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं, को महत्वपूर्ण (मैटिरियल) माना जाता है। इसके अलावा परिभाषा के अनुसार आस पास की परिस्थितियों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है, जो आसपास की परिस्थितियों में देखी जाती है। तदनुसार, वर्ष के दौरान अभिज्ञात रु.388.75 लाख की कुल पूर्व अवधि की मदों को वर्तमान अवधि में कुल राजस्व का 1% से कम दर्ज किया गया है। उनका आकार सारहीन है और उनकी प्रकृति आर्थिक निर्णयों को प्रभावित नहीं करती है। यह इंड एस-8 के अनुरूप है, जहां पूर्वावधि को पूर्ववत करते हुए त्रुटि को ठीक करने के लिए पूर्ववर्ती समय की त्रुटियों से केवल सामग्री को ठीक करने का प्रावधान है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note : 68

Lands under possession in CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar (All three in Rajasthan) and Raichur(Karnataka) are under the ownership of Government of India and NSC is only the custodian. Land at Baliapur(Jharkhand) is under the ownership of the State Governments where Corporation is the lessee. However, the Farm at this land is under the process of closure. Land at Nalhati(West Bengal) and Sukinda(Odisha) also belongs to respective State Governments and are in permissiee possession. Accordingly these farms are being utilised for agricultural purpose have not been disclosed under Non-monetary Grant.

Note : 69

Prior to the financial year 2013-14 production subsidy was claimed on the basis of procurement made within the financial year. Later as per the Directions of Joint Secretary (Crops) production subsidy during a financial year is claimed on the basis of Annual Action Plan approved for that financial year by DAC. The Annual Action Plan for a year is based on seasons and partially overlaps with the financial year. Similarly, during 2019-20 Annual Action Plan was approved to cover production of Kharif-19, Rabi-2019-2020 and Summer-2020.

Note : 70

Five demand drafts dated 17.10.2011 of ₹ 2000/- each, one demand draft dated 12.10.2011 of ₹ 0.26 Lakhs and one demand draft dated 13.01.2012 of ₹ 4.50 Lakhs were misplaced by State Bank of India, Nehru Place Branch. Accordingly a balance of ₹ 4.86 Lakhs is appearing in the books of the Corporation. The matter was taken up with the bank and several letters were written to them over the years. Getting no response, the management has filed a complaint to RBI on 09.08.2017. Provision for ₹ 4.86 lakhs was created during the year.

Note : 71

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Note : 72

Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 10th August, 2020.

Note : 73

As per Accounting Policy No.2.1(d), the values had to be rounded off to the nearest lakhs. However, for more accuracy during consolidation, the financial information of Regional Offices/Farms are presented in Rupees and the values are rounded off to the nearest lakhs at the time of consolidation at HO.

Note : 74

Prior Period items

As per the definition of materiality as defined under Ind AS-1; Material misstatements are considered to be material if they individually or collectively influence the economic decisions. Further as per the definition materiality depends on the size and nature of misstatement judged in the surrounding circumstances. Accordingly, the total prior period items of ₹ 388.75 lakhs- recognised during the year being less than 1% of the total revenue has been booked in the current period, their size being immaterial and their nature does not influence the economic decisions. This is in line with Ind AS-8 where there is a provision to correct only material prior period errors retrospectively by restating the prior period in which the error has occurred.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-75 :

इंड-एएस 19 में परिभाषित "कर्मचारी हितलाभ" का प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है :

विवरण	(रु. लाख में)	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न हितों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :- :		
(क) परिभाषित अंशदान योजना:		
वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में निम्नलिखित राशि अभिज्ञात की है।		
(i) भविष्य निधि		
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	937.15	764.78
(ii) राज्य योजना		
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में नियोक्ता का अंशदान	1.20	1.73
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान	380.01	208.06
(ख) परिभाषित लाभ योजना		
कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित लाभ योजना है ।		
देयता का वर्तमान मूल्य परियोजना एकक ऋण विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है ।		
तालिका 1	ग्रेच्यटी (निधिकृत)	ग्रेच्यटी (निधिकृत)
1 बीमांकिक धारणाएं		
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2012-14 अंतिम	आईएएलएम 2006-08 अंतिम
घर्षण दर	01.00% प्रतिवर्ष	01.00% प्रतिवर्ष
आरोपित ब्याज दर/ (छूट दर)	06.63% प्रतिवर्ष	07.62% प्रतिवर्ष
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	बेसिक-3% और डीए-4%	बेसिक-3% और डीए-4%
आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ		
शेष कार्यशील जीवन	11.54 वर्ष	9.55 वर्ष
तालिका 2		
2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)		
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	5,748.53	6,245.45
ब्याज लागत	438.04	471.53
वर्तमान सेवा लागत	260.25	262.06
कटीती लाभ/हानि सहित आंशिक सेवा लागत	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	1,876.66	1,118.39
जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.06	5.84
वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	10.37	(17.72)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	280.00	(100.24)
वर्ष के अंत में पीवीओ	4,860.59	5,748.53



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 75:

The disclosures of Employee benefits as defined in Ind-AS 19 'Employee Benefits' are given below:

	(₹ In lakhs)	
Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2020	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2019
<p>The Company has classified the various benefits provided to employees as under :</p>		
A) <u>Defined Contribution Plan:</u>		
<p>During the year, the Company has recognised the following amounts in the statement of profit and loss:</p>		
(i) <u>Provident Fund:</u>		
Employer's Contribution to Provident Fund	937.15	764.78
(ii) <u>State Plans:</u>		
Employers' Contribution to Employee's State Insurance Act, 1948	1.20	1.73
Employers' Contribution to Employee's Pension Scheme, 1995	380.01	208.06
B) <u>Defined Benefit Plan:</u>		
<p>The <u>Employee Gratuity Fund</u> Scheme is a defined benefit plan. The present value of the obligation is based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method.</p>		
<u>Gratuity (Funded) Gratuity (Funded)</u>		
<u>Table 1</u>		
1 <u>Actuarial Assumptions</u>		
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2006-08
	Ultimate	Ultimate
Attrition Rate	01.00% p.a.	01.00% p.a.
Imputed rate of Interest/(discount rate)	06.63% p.a.	07.62% p.a.
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-4%	Basic-3% & DA-4%
Expected Return on plan assets	-	-
Remaining Working Life	11.54 Years	9.55 Years
<u>Table 2</u>		
2 <u>Changes in the Present value of obligations (PVO)</u>		
PVO as at beginning of year	5,748.53	6,245.45
Interest Cost	438.04	471.53
Current Service cost	260.25	262.06
Part service cost including curtailment gains/losses	-	-
Benefits Paid	1,876.66	1,118.39
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in demographic Assumption	0.06	5.84
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial Assumption	10.37	(17.72)
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	280.00	(100.24)
PVO as at end of year	4,860.59	5,748.53



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

तालिका 3

3	आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	3,248.80	2,862.45
	ब्याज आय	247.56	216.11
	नियोक्ता अंशदान	697.00	1,269.85
	भुगतान किए गए लाभ	1,765.39	1,094.81
	परिसम्पत्तियों पर वर्ष के लिए बीमाकिंक (लाभ)/हानि	(40.04)	(4.80)
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2,387.93	3,248.80

तालिका 4

4	तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है		
	वित्त पोषित स्थिति	(2,472.66)	(2,499.73)
	वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	2,387.93	3,248.80
	निधि देयता	4,860.59	5,748.53

तालिका 5

5	लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्च		
	वर्तमान सेवा लागत	260.25	262.06
	ब्याज लागत	190.48	255.42
	लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्च)	450.73	517.48

तालिका 6

6	अन्य व्यापक आय		
	वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	10.37	(17.72)
	जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	0.06	5.84
	अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	280.00	(100.24)
	कुल बीमाकिंक (लाभ)/हानि	290.43	(112.12)
	ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	(40.04)	(4.80)
	संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
	अवधि के अंत में शेष	330.47	(107.32)
	ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	330.47	(107.32)

क. निगम ने स्थाई कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान केनरा, एचएसबीसी, ओरियेंटल बैंक आफ कामर्स, जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड में उपदान निधि के रूप में रु. 150.00 लाख जमा किए थे। अंशदान, उपाजित ब्याज एवं भुगतान किए गए लाभ के पश्चात वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निधि लागत रु. 930.43 लाख रह गई है।

अर्जित अवकाश / अर्ध वेतन अवकाश का बीमाकिंक मूल्यांकन नीचे दिया जा रहा है:

तालिका 1

योजना आकलन

मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2012-14 अंतिम	आईएएलएम 2006-08 अंतिम
घर्षण दर	01.00% प्रतिवर्ष	01.00% प्रतिवर्ष
इम्प्यूटड ब्याज दर/(छूट दर)	06.63% प्रतिवर्ष	07.62% प्रतिवर्ष
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	बेसिक-3% और डीए-4%	बेसिक-3% और डीए-4%
आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
शेष कार्यशील जीवन	11.94 वर्ष	9.68 वर्ष



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Table 3

3	Changes in the fair value of plan assets		
	Fair Value of Plan Assets at beginning of year	3,248.80	2,862.45
	Interest Income	247.56	216.11
	Employer Contributions	697.00	1,269.85
	Benefits paid	1,765.39	1,094.81
	Actuarial (gain)/loss for the year on assets	(40.04)	(4.80)
	Fair value of Plan Assets at the end of year	2,387.93	3,248.80

Table 4

4	Table Showing Reconciliation to Balance Sheet		
	Funded Status	(2,472.66)	(2,499.73)
	Funded Assets	2,387.93	3,248.80
	Fund Liability	4,860.59	5,748.53

Table 5

5	Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
	Current Service Cost	260.25	262.06
	Interest Cost	190.48	255.42
	Benefit Cost (Expense Recognised in Statement of Profit and Loss)	450.73	517.48

Table 6

6	Other Comprehensive Income		
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial Assumption	10.37	(17.72)
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in demographic Assumption	0.06	5.84
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	280.00	(100.24)
	Total Actuarial (Gain)/Loss	290.43	(112.12)
	Return on Plan Assets excluding Interest Income	(40.04)	(4.80)
	The Effect of asset ceiling	-	-
	Balance at the end of the Period	330.47	(107.32)
	Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	330.47	(107.32)

- a. The Corporation has deposited ₹ 150.00 Lakhs in Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited during the financial year 2011-12 towards the gratuity fund of regular staff. Fund value after taking contribution, accrued interest and pay out benefits during the financial year 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 is ₹ 930.43 lakhs.

Actuarial valuation in respect of EL/HPL has been given as under:

Table 1

1 Plan Assumptions

Mortality Table	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
Attrition Rate	01.00% p.a	01.00% p.a
Imputed rate of Interest/(discount rate)	06.63% p.a.	07.62% p.a.
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-4%	Basic-3% & DA-4%
Return on plan assets	-	-
Remaining Working Life	11.94 Years	9.68 Years



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

तालिका 2

2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)

	(अनिधिकृत)	(अनिधिकृत)
पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ	3,616.05	3,628.80
वर्तमान सेवा लागत	467.68	223.13
ब्याज लागत	275.54	273.97
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	(3.51)	(11.21)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	(344.86)	180.69
भुगतान की गई प्रसुविधायें	817.36	679.33
वर्ष के अंत में पीवीओ	3,193.54	3,616.05

3 तालिका 3

आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	-	-
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-

4 तालिका 4

तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है

	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्त पोषित स्थिति	-	-
वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	-	-
निधि देयता	3,193.54	3,616.05

5 तालिका 5

लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे

वर्तमान सेवा लागत	467.68	223.13
शुद्ध ब्याज लागत	275.54	273.97
केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिंक लाभ/हानि	(348.37)	169.49
लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	394.85	666.59

6 तालिका 6

अन्य व्यापक आय

वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
कुल बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	-	-

सेवा निवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा भत्ता से संबंधित बीमाकिंक मूल्यांकन नीचे दिया गया है।

तालिका 1

1. योजना आकलन

	आईएएलएम 2006-08 अंतिम	आईएएलएम 2006-08 अंतिम
मृत्यु दर तालिका	-	-
घर्षण दर	-	-
आरोपित ब्याज दर/(छूट दर)	-	-
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	-	-
कार्यशील जीवन शेष	-	-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Table 2

2 Changes in the Present value of obligations (PVO)

	(Unfunded)	(Unfunded)
PVO as on last Valuation	3,616.05	3,628.80
Current Service cost	467.68	223.13
Interest Cost	275.54	273.97
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	(3.51)	(11.21)
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Unexpected Experience	(344.86)	180.69
Benefits Paid	817.36	679.33
PVO as at end of year	<u>3,193.54</u>	<u>3,616.05</u>

Table 3

3 Changes in the fair value of plan assets

Fair Value of Plan Assets at beginning of year	-	-
Interest Income	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Return on plan Assets excluding Interest Income	-	-
Fair value of Plan Assets at the end of year		

Table 4

4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet

Funded Status	N/A	N/A
Funded Assets	-	-
Fund Liability	3,193.54	3,616.05

Table 5

5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss

Current Service Cost	467.68	223.13
Net Interest Cost	275.54	273.97
Actuarial (Gain)/Loss only for last year	(348.37)	169.49
Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	<u>394.85</u>	<u>666.59</u>

Table 6

6 Other Comprehensive Income

Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
Total Actuarial (Gain)/Loss	-	-
Return on Plan Assets excluding Interest Income	-	-
The Effect of asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	-	-
Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	-	-

Actuarial valuation in respect of Travelling Allowance for Journey on Retirement has been given as under:

Table 1

1. Plan Assumptions

	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
Mortality Table		
Attrition Rate	-	-
Imputed rate of Interest/(discount rate)	-	-
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	-	-
Remaining Working Life	-	-



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

तालिका 2

2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)

	(अनिधिकृत) ₹	(अनिधिकृत) ₹
पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ	-	-
वर्तमान सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ	-	-

3 तालिका 3

आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-

4 तालिका 4

तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है

	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्त पोषित स्थिति	-	-
वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	-	-
निधि देयता	-	-

5 तालिका 5

लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे

वर्तमान सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	-	-
आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-
लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	-	-

6 तालिका 6

अन्य व्यापक आय

वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-
जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)हानि	-	-

कुल बीमाकिक (लाभ)हानि

ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	-	-

टिप्पणी: वर्ष 2019-20 के दौरान निगम अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अपने नकदी ऋण सीमा एवं एसटीएल पर निर्भर था जिसके लिए पूंजीकरण प्रक्रिया को कम किया गया। तदनुसार, निगम अवकाश नकदीकरण के लिए अलग से दीर्घकालीक लाभ निधि बनाने की स्थिति में नहीं था।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Table 2

2 Changes in the Present value of obligations (PVO)

	(Unfunded)	(Unfunded)
PVO as on last Valuation	-	-
Current Service cost	-	-
Interest Cost	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Unexpected Experience	-	-
Benefits Paid	-	-
PVO as at end of year	-	-

Table 3

3 Changes in the fair value of plan assets

Fair Value of Plan Assets at beginning of year	-	-
Interest Income	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Return on plan Assets excluding Interest Income	-	-
Fair value of Plan Assets at the end of year	-	-

Table 4

4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet

Funded Status	N/A	N/A
Funded Assets	-	-
Fund Liability	-	-

Table 5

5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss

Current Service Cost	-	-
Net Interest Cost Interest Cost	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/Loss only for last year	-	-
Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	-	-

Table 6

6 Other Comprehensive Income

Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
Total Actuarial (Gain)/Loss	-	-
Return on Plan Assets excluding Interest Income	-	-
The Effect of asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	-	-
Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	-	-

Note: During the year 19-20, the Corporation completely depended on its CC limit and STL for its working capital requirements reducing its capitalisation process to a bare minimum due to acute shortage of funds. Accordingly, the Corporation was not in a position to create a separate long-term employee benefit fund for leave encashment.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(ग) संवेदनशील विश्लेषण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े

(रु. लाख में)

	अवारणाओं में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव		अर्जित/अवकाश पर प्रभाव	
		डीबीओ में वृद्धि %	देयताएं	डीबीओ में वृद्धि %	देयताएं
छूट दर	+0.50%	-2.34%	(113.55)	-3.33%	(106.36)
	-0.50%	2.48%	120.78	3.64%	116.16
वेतन वृद्धि दर	+0.50%	2.34%	114.02	3.64%	116.31
	-0.50%	-2.25%	(109.47)	-3.36%	(107.45)



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

C) Sensitivity Analysis

For the year ended March 31st 2020

	Change in assumptions	Effect on Gratuity obligation		Effect on EL/HPL	
		% Increase in DBO	Liability	% Increase in DBO	Liability
Discount Rate	+0.50%	-2.34%	(113.55)	-3.33%	(106.36)
	-0.50%	2.48%	120.78	3.64%	116.16
Salary Growth Rate	+0.50%	2.34%	114.02	3.64%	116.31
	-0.50%	-2.25%	(109.47)	-3.36%	(107.45)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 76

01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10 जून, 2020 को आयोजित अपनी 289वीं बैठक में समीक्षा की गई तथा नए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। बैठक में प्रस्तावित किया गया कि बहियों में दिखाए गए रु. 360.95 लाख के अधिशेष प्रावधानों को प्रतिलिखित (साईट बैक) किया जाए।

टिप्पणी 77

इंड एस 116 में परिवर्तन के कारण पट्टे के लिए लेखाकनन में बदलाव किया गया था। इस वर्ष मूल्यहास रु. 74.91 लाख (टिप्पणी 4) के लिए प्रावधान के बाद खातों में रु. 250.66 लाख की परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का सृजन किया गया था। वित्तीय लागत (टिप्पणी 40) के तहत लाभ और हानि खाते में रु. 5.99 लाख का वित्तीय निहितार्थ प्रभावित किया गया था।

टिप्पणी 78

वर्ष के दौरान विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई क्योंकि मैसर्स एमिटी टेक्नोलॉजीज द्वारा नए ईआरपी सॉफ्टवेयर के विकास की दिशा में 30% की अगली बिलिंग जारी नहीं की गई, जिसे एप्लिकेशन की स्थापना के बाद जारी किया जाना था। वर्ष के दौरान शून्य वृद्धि के बावजूद, बहुत विकास हुआ है जैसे कि संबंधित एड यूजर्स की प्रक्रियाओं और इनपुट में प्रबंधन की पुनः पुष्टि परिवर्तन के लिए सभी विभागों के साथ एसआरएस दस्तावेजों पर चर्चा की गई थी। ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड का डिजाइन, समीक्षा और पुष्टि, डाटाबेस और हार्डवेयर के लिए आवश्यक विश्लेषण पूर्ण हो चुका है। परियोजना विकास चरण के तहत है (कोविड 19 लॉकडाउन के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।)

टिप्पणी 79

11.12.2019 को एनएससी और एनटीपीसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार,

क) एनटीपीसी द्वारा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एनएससी के केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर पर गैर खेती योग्य भूमि पर 160 मेगावाट की पीवी विद्युत परियोजना विकसित करनी है।

ख) एनएससी, 27 वर्षों (2+25 वर्ष) की अवधि के लिए जैतसर में 160 मेगावाट सौर पीवी बिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी को अपेक्षित भूमि प्रदान करेगा, जिसमें बुनियादी ढाँचे का विकास और पारस्परिक सहमति से आगे विस्तार के प्रावधान के साथ लाइनों का निर्माण भी शामिल है। आपसी सहमति एवं शर्तों के अनुसार, एनएससी "जैसा है, जहां है" के आधार पर एनटीपीसी को भूमि उपलब्ध कराएगा। एनटीपीसी इस भूमि को लेने के लिए एनएससी को लागू प्रीमियम और वार्षिक लीज रेंट का भुगतान करेगा। प्रीमियम राशि रु.679.62 लाख आंकी गई है। पहले दो वर्षों के लिए लीज रेंट प्रीमियम राशि 5% होगा और इसके पश्चात इसमें 10% वार्षिक वृद्धि होगी। वर्ष के दौरान, एनटीपीसी ने रु 441.10 लाख की अग्रिम राशि का भुगतान किया है। लीज समझौते क्रियान्वित किया जाना अभी बाकी है।

टिप्पणी 80

31 मार्च 2020 तक एमएसएमई को कुल बकाया राशि रु 2127.42 लाख है। इसमें, ग्राहकों (सरकारी) को आगे आपूर्ति के लिए एमएसएमई से बीजों की खरीद हेतु रु. 832.92 लाख की राशि क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ से संबंधित है। ये बीज सीधे आपूर्तिकर्ता द्वारा ग्राहकों को दिए जाते थे और ग्राहकों से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उन्हें तुरंत भुगतान कर दिया जाता था। रु. 4.91 लाख की राशि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ पर जनशक्ति एजेंसी को भुगतान से संबंधित है, जहां उपस्थिति को अंतिम रूप देने के बाद भुगतान किया जाता है। मुख्यालय में पैकिंग सामग्री से संबंधित कुछ मामलों को छोड़कर, बाकी सभी भुगतान माल प्राप्त की स्वीकृति से 45 दिनों के भीतर सख्ती से किए गए, मुख्यालय में भुगतान निम्नलिखित कारणों से विलंबित हुआ है:

- (क) पैकिंग सामग्री में मुद्रण और सिलाई की निम्न कोटी की गुणवत्ता।
- (ख) आपूर्त सामग्री के तकनीकी विनिर्देशों में भिन्नता।
- (ग) समझौता, चालान और जमा जैसे दस्तावेजों को देर से जमा करना।
- (घ) जारी किए गए खरीद आदेश के अनुसार आपूर्त सामग्री को जमा न करना।

टिप्पणी 81

कोविड 19 के कारण प्रभाव

वर्ष के दौरान कोविड 19 के कारण निगम के संचालनों पर कोई बड़ा वित्तीय निहितार्थ प्रभाव न होने के साथ छुटपुट था क्योंकि लॉकडाउन केवल सात दिनों (25 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020) की अवधि के लिए प्रभावी था, जिसके कारण कुछ प्रक्षेत्र कार्यालयों पर, स्टॉक का भौतिक सत्यापन, जो मार्च के अंतिम सप्ताह में किया जाता है, बाहरी कंपनियों द्वारा नहीं किया जा सका। वर्ष 2020-21 के दौरान तुलनपत्र तारीख से पहले, फसल में कटाई में देरी, आधारीय/प्रजनक बीज की अनुपलब्धता, कच्चे बीजों का इंटेक, प्रसंस्करण और पैकिंग सामग्री, कंडम बीज के निपटान, आपूर्ति में देरी, निष्क्रिय मशीनरी और परिवहन जोखिम पर प्रमुख प्रभाव देखा गया। वित्तीय प्रभावों का खुलासा अगले वर्ष में किया जाएगा।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

Note 76

Post retirement medical scheme to the employee retired/supperannuated before 01.01.2007 was reviewed and a new proposal was approved by the Board in its 289th meeting held on 10th June 2020. It was proposed in the meeting to write back the net surplus provision of ₹ 360.95 lakhs lying in the books.

Note 77

There was a change in accounting for lease due to change in Ind AS 116. Right -of- use Asset for ₹ 250.66 lakhs was created in the books after providing for this years' depreciation of ₹ 74.91 lakhs (Note 4). Financial implication of ₹ 5.99 lakhs was charged to the Profit and Loss Account under Financial Cost (Note 40).

Note 78

There was no addition in Intangible Assets under Development (Note 7) during the year since the next billing by M/S Amity Technologies of 30% towards development of new ERP software was not raised, which was to be raised after installation of the application. Despite of nil addition during the year, lot of development has occurred like the SRS document was discussed with all the departments for reconfirming / Change Management in the Process & input of the concerned End-Users. Design, Review & Confirmation of Report & Dashboard, Database Design and Hardware Requirement Analysis completed for Implementation of ERP. Project is under development phase (Work Progress affected by Covid-19 Lockdown).

Note 79

As per the MOU signed between NSC and NTPC on 11.12.2019 ;

(a) NTPC has to develop 160 MW Solar PV Power Project on uncultivable farm land at NSCL's Central State Farm, Jetsar in Sri Ganga Nagar District in Rajasthan.

(b) NSCL shall provide the requisite land to NTPC for setting up of 160 MW Solar PV Power Project at Jetsar for a period of 27 years (2+25 years) including infrastructure development and construction of lines with a provision for further extension on mutually agreed terms , failing which the entire plant will be surrendered to NSC on as is where is basis. NSCL shall provide the land on as is where is basis to NTPC. For providing the land, NTPC shall pay NSCL, the applicable Premium and Annual Lease Rent. Premium amount is worked out at ₹ 679.62 lakhs. Lease rent is 5% of the premium amount for first two years with which shall be enhanced there after for every year at the rate of 5% per annum of the annual lease rent of the previous year. During the year, NSC raised a bill ₹ 842.06 lakh, out of which the advance rent received in bank from NTPC was ₹ 400.96 lakh and ₹ 441.10 lakh is yet to be recovered. NTPC shall release the premium and annual lease rent payment to NSCL on completion of land handing over formalities including signing of Land Lease Agreement etc. on mutually agreed terms. However, though NSC has raised the bill for advance rent, the lease agreement is yet to be executed .

Note 80

Total dues to MSMEs as at 31st March 2020 is ₹ 2127.42 lakhs. In this, an amount of ₹ 832.92 lakhs pertaining to RO Chandigarh is procurement of seeds from MSMEs for further supplies to customers (Govt.). These seeds were directly supplied by the supplier to the customers and will be paid immediately once acceptance from the customers is received. ₹ 4.91 lakhs pertains to payment to manpower agency at CSF Suratgarh where the payment is done once the attendance is finalized. Rest all payments were made strictly within 45 days from acceptance of goods received, barring a few cases pertaining to packing material at the Head Office, where the payment has been delayed due to the following reasons :

- (a) Inferior quality of printing and stitching in the packing material.
- (b) Deviation in technical specification of supplied material .
- (c) Late submission of documents such as agreement, invoices and deposits.
- (d) Non submission of supplied material as per issued purchase order.

Note 81

Impact Due to COVID 19

Impact due to COVID 19 on the operation of the Corporation was sporadic with no major financial implication during the year since lockdown was effective only for a period of seven days (25th March 2020 to 31st March 2020) due to which physical verification of stock in few area offices, which is conducted in the last week of March, could not be performed by external firms. Major impact of delayed harvesting, unavailability of foundation/breeder seeds, intake of raw seeds, processing and packing material, disposal of condemned seeds, delay in supply ,idle machinery and transportation hazards was experienced post Balance Sheet date during the year 2020-21. Financial impact of the same will be disclosed in the next year.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	खंड	उत्पादन खंड	खुदरा बिक्री एवं वितरण खंड	समेकित
1	राजस्व बाहरी बिक्री/आर्थिक सहायता/अन्य आय	13,915.73	94,628.08	1,08,543.81
	कुल राजस्व	13,915.73	94,628.08	1,08,543.81
2	परिणाम खंड परिणाम			
	व्यय	11,466.84	91,412.41	1,02,879.25
	असाधारण मर्दे	59.79	363.52	423.31
		-	-	-
	असाधारण मर्दों के बाद कुल व्यय	11,407.05	91,048.89	1,02,455.94
		-	-	-
	कर पूर्वलाभ	2,508.68	3,579.19	6,087.87
		-	-	-
	कराधान के लिए प्रावधान	-	1,050.00	1,050.00
	पिछले वर्षों के लिए चालू कर	-	886.43	886.43
	अस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	1,159.49	1,159.49
		-	-	-
	निवल लाभ/हानि	2,508.68	483.27	2,991.95
3	अन्य सूचना			
	खंड परिसंपत्तियां	31,701.52	1,07,025.31	1,38,726.83
	खंड देयताएं	31,272.50	40,271.17	71,543.67
	पूँजीगत व्यय	765.58	908.42	1,674.00
	मूल्याह्रास	1,298.22	532.11	1,830.33

ह0/-
(मो.राकिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
डिन संख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन संख्या - 03289716
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसियेट्स के निमित्त
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या एन3870

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2020

ह0/-
साझेदार - विजय कुमार चौधरी
सदस्यता सं: 81843



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2020

(₹ In lakhs)

S. No.	SEGMENTS	Producing Segment	Retailing & Distribution segment	Consolidated
1	Revenue			
	External Sales/ Subsidy/Other Income	13,915.73	94,628.08	1,08,543.81
	Total Revenue	13,915.73	94,628.08	1,08,543.81
2	Results			
	Segment Result			
	Expenditure	11,466.84	91,412.41	1,02,879.25
	Exceptional Items	59.79	363.52	423.31
	Total Expenditure after Exceptional Items	11,407.05	91,048.89	1,02,455.94
	Profit Before Tax	2,508.68	3,579.19	6,087.87
	Provision for Taxation	-	1,050.00	1,050.00
	Current Tax for earlier years	-	886.43	886.43
	Deferred Tax Asset	-	1,159.49	1,159.49
	Net Profit / Loss	2,508.68	483.27	2,991.95
3	Other Information			
	Segment Assets	31,701.52	1,07,025.31	1,38,726.83
	Segment Liabilities	31,272.50	40,271.17	71,543.67
	Capital Expenditure	765.58	908.42	1,674.00
	Depreciation	1,298.22	532.11	1,830.33

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Sr. General Manager (F & A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K. Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716
As per our report of even date

For Arora & Choudhary Associates.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.-N3870

Place : New Delhi
Dated :10th August 2020

Sd/-
Partner- Vijay K Choudhary
Membership No.-81843

पर्यावरणीय नीति

बीजों के प्रसंस्करण, जांच, भंडारण तथा विपणन, वितरण में कार्यरत एन एस सी, स्वच्छ व हरित पर्यावरण के संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। यह नीति हमारी निम्न वचनबद्धताओं की अभिपुष्टि है:

- ★ बीज प्रसंस्करण संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल चलन।
- ★ प्राकृतिक संसाधनों जैसे विद्युत, जल और ईंधन का दक्षतापूर्ण उपयोग एवं संरक्षण।
- ★ संबद्ध पर्यावरण विधिक, नियमों एवं विनियमों का पालन।
- ★ प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों, चलनों एवं तकनीकी के अनुसार प्रदूषण और पर्यावरण क्षति की रोकथाम।
- ★ पर्यावरणीय निष्पादन में निरन्तर सुधार।

पर्यावरणीय उद्देश्य

- ★ प्रसंस्करण संयंत्र के चारों ओर हरित आवरण में सुधार कराना।
- ★ प्रसंस्करण संयंत्र का पर्यावरण के अनुकूल विधि द्वारा सहज प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये अनुरक्षण करना।
- ★ प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को रोकने के लिये कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और निपटान की प्रणालियों का पालन करना।
- ★ जल संग्रहण के उपाय करना।
- ★ आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों एवं स्थानीय समुदाय सहित संपूर्ण संस्थान में पर्यावरणीय पहलुओं एवं संबंधित प्रभावों पर सूचानाओं के प्रसार द्वारा जागरूकता लाना।

ENVIRONMENTAL POLICY

NSC, engaged in production, processing, marketing, testing, storage and distribution of seed, is committed to preserve clean and green environment. This policy statement is in affirmation of our commitment to:

- Safe and environmentally sound practices in operation and maintenance of seed processing plant.
- Efficient utilization and conservation of natural resources like electricity, water and fuels.
- Comply with relevant environmental legislation, rules and regulations.
- Prevention of pollution and environmental degradation in accordance with prevailing international / national standards, practices and technology.
- Continual improvement in environmental performance.

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

- Improving the green cover in and around the processing plant.
- To carry out maintenance of the processing plant to ensure smooth running of plant in an environmentally friendly manner.
- To adhere to the systems of segregation, collection and disposal of waste to prevent pollution and environmental degradation.
- To undertake water harvesting measures.
- Enhance awareness by dissemination of information on environmental aspects and related impacts through out organization including suppliers, contractors and local community.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड | NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न” कम्पनी)
सीआईएन: U74899DL1963GOI003913
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
(आईएसओ 9001:2015 एवं 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)
CIN :U74899DL1963GOI003913
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012
(An ISO 9001 : 2015 and 14001 : 2015 Certified Company)

दूरभाष (Phone No.): 91-11- 25846292, 25846295,

ई-मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com वेबसाइट/ W bsite : www.indiaseeds.com